Thursday, 13 March, 1975

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[ तेरहवां सत्र / Thirteenth Session ]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[ खंड 49 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLIX contains Nos. 11 to 20 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 18—गुरुवार, 13 मार्च, 1975/22 फाल्गुन, 1896 (शक)

*No.* 18.—*Thursday, March* 13, 1975/*Phalguna* 22, 1896 (*Saka*)


| विषय | Subject | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर :** | **Oral Answers to Questions :** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 325, 326, 330, 332, 333, 339 और 340 | *Starred Questions Nos. 325, 326, 330, 332, 333, 339 and 340. | 1–17 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर :** | **Written Answers to Questions :** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 324, 327, 328, 329, 331, 334 से 338 और 341 से 343 | *Starred Questions Nos. 324, 328, 329, 331, 334 to 338 and 341 to 343 | 17–26 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 से 3147, 3150 से 3169, 3171 से 3197, 3199 से 3212, 3214, 3216 से 3238, 3240 से 3260, 3262 से 3272 और 3274 से 3303 | Unstarred Questions Nos. 3136 to 3147, 3150 to 3169, 3171 to 3197, 3199 to 3212, 3214, 3216 to 3238, 3240 to 3260, 3262 to 3272 and 3274 to 3303 | 26–104 |
| **आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में** | Re. Question of Privilege against A.I.R. | 105 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | Papers Laid on the Table | 105–106 |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—** | Calling Attention to matter of Urgent Public Importance— | |
| जूनागढ़ के निकट 40 तीर्थयात्रियों की मृत्यु का समाचार— | Reported death of 40 Pilgrims near Junagarh— | |
| श्री पी० एम० मेहता | Shri P. M. Mehta | 106–107 |
| श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी | Shri K. Brahmanand Reddy | 106–109 |


---

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—16 L S S/ND/75

| विषय | Subject | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति— | Committee on Private Members' Bills and Resolutions— | |
| 52 वां प्रतिवेदन | Fifty second report. | 109 |
| राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बारे में वक्तव्य— | Statement Re. Submission of Interim Reports of National Commission on Agriculture— | |
| श्री प्रभुदास पटेल | Shri Prabhudas Patel . | 110–13 |
| नियम 377 के अधीन मामला— | Matter Under Rule 377— | |
| 1 प्रतिशत सामान्य उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट के बारे में संसद से बाहर की गई घोषणा का कथित अनौचित्य | Alleged impropriety in announcement made outside the House about exemption from payment of the new one per cent Excise Duty in certain cases. | 114 |
| बजट (सामान्य) 1975-76—सामान्य चर्चा | General Budget 1975-76— General Discussion— | |
| श्री दरबारा सिंह | Shri Darbara Singh . | 114–16 |
| श्री पी० जी० मावलंकर | Shri P. G. Mavalankar | 116–18 |
| श्री नाथू राम मिर्धा | Shri Nathu Ram Mirdha | 118–19 |
| श्री सी० एच० मोहम्मद कोया | Shri C. H. Mohmed Koya | 119 –20 |
| श्री जगन्नाथ राव | Shri Jagannath Rao | 120–21 |
| श्री हरि किशोर सिंह | Shri Hari Krihore Singh | 121–22 |
| श्री धामनकर | Shri Dhamankar | 122–23 |
| श्री एम० एस० संजीवी राव | Shri M. S. Sanjeevi Rao | 123 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | Shri Somnath Chatterjee | 124–25 |
| श्री प्रणव कुमार मुखर्जी | Shri Pranab Kumar Mukherjee . . | 125–27 |
| श्री राम हेडाऊ | Shri Ram Hedaoo . | 128 |
| श्री डी० डी० देसाई | Shri D. D. Desai . | 128–29 |
| डा० वी० के० आर० वी० राव | Dr. V.K.R. Varadarasa Rao . . . . | 129–31 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha . . | 131–33 |
| श्री पी० गंगा देव | Shri P. Gangadeb . . | 133–34 |
| श्री सी० के० चन्द्रप्पन | Shri C.K. Chandrappan . | 134 |
| श्री राम सहाय पांण्डेय | Shri R.S. Pandey . . | 135 |
| श्री ई० आर० कृष्णन | Shri E.R. Krishnan . | 135–36 |
| डा० एच० पी० शर्मा | Dr. H. P. Sharma . | 137 |

| विषय | Subject | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| श्री जनेश्वर मिश्र | Shri Janeshwar Mishra . | 137–138 |
| श्री इस्माइल हुसेन खान | Shri Ismail Hossain Khan . | 138 |
| श्री गंगाचरण दीक्षित | Shri G. C. Dixit | 139 |
| डा० कैलास | Dr. Kailas . . . | 139–140 |
| श्री बनमाली बाबू | Shri Banamali Babu . | 140–141 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee . . | 141–142 |
| श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य | Shri ' Chapalendu Bhattacharyyia . . | 142–143 |
| श्री एम० सुदर्शनम | Shri M. Sudarshanam . | 143–144 |
| श्री सांगलियना | Shri Sangliana . | 144 |
| श्री के० एस० चावडा | Shri K. S. Chavada . | 144–145 |
| श्री अचल सिंह | Shri Achal Singh . . | 145 |
| श्री विश्व नारायण शास्त्री | Shri Biswanarayan Shastri . | 145–146 |
| पं० डी० एन० तिवारी | Shri D. N. Tiwary . . | 146–147 |
| श्री वाई० एस० महाजन | Shri Y.S. Mahajan . . | 147–148 |
| श्री नागेश्वर द्विवेदी | Shri Nageshwar Dwivedi . | 148–149 |
| सरदार स्वर्ण सिंह सोखी | Sardar Swaran Singh Sokhi | 149–150 |
| श्री बी० वी० नायक | Shri B. V. Naik . | 150–151 |
| श्री आर० एन० बर्मन | Shri R. N. Barman . . | 151–152 |
| श्री श्याम सुन्दर महापात्र | Shri Shyam Sunder Mohapatra | 152–153 |

# लोक-सभा
# LOK-SABHA

**गुरुवार, 13 मार्च, 1975/22 फाल्गुन, 1896 (शक)**
Thursday, March 13, 1975/Phalguna 22, 1896 (Saka)

---

**लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### देश में हृदय रोग के मामलों में वृद्धि

*325. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हृदय रोग के मामले बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) हृदय रोगों का कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता । अतः भारत में ये रोग कितने फैले हुए हैं या इनमें वृद्धि हो रही है या नहीं इसके बारे में कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, यह माना जा सकता है कि आधुनिक जीवन के बढ़ते हुए तनावों के कारण इन रोगों में वृद्धि हो रही है ।

(ख) मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों, अन्य बड़े अस्पतालों और अधिकांश जिला अस्पतालों में हृदय रोगों के इलाज की सुविधाएं मौजूद हैं । इन सुविधाओं में और आगे वृद्धि की जा रही है ।

**श्री एच० के० एल० भगत :** क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान, परिषद या किसी अन्य संगठन ने इन मामलों का अध्ययन या सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ? दूसरे इस रोग के मुख्य कारण क्या हैं तथा क्या इस रोग के लक्षणों के निदान के बारे में कोई विशेष अनुसन्धान किया गया है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ने हृदय रोगों के बारे में आगरा, एलप्पी, बम्बई, हैदराबाद और नई दिल्ली में एक अध्ययन किया था। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्कूलों के बच्चों में वात हृदय रोग की व्यापकता का निर्धारण करना और भारत में किन्हीं विशिष्ट स्थानीय लक्षणों के संदर्भ में रोग के सहज इतिहास और रूपका अध्ययन करना था, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद वात-ज्वर तथा वात हृदय रोग को रोकने के उपायों का भी निकट भविष्य में अध्ययन करने का विचार कर रही है।

**श्री एच० के० एल० भगत :** मंत्री महोदय ने इन मामलों के फैलने के संदर्भ में अध्ययन के निष्कर्ष नहीं बताये हैं।

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** मैं कह चुका हूं कि हमारे पास इसके प्रमाणिक आंकड़े नहीं है और यह रोग बढ़ रहा है।

**श्री अनन्तराव पाटिल :** हाल में "टाइम" पत्रिका में "दि क्वाइट किलर" शीर्षक से प्रकाशित लेख में कहा गया था कि इस रोग का कारण अधिक तनाव है जिसका इलाज किया जाना चाहिये। क्या परिवार नियोजन कार्यक्रमों के समान ऐसे रोगों की ओर भी उचित ध्यान दिया जायेगा और क्या हृदय रोगों के कारणों तथा उनके इलाज आदि दिखाने वाले वृत्त चित्रों को प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** सभा को मालूम ही है कि हृदय गति के रुक जाने या हृदय रोग का एक कारण अत्यधिक तनाव भी है।

**श्री राम सहाय पांडे :** मैं आपका ध्यान विश्व हृदय विज्ञान संस्था के अध्यक्ष डा० हैनरी मेकिनतोन के इस कथन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में अच्छे डाक्टर तो उपलब्ध हैं परन्तु जहां तक अनुसंधान का सम्बन्ध है, देश में आधुनिक और बढ़िया उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। इस सम्बन्ध में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह अत्यधिक तनाव की समस्या है। क्या सरकार ये आधुनिक और नवीनतम उपकरण जो हृदय रोगों के अनुसंधान के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं, प्राप्त करने के लिये कदम उठायेगी ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** देश में विभिन्न रोगों के लिये अनेक अनुसंधान किये जा रहे हैं। अब हमने कुछ विशेष रोगों, जैसे संक्रामक रोग और प्रजनन जीव-विज्ञान, को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। श्रीमन, विश्व के अन्य भागों में हृदय-विज्ञान अनुसंधान पर करोड़ों डालर खर्च किये जा रहे हैं। अभी कुछ मिनट पहले ही मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में उन्हें हृदय रोगों के उपचार के अपने उपकरण दिखा रहा था। जहां तक हृदय शल्य-चिकित्सा का सम्बन्ध है हमारे पास सभी परीक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी विश्व के किसी भी भाग से तुलना की जा सकती है। परन्तु हम इस समय हृदय विज्ञान अनुसंधान को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। यद्यपि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था जैसी कुछ संस्थाओं में कुछ अनुसंधान हो रहा है। हृदय विज्ञान में अनुसंधान का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है।

**श्री धामनकर :** क्या एलोपेथी के साथ साथ सरकार ने हृदय रोगों के उपचार के लिये आयुर्वेद और होम्योपेथी की दवाइयों का भी परीक्षण किया है तथा क्या इन चिकित्सा विज्ञान की इन दोनों शाखाओं में भी कोई अनुसंधान किया गया है ?

**डा० कर्ण सिंह :** विशेष रुप से रक्त चाप के बारे में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपेथी चिकित्सा पद्धति का दावा है कि वे अत्यधिक तनाव का उपचार कर सकते हैं। जैसा मेरे सहयोगी ने बताया कि यह भी एक कारण है जिससे अन्त में हृदय रोग हो सकते हैं। हम आयुर्वेद और होम्योपेथी में अत्यधिक तनाव के पहलू की जांच कर रहे हैं।

**श्री वयालार रवि :** मंत्री महोदय ने अभी कहा कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में बहुत मूल्यवान उपकरण उपलब्ध हैं परन्तु सच्चाई यह है कि विभिन्न कारणों से वे आम लोगों को उपलब्ध नहीं हैं। मंत्री महोदय का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे कि मरणासन्न सभी रोगियों को इन उपकरणों का लाभ मिल सके ?

**डा० कर्ण सिंह :** यह सच है कि यह बहुत खर्च वाले हैं। एक वाल्व का मूल्य लगभग 5,000 रुपए होगा और यदि आप हृदय शल्य चिकित्सा के लिए किसी गैर-सरकारी अस्पताल में जाये तो एक वाल्व की कीमत लगभग चालीस,पचास हजार रुपये होगी। वाल्वों का आयात होता था। हम देश में उन्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निकट भविष्य में वे बनने लगेंगे और वे कुछ सस्ते भी होंगे । यह सच है कि आधुनिक उपकरणों से शल्य-चिकित्सा महंगी है।

**श्री मोहनराज कलिंगारायर :** मंत्री महोदय ने हमारे देश में हृदय रोग के मुख्य कारण बताये। हृदय रोग सारे विश्व में होते हैं। विभिन्न देशों ने अपने-अपने मेडिकल बुलेटिनों में अपने देश तथा उनके पड़ौसी देशों में हृदय रोगों के कारणों का उल्लेख किया है। क्या वे बता सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में हृदय रोग के अधिक फैलने के क्या मुख्य कारण हैं ?

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** पहले हम समझते थे कि हृदय रोग यूरोपीय देशों में ही होता है। अब यह रोग इस देश में फैल रहा है। आधुनिक रहन-सहन इसका मुख्य कारण है।

### गुजरात में रतौंधी रोग

†

*326. **श्री डी० पी० जडेजा :**

**श्री वकारिया :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान गुजरात राज्य के अभाव ग्रस्त क्षेत्र में रतौंधी के जिलेवार कितने रोगियों का प्रशासन को पता लगा है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रोग का इलाज क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क), (ख) और (ग) सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

राज्य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा गुजरात के अभावग्रस्त इलाकों के लोगों का त्वरित स्क्रीनिंग करने से रतौंधी के बारे में निम्नलिखित आकड़े सामने आए हैं :--

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जामनगर | 1419 |
| 2. | कैरा | 18 |
| 3. | सुरेन्द्र नगर | 96 |
| 4. | जूनागढ़ | 15 |
| 5. | कच्छ | 1583 |
| 6. | भडौच | 23 |
| 7. | बनस्काण्ठा | 569 |
| 8. | राजकोट | 1115 |
| 9. | साबरकंठा | 4 |

2. आहार में विटामिन "ए" की कमी से रतौंधी हो जाती है। भारत में विटामिन "ए" की कमी के मुख्य कारण हैं--गरीबी के कारण विटामिन "ए" युक्त आहार का कम मात्रा में मिलना तथा खाया जाना, अज्ञानता और भोजन के बारे में लोगों की गलत आदतें। इस पर जब बाढ़ तथा सूखा जैसे प्राकृतिक प्रकोप हो जाते हैं, तब ये उपर्युक्त कारण और गम्भीर रूप धारण कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप विटामिन "ए" की कमी और अधिक बढ़ जाती है।

3. इस रोग को समाप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि लोगों के दैनिक आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन "ए" युक्त भोजन उपलब्ध किया जाए। ईसका एक तुरन्त उपाय यह है कि बच्चों को समय समय पर तेल मे विटामिन 'ए' बड़ी मात्रा में खाने के लिए दिया जाए। इससे यह समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है।

**श्री डी० पी० जदेजा :** विवरण से बिल्कुल स्पष्ट है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रतौंधी का अधिक प्रकोप है। क्या सरकार बतायेंगी कि क्या इसका प्रकोप सम्पूर्ण जिले में है या केवल सूखाग्रस्त क्षेत्रों में और क्या उन क्षेत्रों में केवल उच्च वर्ग के लोग इससे पीड़ित हैं या समाज के नीचे के स्तर के लोग भी इससे पीड़ित है? श्रीमन, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रतौंधी का प्रकोप केवल इस वर्ष ही नहीं हुआ है बल्कि इस क्षेत्र में हम वर्ष प्रति वर्ष इसके शिकार होते आ रहे हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है जिससे कि इन क्षेत्रों में यह रोग दोबारा न हो?

**श्री ए० के० एम० इसहाक :** श्रीमन, रतौंधी का एक कारण विटामिन "ए" की कमी है और इस क्षेत्र के लोगों में इस विटामिन "ए" की कमी है। स्कूल जाने योग्य आयु से कम आयु के तथा स्कूल जाने योग्य आयु वर्ग के बच्चों को विटामिन 'ए' सप्लाई करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसके पूरा हो जाने पर रतौंधी या अंधापन भी हो तो उसका प्रकोप कम हो जायेगा।

**श्री डी० पी० जदेजा :** क्या इसका कोई स्थायी उपचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) :** श्रीमन, वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा अधिक पोषक भोजन, विटामिन "ए" और सामान्य प्रोटीन से युक्त आहार इसका वास्तविक स्थायी उपचार है। सामान्य सुधार होने तक 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विटामिन "ए" देने का कार्यक्रम है जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया और हमें आशा है कि इससे रतौंधी को रोकने में बहुत सहायता मिलेगी, जो अन्धेपन की अपेक्षा, जिसका गत सप्ताह मैंने उल्लेख किया था, कम गंभीर बात है।

**श्री के० एस० चावड़ा :** श्रीमन, विवरण में कहा गया है :

> "इसका एक तुरन्त उपाय यह है कि बच्चों को समय समय पर तेल में विटामिन "ए" बड़ी मात्रा में खाने के लिये दिया जाए। इससे यह समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है।

श्रीमन, रतौंधी रोग से बच्चों के अतिरिक्त अन्य लोग भी पीड़ित हैं। उनके लिये क्या अल्पकालिक उपाय करने का सरकार का विचार है ?

**डा० कर्ण सिंह :** दूसरी अन्य श्रेणी गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं। उन्हें रतौंधी होने की अधिक संभावना रहती है क्योंकि गर्भावस्था में जो भी विटामिन होते हैं वे गर्भ द्वारा ले लिये जाते हैं और इसलिए माता को रतौंधी हो जाती है। विटामिन "ए" के हमारे कार्यक्रम में गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं शामिल हैं। यह दूसरी श्रेणी है जिसे हम इसके अन्तर्गत लाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक साधारण जनता का प्रश्न है, यह पोषक आहार का प्रश्न है।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या मंत्री महोदय के उत्तर से हम यह समझें कि गुजरात को बड़ी मात्रा में विटामिन "ए" की आवश्यकता है और राष्ट्रपति शासन के दौरान इसका वितरण करने का सरकार का विचार है ?

**डा० कर्ण सिंह :** गुजरात एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जिसके कारण वहां पर गंभीर और व्यापक रुप में लोग कष्ट में हैं और रतौंधी भी इसका परिचायक है और इसी प्रसंग में हम इसका उत्तर दे रहे हैं। निश्चय ही आहार तो दिया जाना है चाहे राष्ट्रपति शासन हो या न हो।

**श्री पी० जी० मावलंकर :** श्रीमन, मंत्री महोदय ने गुजरात के जिलों के एक वर्ष के आंकड़े दिये हैं जो प्रशासन इकट्ठे कर सका है जिनके बारे में इसे पता चला है। परन्तु रतौंधी का प्रकोप इससे कहीं अधिक है। सरकार विशेष रुप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, जैसे कच्छ, जामनगर, राजकोट में, इस वर्ष ही नहीं बल्कि वर्ष क्रम में क्या ठोस कदम उठा रही है और क्या विशेष कार्यक्रम हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में यह रोग निरन्तर फैल रहा है ? विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता लेने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर का अन्तिम पैराग्राफ परीक्षा में दिये गये उत्तर के समान है। उसमें कहा गया है कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसका उल्लेख नहीं है कि क्या किया जा रहा है।

**डा० कर्ण सिंह :** श्रीमन हमने वहीं उल्लेख किया जो इस कार्यक्रम के अधीन किया जा रहा है। जहां तक स्वास्थ्य के पहलू का सम्बन्ध है विशेष रुप से इस कार्यक्रम के अधीन एक विशेष वर्ग है। सूखा राहत कार्यक्रम से संबंधित एजेंसियों को हमने यह स्पष्ट

कर दिया है कि विटामिन "ए" सामान्य कार्यक्रम की भाग होना चाहिए। मैं व्यापक प्रसंग में कह सकता हूं कि जहां भी देश में सूखा है और सूखा विरोधी उपाय किये जा रहे हैं। मेरे मंत्रालय ने सलाह दी है कि विशेष पोषण की आवश्यकताओं को, विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं की, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। हमने इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से, जिसने सूखा राहत कार्यक्रमों में बहुत सहायता की है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सम्पर्क बनाए हुए हैं। वास्तविक सूखा राहत कार्यक्रम के ब्यौरे का सम्बन्ध कृषि मंत्रालय से है। मैं तो स्वास्थ्य के लिये पोषक आहार से सम्बन्ध रखता हूं।

**श्री एच० एम० पटेल :** उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या वे ये ध्यान रखते हैं कि उनकी सलाह पर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में क्या कार्यवाही की गई। गुजरात में 9,000 गांव हैं जिन्हें अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में स्त्रियों और बच्चों को विटामिन "ए" देने का कार्यक्रम कहां तक क्रियान्वित किया गया है? जब देश के कुछ क्षेत्रों में सूखा और अभाव की स्थिति बड़े पैमाने पर विद्यमान है, तब इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या उत्तरदायित्व है?

**डा० कर्ण सिंह :** हमारा दायित्व है, प्रथमतः विटामिन "ए" की व्यवस्था। आपको मालूम ही होगा कि हमने विटामिन "ए" का एक शक्तिशाली शर्बत तैयार किया है जिसकी एक चमच में 2,00,000 आई० यू० होते हैं। पहली बार हमने यह शर्बत तैयार किया है। इसे उपलब्ध करना स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। जहां इसकी आवश्यकता होती हम इसे सप्लाई करते हैं। परन्तु वास्तविक क्रियान्विति और प्रशासन राज्य सरकार की एजेंसियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों आदि के माध्यम से होता है। हम इसे सीधे क्रियान्वित नहीं करते है। बल्कि राज्य सरकार के तंत्र के माध्यम से करते हैं।

**श्री एच० एम० पटेल :** मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां अपेक्षित कार्य कर रही हैं।

**डा० कर्ण सिंह :** जी, हां, हमें विभिन्न क्षेत्रों से, विशेष से सूखाग्रस्त क्षेत्रों से, समय समय पर रिपोर्ट मिलती रहती हैं। हम प्रगति पर अवश्य नजर रखते हैं।

### पाने मंगलौर और उल्लाल के बीच सड़क का निर्माण

***330. श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में दक्षिण कनारा जिले में पाने मंगलौर और उल्लाल के बीच केन्द्रीय सहायता से सड़क का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या उक्त सड़क पर लम्बे समय से काम रुका पड़ा है; और

(ग) काम फिर से आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क), (ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

## विवरण

(क) से (ग) चूंकि जिला दक्षिण कनाडा, कर्नाटक में पाने मंगलौर और उल्लाल के बीच सड़क एक राज्य सड़क है, अतएव इसकी मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। परन्तु भारत सरकार, 19 जुलाई, 1961 को 25 लाख रुपये के सहायता अनुदान या निर्माण को वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत, दोनों में से जो भी कम हो, स्वीकृत करने हेतु सहमत हुई, जबकि शेष लागत राज्य सरकार ने अपने ही साधनों से पूरी करनी थी। कार्य करने के दौरान राज्य सरकार ने देखा कि विभिन्न कारणों से कार्य की लागत काफी बढ़ गई है। लागत के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए धन की भारी कमी के कारण राज्य सरकार इस कार्य में प्रगति न कर सकी, जो कि 1966 में लगभग रुक गया। अक्तूबर, 1973 में राज्य सरकार ने शेष कार्य को पूरा करने के लिये अपने केन्द्रीय सड़क निधि नियतन से 30 लाख रुपये की व्यवस्था करने के लिये अनुरोध किया। यह स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कार्य के लिए टेंडर दिया गया है और निर्माण कार्य के शीघ्र ही फिर से चालू होने की सम्भावना है।

**श्री पी० आर० शिनाय :** इस सड़क पर कितना खर्च आने का अनुमान है और इसके निर्माण पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? 55 लाख रुपए की कुल राशि में से राज्य सरकार को कितनी राशि दी जा चुकी है?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम लागत प्राक्कलन के अनुसार इस पर 87.19 लाख रुपए खर्च आयेगा। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हमने अन्तर्राज्य तथा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए सहायतानुदान के रुप में 25 लाख रुपए मंजूर किये है और यह राशि आवंटित की जा चुकी है। 30 लाख रुपए केन्द्रीय सड़क निधि आवंटन से दिये गये हैं क्योंकि बैलेंस (अतिशेष राशि) उपलब्ध थी। शेष अपेक्षित राशि की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी।

**श्री पी० आर० शिनाय :** इस सड़क की मंजूरी 1961 में दी गई थी किन्तु वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। चूंकि केन्द्रीय सरकार अनुदान दे रही है, इसलिए क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस सड़क को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में कोई शर्त या समय-सीमा निर्धारित कर रखी है?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** केन्द्रीय सरकार ने 1961 में 25 लाख रुपए अथवा निर्माण लागत का पचास प्रतिशत, इन में से जो राशि भी कम हो सहायता-अनुदान के रुप में मंजूर की थी। दुर्भाग्यवश, राज्य सरकार के पास धनाभाव के कारण, 1966 में इस सड़क का निर्माण कार्य ठप्प हो गया। नवीनतम जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने टेंडर मांगे हैं और इसका निर्माण पुनः आरम्भ करने का उसका विचार है।

## उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों पर मरम्मत कार्य

*332. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तिय वर्ष में उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजपथों पर मरम्मत कार्यों के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) पांचवीं योजनावधि के दौरान मरम्मत के कार्यक्रम की रुप रेखा क्या है?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) 84.96 लाख रुपये ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

**विवरण**

(ख) रखरखाव और मरम्मत के लिए ऐसा कोई पंचवर्षीय कार्यक्रम जैसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है क्योंकि यह कई बातों पर निर्भर करता है (अर्थात यातायात की प्रमात्रा और दबाव, सामान की लागत, मजदूरी, जलवायु एवं स्थान की स्थिति, सड़क की लम्बाई, पटरी की चौड़ाई आदि) जो स्थान स्थान एवं वर्ष की लागत अलग अलग होतीं हैं । अतः मरम्मत और रखरखाव के लिए आबंटनों की राशि उपलब्ध श्रोतों, राज्य द्वारा शुरु किये कार्यों तथा संवीक्षा के बाद उनकी स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए वर्षानुवर्ष निर्धारित की जाती है ।

**श्री अर्जुन सेठी :** मैं मंत्री जी से उस निर्माण-कार्य का व्यौरा जानना चाहूंगा जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए आबंटित राशि के अधीन संभवतः आरम्भ किया जायेगा ।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** मरम्मत और रख-रखाव के लिए आबंटन की राशि वर्षानुक्रम में नियत की जाती है और जिन प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत वह राशि खर्च की जाती है वे इस प्रकार हैं : साधारण मरम्मत, नवीकरण, विशेष मरम्मतें, विशेष मरम्मतें (नई), बाढ़-क्षति आदि, राशि आबंटित करने के बाद जहां तक राष्ट्रीय राजपथों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच किए जाने के लिए प्राक्कलन आदि प्रस्तुत करना तथा निर्माण-कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा इसका हवाला देना राज्य-सरकार का काम है जिस पर केन्द्रीय सरकार विचार तथा जांच करती है और मंजूरी देती है ।

**श्री अर्जुन सेठी :** कलकत्ता से सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिए, सुवर्णरेखा नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाना है किन्तु धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से धन देने का अनुरोध किया हुआ है ताकि इस अति अपेक्षित पुल का निर्माण यथाशीघ्र पूरा किया जा सके और कलकत्ता से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाये जिससे कोई व्यक्ति मद्रास से भी कलकत्ता तक सीधा यात्रा कर सके । क्या राज्य सरकार के इस अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है ?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यह इन मरम्मत सम्बन्धी कार्यों में है और चालू वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में भी है ।

**अध्यक्ष महोदय :** मरम्मत कार्य के बारे में आपने एक अबोध गम्य प्रश्न पूछा है ।

**श्री अर्जुन सेठी :** चालू वर्ष के लिए जिस राशि की बजट में व्यवस्था की गई है उसके अन्तर्गत इस पुल की, जो कलकत्ता तथा भुवनेश्वर को जोड़ता है मरम्मत भी आती हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसे नहीं समझ सका हूं ।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** प्रत्येक राज्य को जो राशि आबंटित की जाती है उसका आवंटन सबसे पहले धन की उपलब्धता पर और उसके बाद किसी खास राष्ट्रीय राजपथ पर अपेक्षित किसी विशेष किस्म की मरम्मत पर निर्भर करता है ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** चालू वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक निर्धारण कितना है जो राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है और क्या इन 84 लाख रुपयों से जो केन्द्र ने मंजूर किये हैं, राज्य सरकार की जरुरत पूरी हो जायेगी जो उसने पेश की है ?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** संभावना ऐसी है कि शायद इन 84.96 लाख रुपयों से राज्य सरकार की आवश्यकताएं पूरी न हों किन्तु जैसा कि मैंने बताया यह मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए उपलब्ध धन पर निर्भर करता है ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया निर्धारण कितना था ? आप हमें उसे क्यों नहीं बताते ?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** मैं आंकड़े बाद में दे सकता हूं, इस समय नहीं ।

**श्री डी० एन० तिवारी :** राष्ट्रीय राजपथों के लिए धन केन्द्र द्वारा दिया जाता है और काम राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है । क्या केन्द्र के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई संगठन है कि उस धन का पूरी तरह उपयोग किया गया है और सड़कें विशिष्ट विवरणों के अनुसार बनाई गई हैं और उनमें निकृष्ट सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है ?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** जहां तक राष्ट्रीय राजपथों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार निष्पादक अभिकरण है । हम राज्य लोक निर्माण विभाग का परिनिरीक्षण करते हैं और निर्माण मानीटर करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका निर्माण विशिष्ट विवरण के अनुसार हो । प्रत्येक राज्य स्तर पर इस हेतु एक लघु क्षेत्र (फील्ड) संगठन है ।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या सरकार की नीति देश के सभी राष्ट्रीय राज पथों को अच्छी हालत में रखने की है अथवा कुछ क्षेत्रों के राजपथों की उपेक्षा करने की नीति है ? मैं इस बात को ध्यान में रख कर यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष देश से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजपथों के लिए कुछ नहीं किया है ।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** राष्ट्रीय राजपथों के रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए प्रति वर्ष राशि आवंटित की जाती है जो पूर्णतः धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है । जहां तक केन्द्रीय सरकार से आवंटन का सम्बन्ध है, उसमें सभी राष्ट्रीय राजपथों के लिए न्यायोचित आवंटन किया जाता है । उड़ीसा के सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख करते हुए.

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में पूछा था ।

**अध्यक्ष महोदय :** मुख्य प्रश्न उड़ीसा के बारे में था ।

**श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी :** मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार है ।

**अध्यक्ष महोदय :** वह मेरी समस्या है । वे कभी-कभी ऐसे जबाब दे देते हैं जो असम्बद्ध होते हैं और उससे वे कठिनाई में फसते हैं । अगला प्रश्न ।

**हाफकिन इंस्टिट्यूट द्वारा माननीय यकृत शोध विषाणुओं का संक्रमण से अलग किया जाना**

*333. श्री पी० गंगादेव :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हाफकिन इंस्टीट्यूट मानवीय यकृत शोध विषाणुओं को संक्रमण से अलग करने में सफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके दावे का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि [हां, तो क्या सरकार उक्त इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के कार्य को कोई मान्यता देने पर विचार कर रही है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) यह सूचना मिली है कि हैफकिन संस्थान, बम्बई के वैज्ञानिकों ने पोलियो रोग पैदा करने वाले वाइरस को अलग कर लिया है। उन्होंने नवजात पालतु खरगोशों में इस मानव वाइरस को पैदा किया है।

(ख) और (ग) किसी सुनिश्चित मत पर पहुंचने से पहले इस पर आगे और वैज्ञानिक अध्ययन करने जरूरी हैं।

**श्री पी० गंगादेव** : इस बात को देखते हुए कि गरीब लोगों द्वारा प्रयुक्त गंदे पानी तथा भोजन के कारण विषाणु-जिगर विकार के मामले बहुत से बढ़ रहे हैं मैं जानना चाहता हूं इसके टीके बनाने तथा मनुष्यों पर उनकी व्यावहारिक जांच कराने में संभवतः कितना समय लगेगा ?

**डा० कर्ण सिंह** : टीके का आविष्कार तो बाद की बात है। विषाणुओं को संक्रमण से अलग करने की घटना का वस्तुतः बहुत महत्व है। यदि यह अन्तिम रूप से सिद्ध हो गया तो औषधि के क्षेत्र में यह विश्व की एक बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। इसमें कितना समय लगेगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाफकिन इन्स्टीट्यूट में बहुत प्रतिभाशाली एवं कुशाग्रबुद्धि वैज्ञानिक जिनमें डा० शिरोडकर भी शामिल हैं कार्य कर रहे हैं। इस संस्थान का रिकार्ड बहुत उच्च कोटि का रहा है। प्लेग के टीका इसी संस्थान ने बनाया था। अब वह इस सम्बन्ध में कार्य कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। यह शायद उतनी ही महत्वपूर्ण बात होगी जितनी हमारी अणु बम सम्बन्धी सफलता। अगर हमें इसमें सफलता मिल गई तो इससे केवल भारत को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व को अथाह लाभ होगा।

**श्री पी० गंगादेव** : यदि मनुष्यों के लिए इसका टीका तैयार कर लिया गया तो अधिकतर लोग दीर्घकालानुबन्धी रोगों से छुटकारा पा लेंगे। इसलिए, क्या भारतीय वैज्ञानिकों का, जो जिगर विकार विषाणुओं को संक्रमण से अलग करने के काम में लग रहे हैं, विश्व के अन्य भागों के प्रतिमूर्ति वैज्ञानिको के साथ कोई समन्वय स्थापित हुआ है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या तिक्रिया है ?

**डा० कर्ण सिंह** : जहां तक मुझे पता है, हाफकिन संस्थान काम करने वाले वैज्ञानिकों की अपनी स्वतंत्र भारतीय टीम है। अलबत्ता कुछ वैज्ञानिकों ने विदेशों में शिक्षा पाई है। किन्तु इस सम्बन्ध में जो कुछ विशेष कार्य हुआ है वह केवल भारतीय वैज्ञानिकों का है। मेरी धारणा है कि तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी रुप से विश्व के अन्य भागों में अनु-संधान कार्य से अपना सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं।

**डा० कैलास** : डा० शिरोदकर तथा उनके कार्यकर्ताओं की टीम को जो हाफकिन संस्थान में मूल अनुसंधान कार्य कर रहे हैं बधाई देने के लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। किन्तु कई बार हमने यह अनुभव किया है कि वैज्ञानिकों के लिए धन उपलब्ध नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य कोष से अथवा केन्द्रीय सरकार से या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान से धन उपलब्ध किया गया है? क्योंकि यदि उन्हें धन उपलब्ध नहीं किया गया तो अनुसंधान कार्य में उतनी उन्नति नहीं होगी जितनी हम चाहते हैं।

**डा० कर्ण सिंह** : हाफनिक संस्थान को जैसा आप जानते हैं, महाराष्ट्र सरकार चलाती है तथा उसके लिए वित्तीय व्यवस्था करती है। इस विशेष परियोजना के लिए धन की कोई कमी नहीं है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए यदि धन की और आवश्यकता हुई तो हम निश्चित रुप से उसे उपलब्ध करेंगे।

**डा० रानेन सेन** : क्या यह सच है कि हाफकिन संस्थान में जो यह अनुसंधान कार्य चल रहा है उसके लिए धन की बहुत कमी है? क्या उन वैज्ञानिकों की जो इस महत्वपूर्ण विषय में सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं सहायता करने के लिए भारत सरकार हाफकिन संस्थान को स्वतः मदद देगी ताकि उन्हें केवल वित्त के मामले में ही नहीं अपितु विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन मिल सके?

**डा० कर्ण सिंह** : हाफकिन संस्थान द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य बहुत अधिक राष्ट्रीय महत्व का है और उन्हें हमारी ओर से स्वतः मदद न दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह संस्थान महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जाता है और केन्द्रीय सरकार उससे सम्बद्ध है। हाफकिन संस्थान के निदेशक तथा कुछ वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ एक बैठक के लिए पिछले मास यहां आये थे। हमारा उनके साथ निकट सम्पर्क कायम है। उन्हें जब भी भारत सरकार से धन की आवश्यकता होगी, हम उन्हें सहायता देंगे, हम निश्चित रुपसे उस मांग को पूरा करेंगे।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : यह अच्छी प्रकार विदित है कि संक्रामक विष रोगों के मामले में एलोपैथी अब तक पूरी तरह निराशजनक रही है। अलबत्ता, प्रखर बुद्धि सम्पन्न वैज्ञानिकों को इस कार्य में उनके प्रर्वतों के लिए शुभ कामनाएं भेजने में सम्पूर्ण सभा प्रसन्नता से साथ देगी और इस कार्य में सफलता मिलने पर समूचा मानव समाज इन वैज्ञानिकों का आभारी रहेगा। किन्तु क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि हरपीज (तन्त्रिका के मार्ग में तीव्र पीड़ा और फुन्सियां निकलने वाला विकार) जैसे कतिपय संक्रामक विष रोगों में यूनानी चिकित्सा प्रणाली बहुत-ही कारगर पाई गई है और यदि हां, तो क्या संक्रामक विष रोगों के लिए स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली में भी अनुधान को प्रोत्साहन देने के लिए उनके मंत्रालय ने कोई प्रयास किया है?

**डा० कर्ण सिंह :** माननीय सदस्य निःसन्देह अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उन्हें हरपीज का तीव्र तथा पीड़ादायक आक्रमण हुआ था। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह एलोपैथी के अलावा केवल यूनानी में ही नहीं अपितु आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमीयोपैथी और योग में अनुसंधान को सक्रिय रुप से प्रोत्साहन दे रही है, सभी चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उनमें से यदि कोई प्रणाली किसी रोग का इलाज निकाल दे जो एलोपैथी में उलपब्ध नहीं है, तो हम उसका केवल स्वागत ही नहीं करेंगे बल्कि उसे निश्चित रूप से प्रोत्साहन भी देंगें ।

**पत्तनों का उचित उपयोग**

***339. श्री वसंत साठे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख भारतीय पत्तनों में आधुनिकीकरण और माल चढाने-उतारने की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश के बावजूद पत्तनों में भीड़भाड़, जहाजों के इकट्ठे होने, जहाजों के वापस होने में विलम्ब में वृद्धि और धीरे माल चढ़ाने और उतारने की धीमी गति निरन्तर जारी है; और

(ख) यदि हां, तो पत्तनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या तात्कालिक कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

**विवरण**

बड़े पत्तनों के विकासार्थ चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी धन लगाये जाने के फलस्वरुप बम्बई, कोचीन और कांडला पत्तनों में सूखे माल की धरा उठाई क्षमता में वृद्धि हुई। जब पांचवीं योजना अवधि के दौरान परियोजनाएं पूरी हो जायेंगी, तो अन्य बड़े पत्तनों पर निवेशों के परिणाम उपलब्ध हो जाएंगे।

2. बड़े पत्तनों द्वारा वहन किये गए कुल माल की मात्रा 1969-70 में 543.6 लाख टन से बढ़कर 1973-74 में लगभग 640 लाख टन हो गई।

3. बम्बई में, प्रतिवर्ष लगभग 11.5 लाख की निर्मित अतिरिक्त धरा उठाई क्षमता में से 1973-74 में वहन किया गया अतिरिक्त सूखा माल 1969-70 में वहन किये गए ऐसे माल से 7.5 लाख टन अधिक था। कांडला के मामले में, प्रतिवर्षो लगभग 2 लाख टनों की निर्मित अतिरिक्त क्षमता में से 1969-70 की तुलना में 1973-74 में लगभग 4 लाख टन अधिक सूखा माल ढोया गया। दूसरे कारणों के अतिरिक्त मुख्य रुप से खाद्य पदार्थों और उर्वरकों के भारी आयात के कारण जहाजों को रोकने, विराम काल आदि के बारे में दोनों पत्तनों में कुछ कमी हुई थी ।

4. कोचीन में घाट क्षमता में मुख्य वृद्धि क्यू-9 खुले घाट के चालू करने और इसके विस्तार की थी। 1973-74 में पत्तन पर वहन किये गए सूखे माल का टनभार लगभग वही था जैसा कि 1969-70 में था। यद्यपि सामान्य माल जहाजों के औसत ठहराव और विराम काल में सीमांत घटाव-बढ़ाव थे, तथापि 1973-74 में खाद्य-पदार्थों और उर्वरकों को ले जाने वाले जहाजों के बारे में वृद्धि हुई।

5. नव मंगलौर और नव तूतीकोरीन के नये बड़े पत्तनों में पहले ही कुछ जहाज आने शुरु हो गये हैं, हालांकि माल धरा उठाई सुविधाएं बाद में पांचवीं योजना के दौरान पूरी की जायेंगी। इसी प्रकार पांचवीं योजना में हल्दिया गोदी, विशाखापत्तनम बाहरी बन्दरगाह मारमुगाव विकास परियोजना, मद्रास बाहरी बन्दरगाह और पारादीप में सामान्य माल घाट पर सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था की जायेगी। न्हावा शेवा परियोजना भी तैयार हो रही है। पांचवीं योजना प्रस्तावों में हल्दिया कांडला और बम्बई में उर्वरों के लिए यान्त्रिक धरा उठाई की सुविधाओं को व्यवस्था में विभिन्न पत्तनों पर माल तथा जहाज धरा उठाई सुविधायें भी शामिल है। खाद्य पदार्थों के उतारने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रश्न के बारे में, भारतीय खाद्य निगम के साथ सक्रिय रुप की बातचीत की जा रही है।

**श्री वसंत साठे :** यद्यपि मंत्री महोदय ने कठिनाइयों और विद्यमान तथा विकसित किये जा रहे नये पत्तनों में विभिन्न प्रबन्धों के बारे में विस्तृत उत्तर देने का प्रयास किया है, फिर भी विवरण के अन्त में एक अत्यन्त रोचक जानकारी दी गई है। वह इस प्रकार है :

"खाद्य पदार्थों के उतारने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रश्न के बारे में, भारतीय खाद्य निगम के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की जा रही है।"

मेरा प्रश्न था कि आज भी आधुनिकीकरण और अन्य साधन अपनाये जाने पर भी बन्दरगाहों में बाधाएं हैं और उतारने और चढ़ाने की गति निरन्तर धीमी ही चल रही है और खाद्य पदार्थ लाने वाले जहाजों के मामले में विशेष रुप से ऐसा होता है। यह बहुत चिन्ता की बात है। इस काम में भारतीय खाद्य निगम के साथ क्या कठिनाई आ रही है?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** जहाजों से खाद्यान्न उतारने का काम मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम का दायित्व है। पत्तनों को तो बर्क, क्रेन आदि आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। मैं उत्तर में अधिक विस्तृत उत्तर नहीं दे सकता था। तथापि मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी दे सकता हूं।

खाद्यान्न दो भिन्न प्रकार के जहाजों में आयात किया जाता है, एक तो बड़े टैंकर होते हैं जिनसे माल केवल मशीनों से ही उतारा जा सकता है तथा दूसरे ऐसे जहाज होते हैं जिनसे माल श्रमिकों द्वारा उतारा जाता है। टैंकरों के मामले में भाड़े, में लाभ रहता है। इसलिए भारतीय खाद्य निगम टैंकर चार्टर करना अधिक पसन्द करता है। कुछ सीमा तक एक बाधा तो यह है कि एक पत्तन में एक या अधिक टैंकर से मशीनों द्वारा माल उतारने की उपलब्ध क्षमता सीमित है। इसके बाद प्रत्येक पत्तन पर माल उतारने के बाद परिवहन के लिय उपलब्ध ट्रकों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। इसलिए वहां से खाद्यान्न को शहर या रेलवे यार्ड तक ले जाने में भी कुछ कठिनाईयां आती हैं। खाद्य निगम खाद्यान्नों का वितरण किसी विशिष्ट ढंग से कराना चाहता है। केवल तीन बड़े पत्तन हैं, अर्थात् बम्बई, मद्रास और कांडला और आंशिक रूप में कलकलत्ता भी, जहां पर मशीनों से माल उतारने चढ़ाने की व्यवस्था है। वहां से अन्य पत्तनों को जहाज भेज देना संभव नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि किसी विशिष्ट राज्य या क्षेत्र को सबसे छोटे मार्ग से अनाज भेजना संभव नही होता। यह एक अन्य कठिनाई है। पत्तनों से गन्तव्य स्थानों को खाद्यान्न भेजने के लिये मालडिब्बो की उपलब्धि भी एक पहल है। ये कठिनाइयां हैं, जो आवश्यक नहीं कि पत्तन सुविधाओं से सम्बन्धित हों।



2—16 LSS/ND/75

**श्री वसंत साठे :** समाचारपत्रों में शिकायत भी कि विशेष रूप से मशीनों से लदान और उतारने की सुविधा की कमी होने के कारण--जैसाकि मंत्री महोदय ने अभी कहा कि केवल तीन पत्तनों पर यह सुविधा है--जहाजों का झुण्ड इकट्टा हो जाता है। इससे अधिक विलम्ब होता है माल उतारने चढ़ाने की गति धीमी होती है। क्या इसके परिणाम-स्वरुप खाद्यान्नों के वहां पडने रहने से उन्हें कुछ नुकसान भी होता है ?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं क्योंकि यदि कोई नुकसान होता है, तो खाद्य निगम ही बता सकता है। जहां तक पत्तनों पर विलम्ब का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि खाद्यान्नों को कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान तो संभवतः तब होता है जब वे वहां पर बहुत समय तक पड़े रहें या बेमौसम वर्षा आदि हो जाये।

**श्री वसंत साठे :** क्या जहाजों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती है।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** खाद्यान्न बड़ी मात्रा में आयात किये जाते हैं। जहां तक लदान का सम्बन्ध है, इस बात की जांच की जाती है कि अनाज ठीक तरह से लादा गया और सुरक्षित रहेगा।

**श्री जगदीश भट्टाचार्य :** बंगाल की खाड़ी के तटपर रामेश्वरम, तूतीकोरिन, पारादीप आदि पत्तनों के बारे में मेरा अनुभव रहा है कि उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नही हो रहा है; यहां तक 50 प्रतिशत का भी आयोग नहीं होता है। यह मेरा निश्चित मत है कि जबतक तटीय नौवहन में सुधार नहीं होता पत्तनों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या मंत्री महोदय बतायें कि तटीय नौवहन को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है तथा तटीय, नौवहन में सुधार करने के लिये कि जहाज प्राप्त किय या इस देश में बनाये जा रहें है?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** मंत्री महोदय को मालूम है कि सही तलकर्षण के प्रभाव में कलकत्ता पत्तन में कठिनाई हो रही है; फरक्का बांध से कलकत्ता पत्तन की गाद को निकालने के लिये 40,000 क्यूसैक्स पानी की आवश्यकता है, क्या कलकत्ता पत्तन में बा ा को दूर करने के लिये सही तलकर्षण किया जायेगा और मन्धारवधि – 40,000 क्यूसैक्स पानी दिया जायेगा।

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** जहां तक निरन्तर तलकर्षण द्वारा हुगली नदी में कुछ ग्राफ्टस रखने का सम्बन्ध है, हम ऐसा कर रहे हैं। हुगली नदी में तलकर्षण कार्य किया जाता है जिससें कुछ ग्राफ्टस रखे जा सकते है। माननीय सदस्य को यह पृष्ठभूमि पहले ही मालूम है।

**श्री बी० वी० नायक :** क्या माल उतारने-चढ़ाने की क्षमता के उपयोग के बारे में बड़े और छोटे पत्तनों का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया और यदि हां तो क्या उसके निष्कर्ष इस बात की पुष्टि नहीं करते ह कि जहां तक क्षमता का सम्बन्ध है छोटें पत्तनों की अधिक सुचारू उपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो कारवाड़ जसे श्रेष्ठ छोटें पत्तनो को रेलवे से जो की रेलसम्पर्क से जोड़कर तथा अन्य सम्बद्ध सुविधाएं प्रदान करके उनका विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री एच० एम० त्रिवेदी :** केन्द्रीय सरकार केवल बड़े पत्तनों के विकास के लिये उत्तरदायी है। छोटे पत्तनों के लिये राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड है जिसकी समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं तथा माननीय सदस्य को मालूम होगा कि चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक सामुद्रीक राज्य में 10 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रुप में विकास के लिये एक छोटा पत्तन चुना गया था। कारवाड़ उनमें से एक है। परन्तु दुर्भाग्यवश योजनावधि में इस योजना में प्रगति नहीं हुई।

**खेतिहर श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार न किया जाना**

***340. श्री बी० वी० नायक :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विश्व बैंक के अध्यक्ष के इस वक्तव्य का पता है कि इस देश में खेतिहर श्रमिकों के साथ अन्य भी वर्गों की तुलना में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :** (क) श्रम मंत्रालय के पास इस समय तक ऐसी कोई सूचना नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री बी० वी० नायक :** विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में मैंने कोई जानकारी नहीं पूछी थी। प्रश्न था उस वक्तव्य के बारे में सरकार को पता है या नहीं और अभिज्ञता जानकारी नहीं है।

प्रश्न यह है :

> "क्या उन्हें विश्व बैंक के अध्यक्ष के इस वक्तव्य का पता है कि इस देश में खेतीहर श्रमिकों के साथ अन्य सभी वर्गों की तुलना में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता।"

मैंने सोचा इस सम्बन्ध में बहुत सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की जरुरत है विशेषत: यदि मंत्रालय अथवा मंत्री महोदय ने 7 फरवरी, 1975 का **इंडियन एक्सप्रेस** पढ़ा हो। शिर्षक था मैंक नामारा उपेक्षा के लिए सरकारों को दोषी ठहराते हैं। अमरीकी अथवा गैर अमरीकी चाहे कोई हो मेरा किसी के बारे में कोई अवरोधन नहीं है। इसके बाद **हिन्दुस्तान टाइम्स** में लिखा था 'मैंक नामारा—सहायता में कटौती से लाखों लोग मारे जायेंगे।" उन्होने ऐसा कहा, बताया जाता है :

> 'मैंक नामारा ने इस बात की आलोचना की कि विकाससील देशों ने भूमिहीन निर्धनों के प्रति उपेक्षा वरती है। इन देशों में सामान्य आय वितरण धनी राष्ट्रों की अपेक्षा कहीं बढतर है।'

अलवत्ता, उन्होंने विशिष्ट आलोचना की है किन्तु मेरे पास इस वक्त इतना समय नहीं है कि मैं विस्तार में जा सकूं। उसके बाद **ट्राइब्यून** कहता है 'मैंक नामारा दाता राष्ट्रों द्वारा सहायता में कटौती किये जाने की आलोचना करते हैं।'...

**अध्यक्ष महोदय :** आपको सुनने के बाद अब उन्हें बिलकुल पता लग गया है।

**श्री बी० वी० नायक :** क्या श्रम मंत्रालय इस बात को मानता है कि इस देश में खेतिहर मजदूरों के निम्नतम व्यवहार किया जाता है और यदि हां, तो इन लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री बालगोविन्द वर्मा :** माननीय सदस्य भी मैक नामारा द्वारा व्यक्त कुछ विचारों का उल्लेख कर रहे हैं। वे सामान्य स्वरूप के विचार हैं और उनमें भारत के बारे में उनका कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। ये विचार विकासशील देशों के बारे में व्यक्त किये गये हैं।

उन्होंने खेतिहर निर्धनों का उल्लेख करके इन विकासशील देशों में आय के असमानवितरण के बारे में बात की है, यह सच है, किन्तु भारत सरकार को इस बात का पता है कि खेतिहर मजदूर की हालत सन्तोषजनक नहीं है और इस प्रयोजन के लिए हमने कृषिश्रम सम्बन्धी स्थायी समिति नियुक्त की हुई है। 17 नवम्बर, 1973 को उसकी बैठक हुई थी और उसने एक निर्णय किया है और दो सदस्यों से विभिन्न राज्यों में निम्नतम मजदूरी कानून (विधान) और कृषि मजदूरों पर मशीनीकरण के प्रभाव के सम्बन्ध में अध्ययन करने को कहा गया है और इसके अलावा कृषि में विभिन्न की हालातों के बारे में विभिन्न राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

**श्री बी० वी० नायक :** चूंकि मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि श्रम समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है, वह ऐसा क्यों नहीं करते कि कम से कम गुजरात जैसे क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में जहां राष्ट्रपति शासन लागू है—जब कभी हमें यह विश्वास करने का प्रमाण मिलता है कि स्थानीय शासन खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने में टांग अड़ा रहे हैं—'खेतिहर मजदूरों के लाभ के लिए खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी' विधान इस सभा के समक्ष लाकर पारित कर दें और केरल सरकार की भांति उनके लिए न्यूनतम मजदूरी नियत कर दें ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :** समूची सरकार विशेषतः श्रम मंत्रालय को इस देश में खेतिहर मजदूरों की स्थिति का अच्छी तरह पता है। भारत में जो स्थिति है उसके बारे में हम श्री मैक नामारा से सीखना नहीं चाहते क्योंकि भारत में जो स्थिति है उसका अच्छी तरह पता है। इस मामले के सम्बन्ध में, इस समय लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अलावा अन्य कानून भी हैं जो खेतिहर मजदूरों पर लागू होते हैं। केरल विधान सभा ने इन स्थितियों तथा परिश्रमिकों के बारे में तथा खेतिहर मजदूरों की इन परिस्थितियों के बारे में जो विधान पारित किया है उसका हमें पता है और हम उसके इस कार्य पर बहुत खुश हैं। हम इस पहलू के बारे में विचार कर रहे हैं और वह ढंग सोच रहे हैं हम केरल द्वारा पारित विधान को इस सभा में ला सके।

**श्री माधुर्य हालदार :** खेतिहर मजदूरों की हालत बहुत ही खराब है। अध्यक्ष महोदय खुद आपके राज्य पंजाब में, जहां सिंचाई की सर्वाधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, मजदूरो को साल में 140 दिन से अधिक काम नहीं मिलता। देश के अन्य भागों के खेतिहर मजदूरों के बारे में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता और वे अपने तथा अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कमा सकते। इसलिए क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे वह इन खेतिहर मजदूरों को पूरे साल भर काम दे सके। क्या खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया जायेगा ? अभी हाल में किसान सभा ने इसकी मांग की थी। उन्होंने अभ्यावेदन दिया था कि खेतिहर मजदूरों के लिए या तो पूरे साल भर काम की व्यवस्था की जाए या फिर उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति दिन एक किलो चावल या गेहूं दिया जाए। भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : किसान सभा द्वारा की गई मांगों तथा सिफारिशों की मुझे याद नहीं आ पा रही है। लेकिन इस सम्बन्ध में पहले ही बहुत से कानून बने हुए हैं यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट, वाणिज्यिक आधार पर चलाये जाने वाले कृषि फार्मों को मजदूरी संदाय अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम आदि, मशीनी शक्ति का प्रयोग करने वाले कारखाने में नियोजित कर्मकारों पर कर्मकार प्रतिकार अधिनियम भी लागू होता है।

**श्री दिनेन भट्टाचार्य** : सदस्य ने खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में पूछा। लेकिन मंत्री जी इधर उधर की कई और चीजों के बारे में बता रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में है।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 खेतिहर मजदूरों पर लागू होता है और वही उन पर यहां लागू किया जा रहा है, इसके अलावा केरल विधान सभा ने खेतिहर कर्मकारों के लिए सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में भी कानून पास किया है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से बेहतर है और हम इस कानून की इस प्रयोजन के लिए जांच कर रहे हैं कि क्या हम भी ऐसा कोई कानून बना सकते हैं, हमने इस कानून विभिन्न राज्य–सरकारों के पास उनकी राय के लिए भी भेजा है।

**Shri Nathu Ram Ahirwar** : The hon. Minister has stated that a Standing Committee was constituted in 1973. I want to know whether the Government have Collected data from Various State Governments regarding monthly wages paid to agricultural labour ? Is it not a fact that bonded labour system is still in practice today and if so, the active steps being taken by the Government to abolish this System so that poor agricultural labourer could have a sigh of relief?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : बंधकाधीन श्रम के सम्बन्ध में भी, सरकार इस प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विधान लाने का विचार कर रही है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### एक नई कोंकण तटवर्ती स्टीमर सेवा आरम्भ करना

*324. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी आधार पर एक नई कोंकण तटवर्ती स्टीमर यात्री सेवा आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से आरम्भ की जाएगी; और

(ग) क्या इस स्टीमर यात्री सेवा को मुगल लाइन्स द्वारा चलाई जा रही स्टीमर सेवा के किराए से काफी कम किराए पर चलाया जायेगा ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

## गोल मार्किट (नई दिल्ली) डिस्पेंसरी में औषधियों की कमी

***327. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्किट, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरी में रोगियों को विशेषज्ञों तथा डिस्पेंसरी के डाक्टरों द्वारा निर्धारित अधिकांश दवावों की सप्लाई हफ्तों तक नहीं की जाती है;

(ख) क्या सरकार को वहां के रोगियों तथा इस डिस्पेंसरी से संबंद्ध कल्याणअधिकारी की ओर से गत छः महीनों के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) दवाओं की समय पर सप्लाई होना सुनिश्चित कराने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) क्या रोगियों को शिकायतें मौके पर दूर करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने डिस्पेंसरी के आकस्मात दौरे किये हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) गोल मार्किट, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय में अधिकांश दवाइयां उपलब्ध न होने की बात सही नहीं है। दवाइयों की सप्लाई की स्थिति खराब होने और कीमतें बढ़ जाने के कारण कभी कभी कुछेक दवाइयां कम पड़ गई।

(ख) पांच शिकायतें, एक शिकायत क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी से और चार शिकायतें औषधालय के लाभार्थियों से प्राप्त हुई थीं।

(ग) इन शिकायतों की जांच की गई। जांच से पता चला कि दवाइयों की देशव्यापी आम कमी के कारण मेडिकल स्टोर डिपुओं ने कुछ दवाइयां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं थी। अतः कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी से तत्काल कहा गया कि वे सुपर बाजार के केमिस्टों से दवाइयां सप्लाई करवाने की व्यवस्था करें। ऐसा न हो सकने पर रोगियों को बाजार से दवाइयां खरीदने अपने बिलों का भुगतान लेने की सुविधा दे दी गई। शिकायत करने वाले तीन व्यक्तियों ने वस्तुतः ऐसा ही किया।

(घ) इस औषधालय के लिए और अधिक दवाइयां खरीद ली गई है और कुछेक खरीदी जा रही है।

(ङ) वरिष्ठ अधिकारी नियमित रुप से आकस्मिक निरीक्षण करते रहते हैं किन्तु इन निरीक्षणों के दौरान किसी भी रोगी ने औषधालय में दवाइयों की कमी के बारे में उनसे मौके पर कोई शिकायत नहीं की।

## गुजरात को कम महत्व के खनिज पदार्थों पर स्वामित्व

***328. श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने कम महत्व के खनिज पदार्थों के स्वामिस्व में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और उसके कारण क्या है;

(ग) क्या इस कार्यवाही के कारण सरकार पर आधारित अधिकांश खनिज पदार्थ एकक बन्द हो गये है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) :** (क) जी, हां, 1 दिसम्बर, 1974 से।

(ख) राज्य सरकार की अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए। संख्या एल० टी० 9169/75**] खनिजों पर स्वामिस्व की पहली दरें गुजरात गौण खनिज नियमावली के लागू होने की तारीख से अर्थात 1-4-66 को नियत की गई थी। 1966 के शुरू में स्वामिस्व को दरों के निर्धारण के बाद खनिजो के बाजार मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा राज्य सरकार ने राज्य के राजस्व हित में यह आवश्यक समझा कि स्वामित्व की दरों को वर्तमान बाजार मूल्यों के अधिक अनुरुप बना दिया जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### रक्षा अधिकारियों की समयपूर्व सेवा निवृत्ति

***329 श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :**
**श्री आर० आर० शर्मा :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना के उन अधिकारियों के नाम क्या ह जो सेवा में अतिक्रमण अथवा अन्य कारणों से गत तीन वर्षों में समयपूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं; और

(ख) इस संख्या को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

**रक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख) सेना, नौसेना और वायु सेना के जिन अफसरों को इस अवधि के दौरान समयपूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9170/75**] समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों पर सरकार द्वारा हर मामले में अलग-अलग से अनुमोदन दिया जाता है बशर्ते कोई अफसर परिवार अथवा निजी समस्याओं अथवा अतिक्रमण जैसे आधार पर अनुरोध करता है और उस सेवानिवृत्ति से मनुष्य-शक्ति की स्थिति अथवा संक्रियात्मक आवश्यकताओं पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है।

### राजस्थान में नामित व्यक्ति को भविष्य निधि के दावों का भुगतान न किया जाना

***331. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामांकन फार्म अर्थात् फार्म संख्या 2 के अतिरिक्त भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय में नामांकन का कोई अन्य रिकार्ड नहीं रखा जाता और नामांकन फार्म की पावती नियोक्ताओं को नहीं भेजी जाती है;

(ख) क्या भविष्य निधि कार्यालयों में नामांकन पत्र खो जाने पर नामित व्यक्तियों को दावों का भुगतान नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें अधिक समय लेने वाली औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा जाता है और इस प्रकार नामांकन का उद्देश्य ही धराशायी हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और वे कितन मूल्य के दावे हैं; और

(घ) क्या सरकार ऐसी पावती प्रक्रिया शुरू किए जाने की वांछनीयता या मृत कर्मचारी के नामित व्यक्ति को देय राशि के शीघ्र भुगतान किए जाने के लिए नियोक्ता द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाने पर विचार करेगी ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) और (ख) मृत्यु के मामलों में दावों का निबटान नामांकन फार्म के आधार पर किया जाता है। जहां ऐसे नामांकन नहीं होते वहां योजना में निर्धारित पद्धति के आधार पर निपटारा किया जाता है।

(ग) यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि फार्म गुम होने के मौके नहीं होते विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 71 लाख से अधिक अंशदाता हैं, उन मामलों का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है जिनमें नामांकन फार्म उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

## लौह अयस्क निक्षेप

***334. श्री वरके जार्ज** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लौह अयस्क की अनुमानतः कुल कितनी मात्रा है ;

(ख) इन निक्षेपों से जितना लौह अयस्क निकलता है क्या उससे इस्पात संयंत्रों अथवा निर्यात की आवश्यकताओ की पूर्ति नहीं होती; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार लौह अयस्क निकालने का कोई व्यापक कार्यक्रम बनायेगी ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : (क) लौह खनिजों के बारे में नियुक्त की गई समिति के योजना दल फरवरी 1973 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया था कि हैमटाइप व कुल भण्डार लगभग 86,210 लाख टन है जिसमें लौह की मात्रा प्लस 55% है। यह भी अनुमान लगाया गया था कि बड़े मेंगनेटाइट, अयस्क (जिसमें लौहे की मात्रा 40% से कम है) का भण्डार 30,560 लाख टन है। इन आंकड़ों में तीनों श्रेणियो नामतः मापित, निर्दिष्ट और अनुमानित के अनुमानित भण्डार शामिल है।

(ख) बेलाडिला से जापान को दीर्घावधि ठेंके के अन्तर्गत निर्यात को छोड़कर इस्पात कारखानों तथा निर्यात की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति हो गई है। बेलाडिला की कमी को पूरा करने के उपाय किये गये हैं।

(ग) लौह अयस्क बोर्ड देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोह अयस्क की खानों के विकास के लिए समेकित योजनाएं बना रहा है।

**आसनसोल स्थित एल्युमीनियम कारखाना**

*335. **श्री कुमारशास्त्री : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आसनसोल स्थित एल्युमीनियम कारखाना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या कारखाने को पुन: खोलने के लिये उनसे अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय एल्युमिनियम निगम का पश्चिमी बंगाल में आसनसोल स्थित कारखाना तालाबंदी की घोषणा के बाद 15 सितम्बर, 1973 से बंद है । कम्पनी के मामलों की पड़ताल के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अधीन 18 मई, 1974 को एक समिति बनाई गई थी । समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

**Agreements with Littoral Countries on Maritime Boundries**

*336. **Shri Madhavrao Scindia :**
**Shri Atal Bihari Bajpayee :**

Will the Minister of **Externl Affairs** be pleased to state:

(a) whether there is possibility of disputes cropping up in the absence of any agreements in regard to maritime boundaries with the neighbouring littoral countries of the Bay of Bengal, the Indian Ocean and the Arabian Sea; and

(b) the full facts and the action being taken by Government in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das)**: (a) We do not foresee disputes cropping up between the neighbouring States of the Bay of Bengal, the Indian Ocean and the Arabian Sea. According to the established principles of international law and State practice maritime boundary between the States, whose coasts are opposite or adjacent, is settled by agreement. In the absence of an agreement, the maritime boundary between the states concerned is delimited by a median line or an equidistant line drawn with reference to the baselines from which their territorial waters are measured.

(b) So far, the maritime boundary between Nicobar and Sumatra has been settled by an Agreement between India and Indonesia which came into force in December 1974. In June 1974 another Agreement was concluded betweean India and Shri Lanka delimiting the maritime boundary in the historic waters of the Palk Strait. Negotiations are in progress with Bangladesh for delimiting the maritime boundary between the two countries. The Government of India will also enter into negotiations with other neighbouring countries of the region, *viz.*, Burma, Pakistan, Thailand and the Republic of the Maladives for delimiting the maritime boundary in the respective areas.

**पाइलटों तथा नौचालकों को उड़ान भत्ते (फलाइंग पे) की अदायगी**

*337. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना में पाइलटो तथा नौचालकों की भर्ती उड़ान कार्यों के लिए की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनको दिया गया वेतन ऐसे उड़ान कार्यों के लिए ही होता है;

(ग) क्या वेतन के अतिरिक्त इन पाइलटों को उड़ान भत्ता भी दिया जाता है चाहे वे उड़ान कार्य करें अथवा न करें; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें इस उड़ान भत्ते की अदायगी का औचित्य क्या है ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) पाइलटों तथा नौचालकों को केवल उड़ान कार्यों के लिए ही भर्ती नहीं किया जाता है बल्कि भारतीय वायुसेना के प्रबंधक संवर्ग के लिए भी भर्ती किया जाता है जिसमें उड़ान पृष्टभूमि की आवश्यकता होती है।

(ख) पाइलटों तथा नौचालकों को वेतन केवल उड़ान ड्यूटियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके द्वारा की गई प्रशासनिक और तकनीकी ड्यूटियों के लिए भी दिया जाता है।

(ग) पाइलटों और नौचालकों को उड़ान वेतन कतिपय शर्तें पूरी कर लिए जाने पर दिया जाता है वे चाहे सक्रिय उड़ान ड्यूटि पर नियुक्त किए गये हों अथवा नहीं। तथापि, इन अफसरों को उस समय भी उड़ान ड्यूटी करने में सक्षम होना चाहिए जबकि वे सक्रिय उड़ान ड्यूटि पर नहीं है।

(घ) उड़ान वेतन उड़ान के समय विशेष खतरें को पूरा करने और सही योग्यता वाले व्यक्तियों को आकर्षिक करने के लिए भी दिया जाता है।

## इस्पात संयंत्रों के लिये पुर्जों का निर्माण

*338. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने इस बीच अपना प्रति-वेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने इस्पात संयंत्रों में सामान्यतः काम आने वाले कल पुर्जों को बनाने के लिए एक वर्कशाप स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ग) समिति ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं और क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) :** (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने इस्पात कारखानों को फालतू पुर्जों की सप्लाई की समस्या पर विचार करने के लिए अप्रैल, 1973 में एक समिति का गठन किया था जिसके सदस्य इस्पात कारखानों से लिए गये थे। इस समिति ने 'सेल' के विचारार्थ अक्तूबर, 1973 में 'सेल' को अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

(ख) इस समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी इस्पात कारखानों में काम आने-वाले कुछ महत्वपूर्ण मध्यम तथा भारी श्रेणी के अत्यावश्यक पुर्जों के **निर्माण** के लिए एक केन्द्र कर्मशाला स्थापित की जाये।

(ग) और (घ) इस समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

(1) इस्पात कारखानों की इंजीनियरी कर्मशालाओं में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए,

(2) प्रस्तावित केन्द्रीय कर्मशाला के साथ एक सशक्त रुपांकन और मानकीकरण सेक्शन जोड़ा जाना चाहिए,

(3) रुपांकन कार्यालयों के सीमित साधनों के सदुपयोग के लिए मांगकर्ताओं और प्रत्येक कारखाने के रख–रखाव संगठन और रुपांकन कार्यालयों के मुख्य अधिकारी के बीच सतत सम्पर्क होना चाहिए,

(4) रख–रखाव और मरम्मत कार्यों में आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए उपस्करों के देशीय निर्णताओं/सम्भारकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे विस्तृत ड्राईंगज प्रस्तुत किया करे,

(5) इस्पात उदयोग के लिए एक ऐसा केन्द्रीय अभिकरण बनाया जाए जो देश में दूर–दूर तक बिखरे हुए ऐसे साधनों को जो इस्पात कारखाने के लिए फालतू पुर्जों का निर्माण करने और उनकी सप्लाई करने मे सक्षम है, का लाभ उठा सकें,

(6) ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे केवल इस्पात कारखानों को फालतू पुर्जो और संघटकों का निर्माण करने के लिए इंजीनियरी उद्योग को इस्पात की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए,

(7) इस्पात उद्योग में संयंत्र में तथा अन्त : संयंत्र मानकीकरण के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाय,

(8) रख–रखाव संगठनों में ऐसी उचित व्यवस्था आरम्भ की जाए जो इस बात का निर्णय ले सके कि क्या अमुक पुर्जे की 'निर्माण किया जाए' अथवा उसे खरीदा जाए जिससे आन्तरिक और बाह्य साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। इस्पात कारखाने की इंजीनियरी कर्मशालाओं में साधारण मदों के निर्माण का काम दूसरे कारखानों को दे दिया जाए और इनमें विकासात्मक और जटिल मदों का निर्माण किया जाए,

(9) लघु उद्योगों आर्डर देने की प्रणाली में कुछ आशोधन किए जाएं और इसे सरल बनाया जाए ताकि इन साधनों का इस्पात कारखानों के लिए सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके; और

(10) अच्छी किस्म के फालतू पुर्जों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इस्पात कारखानों के निरीक्षण स्कंधों का पुनर्गठन किया जाए।

चूंकि यह समिति स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने गठित की थी इसलिए सेल ने इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया था और मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटैन्टस (इंडिया) लि०, (सेल की अनुषंगी कम्पनी) को केन्द्रीय कर्मशाला की स्थापना के लिए विस्तृत शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का काम सौंपा था। जो अन्य कार्यो के साथ–साथ इस्पात कारखानों की इंजिनियरी कर्मशालाओं में अतिरिक्त क्षमता लगाने तथा प्रस्तावित केन्द्रीय कर्मशाला के साथ एक रुपांकन तथा मानकीकरण सेक्शन जोड़ने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

**जयोनिस्ट आर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन पर आक्रमण की जिम्मेदारी**

***341. श्री एन० ई० होरो :**

**श्री के० मालन्ना :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जियोनिस्ट आर्गेनाइजेशन, बेटार ने 14 जनवरी, 1975 को संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन पर आक्रमण की तथा फिफ्थ एजेन्यू में एयर इंडिया कार्यालय को हुई क्षति की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) और (ख) 13 जनवरी 1975 को संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन पर हमला करने और फिफ्त एवेन्यू स्थित एयर इंडिया के कार्यालयों को नुकसान पहुंचाने के उत्तरदायित्व का दावा 'बेतार' नामक एक यहूदी संगठन ने किया है। परन्तु पुलिस द्वारा की गई जांच–पड़ताल अभी तक इस बात को निश्चय रूप से तै नहीं कर पाई है। जांच–पड़ताल चल रही है।

घटना के तथ्य निम्नलिखित है :

(i) 13 जनवरी 1975 को 17.40 बजे, बंद करने के समय के तत्काल बाद, तीन युवक, जो यहूदी सक्रियावादी समझे जाते हैं, इंडिया हाउस संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन और भारत के महाकोसलावास में शैक्षिक मामलों के बारे में कुछ सूचना प्राप्त करने के बहाने घुसे डयूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड जब सलाहकार (शिक्षा) से सम्पर्क स्थापति करने की कोशिश कर रहा था तभी ये तीन युवक फोयर (नाटयशाला के एक विशिष्ट कक्षा) में फैल गए, उन्होंने फर्नीचर को पलट दिया और खुले रैक में रखे हुए कोसली फार्म और प्रचार सामग्री को इधर–उधर फैका। सुरक्षा गार्ड ने इनमें से एक युवक को पकड़ा लेकिन अन्य दो ने उसे जबर्दस्ती छुड़ा लिया। इनमें से एक ने पुस्तकालय की तरफ हथ गोला जैसी कोई चीज फकी जो खिड़की के कांच से टकराई। जांच से पता लगा कि यह हथ गोला एक गोखला नकली गोला था। इसके बाद ये तीनों युवक भवन के बाहर भाग गए। यह सारी घटना कुछ ही मिनटों में हो गई।

(ii) उसी दिन 19.45 बजे फिफ्थ ऐवेन्यू स्थित एयर इंडिया के बुकिंग आफिस की कांच की खिड़की पर एक ईट फेंकी गई।

ये दोनों घटनाएं स्पष्टता फिलसतीनी स्वतंत्रता संगठन को दिल्ली में अपना कार्यालय खोलने की अनुमति देने के खिलाफ यहुदी समर्थकों द्वारा विरोध स्वरूप की गई।

स्थानीय सुरक्षा प्राधिकारी इस मामले की जांच कर रहे है और पुलिस सुरक्षा को सुदृढ़ कर दिया गया है। सरकार ऐसी हिंसात्मक कार्यों के खिलाफ है। स्वभावतः सरकार को इस अकारण एवं अनुत्तरदायित्वपूर्ण घुस पैठ की कार्यवाही और नुकसान के लिए दुःख है और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए अधिक सतर्कता बरतने के कदम उठाये है।

**New Strategy Adopted by Indian Council of Medical Research**

*342. **Shri Janeswer Misra** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the Indian Council of Medical Research has adopted a new strategy for research work;

(b) if so, the changes made therein; and

(c) the number of research conducted by the Indian Council of Medical Research during the last three years?

**The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) :** (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(c)

| | |
|---|---|
| 1972-73 . . . . . . . . | 585 |
| 1973-74 . . . . . . | 250 |
| 1974-75 . . . . . | 174 |

**Statement**

A major responsibility of the Council in future will be to identify the areas in the field of biomedical and public health research of immediate national importance. Having identified these areas, it will be the duty of the Council to formulate, on a national basis, research projects designed to provide practical and feasible solutions to such national problems. Basic research on fundamental aspects in the national institutes will be supported to a limited extent. Similarly a small proportion of research fellowships offered by the ICMR will be for basis studies related to health.

*High Priority Areas :*

1. A few major areas of national needs in medical research are Malaria, Leprosy Cholera and 'Filariasis'.
2. In the field of research on fertility control emphasis will be on synthesis of oral contraceptives from Indian yams, determination of actual dose schedule of oral contraceptives in under-nourished women and study on the problem of inter-relationship between nutrition and fertility.
3. Malnutrition continues to be a major factor affecting public health and attention will be paid to problems in this area.
4. There is need for researches on health delivery systems.
5. Schemes for improvement in drug testing and drug toxicology and investigation of bio-availability of drugs would be undertaken.

*Formulation of projects :*

In the formulation of these programmes, the major consideration has been that while basic research should not be neglected, the main thrust must be towards discovering practical and feasible solutions to the major health, problems facing the country.

*Research in Medical colleges :*

The Council has initiated a number of steps for mobilising energising and enthusing the large body of medical colleges into joining the main-stream of medical research.

*Collaboration with other scientific agencies :*

To coordinate and make optimum use of resources joint advisory committees are proposed between ICMR and other Government agencies like ICAR, CSIR etc.

## बोकारो इस्पात संयंत्र पर परिव्यय

*343. **श्री समर मुखर्जी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस्पात और खान मंत्रालय से कहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की वार्षिक योजना के 1975–76 के प्रायोजित परिव्यय में कटौती की जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या निदेश दिए गए है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) :** (क) से (ग) इस्पात विभाग ने वर्ष 1975–76 के लिए बोकारो इस्पात कारखाने के लिए 155 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था । सामान्य प्रथा के अनुसार, 1975–76 को वार्षिक योजना को अन्तिम रुप देने के लिए इस प्रस्ताव पर विस्तार से योजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों के साथ पूरी तरह विचार विमर्श किया गया था । आगामी वर्ष में संसाधनों की कठिन स्थिति को देखते हुए तथा सम्यक विचारविमर्श के पश्चात् एक मत से यह निर्णय किया गया कि बोकारो इस्पात कारखाने के लिए 1975–76 में 135 करोड़ रूपय का परिव्यय पर्याप्त होगा । कारखाने को चालू करने के अद्यतन कार्यक्रम का पालन किया जाएगा ।

## भारत-बंगला देश मैत्री और सांस्कृतिक संपर्क

3136. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत का विचार मुक्ति संग्राम की यादों को ताजा रखने के लिए अपने दूतावासों द्वारा अथवा सांस्कृतिक केन्द्रों को खोलकर बंगला देश के साथ बेहतर सम्बन्ध कायम करने के लिए मैत्रीपूर्ण अभियान तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को संगठित रूप से बढ़ाने का है ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** सरकार की यही नीति है कि भारत–बंगलादेश संबंधों को सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में मजबूत और विस्तृत करने के लिए वह सभी उचित कदम उठाती है ।

## त्रिवेन्द्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

3137. **श्री वयालार रवि :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए पृथक कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) त्रिवेन्द्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के भवन और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य मई, 1974 के अन्त में एक ठेकेदार को सौंपा गया था जिसमें कार्य समापन के लिए 2 वर्षों की समय–सीमा निर्धारित की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा है ।

(ख) मई, 1976 तक भवनों के तैयार होने की आशा है ।

### औषधालयों के आबंटन के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

3138. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का उनसे लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के लिये आवंटन करने हेतु कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं; यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ख) क्या इस योजना के अंशदाताओं को, उनके निवास स्थान के निकट स्थित औषधालय आवंटित करने के मामले में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या स्वास्थ्य योजना महानिदेशक औषधालय की निकटता की ओर ध्यान दिये बिना औषधालय का मनमाने ढंग से क्षेत्रवार आवंटन करता है; यदि हां, तो क्यों; और

(घ) वर्ष 1974 में सेवा निवृत्त कर्मचारियों के निवास स्थानों के निकट औषधालय आवंटित करने के लिये कितने मामलों में अभ्यावेदन किये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय 10,000 लाभार्थियों को जिसमें 2000 से 2500 परिवार होते हैं. चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए खोले जाते हैं। सामान्यतया वे तीन किलो मीटर को परिधि के अन्दर रहने वाले लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान करते है। गश्ती औषधालय दूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को इलाज की सुविधाएं देते हैं।

(ख) और (ग) किसी खास बस्ती में कितने अधिक लाभार्थी रहते हैं सदा इस बात के आधार पर ही वहां पर औषधालय खोला जाता है क्योंकि उपयुक्त स्थान के अभाव में किसी बस्ती के मध्य में औषधालय खोलना सर्वदा संभव नहीं होता है।

(घ) 1974 में दो आवेदन पत्र मिले थे जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया।

### 'कम्युटेड' सैनिक पेंशन को पुनः लागू करना

3139. **श्रीमती गंगा देवी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10–12 वर्षों की सेवा के बाद 'कम्युटेड' सैनिक पेंशन को पुनः लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) सेना में विशेषज्ञों की तथा अन्य नियमित सैनिक कर्मचारियों की पेंशनों में इतना अंतर क्यों है जब कि उनके वेतन समान है ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) सैनिक अफसरों तथा कार्मिकों को उनकी सेवा-निवृत्ति के समय यह विकल्प होता है कि वे चाहें तो शेष जीवन के लिए अपनी पूरी मासिक पेंशन ले सकते हैं अथवा चाहें तो पेंशन के एक भाग को कम्यूट करा कर उसे एक मुश्त रुप में ले सकते हैं। अपनी पेंशन को कम्यूट कराते समय उन्हें अपनी कम्यूट की गई पेंशन को छोड़ने के लिए सहमत होना पड़ता है। यदि वे कम्यट की अवधि के बाद

तक जीवित रहते हैं तो कम्यूट किये गये भाग को पुनः चालू नहीं किया जाता है और इसी प्रकार सरकार भी जोखिम उठाती है क्योंकि यदि अफसर उस अवधि से पहले मर जाता है तो सरकार उस राशि को वसूल नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में यह सरकार और पेंशनर के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसके अन्तर्गत यह कम्यूटेशन किसी विशिष्ट अवधि के लिए न होकर पुरे जीवन क लिए होती है। अतः इसे पुनः लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) सम्भावतः माननीय सदस्य विशेष सूची अफसरों तथा जनरल ड्यूटी अफसरों की पेंशन का उल्लेख करना चाहते हैं। विशेष सूची सवंर्ग मुख्यतः जे० सी० ओ०/अन्य जवानों की अफसर के पद पर पदोन्नत किये जाने के लिए है और उनकी पेंशन निम्नलिखित कारणों से जनरल ड्यूटी के अफसरों की पेंशन की तुलना में कम है :—

(1) जनरल ड्यूटी अफसरों की पेंशन इसलिए अधिक होती है क्योंकि उन्हें बहुत पहले सेवा निवृत्त हो जाना होता है तथा उन्हें वापस बुलाया जा सकता है और इस तथ्य में रखा जाता है।

(2) विशेष सूची के अफसर सेना में सभी नियुक्तियों पर नियुक्त किये जाने के पात्र नहीं होते हैं; और

(3) यद्यपि विशेष सूची के अफसर और जनरल ड्यूटी के अफसरों का वेतन समान होता है लेकिन उनकी देर से पदोन्नति के कारण विशेष सूची के अफसर उसी अवधि की अर्हक सेवा वाले जनरल सूची के अफसरों से कम वेतन पाते है

**मैंगनीज अयस्क की खानें**

3140. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मैंगनीज अयस्क की कितनी खानें हैं; और

(ख) वर्ष 1972-73 1973-74 और 1974-75 के दौरान इन खानों से कितनी मात्रा में मैंगनीज का खनन किया गया ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) वर्ष 1974 में मैंगनीज खानों की संख्या 290 थी।

(ख) मैंगनीज खनिज का वर्ष 1972-73 तथा 1974 का उत्पादन इस प्रकार था :—

| वर्ष | उत्पादन (लाख टन) |
|---|---|
| 1972 | 16.43 |
| 1973 | 14.89 |
| 1974 | 14.47 |

उत्पादन के बारे में जानकारी कैलेन्डर वर्ष के आधार पर रखी जाती है।

**श्रमिक न्यायालय की डिग्री को मैसर्स जिल्ज स्टील इन्डस्ट्रीज, मोती नगर, नई दिल्ली पर क्रियान्वत करना**

3141. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक न्यायालय दिल्ली के पीठासीन अधिकारी श्री आर० के० बवेजा अधिसूचना संख्या सी० 124 का 125 के/ 69 ले० दिनांक 15 मार्च 1971 के द्वारा जैसा कि 22 अप्रैल 1971 के दिल्ली गजट में प्रकाशित हुआ था कर्मचारियों तथा सर्वश्री राम सिंह, मोहिन्दर सिंह गैंडा राम सरन शिव व सुरी के पत्र मे मैसर्स जिल्ज स्टील इन्डस्ट्रीज (इंडिया) नजफगढ़ रोड (नटराज सिनेमा के पीछे) के प्रबंधक के विरुद्ध 10230 रु० की डिगरी दी थी;

(ख) क्या प्रत्यर्थी (रेस्पोन्डेन्ट) ने अभी तक उक्त आदेश को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का वादी को धन वसूल करने में सहायता देने हेतु आदेशों को क्रियान्वित कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार श्रम न्यायालय क पीठासीन अधिकारी, श्री आर० के० बावेजा ने अप्रैल, 1971 मे छपे अपने पंचाट में सर्वश्री रामसिंह, गेंदाराम, सत व, रामसरण और मोहिन्द्र सिंह के बारे में 10230 रुपये का फैसला दिया। फैसले की राशि की वसूली हेतु, पीड़ित पक्ष द्वारा एक आवेदन दिए जाने के बाद दिल्ली प्रशासन ने वसूली संबंधी कार्यवाहियां शुरू करने के लिए वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था। सूचित किया गया है कि संबधित प्राधिकारी द्वारा इस फर्म के मालिक की अचल सम्पत्ति (जमीन का एक प्लाट) पहले ही कुर्क की जा चुकी है, जिसके विरूद्ध एक अपील दायर की गई है, जो वित्तीय आयुक्त, दिल्ली के समक्ष लंबित है।

**Population Growth-Rate**

3142. **Shri Martand Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the population growth-rate during the last three years;

(b) the particulars thereof State-wise; and

(c) Govrrnment's latest scheme, if any, to check population growth ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque)** : (a) and (b) A statement giving the estimated annual growth rates per 1000 population for all India and by States for the years 1970, 1971 and 1972 based on the Sample Registration System of the Registrar General India is annexed (Annexure-I). **[Placed in library See No. LT -9171 75]**

The estimates for the subsequent years are not available as yet.

(c) The Family Planning Programme is concerned with the reduction in birth rate, for which the various measures adopted to intensify the programme are given in Annexure-II. **[Placed in library See No. LT -9171/75]**

## विदेश प्रचार सेवा का पुनर्गठन

3143. श्री अनन्तराव पाटिल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, भारत के विचारों को अनेक देशों में न सुना अथवा समझा जाता है और कई दिनों तक गलतफहमी विद्यमान रहती है, विदेश प्रचार सेवा का पुर्नगठन करना आवश्यक समझती है;

(ख) सरकार का अन्य देशों की विभिन्न देशों में सूचना सेवाओं की तुलना में विदेशों में हमारी प्रचार सेवा को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या दूतावासों में प्रेस सहचारी भारतीय विदेश सेवा अथवा प्रेस आसूचना ब्यूरो के होते हैं; और

(घ) क्या देश में प्रचार सेवा और विदेश में प्रचार सेवा के बीच अमरीकी तथा यूनाइटिड स्टेट्स इन्फारमैशन सर्विस के समान समन्वय लाने का विचार है ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) और (ख) पिछले 28 वर्षों में मुख्यालय में एक सक्षम विदेश प्रचार प्रभाग बन गया है जो विदेश-स्थित हमारे मिशनों में विदेश-प्रचार आकांक्षों की आवश्यकता पुरी करता है, देखभाल करता है, और उनका मार्गदर्शन करता है तथा स्थानीय प्रेस, रेडियों, टेलिविजिन, विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक संस्थानों और विद्वानों से सम्पर्क करके भारत के सही चित्र को उपस्थित करता है। देश और विदेश, दोनों स्थानों पर ऐसे कार्यालय संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर, विभिन्न प्रश्नों पर भारत के दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था में काफी स्थान मिला है। सरकार के आवश्यक नहीं समझती कि भारत की विदेश प्रचार सेवा का पुनर्गठन किया जाए, तो भी अधिक सुधार करने की दृष्टि से उनके कार्यों पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

(ग) विदेश स्थित हमारे मिशनों में प्रचार केन्द्रों में भारतीय विदेश सेवा 'क' और 'ख' के तथा विदेश मंत्रालय में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी काम करते हैं।

(घ) विदेश मंत्रालय देशीय प्रचार से संबद्ध सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न कक्षों के साथ निकट संपर्क में पहले ही काम करता है।

## भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिरक्षा पर आधारित उद्योग

3144. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिए प्रतिरक्षा पर आधारित उद्योग स्थापति करने की प्रस्तावित योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक)** : भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिए प्रतिरक्षा पर आधारित उद्योग स्थापति करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

## गुजारत में इंडियन रेडक्रास द्वारा शुरुकिये गये कार्यक्रम

3145. **श्री अरविंद एम० पटेल :**

**श्री वेकरिया :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेडक्रास ने गुजरात राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में कोई कार्यक्रम शुरु किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और वे क्षेत्र कौन–कौन से है जहां वे कार्य कर रहे हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) जी हां, गुजरात राज्य के कुछेक अभावग्रस्त इलाकों में भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने राहत का एक सीमित कार्यक्रम आरम्भ किया है।

(ख) यह सोसाइटी कच्छ, बनास्काष्ठा, सुरेन्द्रनगर और अहमदाबाद जिलों के कुछ विपदग्रस्त स्थानों में तीस पूरक दुग्ध केन्द्र ओर पांच चिकित्सा राहत एकक चला रही है ।

## बोनस संबंधी सम्मेलन

3146. **श्री सी० जनार्दन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ प्रबन्धकों कार्मिक संघ के नेताओं तथा शिक्षित समुदाय के चुने हुए सदस्यों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई तथा उसमें क्या निर्णय लिए गए ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) और (ख) भारत में बोनस की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद ने 18 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 1974 तक भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में बोनस के बारे में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था ।

## संगठित क्षेत्र में तालाबंदी

3147. **श्री टुना उरांव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान राज्य वार, संगठित क्षेत्र में कितनी बार तालाबन्दी घोषित हुई है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** संलग्न विवरण, 1972, 1973 और 1974 (अनन्तिम) के दौरान राज्य वार तालाबन्दियों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना का खुलासा करता है ।

विवरण

| राज्य / संघशासित क्षेत्र | तालाबन्दियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 1972 | 1973 | 1974 (अनन्तिम) |
| 1. आन्ध्र प्रदेश . . . | 2 | 13 | 4 |
| 2. असम | 1 | 2 | |
| 3. बिहार | 34 | 31 | 25 |
| 4. गुजरात | 5 | 11 | 8 |
| 5. हरियाणा | 5 | 2 | 3 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | .. | | |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 1 | .. | .. |
| 8. कर्नाटक | 18 | 16 | 14 |
| 9. केरल | 12 | 21 | 17 |
| 10. मध्य प्रदेश . . | 2 | 2 | |
| 11. महाराष्ट्र . | 48 | 55 | 44 |
| 12. मणिपुर . . | .. | .. | 1 |
| 13. उड़ीसा . . | 2 | 3 | 2 |
| 14. पंजाब . | 3 | 7 | 2 |
| 15. राजस्थान . | 1 | 4 | 4 |
| 16. तमिलनाडु | 87 | 56 | 59 |
| 17. त्रिपुरा | 3 | 2 | |
| 18. उत्तर प्रदेश . . | 28 | 18 | 17 |
| 19. पश्चिम बंगाल . . | 131 | 156 | 142 |
| 20. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | | | |
| 21. चण्डीगढ़ . | .. | 3 | .. |
| 22. दिल्ली . . | 2 | 7 | 2 |
| 23. गोवा . . . | .. | 3 | 7 |
| 24. पांडिचेरी . . . | 1 | .. | .. |

### अफगाणिस्तान के प्रेसिडेन्ट के विशेष दूत द्वारा भारत का दौरा

3150. **श्री विरभद्र सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगाणिस्तान के प्रेसिडेन्ट के विशेष दूत ने भारत सरकार को परस्पर हित के विभिन्न विषयों के बारे में चीन के विचारों से अवगत कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) और (ख) अफगाणिस्तान के राष्ट्रपति के विशेष दूत महामान्य श्री मोहम्मद नईम जब दिसम्बर, 1974 में भारत से होकर गुजर रहे थे, उस समय वे हमारी प्रधान मंत्री से मिले थे। दोनों नेताओं ने आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया था। इस प्रकार की बातचीत को गोपनीय रखने की प्रथा है।

### दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों के लिए परियोजना भत्ता

3151. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 1958 के पत्र के द्वारा सरकार ने परियोजना भत्ता, अन्य बातों के अलावा, इस क्षेत्र को अत्यधिक दूरी को देखते हुए, इसके पुनर्विलोकन करने और घटाने के बारे में बिना कोई शर्त लगाते हुए मंजूर किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दण्डकारण्य परियोजना के "परियोजना भत्ते" के बारे में वर्ष 1972 की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) :** (क) दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को दिए जाने वाले परियोजना भत्ते की दरों का, जो 20-9-1958 के पत्र द्वारा मंजूर की गई थी, सरकार द्वारा सितम्बर, 1972 में पुनरिक्षण तथा संशोधन किया गया था। 20-9-1958 के आदेश में मंजूर की गई परियोजना भत्ते की दरों के भावी पुनरिक्षण के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था लेकिन इन रियायतों का समय-समय पर सरकार द्वारा सदैव पुनरिक्षण किया जा सकता है।

(क) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यथा-पूर्व स्थिति को बनाए रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

### दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों के लिये निःशुल्क आवास

3152. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों के लिए, इस क्षेत्र की अत्यधिक दूरी के कारण कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए शर्तों को बदलने की शर्त लगाये बिना, दिनांक 20 सितम्बर, 1958 के पत्र के द्वारा सरकार ने निःशुल्क आवास देना मंजूर किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को निःशुल्क आवास देने के बारे में वर्ष 1965 की यथास्थिति को बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) :** (क) निःशुल्क आवास के बारे में सरकार ने 20-9-1958 के पत्र द्वारा मंजूर की गई रियायत, जिसे सरकार ने 15-10-1959 के आदेश द्वारा संशोधित किया था, उन कर्मचारियों के बारे में जारी रखी गई हैं जिनकी नियुक्ति 30-9-1965 तक हुई थी। उनके मामले में, जिन्हें उस तारीख के बाद नियुक्त किया गया था यह निश्चय किया गया था कि उन्हें निःशुल्क आवास की कोई पेशकश न की जाए।

(ख) भाग (क) के उत्तर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## बालाघाट मध्य प्रदेश में तांबा परियोजना

**3153. श्री गंगा चरण दिक्षित : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रस्तावित तांबा परियोजना की कुल लागत क्या है ?

(ख) परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना में और वर्ष 1975–76 में इस पर कितना धन खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मालंजखण्ड तांबा परियोजना के खनन एवं सान्द्रक कम्पलैक्स के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम एक सोवियत एजेन्सी को सौंपा गया था। खनन सम्बन्धी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिल चुकी है और उसकी जांच की जा रही है। सान्द्रक सम्बन्धी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के सितम्बर, 1975 तक मिल जाने की आशा है। सलाहकारों से सान्द्रक सम्बन्धी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मिल जाने के बाद ही तांबा परियोजना की अनुमानित कुल लागत विदीत हो सकेगी।

(ख) परियोजना पर जनवरी, 1975 तक 114 लाख रुपये व्यय हो चुके है।

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में मालंजखण्ड तांबा परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1975–76 के लिए बजट अनुमानु में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परन्तु वर्ष के मध्य में स्थिति पर पुनः विचार किया जाएगा, जब सान्द्रक सम्बन्धी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी मिल जाएगी।

## न्यायालयों द्वारा दूध और खाद्य अपमिश्रण के लिये दी गई सजायें

**3154. श्री हरी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में न्यायालयों ने गत 6 महीनों में दूध तथा खाद्य अपमिश्रण के सम्बन्ध में अनेक व्यक्तियों को सजा दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार तथा जनता की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### विदेशी औषध फर्मों द्वारा विटामिनों का उत्पादन

3155. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी औषध फर्मों द्वारा बनाये गये विटामिन 'फार्म्यूलेशनज' की खुराकों में मानव शरीर द्वारा समाविष्ट करने की क्षमता से कोई कही अधिक तत्व होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) जी हां, सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्माता विटामिन वाली दवाइयों में सामान्यत: निर्धारित मात्रा से अधिक संघटक मिलाती हैं ।

(ख) औषधि उद्योग में निर्माताओं द्वारा इस प्रणाली को अपनाया जा रहा है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अधिन अधिक मात्रा में विटामिन मिलाना तब तक अपराध नहीं है जब तक बेची जा रही दवाई का लाइसेन्स राज्य औषधि नियंत्रक ने दिया हो और उसका नुस्खा बाहर लगे लेबल पर दिया गया हो।

### Heavy fine on Gazetted Officers by Central Vigilance Commission

3156. **Shri M. C. Daga** : Will **The Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether the Central Vigilance Commission had recommended to the Defence Department in its Ninth Report on the 31st August, 1971 for heavy fine on some gazetted officers and whether after one year and a half no show cause notice has been issued to the concerned officers; and

(b) if so, the person responsible for this and whether any action has been taken against him ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh)** : (a) In Chapter X of their Ninth Annual Report, the Central Vigilance Commission had pointed out that they had advised on 31-8-1971 the imposition of a major penalty on a gazetted officer. The Central Vigilance Commission had observed that after the lapse of more than one and a half years, the officer had not even beeen served with a show-cause notice and that only the question of reverting the officer to his parent office was "under consideration" of the Ministry. The position is the as per the advice of the Central Vigilance Commission, a show-cause notice was issued to the concerned officer in December, 1973. As the officer had earlier been employed in another department, it took some time to determine the competent disciplinary authority in this case and hence the delay.

(b) The delay was due to the requirement to consult other departments. The delay is regretted though no individual officer is responsible for it.

## खान सुरक्षा के महानिदेशक द्वारा कथित कदाचार

3157. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान सुरक्षा का वर्तमान महानिदेशक कौन है और इनके पूर्ववृत्त क्या हैं ;

(ख) क्या इस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप है ;

(ग) क्या उन्हें श्री एस० चटर्जी, अध्यक्ष, नागरिक संघ, धनबाद से इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था, यदि हां, तो इस ज्ञापन की विषय वस्तु क्या है ; और

(घ) इस ज्ञापन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) इस पद पर कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई है। खान सुरक्षा के उप महानिदेशक को मुख्य खान निरिक्षक के रूप में अधिसूचित किया गया है और वे इस संगठन के काम की देख रेख कर रहे हैं। उन्हों ने इस विभाग में 1948 से सेवा प्रारम्भ की थी और वे इस संगठन के स्थायी अधिकारी हैं।

(ख) उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ग) जी हां। मुख्य आरोप गैर-कानूनी तरीकों से धन संचित करने के बारे में है।

(घ) इन आरोपों की जांच की जा रही है।

## हंगरी के साथ करार

3158. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**
**सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में और आगे सहयोग करने के लिए हंगरी के साथ हालमें किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) क्या इस करार में चिकित्सा विज्ञान के विकास और पर्यटन के संवर्धन की भी व्यवस्था की गयी थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस करार के बाद उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्रों में प्राप्त किये गये लाभ तथा उपलब्धियों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या हंगरी ने इन क्षेत्रों में भी तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की है ?

**विदेश मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) और (ख) भारत-हंगरी आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग संयुक्त आयोग का पहला सत्र 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर 1974 तक नई निल्ली में हुआ। संयुक्त आयोग की बैठक की समाप्ति पर जिस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें दूर संचार, इलैक्ट्रानिक्स, उद्योग, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, कृषि, रसायन भेषज और व्यापार विनिमय के क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार की बात बताई गई। पर्यटन की वृद्धि पर विचार-विमर्श नहीं किया गया।

(ग) आशा की जाती है कि प्रोतोकोल में बताए गये क्षेत्रों से आर्थिक सहयोग का विस्तार होगा और दोनों देशों के बीच व्यापार में और विविधता आएगी।

(घ) जी हां, हंगरी ने दूर संचार, इलैक्ट्रानिक्स, रसायन और भेषज तथा उद्योग के क्षेत्रों में कुछ तकनीकीविदों की व्यवस्था करने की पेशकश की है।

## मेडिकल कालेजों द्वारा छात्रों से प्रति व्यक्ति शुल्क/दान लेना

3159. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 29 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 599 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर के (ख) भाग में उल्लिखित प्राइवेट मेडिकल कालेजों और प्राइवेट कालेजों द्वारा प्रति व्यक्ति शुल्क अथवा दान लेने के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही की है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसे प्राइवेट मेडिकल कालेज भी, जिनकी डिग्री चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है, छात्रों से प्रति व्यक्ति शुसक लेते हैं ;

(घ) क्या सरकार मेडिकल कालेजों के प्रबन्ध को ठीक रखने के लिए इन्हें अपने नियंत्रण में ले लेगी और इनमें गुण-दोष के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा न कि प्रति व्यक्ति शुल्क के आधार पर ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विधान बनाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) और (ख) भातीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि ऐसे निजी मेडिकल कालेजों को विनियमित और नियंत्रित किया जा सके जो कैपिटेशन फीस/दान लेते हैं ।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के प्रयोजनों के लिए जिन विश्व-विद्यालयों की एम० बी० बी० एस० डिग्री को मान्यता मिली हुई है, उनसे सम्बद्ध कुछ निजी मेडिकल कालेज कैपिटेशन फीस लेते हैं ।

(घ) और (ङ) निजी मेडिकल कालेजों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव योजना नहीं है ।

## खाद्य तथा खाद्य तेलों के कम उपयोग के कारण हुई मौतें

3160. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियाजन** मंत्री यह शीत लहर से हुई मौतों के बारे में 20 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले वर्षों में प्रति व्यक्ति खाद्य की उपलब्धता तथा खाने योग्य तेल के उपभोग में कमी के साथ लगभग उसी अनुपात में मौतों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है ?

**स्वास्थ्य और पपिवार नियोजन मंत्रालय म उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** शीत लहर से होने वाली मौतों का खाद्य पदार्थों और तेलों के प्रति व्यक्ति उपभोग से क्या सह-सम्बन्ध है इसके बारे में कोई देश व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

**Rehabilitation of Mana Camp Refugees in Indore**

3161. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Ministry of Supply and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether about 500 members out of the 100 refugee families living in Mana refugee camp of Madhya Pradesh have been moved to Indore for rehabilitation;

(b) if so, the facilities provided to them there;

(c) whether the refugee families shifted to Indore are facing starvation and unemployment and are wandering helplessly there; and

(d) the concrete steps proposed to be taken by Government to provide them relief immediately and the nature thereof?

**The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar):** (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**हड़तालों पर रोक**

3162. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में तीन वर्ष की अवधि के लिए हड़तालों पर रोक लगाने सम्बन्धी घोषणा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**खानों में दुर्घटनायें**

3163. **श्री रानेन सेन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में हाल में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) और (ख) अनन्तिम उपलब्ध सूचना के अनुसार 1974 के दौरान 267 घातक दुर्घटनाएं और 2669 गंभीर दुर्घटनाएं हुई । जबकी इसकी तुलना में 1973 के दौरान 251 घातक दुर्घटनाएं और 2,593 गंभीर दुर्घटनाएं हुई थीं । सरकार इस मामले के संबंध में चिन्तित है ।

**दक्षिण रोडेशिया के बारे में राष्ट्रमंडल की नीति**

3164. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रमण्डल से रोडेशिया के बारे में उपनिवेशवादी श्वेत लोगों द्वारा दमन के विरुद्ध नीति अपनाने के लिए कही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) और (ख) जी हां, इन मसलों पर कई राष्ट्रमण्डल सरकार प्रमुखों के सम्मेलनों में विचार-विमर्श हो चुका है। हमने औपनिविस्कि श्वेत दमन के विरुद्ध अफ्रीकी लोगों के पक्ष और दक्षिण रोडेशिया में बहुसंख्यक जाति के शासन के लिए पूर्ण रूप से समर्थन किया है। ओटावा में 1973 के सम्मेलन में सरकार प्रमुखों ने दक्षिण रोडेशिया की स्थितिपर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि समझौते का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर है और वे समाधान में सहयोग देने पर तत्पर रहने को सहमत है। सभी सहमत हैं कि बहुसंख्यक लोगों का शासन ही लक्ष्य है। भारत और राष्ट्रमण्डल के देश दक्षिण रोडेशिया के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने का समर्थन करते हैं।

## भारतीय खाद्य निगम में हड़ताल

3165. **श्री कें० लकप्पा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में हड़ताल को समाप्त कराने में उनके मंत्रालय ने क्या भूमिका निभाई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)**: (क) और (ख) सरकार ने 3-1-1975 को भारत रक्षा नियम 1971 के नियम 118 के अधीन जारी किये गये एक आदेश के द्वारा 4 जनवरी, 1975 से भारत खाद्य निगम में किसी भी औद्योगिक विवाद के सम्बन्धित किसी भी हड़ताल को प्रतिषिद्ध कर दिया है। इसके बावजूद, देश के विभिन्न भागों में भारत खाद्य निगम के अनेक श्रमिक हड़ताल पर चले गए। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र के अधिकारियों ने हड़ताल को समाप्त कराने के लिए अपनी मध्यस्थता का प्रयोग किया।

## उत्तर प्रदेश में खेतिहर श्रमिकों को ऋण सुविधाएं

3166. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ऋणों की बकाया राशि को समाप्त करने के प्रावधान वाले हाल ही में पारित किए गए कानून के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर श्रमिकों को महाजनों से ऋण प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या उनको कोई वैकल्पिक तथा उत्तम ऋण सुविधाएं दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ये सुविधाएं क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पहली अक्तूबर 1974 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1974 जारी किया, जो ऐसे व्यक्तियों को, जो एक एकड़ से कम जमीन के मालिक हैं और जो ऊपर उल्लिखित वर्गों के हैं, निजी ऋण दाताओं के ऐसे ऋण और उस पर के ब्याज से पूर्णतः ऋणमुक्त करता है जिसे किसी पंजीकृत प्रलेख द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब उत्तर प्रदेश भूमि कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक 1974 पेश किया है जिससे ऐसे प्रत्येक किसान को लाभ पहुंचेगा जो एक एकड़ से कम भूमि का मालिक है, चाहे वह किसी भी जाति और समुदाय का क्यों न हो।

उत्तर प्रदेश सरकार से यह पता चला है कि इन कार्यवाहियों के कारण निजी ऋणदाता ऋण नहीं दे रहे हैं। उस सरकार ने यह आदेश दिया है कि इन कार्यवाहियों से लाभान्वित हुए हरिजनों को सहकारी समितियों द्वारा ऋण देने संबंधी उनकी कुल क्षमता का 10 प्रतिशत ऋण दिया जाना चाहिए। वह सरकार केवल हरिजनों के लिए सहकारी साखर समितियों की स्थापना करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

छोटे किसान, जिनकी जोतें 2 एकड़ से अधिक नहीं हैं, श्रम सहकारी समितियों से 300 रुपये की सीमा तक ऋण प्राप्त करने के हक्कदार हैं।

### Reinstatement of Retrenched Empolyees of Hindustan Aluminium Corporation, Renukoot

3167. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a delegation of the representatives of the employees of the Hindustan Aluminium Corporation, Renukoot, Mirzapur (Uttar Pradesh) met him during the lock-out (May, 1974) in this factory;

(b) if so, whether he gave an assurance for the reinstatement of 17 retrenched employees of this factory ;

(c) the main reasons for which the mediator has not taken decision so far in this regard; and

(d) the time by which the mediator is likely to give decision ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shr Sukhdev Prasad) :** (a) to (d) The Staff Association of the Hindustan Aluminium Corporation had represented to the Minister of Steel & Mines about reinstatement of 17 retrenched employees of the factory. It was decided at a meeting taken by the Chief Minister of Uttar Pradesh which was attended by representatives of A. I. T. U. C., I. N. T. U. C. and Staff Association of Hindustan Aluminium Corporation, that the question of legality or otherwise of discharge of 17 retrenched staff members should be referred to an Aribtrator. Shri S. K. Verma, former retired Chief Justice of Allahabad High Court has been appointed as Sole Aribtrator. The matter is now under consideration of the Arbitrator.

### Chinese Activities in Nepal

3168. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether China has stepped up her activities in Nepal and this has posed a possible threat to the Government of India ;

(b) whether China is practising all sorts of slights to make anti-India propaganda and to create anti-India atmosphere in Nepal and is inciting the people there; and

(c) if so, Government of India's reaction in regard thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) :** (a) to (c) The Government have confidence in the basic strength of the Indo-Nepal relationship and see no reason for undue alarm over the activities of China or any other country in Nepal.

## नौसेना अधिकारियों को दिल्ली में रोके रखना

3169. **चौधरी दलीप सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कितने नौसैनिक अधिकारी पांच वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं और मुख्यालय में यहां पर उनको रोके रखने के विशेष कारण क्या हैं ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** नौ सेवारत और नौ पुनर्नियुक्त अफसर 5 वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में तैनात हैं। सेवारत अफसरों के दिल्ली में रखे जाने के विशेष कारण इस प्रकार हैं :—

(1) 3 अफसरों को नौसेना की विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उनकी विशेज्ञ अहताओं के कारण विशेष तौर से रखा हुआ है ।

(2) एक अफसर मार्च 75 से स्थानांतरणाधीन है तथा एक और अफसर चालू वर्ष के अंत तक दिल्ली से बाहर जाने वाला है ।

(3) एक अफसर सेवानिवृत्तिपूर्व छुट्टी पर है ।

(4) एक अफसर को दिल्ली में पहले सामान्य नियुक्ति पर नियुक्त किया गया था और वह अब विदेशी भाषा में दुभाषिए का कोर्स कर रहा है ।

(5) एक अफसर को करुणाजन्य कारणों से दिल्ली में रखा हुआ है और उसे इस वर्ष के अन्त तक सेवानिवृत्ति कर दिये जाने की प्रत्याशा है ।

(6) एक अफसर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाला है ।

2. दिल्ली में रह रहे पुनर्नियुक्त 9 अफसरों के कुल समय में उनकी सेवानिवृत्ति से पहले बिताई गई अवधि भी सम्मिलित है। उनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि 2 वर्षों में समाप्त हो जाने की प्रत्याशा है ।

## कलकत्ता में प्लेग की बीमारी का खतरा

3171. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में चूहों की संख्या जन संख्या की तुलना में सात गुनी है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कलकत्ता में प्लेग की बीमारी फैलने के खतरे के बारे में भय व्यक्त किया हैं ; और

(ग) खतरे का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) कलकत्ता में चूहों की संख्या के बारे में ऐसा कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के किसी अधिकारी द्वारा ऐसा कोई वक्तव्य दिया गया नहीं लगता ।

(ग) कलकत्ता में प्लेग नियंत्रण का एक स्थायी संगठन पहल से ही कार्य कर रहा है जो नियमित रूप से यह देखता रहता है कि चूहों से प्लेग फैलने की कोई सम्भावना तो नहीं हो रही है । नगर में प्लेग के फैलने का कोई खतरा मालूम नहीं पड़ता ।

### भारतीय दूतावास द्वारा चिली में राजनैतिक पीड़ितों को सुविधायें

**3172. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिली स्थित भारतीय दूतावास चिली के सत्तारूढ़ सैनिक शासकों के राजनैतिक दमन की चपेट में आये राजनैतिक शरण चाहने वाले लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहा है ;

(ख) क्या ब्रिटेन सहित अन्य देश चिली की सैनिक तानाशाही से पीड़ित लोकतन्त्रवादियों (डिमाक्रेटस) को ये सुविधायें प्रदान कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय दूतावास द्वारा यह सुविधा प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पालदास) :** (क) से (ग) सान्तियागो स्थित भारत का राजदूतावास अपना सामान्य राजनयिक कार्य कर रहा है। यह चिली के नागरिकों को मानवीय आधार पर हर सम्भव सहायता प्रदान कर रहा है।

### Korba Aluminium Plant in Madhya Pradesh

**3173. Dr. Laxminaryn Pandeya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether smelter has been installed in B. A. L. CO. (Aluminium Plant) at Korba in Madhya Pradesh;

(b) the date by which smelter was to have been installed in the said plant and the reasons for delay therein; and

(c) the monthly production capacity of this plant?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad :** (a) to (c) The smelter was scheduled to be commissioned in four phases of 25,000 tonnes each, starting from the last quarter of 1974. The first phase( 25,000 tonnes per annum capacity) of the Korba Aluminium Smelter has been installed and is ready for commissioning. The delay in the installation of the first phase was mainly due to delayed shipment of some vital components from the foreign supplier, difficulties in the procurement of materials like cement and steel etc. The construction of the remaining three stages of the smelter is being rephased to synchronise with the availability of power to commission them. When completed, the full capacity of the smelter will be 100,000 tonnes per annum.

### राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 की मरम्मत

**3174 श्री शंकरराव सावंत :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोलाबा जिले से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 का बहुत सा भाग बुरी तरह टूट फूट गया है और इसमें भारी मरम्मत की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो भारी मरम्मत के कार्य के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा कब और यह राशि राज्य सरकार को कब उपलब्ध करायी गई ; और

(ग) इस मरम्मत कार्य के पूरा होने का निर्धारित समय क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) जी, हां। जिला कोलाबा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के कुछ भागों को पटरी, क्षतिग्रस्त हो गई है और उसकी मरम्मत की आवश्यकता है।

(ख) हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त सड़क की मरम्मत के प्रस्ताव को, जिनमें सड़क पक्ष द्वारा सुझाई गई विशिष्टियों का समावेश किया गया है, इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है। कार्य की स्वीकृति के बाद, उसके लिए आवश्यक धन राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा।

(ग) धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य के पूरे होने में लगभग दो वर्ष लगने की सम्भावना है।

**हिन्द महासागर को "शांति का क्षेत्र" बनाये रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन**

3175. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर को "शान्ति का क्षेत्र" बनाये रखने के प्रश्न पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात परस्पर निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या क्या हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) और (ख) जी, हां। 1 से 5 जनवरी 1975 तक संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई भारत संयुक्त अरब अमीरात की सम्मिलित विज्ञाप्ति में दोनों देशोंने "हिन्द महासागर क्षेत्र के सभी देशों के इस बात का महत्व बताते हुए जोर दिया था कि वह बिदेशी सैनिक अड्डों और बड़े देशों की स्पर्धा और तनाव से मुक्त हो; उन्होंने सभी सबंध देशों से कहा कि वे इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताओं के लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति में अपनी जोरदार कोशिश करें।" उन्होंने "इस मामले में होने वाली घटनाओं के बारे में निकट सम्पर्क रखने पर सहमति भी की।"

**भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये अर्जित की गई भूमि**

3176. **श्री कीर्तिराज सिंह चौधरी : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयन्त्र के लिए कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है;

(ख) परियोजना के पास कितना क्षेत्र है और कितनी भुमि पर अन्य लोगों का अवैध कब्जा है; और

(ग) अभी तक उक्त संयंत्र की कुल कितनी भूमि बेकार पड़ी है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़ों का पुनरीक्षण**

**3177. श्री सतपाल कपूर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उचित परिवार बजट पूछताछ पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़ों के पुनरीक्षण पर विचार कर रही है अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) जी हां

(ख) कारखाना, खनन और बागान क्षेत्रों के 60 महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों (सूची, संलग्न है) में, 1971 में एक नया श्रमजीवी वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की नई सीरीज का इस समय परीक्षण संकलन किया जा रहा है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-9172/75]**

**विभिन्न उद्योगों में राज्य स्तर पर न्यूनतम मजूरी प्रणाली**

**3178. श्री शशि भूषण :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले तथा न आने वाले असंगठित श्रमिकों सहित विभिन्न उद्योगों में राज्यस्तर पर न्यूनतम मजूरी प्रणाली क्या है ; और

(ख) न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न अनुसूचित उद्योगों में उद्योगवार कितने कितने कर्मचारियों को रोजगार प्राप्त है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) :** (क) न्युनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित/संशोधित की गई न्यूतनम मजदूरी दरों के बारे में उपलब्ध सूचना भारतीय श्रम सांख्यिकी, 1974 मे प्रकाशित की जा चुकी है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में भेज दी गई है।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र के बारे में उपलब्ध सूचना दी गई है।

**विवरण**

**न्यूनयम मजदूरी अधिनियम में अनुसूचित रोजगारों जो केवल केन्द्रिय क्षेत्राधिकार में आते हैं, में 1972 के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या**

| रोजगार का नाम | श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या |
|---|---|
| 1. एस्बेस्टस खानें | 2,054 |
| 2. बराइटस खानें | 1,298 |
| 3. बाक्साईट खानें | 5,059 |
| 4. चीनी मिट्टी, मिट्टी और श्वेत मिट्टी की खानें | 8,397 |

| रोजगार का नाम | श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या |
|---|---|
| 5. तांबे की खानें | 8,354 |
| 6. जिप्सम खानें | 4,005 |
| 7. काइअनाइट खानें | 2,173 |
| 8. मैंगनीज की खानें | 29,342 |
| 9. अभ्रक खानें | 12,094 |
| 10. मैगनेसाइट खानें | 6,853 |
| 11. पत्थर की खानें | 10,000 |
| 12. अग्नि मृत्तिका खानें | 3,460 |
| 13. स्टीअटाइट खानें, जिनमें सेलखड़ी और फेनकश्म शामिल हैं | 4,021 |
| 14. ओकर खानें | 847 |

**हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा ठेके पर तथा नैमित्तिक श्रमिकों का नियुक्त किया जाना**

**3179. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में अपनी सभी फर्मों के लिए ठेके पर और नैमित्तिक श्रमिक भर्ती करने की व्यापक पद्धति है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने इस पद्धति के आधार पर ही रोजगार के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) से (ग) यह मामला अनिवार्यतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए ठेका/नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति के बारे में शिकायतें, यदि कोई हों तो, सम्बन्धित राज्य सरकार को भेजी जा सकती हैं ।

**बीस ग्रामों के एक एकक के लिए डाक्टर/औषधालय/प्रसूति गृह**

**3180. श्री सरजू पांडे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 20 ग्रामों के प्रत्येक एकक के लिए इस समय कितने डाक्टर हैं ; और

(ख) देश में 20 ग्रामों के प्रत्येक एकक के लिए कितने औषधालय और प्रसूति गृह हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) और (ख) देहातों में इलाज की सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा दी जा रही है बीस ग्रामों के एक एकक के आधार पर नहीं। ये केन्द्र सामुदायिक विकास खण्डों के मुख्यालयों में खोले जाते हैं।

इस समय 5287 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 33,608 उपकेन्द्र काम कर रहे हैं जो 5.76 लाख देहातों को इलाज की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और इसके साथ-साथ प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा की जाने वाली सेवाओं में देहातों में स्थित औषधालय भी मदद करते हैं। इस समय देहातों में लगभग 1,38,000 डाक्टर काम कर रहे है और इनमें से 5351 डाक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम कर रहे हैं।

**Supply of Iron/Steel to Saharanpur Firms**

**3181. Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the number of firms in Saharanpur District in Uttar Pradesh to which iron steel is supplied at controlled rate ;

(b) the names of these firms and persons; and

(c) whether arrangements have been made to sell the goods produced by these firms at controlled rate ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad)**: (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**खानों में ठेका श्रमिक प्रणाली का समाप्त किया जाना**

**3182. श्री नूरुल हुडा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मजदूर संघ संगठन खानों में प्रचलित ठेका श्रमिक प्रणाली के समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं ;

(ख) ऐसी मांगों के प्रति मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सीधे नियंत्रण में जो खानें हैं उनमें प्रचलित इस घृणित तथा पुरानी प्रणाली को समाप्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की खानों में इस प्रणाली को कब तक समाप्त करने का प्रस्ताव है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) जी, हां। कुछ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संगठन, समय-समय पर केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड की बैठकों में खान में प्रचलित ठेका श्रम पद्धति के उन्मूलन की मांगें उठाते रहे हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड की 17 सितम्बर, 1974 को नई दिल्ली में हुई तीसरी बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने देश में सभी कोयला खानों में पांच प्रकार के कामों में ठेका श्रम के उन्मूलन के लिए अधिसूचना जारी की है। कुछ गैर-कोयला खानों में ठेका श्रम पद्धति के उन्मूलन का प्रश्न सलाहकार बोर्ड के विचाराधीन है।

## नये मंगलौर पत्तन को गहरा करना

**3183. श्री के० मालन्ना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये मंगलौर पत्तन को 10.5 मीटर तक और अधिक गहरा करने का कार्य कुद्रेमुख लौह अयस्क के जहाजों में लदान करने के बारे में भारत और ईरान के बीच समझौता होने पर निर्भर है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय जहाज मालिक परिषद ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि क्रेनों और रेल-लाइनों जैसी मूलभुत सुविधाएं भी पत्तन के लिए तैयार नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चार क्रेनों की सेवाओं की 1975 के मध्य तक प्राप्त होने की सम्भावना है। वार्फ और ट्रांसिट शेड पहले ही ब्राडगेज रेल द्वारा मंगलोर पत्तन से जुड़े हुए हैं। हसन-मंगलौर रेलवे लाईन 1976 के अन्त तक पूरा होने का कार्यक्रम है ।

## लघु इस्पात संयंत्र

**3184. श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने लघु इस्पात संयन्त्र काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता कितनी हैं और गत दो वर्ष के दौरान उनका वास्तविक उत्पादन कितना रहा ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इन संयंत्रों की सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, जिससे उक्त संयंत्र अधिकतम उत्पादन कर सकें ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) पता चला है कि 59 विद्युत भट्टियां जिनको औद्योगिक लाइसेन्स देने की उदार नीति के अन्तगत लाइसेन्स दिए गए थे/पंजीकृत किया गया था, जिनका मुख्य कार्य साधारण इस्पात पिण्ड/बिलेट का उत्पादन करना था और जिनकी कुल वार्षिक क्षमता लगभग 16 लाख टन थी, उत्पादन कर रही हैं। यह भी पता चला है कि पिछले दो वर्षों से सभी विद्युत भट्टियों (ऐसी भट्टियां भी शामिल हैं जिनको मिश्रित तथा विशेष इस्पात और ढली वस्तु के उत्पादन के लिए लाइसेन्स दिए गए थे) का तरल धातु का कुल उत्पादन इस प्रकार है :—

| वर्ष | तरल धातु का उत्पादन (लाख टन) | |
|---|---|---|
| 1972–73 . . . . | 10.4 | मिश्रित इस्पात और ढली |
| 1973–74 . . . .. | 7.9 | वस्तुएं भी शामिल हैं । |

(ख) और (ग) इस्पात बनाने वाली विद्युत चाप भट्टियों के लिए बिजली की कमी के बारे में समाचार मिले हैं। राज्य विद्युत बोर्डों तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों को आशा है कि बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार होने से वे इन भट्टियों को अधिक बिजली दे सकेंगे।

**Payment to Bidi Workers in Jabalpur Division**

3185. **ShriH ukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Messrs. Mohanlal Hargovind Das, Chhota Bhai Jetha Bhai Patel, Anwan Khan Mahboob Khan, Gulam Bhai & Company and other leading bidi companies in Jabalpur Division are neither complying with the provisions of Bidi and Cigar Workers Act to the benefit of lakhs of bidi workers and nor these workers are being paid increased wages in accordance with the provisions of the said Act since the passing of the Bidi and Cigar Workers Act by the Central Government

(b) whether quantum of the raw materils being given to the bidi workers by the said companies are not given to them in full by the intermediary contractors ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Varma) :** (a) and (b) The metter falls in the State's sphere. The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

**देशभर में बिजली कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण**

3186. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला और सीमेंट उद्योगों में किए गए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार देश भर के साढ़े छः लाख बिजली कर्मचारियों के वेतन संशोधन के प्रश्न का शीघ्र समाधान करने की मांग के समर्थन में तमिलनाडु के 50,000 से ज्यादा बिजली कर्मचारियों ने 14 फरवरी, 1975 को राज्य भर में मजदूर संघ अधिकार दिवस के रूप में मनाया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या राय है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

**भारत और पोलैण्ड के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत**

3187. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 15 फरवरी, 1975 को भारत और पोलेण्ड के रक्षा मंत्रियों के बीच एशियाई सामूहिक सुरक्षा योजना के बारे में भी कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियारों की सप्लाई पर रोक को समाप्त करने के बारे में भी कोई बातचीत हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत का सारांश क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग) पोलेण्ड के रक्षा मंत्री ने एक सद्भाव यात्रा की थी। दोनों मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श आपसी हित की बातों पर हुआ जिनमें एशिया में तनाव को समाप्त करना और शान्ति सुदृढ़ करना सम्मिलित है।

**शाहदरा से आगे विवेक बिहार और उससे लगी हुई कालोनियों के लिए परिवहन सुविधायें**

**3188. श्री मधु लिमये :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अभी हाल में शुरू किए गए छह तीव्रगामी बस मार्गों (नं० 221, 210, 310, 320, 330 और 350) से शाहदरा से आगे रहने वाली यमुना पार की एक तिहाई जनसंख्या को कोई राहत नहीं मिली है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बस मार्गों में से तीन बस मार्ग एक ही स्थान (शाहदरा) से शुरू किए गए हैं और इन सेवाओं में से 2 से 3 सेवाएं मार्ग में अन्य स्थानों को भी परिवहन सुविधा उपलब्ध करती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विवेक बिहार से शुरू किए गए एकमात्र एक्सप्रेस रूट नं० 311 एक्स पर 50 मिनट के अन्तर से बस उपलब्ध होती है, जबकि दिल्ली में अन्य स्थानों से उसी समय प्रारम्भ किए गए अन्य सभी रुटों पर 18–24 मिनट के अन्तर से बसें उपलब्ध होती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो, ऐसा क्यों हैं और शाहदरा से आगे विवेक बिहार और उससे लगी अन्य कालोनियों की जनता को परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) मार्ग नं० 210 जमुनापार क्षेत्र से और को नहीं चलाया जाता । अन्य पांच मार्गों पर, जैसा कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, बस सेवाओं से उस क्षेत्र की परिवहन समस्या को हल करने में काफी हद तक सहायता मिली है ।

(ख) और (ग) जी, हां ।

(घ) विवेक बिहार और पास की बस्तियों के निवासियों के लिए, दिल्ली गेट को विवेक बिहार से पोषक रुट नं० 311 पर नयी बस सेवाएं शुरु करने के अतिरिक्त दिल्ली परिवहन निगम पुराने मार्गों पर 11-ए तथा 11-एच की बस सेवाओं का परिचालन जारी रखे हुए हैं । प्रारम्भ में यह सेवा विवेक बिहार से इन्द्रप्रस्थ टर्मिनल तक ही थी परन्तु बाद में इसका दिल्ली गेट तक विस्तार कर दिया गया । रुट नं० 11-एच पर बस सेवाओं की 40 मिनट की बारम्बारता को बढ़ाकर 24 मिनट की कर दिया गया है ।

**मैसूर के कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में स्वर्ण के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा जांच**

**3189. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के कोलार स्वर्ण क्षेत्र में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, समेकित सर्वेक्षण और खुदाई द्वारा स्वर्ण की खोज के लिए कोई जांच-पड़ताल कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) जी, हां।

(ख) ग्रेफाइट सल्फाइड क्षेत्र में किये गये एक सुराख से 1.5 मीटर की चौड़ाई में 20.2 ग्राम/टन चांदी से भरपूर एक पट्टी का पता चला है। पश्चिमी क्वार्टजाइट परिधि में 0.5 से 1 मीटर की चौड़ाई में 0.8 से 4.2 ग्राम/टन स्वर्ण खनिज से भरपूर पट्टी का पता चला है। मैसूर खान के मैक्टागर्टस सीधे साफ्ट क्षेत्र में सुराखों से 250 मीटर लम्बी तथा 60--70 मीटर सीधी गहरी स्वर्ण-खनिज पट्टी का संकेत मिलता है। सुराखों से प्रदर्शित स्वर्ण मात्रा एक मीटर से 2 मीटर तक की चौडाई में 0.8 ग्राम/टन से 5.0 ग्राम/टन के बीच होने का अनुमान है। एक सुराख से तो 2.25 मीटर की चौड़ाई में अधिक ऊंचे मान की स्वर्ण मात्रा अर्थात 108.12 ग्राम/टन वाले निक्षेप का पता चला है।

## भारत और बंगला देश के बीच पारपत्र/प्रवेश पत्र

3190. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 और 1974 में भारत सरकार ने भारत और बंगला देश के बीच यात्रा के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रजनों को कितने पारपत्र और बंगला देश के राष्ट्रजनों को कितने प्रवेश पत्र जारी किए ;

(ख) इसी अवधि में भारत सरकार ने इन्हीं दो मदों के अन्तर्गत कितने प्रार्थनापत्र अस्वीकार किए ;

(ग) भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए हमारे देश के पूर्वी प्रदेश में कितने पारपत्र और प्रवेश पत्र कार्यालय खोले हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(घ) क्या भारत और बंगला देश के बीच यात्रा के लिए सीमा परमिट व्यवस्था लागू है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) क्या भारत सरकार दोनों देशों के नागरिकों की एक दूसरे देश की यात्रा हेतु विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए बंगलादेश सरकार के साथ आवश्यक बातचीत करेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) जारी किए गए भारत बंगला देश पारपत्रों की संख्या 1972 में 9784, 1973 में 40,092 और 1974 में 39,988 थी। जारी किए गए वीजा के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ;

(ग) पूर्वी क्षेत्र में, सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों एवं असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्य के जिला मजिस्ट्रेटों तथा उप-आयुक्तों को भारत-बंगलादेश पारपत्र जारी करने का अधिकार दे दिया गया है। क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी कलकत्ता को भी, जिन लोगों के पास सामान्य भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र है उन्हें बंगलादेश के लिए पृष्ठांकन कर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारत सरकार को, दोनों देशों के बीच यात्रा सुविधा से सम्बन्धित किन्हीं गम्भीर कठिनाइयों की कोई जानकारी नहीं है जिनके बारे में बंगला देश से बातचीत करने की आवश्यकता हो।

## औषधियों में अपमिश्रण

**3191. डा० सरदीश राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों में अपमिश्रण को रोकने हेतु औषधियों के निरीक्षण के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या अनेक राज्यों में औषधियों की जांच करने के लिए कोई परिक्षण शाला नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई औषधि नियंत्रण समिति की सिफारिशों के अनुसार गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में औषध निरीक्षकों की सेवाएं पूर्ण रूप से मौजूद हैं। अन्य राज्यों में दवाइयां तैयार करने वाली यूनिटों और उनकी बिक्री के स्थलों का निरीक्षण करने के लिए औषधि निरीक्षकों की अपेक्षित संख्या नहीं है।

(ख) राज्यों में 19 प्रयोगशालाएं हैं जिन में तीन वे प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में कार्य करती हैं।

(ग) अप्रैल, 1974 में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की पिछली बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने राज्यों के औषध नियंत्रण प्रशासन के महत्व और कार्यप्रणाली को कड़ा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। औषध नियंत्रण प्रशासन को प्रभावकारी ढंग से चलाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं और केन्द्र किस हद तक सहायता दे सकता है इसका वर्णन भी इस पत्र में किया गया है।

जहां तक केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का सम्बन्ध है केन्द्रीय और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क रखने के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गाजियाबाद में जीनल कार्यालय खोले गए हैं। केन्द्र के औषधि निरीक्षक राज्य औषधि निरीक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं और वे जोनल अधिकारियों की मदद करते हैं। औषध मानक नियंत्रण को कड़े रूप से लागू करने के लिए केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के तत्वावधान में औषध निरीक्षकों और सरकारी विश्लेषकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबन्ध किया गया है।

आठ राज्यों को खाद्य और औषध की संयुक्त प्रयोगशालायें खोलने के लिए तथा जिन 12 राज्यों में परीक्षण प्रयोगशालाएं पहले से ही मौजूद हैं उनके यहां परीक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार का वित्तीय सहायता देने का विचार है।

## स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कर्मशाला

**3192. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में नई दिल्ली में स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी छः दिवसीय कर्मशाला (वर्कशाप) आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी, हां।

(ख) इसके लक्ष्य थे :—

(1) देश में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों के विकास और इन कार्यालयों के विभिन्न कार्यों विशेषकर प्रशिक्षण की संवीक्षा करना।

(2) बहुधंधी कार्यकर्ता योजना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले स्वास्थ्य और सम्बन्धित कार्मिकों को स्वास्थ्य शिक्षा में सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता का पता लगाना।

(3) स्वास्थ्य और संबंधित कार्मिको को स्वास्थ्य शिक्षा में सेवाकालीन प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना और उनके सम्भव समाधानों को सुझाना।

(4) प्रशिक्षण पद्धति विशेषकर सेवाकालीन प्रशिक्षण पर विचार-विमर्श करना।

(5) स्वास्थ्य और सम्बन्धित कार्मिको के लिए स्वास्थ्य शिक्षा में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्षेत्रीय अध्ययन और प्रदर्शन केन्द्रों का वहां तक उपयोग किया जा सकता है इसकी जांच करना।

12 राज्यों और 3 केन्द्रशासित क्षेत्रों से चौबीस व्यक्तियों ने इस वर्कशाप में भाग लिया। वर्कशाप की अवधि में इन व्यक्तियों ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में हुए स्वास्थ्य शिक्षा के विकास को संवक्षि। को जिसमें उन्होंने बहुधंधी कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षण देने सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा बहुधंधी कार्यकर्ता योजना में केन्द्रीय और राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया।

### सामान के निर्यात के लिए विशाखापत्तनम पत्तन पर जहाजों की उपलब्धता

3193. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान के निर्यात के लिए विशाखापत्तनम पत्तन पर जहाज उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 1974 के दौरान, विशाखापत्तनम पत्तन से बड़े-बड़े समुद्र पार गन्तव्य स्थानों के लिए 16 नौचालनों की व्यवस्था की गई। परन्तु पोतवपिकों ने अधिक नौचालन के लिये कुछ अभ्यावेदन किये हैं। नौवपिकों को यह सलाह दी जा रही है कि वे नौवहन सम्मेलनों को आवधिक आधार पर वास्तविक अग्रिम माल प्रक्षेपण भेजें, ताकि वे प्रायोजित माल नौचालन के लिए अपनी योजना बना सकें।

### भारत और बंगलादेश के बीच समुद्री सीमा सम्बन्धी तकनीकी विशेषज्ञों के निष्कर्ष

3194. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के अधिकारियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा के प्रश्न के सबन्ध में अपने तकनीकी विशेषज्ञों के निष्कर्षों की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर किए गए निर्णय के बारे में तथ्य क्या हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीबिपिन पालदास)** : (क) और (ख) जल सीमा के परिसीमन के प्रश्न पर दोनों सरकारों में विचार-विमर्श हो रहा है। उन सभी कारणों को जिनका इस विषय से कुछ ताल्लुक है, ध्यान में रखा जाता है।

## रूसी रक्षा दल का भारत का दौरा

3195. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुस के रक्षा मंत्री, मार्शल ग्रेचको, ने 24 फरवरी, 1975 से पांच दिन तक के लिए भारत का दौरा किया ;

(ख) यदि हा, तो उनके दौरे का मुख्य प्रयोजन क्या था ; और

(ग) उनके साथ हुई वार्ता का सार क्या है ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) रूस के रक्षा मंत्री ने 24 से 27 फरवरी, 1975 तक भारत का एक सरकारी मैत्रीपूर्ण दौरा किया।

(ख) और (ग) उनके साथ आपसी हित के मामलों पर सामान्य विचार-विमर्श हुआ। इस बातचीत का सार 27 फरवरी, 1975 को जारी की गई विज्ञप्ति में दिया गया है। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और रूस दोनों के बीच मित्रता का समर्थन किया और घोषणा की कि यह मित्रता किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं है। रूसी पक्ष ने उपमहाद्वीप के देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए भारत की पहल करने में सहायक होने की इच्छा व्यक्त की। तथापि, हथियारों की दोड़ बढ़ाने की प्रवृत्ति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई।

## संतति निरोध कार्यक्रम

3196. **श्री एच० एन० मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संतति निरोध कार्यक्रमों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों के प्रभाव के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विश्लेषण से किस बात का संकेत मिलता है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कुल जितना खर्च हुआ, वह इस प्रकार है :--

| वर्ष | खर्च हुई कुल राशि (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| 1971-72 . . . . | 6175.56<br>(34.14)* |
| 1972-73 . . . | 7974.30<br>(62.66)* |
| 1973-74 . . | 5784.59 (अनन्तिम)<br>(64.26)* (अनन्तिम) |

*ऊपर के आंकड़ों में वह राशि भी शामिल है जो प्रसूति और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर खर्च हुई। उ से सम्बन्धित वर्षों के सामने कोष्टकों में दिखाया गया है।

(ख) जी, हां। परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन क्रमागत आधार पर किया जाता है।

(ग) विश्लेषण से पता चलता है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्य के परिणामस्वरूप परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों द्वारा प्रजननशील आयु वर्ग के 15 प्रतिशत दम्पतियों को सुरक्षित किया गया और राष्ट्रीय जन्म दर 1961 में 41.7 प्रति हजार जनसंख्या के स्तर से घट कर 1973-74 में 35.4 प्रति हजार हो जाने का अनुमान है।

### अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए नौकरी पर लिये जाने का कोटा

3197. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित नौकरी पर लिये जाने के कोटे को यदि किसी वर्ष में पूरा न किया गया हो तो शेष कोटे को अगले वर्ष के लिए रखा जायेगा और यह तीन वर्ष तक लागू रहेगा ;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सरकार ने इसे रद्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

### Increase in Blood Pressure Patients

3199. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the number of the patients of blood pressure is considerably increasing in India; and

(b) if so, the increase in the number in 1972-73 and the preventive measures taken therefor ?

**The Deputy Ministerin the Ministery of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque)** : (a) & (b) No authentic data is available to indicate the progressive increase of the number of blood pressure patients in India. However, due to better diagnostic facilities available now, larger number of these patients are being referred to the hospitals and are also being seen by the general practitioners.

### पोलैण्ड के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा

3200. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड के रक्षा मंत्री ने फरवरी, 1975 में हमारे देश की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई और क्या निर्णय किये गये ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) पोलैण्ड गणतन्त्र के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री की यात्रा रक्षा मंत्री द्वारा निमन्त्रण के उत्तर में एक सद्भाव यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान आपसी हित के विषयों पर विचारों का सामान्य आदान-प्रदान हुआ।

## श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

**3201. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति हाल में नई दिल्ली में आयें थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) और (ख) श्री लंका के राष्ट्रपति नेपाल नरेश के राज्याभिषेक के अवसर पर काठमांडू जाते समय और वहां से लौटते समय भी थोड़ी देर के लिए नई दिल्ली में रुके थे। यह एक मित्र देश के राज्याध्यक्ष की सदभावना यात्रा थी।

## भारत के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के बारे में चीन के उप-प्रधान मंत्री का वक्तव्य

**3202. श्री बी० एन० रेड्डी :**
**श्री नारायण चन्द पराशर :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 फरवरी 1975 को चीन के उप-प्रधान मंत्री द्वारा जारी किये गये इस प्रैस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि भारत सरकार दोनों देशों के बीच सम्बन्धों का सामान्य बनाने के लिये पहल करे तो उनकी सरकार अनुकूल दृष्टिकोण अपनायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है तो क्या वह क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के प्रति चीन के रवैये के संदर्भ में चीन के उप-प्रधान मंत्री ने कलकत्ते में जो वक्तव्य दिया था उसकी ओर सरकार ने यथोचित ध्यान दिया है।

## विकास के लिए केरल नौवहन निगम को वित्तीय सहायता

**3203. श्री वयालार रवि : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नये जहाज प्राप्त करके केरल नौवहन निगम के विकास हेतु कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और क्या उस राज्य ने इस प्रयोजन के लिये कोई वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) केरल राज्य सरकार ने भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में रजिस्टर्ड एक कम्पनी की स्थापना की है। कम्पनी जहाज प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है, परन्तु किसी जहाज की अधिप्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि और जब भी

किसी जहाज की खरीद और उसकी शर्तों का प्रस्ताव प्राप्त होगा, तभी केन्द्रीय सरकार उस पर उसी तरह विचार करेगी, जैसा कि भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किसी अन्य भारतीय कम्पनी से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार किया जाता है ।

(ख) और (ग) · प्रश्न नहीं उठता ।

### कोचीन शिपयार्ड के कार्यों पर प्रभाव

3204. **श्री वयालार रवि : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेके पर काम करने वाली एक फर्म द्वारा तालाबन्दी घोषित किये जाने के कारण कोचीन शिपयार्ड के कार्यों की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) जी, हां। संविदागत फर्म द्वारा 31-1-1975 से 19 दिनों के लिए तालाबन्दी घोषित किये जाने से गोदियों एवं की घाटों के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(ख) और (ग) तालाबन्दी से ठीक पहले, संविदागत फर्म ने निर्माण गोदी में प्रतिदिन 15 आर० सी० सी० पाये धंसाने के कार्य का स्तर लगभग प्राप्त कर लिया था जो 16 लाख रूपए (निकटतम) का साप्ताहिक सकल उत्पादन प्रकट करता है । कार्य के रूक जाने से गति मन्द पड़ने के कारण कार्य का यह स्तर अभी प्राप्त किया जाना है । संविदागत फर्म से अनुरोध किया गया है कि वह खोये हुए समय को पूरा करने के लिए तथा अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अपने प्रयत्नों में वृद्धि करे। तालाबन्दी के दौरान कोचीन शिपयार्ड के प्रबन्ध ने विवाद को मैत्रीपूर्ण हल्ला करने के लिए दोनों पक्षों से बार-बार अपील की । राज्यश्रम आयोग द्वारा किये समझौते की कार्यवाही के फलस्वरुप संविदागत फर्म और कर्मचारी संघ के बीच एक समझौता हुआ जो 31-12-1976 तक वैध रहेगा । शिपयार्ड भविष्य में ऐसी घटना की आवृत्ति से बचने के लिए स्थिति पर सतत नजर रखे हुए हैं ।

### नई दिल्ली के साउथ मोतीबाग मार्केट के पास स्कूटर स्टैंड

3205. **मौलाना इसहाक सम्भली : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के साउथ मोती बाग मार्केट के समीप कोई स्कूटर स्टैंड नहीं है जिससे उस क्षेत्र, आनन्द निकेतन और शांतिनिकेतन के निवासियों की आवश्यकता पूरी होती ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के निवासियों को स्कूटर स्टैंड न होने से अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन का विचार साउथ मोतीबाग मार्केट के समीप एक स्कूटर स्टैंड बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है, जिससे वहां के निवासियों को अपेक्षित राहत मिल सके ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) और (ख) साउथ मोतीबाग मार्केट के पास कोई अधिकृत स्कूटर स्टैंड नहीं है, परन्तु शान्ति पथ अन्तखंड के निकट रिंग रोड बस स्टाप पर खड़े और चलते हुए स्कूटरों को देखा गया है। ये स्कूटर इन दो क्षेत्रों के निवासियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते होंगे ।

(ग) दिल्ली में, स्कूटर स्टैंड, निजी पार्टियां चलाती है। इस समय दिल्ली प्रशासन के पास साउथ मोतीबाग मार्केट क्षेत्र में स्कूटर स्टैंड चलाने की अनुमति के लिए कोई आवेदन पत्र अनिर्णीत नहीं पड़े हुये हैं, परन्तु स्कूटरों के लिए गाड़ि ठहराने के स्थानों का विकास, समाज सदन और आनन्द निकेतन तथा शान्ति निकेतन के शॉपिंग केन्द्रों में उन अधिकरणों द्वारा किया जा रहा है, जो इस भूमि के स्वामी है ।

## समुद्र सम्बन्धी कानूनों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलन

3206. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1975 में जनवा में समुद्र संबंधी कानूनों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्मेलन में भाग लेने का है ; और

(ग) हमारे प्रतिनिधि मंडल द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाया जायेगा ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) :** (क) जी हां, । तीसरे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन जेनेवा में 17 मार्च से 10 मई 1975 तक होना तै हुआ है।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का रवैया नीचे लिखे अनुसार होगा :—

(1) प्रादेशिक समुद्र में 12 मील की सीमा का समर्थन करेगा ।

(2) वह ऐसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा का समर्थन करेगा जो तट से अथवा समुचित आधार रेखा से 200 मील तक विस्तीर्ण होगा और जिसमें सम्बन्ध तटवर्ती राज्य को समुद्र के सजीव और निर्जिव संसाधनों पर प्रभुसत्तात्मक अधिकार प्राप्त होगा और जो जल-दूषणपर निरोध और नियंत्रण की दृष्टि से तथा जलीय वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए उसके एकान्तिक क्षेत्राधिकार में होगा ।

(3) वह इस मत का समर्थन करेगा कि तटवर्ती राज्य का महाद्वीपीय शेल्फ महासागर द्रोणी या अगाध तल को छूती हुई महाद्वीपीय सीमा के छोर तक विस्तिर्ण हो ।

(4) वह इस मत का समर्थन करेगा कि द्वीप समूहों का शासन तटवर्ती राज्य के दूर स्थित द्वीपसमूहों पर भी लागू होना चाहिए ।

(5) यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्र-तेल क्षेत्र के संसाधनों का अन्वेषण और उपयोग करन के लिए एक सुदृढ अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना का समर्थन करेगा ।

## नकली और घटिया औषधियों के बारे में गोष्ठी

3207. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया :** क्या स्वास्थ्य और परिवहन नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1975 में नई दिल्ली में नकली और घटिया औषधियों के बारे में गोष्ठी का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में व्यक्त किये गये विचारों की मोटी बातें क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) जी हां। जनवरी, 1975 में भारतीय उपभोक्ता परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया था ।

(ख) भारतीय उपभोक्ता परिषद द्वारा आयोजित गोष्ठी में दिए गए भाषणों और परिचर्चाओं में जो जो विचार व्यक्त किए गए उनसे संबंधित मोटी-मोटी बातों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ?

### विवरण

### गोष्ठी में दिए गए भाषणों और परिचर्चाओं के आधार पर तैयार किया गया विवरण

1. नकली और घटिया दवाइयों के बढ़ते हुए खतरे के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक कारण दवाइयों की कमी होना भी है और जिन प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप यह स्थिति पैदा हुई है उसे दुर किया जाए । सरकार को चाहिए कि वह एक उत्पादन प्रधान नीति की शुरुआत करे। अधिकतम मात्रा में उत्पादन किए जाए, अधिकतम उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जाए और इस उद्योग को इतना विस्तार किया जाए जिसमें मांग और पूर्ति के बढ़ती हुई खाई को पाटा जा सके ।

2. दवाइयों की गुणता (क्वालीटी) का नियंत्रण करने के उपायों को इस प्रकार सख्त बनाया जाए जिसमें दोषी व्यक्तिओं को कड़ा दण्ड देने की पूरी-पूरी व्यवस्था हो। परिक्षण सुविधाओं में काफी वृद्धि की जाए ।

3. सरकार को चाहिए कि औषधि निर्माण करने वाले ऐसे यूनिटों के जो अस्तित्व में न हो, लाइसेंस रद्द कर दे और जब तक ये लाइसेंस रद्द न किए जाएं तब तक उनको भी दी जा रही कच्चे माल की सप्लाई बंद कर दे और 'कोटा' और परमीटों का दुरूपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमें भी दायर कर दे।

4. नकली या घटिया किस्म को दवाइयां बनाने वाले पंजीकृत यूनिटों का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाय और उनका नाम "काली सूची" में लिख दिया जाय तथा उन्हें अनुकरणीय दण्ड दिया जाए ।

5. निर्माता द्वारा अनुशासन का ध्यान रखना औषधि के गुण-किस्म को बनाये रखने का एक सर्वोत्तम और अत्यधिक व्यवहारिक तरीका है। गुण सम्बन्धी मुख्य दायित्व निर्माता पर होना चाहिए। सरकार के नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय और सार्वजनिक दबाव मात्र पूरक उपाय के रूप में हो सकते

है। सभी लोग जो इस व्यवसाय में लगे हुए हो उन्हें दवाइयों को गुणकारिता बनाये रखने के लिए नतिक रूप से प्रतिबंध रखना चाहिए। दवाइयों को गुणकारिता बनाये रखने की बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों का सहयोग अत्यावश्यक है।

6. जांच को सुविधाओं और प्रतिशत कार्मिकों का अभाव भी एक प्रमुख समस्या है। इस सम्बन्ध में हमें अपनी टेक्नालाजी के स्तर में सुधार करन की आवश्यकता है।

7. नकली दवाईयों को समस्या एक औषधि नियंत्रण की समस्या नहीं है अपितु यह एक कानूनी और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या है। औषधि निरीक्षक इसे पुलिस सहायता के बिना अकेला नहीं संभाल सकता है। भारत में किसी भी मामले में 10 वर्ष से अधिक कठोर कारावास की सजा नहीं दी गई जब कि बंगला देश में हाल ही में नकली दवाई बनाने वाले को न्यायालय द्वारा चौदह वर्ष के कठोर कारावास को सजा दी गई थी।

8. नकली और घटिया औषधियों के अभिशाप को रोकने में फार्मासिस्ट को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। अनधिकृत स्रोतों अथवा बिना लाईसेंस वाले निर्माताओं या व्यापारियों से दवाईयां न खरीदकर और प्रतिष्ठित निर्माताओं की अपेक्षा कम दामों पर तैयार माल को बेचनेवाली पार्टियों के बारे में सही जानकारी लेकर ये फार्मसिस्ट मिलावटी और घटिया किस्म की दवाइयों के अभिशाप को रोकने में मदद कर सकते हैं।

**Functioning of Coal Washeries**

**3208. Shri Martand Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Coal Washeries are not functioning to their capacities; and

(b) if so, the reasons therefor and the measures taken by Government to remove the bottlenecks?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad)** : (a) Although the Coal Washeries of Hindustan Steel Ltd. at Dugda, Bhojudih, Patherdih and Durgapur are presently not working to their rated capacity, their over-all performance has shown considerable improvement during the current financial year.

(b) Non-achievement of rated capacity production has been due to a number of factors like inadequate availability of suitable types of raw coal, intermittent power interruptions, dislocation of rail transport during the months of April and May, 1974, non-availability of adequate spares in time and lack of certain balancing facilities.

Close liaison is being maintained with the appropriate agencies for the supply of coal wagons and power. The power position has improved considerably. Certain balancing facilities are already under installation.

**हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये कैंटिनों की स्थापना का अनुरोध**

**3209. श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिये कैंटीनों स्थापित करने हेतु हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा और कैंटीनें कब तक स्थापित की जायेंगी ?

**रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) :** (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) अनुरोध को नहीं माना गया क्योंकि सी० एस० डी० (इण्डिया) स्टोर को प्रचुर मात्रा में बिक्री केवल यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों को ही प्राधिकृत की जाती है । खुदरा बिक्री वाली कैंटीन रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र सेना यूनिटों के अधीन केवल नियमित प्रतिस्थापनाओं द्वारा ही चलाई जा सकती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

### वनी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में कैंटीन का पुनः खोला जाना

3210. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में वनी में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही कैंटिन इस बीच बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह कैंटिन कब से खोले जाने की सम्भावना है ?

**रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) :** (क) वनी अथवा किसी अन्य स्थान पर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कोई सरकारी कैंटिन नहीं चलायी जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

### भारत में विदेशी दूतावासों के कर्मचारियों की गुप्त गतिविधियां

3211. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशी दूतावासों के कुछ कर्मचारी गुप्त गतिविधियों में लगे हैं और वे मित्रता के परिधान में सांस्कृतिक तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश कर रहे हैं।

(ख) क्या विदेशों में भी भारत से मित्रता के बारे में ऐसे ही मैत्री-संगठन हैं जैसे कि भारत में हैं ; और

(ग) क्या ये दूतावास भारत सरकार की अनुमति से भारतीय समाचार-पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन दे रहें हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) :** (क) और (ख) सरकार अवश्य ही उन गतिविधियों के बारे में सूचना रखती है जो सामान्य वैध राजनयिक कार्यों के अन्तर्गत नहीं आती । जहां तक मैत्री संस्थाओं का सम्बन्ध है, वे सामान्यतः देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदि द्वारा समझ-बूझ बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है और विदेशों में कुछ ऐसी मैत्री संस्थाएं भी है जो भारत और सम्बद्ध देश के बीच इस उद्देश्य से कार्य करती हैं ।

(ग) विदेशी राजदूतावास भारतीय समाचारपत्रों को अखबारी खबर और विशिष्ट लेख भेजते हैं और उनमें विज्ञापन भी देते हैं। राजनयिक संबंधों पर वियाना कन्वेंशन 1961 के के अन्तर्गत विदेशी राजनयिक मिशन को प्राप्तकर्ता राज्य में विद्यमान सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति है ताकि वह अपने वैध कार्य कर सकें—जैसे मैत्री संबंध विकसित करना और आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक संबंधों को बढ़ाना ।

## बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लौह अयस्क के निक्षेप

3212. **श्री दुना उरांव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में नये लौह-अयस्क निक्षेपों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो ये निक्षेप कहां-कहां पर हैं और उन क्षेत्रों के निक्षेपों में कितना अयस्क होने का अनुमान है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) जी, नहीं । बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में किसी नए निक्षेप का पता नहीं चला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## श्रीलंका में भारतीयों के साथ किया गया व्यवहार

3214. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलभाषी भारतीयों के साथ श्रीलंका में दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारत तथा श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों के बीच हुए समझौते की उपेक्षा नहीं है; और

(ग) भारतीयों को श्रीलंका में उचित स्थान दिलाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) से (ग) 1964 और 1974 के समझौते में अनुबंध है कि भारतीय मूल के कुल 600,000 व्यक्ति तथा उनकी संततियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जायेगी और उन्हें भारत में प्रत्यावर्तित किया जायेगा और बाकि को श्रीलंका की नागरिकता दी जायगी। सरकार श्रीलंका के प्रधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए बराबर संपर्क बनाए हुए है जिस कि भारतीयों को, जिन्हें अभी भारत में प्रत्यावर्तित होना है, जो भी कठिनाई हो वह दूर की जा सके। जहां तक तामिल मूल के श्री लंका नागरिकों का प्रश्न है श्री लंका की प्रधानमंत्री ने उनका इस बात के लिए आवाहन किया है कि वे जन-जीवन की मुख्य धारा में बराबरी के आधार पर सम्मिलित हों और राष्ट्रनिर्माण में सहभागी बनें ।

**जन्म और मृत्यु के लिये नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों को पंजीकरण फीस का भुगतान**

3216. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के कार्य में वर्ष 1972 लगे नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों को प्रतिमास 10 रुपये की दर पंजीकरण फीस नहीं दी गई है ;

(ख) क्या रजिस्ट्रार/कर्मचारी अपने वेतन के अतिरिक्त प्रतिमास उक्त फीस के अधिकारी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका भुगतान न करने के क्या कारण हैं और सरकार का बकाया धनराशि का भुगतान करवाने तथा उसे नियमित करने के बारे में तुरन्त क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों को 1972 से आगे मानदेय न देने का कारण यह है कि 1972 से पालिका को इस प्रयोजन के लिये कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है । नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि पालिका के नियमित बजट में आवश्यक प्रावधान शामिल करने के प्रश्न को कमेटी के सम्मुख विचारार्थ रखने का विचार है ।

**वर्ष 1972-73 और 1973-74 में विदेशी महानुभावों तथा अन्य अधिकारियों के दौरे**

3217. **श्री राबिन ककोटी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और दिसम्बर, 1974 के अन्त तक कुल कितने विदेशी महानुभावों ने भारत का दौरा किया था और उपरोक्त अवधि में भारत सरकार के निमन्त्रण पर कितने विदेशी अधिकारियों ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए भारत का दौरा किया था ; और

(ख) उल्लिखित प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) और (ख) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**दण्डकारण्य परियोजना में कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की छंटनी**

3218. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कार्य-प्रभारित अनेक कर्मचारियों को तदर्थ नियुक्ति कर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है और 28 फरवरी, 1975 को लगभग 100 अन्य कर्मचारियों की छंटनी होनी है जबकि सब वर्तमान कार्य प्रभारित कर्मचारियों को काफी समय तक काम पर लगाये रखने के लिए पर्याप्त कार्य है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाड़िलकर)** : (क) और (ख) दण्डकारण्य परियोजना के बहुत से फालतू कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की सेवाएं, उनको अन्य पदों में खपाए जाने तक, समय-समय पर जारी रखी गई हैं। उनकी सेवाओं की विगत अवधि 28-2-1975 तक बढ़ाई गई थी। उनको आगे सेवा में बनाए रखने के बारे में निर्णय लिए जाने तक, नियमों के अनुसार उन्हें उनकी सेवाओं की छंटनी के नोटिस दिए गए थे। उनकी सेवाओं को अब और दो महीने अर्थात 30 अप्रैल, 1975 तक बनाए रखने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है।

अगस्त, 1974 से अब तक 37 फालतू कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को श्रेणी (iii) और श्रेणी (iv) के नियमित पदों पर नियुक्त किया जा चुका है। किसी भी कार्य-प्रभारित कर्मचारी को तदर्थ-आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है।

28-2-1975 को स्थिति के अनुसार दण्डकारण्य परियोजना में ऐसे 71 फालतू कर्मचारी थे।

## दण्डकारण्य परियोजना 1965 के सी० सी० एस० (टी०एस०) नियम लागू करना

3219. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना में तदर्थ आधार पर नियुक्त श्रेणी (iii) और श्रेणी (iv) के कर्मचारियों की सेवाएं 1965 के सी० सी० एस० (टी० एस०) नियमों द्वारा नियमित होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको 1975 के सी० सी० एस० (टी० एस०) नियमों तथा अन्य सम्बद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले छंटनी लाभ सहित सभी लाभ दिये जा रहे हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो कौन से विशिष्ट सेवा नियमों के अनुसार दण्डकारण्य परियोजना में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होती हैं ; और

(घ) अन्य विशेष सेवा नियम कौन से है जिनके अन्तर्गत दण्डकारण्य परियोजना में तदर्थ रूप से नियुक्त अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं और उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाड़िलकर)** : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

## भिलाई के लिये रक्षित (कैपटिव) विद्युत परियोजना

3220. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई की विस्तार सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक रक्षित (कैपटिव) विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**'भिलाई टाउनशिप'**

3221. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को "भिलाई टाउनशिप" के प्रबन्ध के लिये स्थानीय प्राधिकरण स्थापित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब प्राप्त हुए थे;

(ग) क्या मामले पर निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर कब निर्णय लिया जायेगा ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

**विदेशों में भारतीयों को रियायशी क्वार्टरों के लिये भूमि का आवंटन**

3222. **श्री एन० ई० होरो** :

**के० मालाना** :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसी देश में रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के लिये भूमि आबंटन सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिन पाल दास)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**कर्नाटक के उत्तर कनारा जिले में लौह अयस्क के निक्षेप**

3223. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य के उत्तर कनारा जिले में लौह अयस्क के कितने निक्षेप हैं ;

(ख) उनमें से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में लौह अयस्क निकाला जाता है ;

(ग) अधिक लौह अयस्क निकालने में क्या बाधायें हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) कर्नाटक के उत्तरी कनारा जिले में फैले कुल लौह अयस्क (हेमेटाइट) भण्डार के लगभग 799.60 लाख टन होने का अनुमान है जिसमें लोहे की मात्रा 55 से 62 प्रतिशत है ।

(ख) इस जिले से 1973 तथा 1974 के दौरान क्रमश: 49,234 टन तथा 42,032 टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ ।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र में भुरथुरा लोह अयस्क है जिसमें छोटे आकार का अयस्क है और यह सामान्यतया निम्न ग्रेड का है। इस क्षेत्र में परिवहन की समस्या है। यह समस्या वर्षा ऋतु में विशेषत: रहती है। अत: सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इस दिशा में कोई विशेष प्रयास किए जायें ।

## नेशनल कैडेट कोर प्रशिक्षण अनिवार्य न करना

3224. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेजों में नेशनल कैडेट कोर प्रशिक्षण अनिवार्य न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरुप विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता में भारी वृद्धि नहीं हुई है ; और

(ग) क्या नेशनल कैडेट कोर प्रशिक्षण फिर से अनिवार्य किया जायेगा ?

**रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक)** : (क) से (ग) अनुभव से यह देखा गया है कि अनिवार्य एन० सी० सी० प्रशिक्षण से केवल यह परिणाम निकला है कि कार्यक्रम के गुण और लोकप्रियता में कमी आई है। सरकार की नीति योजना के स्वाच्छिक स्वरूप और इसकी मात्रा और उपयोगिता को बनाए रखने की है ।

## C. B. I. Investigation of Bogus Drug Firms

3225. **Shri Phoolchand Verma** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether C. B. I. officers came to Indore in October, 1974 for making investigation of bogus drug firms;

(b) whether C. B. I. officers sealed the record of these firms and took with them to Bombay office; and

(c) if so, the action taken in this regard so far and the steps proposed to be taken in future?

**The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque)** : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## रत्नागिरी एल्यूमीनियम परियोजना

3226. **श्री मधु दण्डवते :**

**श्री शंकरराव सावन्त :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रत्नागिरि में सरकारी क्षेत्र के एल्यूमिनियम परियोजना के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है और चालू वित्त वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की गयी है ; और

(ख) उक्त परियोजना में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : (क) और (ख) वित्तीय कठिनाइयों के कारण महाराष्ट्र में रत्नागिरी एल्यूमिनियम परियोजना लागू करने का काम अभी शुरू नहीं किया जा सका है। परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि नियत हो जानें के बाद ही उसको लागू करने का कार्यक्रम तय किया जाएगा।

## अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के रक्षा आवंटन में वृद्धि

3227. **श्री मधु दण्डवते :**

**श्री धामनकर :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की सामयिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये इन द्वीपों की रक्षा आवंटन में वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो आवंटन में कितनी वृद्धि की गई है ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा सारे देश के लिए पूरी रक्षा योजना का एक अंग है। अंदमान और निकोबार द्वीपों की रक्षा आवश्यकताओं की रक्षा योजना के ढांचे में लगातार समीक्षा की जा रही है। रक्षा संबंधी राज्यवार अथवा क्षेत्रवार अलग से कोई आवंटन नहीं है।

## दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में अस्पताल सुविधा

3228. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष 1974-75 के लिये यमुना-पार क्षेत्र में अस्पताल सुविधा प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) और (ख) शाहदरा में 50 पलंगों वाला एक अस्पताल खोलने का विचार है जिस के लिये 54 एकड़ भूमि खरीद ली गयी है। ज्यों ही अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी हो जायें अस्पताल के भवनों आदि का निर्माण कार्य शुरु कर दिया जायेगा।

## अरब देशों के साथ सम्बन्धों में और सुधार

3229. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद के गत सत्र के बाद अरब देशों, विशेषकर ईरान और ईराक के साथ सम्बन्धों में और सुधार करने के लिये कार्यवाही की है; और

(ख) उसकी रूपरेखा क्या है और यह कार्यवाही किन-किन देशों के साथ की जा रही है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) जी हां। सरकार ने अरब देशों तथा ईरान के साथ सम्बन्धों को सुधारने के कई कदम उठाये हैं।

(ख) पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंधों का क्षेत्र विस्तृत तथा विविध है और उनके साथ हमारे सम्पर्क निकट के तथा स्थिर हैं, इनमें सहयोग के सभी क्षेत्र आ जाते हैं जैसे राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा वाणिज्यिक । संसद के पिछले सत्र के बाद की महत्वपूर्ण गतिविधियां ये हैं :—

(i) संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख़ जईद बिन सुल्तान अल-नहयान ने 1 से 5 फरवरी 1975 तक विदेश, वित्त, पेट्रोलियम, पानी और बिजली मंत्रियों के साथ भारत की राजकीय यात्रा की । उनकी यात्रा के दौरान एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग से संबंधित एक संयुक्त कमीशन की स्थापना हुई ।

(ii) बहरीन के विदेश मंत्री ने 6 से 11 जनवरी 1975 तक भारत की यात्रा की । यात्रा के दौरान एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए । अर्थिक तथा तकनीकी सहयोग संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान भी हुए ।

(iii) हमारे प्रधान मंत्री ने 18 से 21 जनवरी 1975 तक ईराक की यात्रा की । इस यात्रा से पहले भविष्य में और अधिक आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के संबंध में विचार-विमर्श के लिए भारत-ईराक संयुक्त कमिशन की बैठक हुई थी ।

(iv) सऊदी अरब के पेट्रोलियम एवं खनिज संसाधन मंत्री ने 5 से 10 फरवरी 1975 तक भारत की यात्रा की । और अधिक आर्थिक सहयोग के लिए उनसे विचार-विमर्श हुए ।

(v) 1974 में प्रधान मंत्री की ईरान यात्रा तथा शाहंशाह की भारत यात्रा के दौरान जो निर्णय लिए गए उनके अनुसरण में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के ब्यौरों के बारे में कई शिष्ट मंडलों का आदान-प्रदान हुआ ।

इन यात्राओं से यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बहुत से मामलों पर निकट विचार साम्य है जैसा की जारी की गई विज्ञप्तियों से स्पष्ट है ।

### गुजरात की कमी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी उपाय

**3230. श्री बेकारिया :**

**श्री अरविन्द एन० पटेल :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के कमी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी कोई सामान्य उपाय किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) जी हां ।

(ख) (1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का डाक्टर इलाज की आवश्यक सुविधायें देने के लिए हर सप्ताह नियमित रूप से अभावग्रस्त क्षेत्रों में जाता है ।

(2) वर्क-कैम्पों में मल्टि विटामिन और लोह तथा फालिक अम्ल की गोलियां और विटामिन 'ए' वाली दवाईयों का वितरण किया जा रहा है । इस प्रकार विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाली रतांधी की रोक थाम की जा रही है ।

(3) जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी हो वहां पर टैंकरों से रोगाणुमुक्त पीने का पानी दिया जा रहा है ।

(4) मलेरिया और चेचक की रोकथाम के लिए निरोधी उपाय बरते जा रहे है ।

(5) सर्वेक्षणों का आयोजन कर तथा कारगर ढंग से सूचना भेजने की प्रणाली के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य निदेशालय नियमित रुप से इलाज की सुविधाएं देने के काम में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं ।

(6) जिन स्थानों पर काम चल रहा होता है वहां पर कार्यकर्ताओं के छोटे-मोटे इलाज के लिए प्राथमिक उपचार केन्द्र खोले गये हैं ।

(7) प्रभावित लोगों का पोषण का स्तर कैसा है यह जानने और राहत उपायों के बारे में राज्य अधिकारियों को सलाह देने के प्रयोजन से भारत सरकार के पोषण सलाहकार ने नवम्बर 1974 में गुजरात के राजकोट, भुज और बनसकान्ठा के अभाव-ग्रस्त जिलों का दौरा किया ।

**कर्मचारियों को अदा किये जाने वाले उपदान की दर**

3231. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कोई पत्र भेजा है जिसमें उनके कर्मचारियों को अदा किये जाने वाले उपदान की दर स्पष्ट की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) और (ख) राज्य सरकारों आदि को मार्च, 1974 में एक पत्र भेजा गया था , जिसमें उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन उपदान के प्रयोजन के लिए लगातार सेवा को संगणित करने और उपदान की दर के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण दिए गए थे । जहाँ तक उपदान की दर का संबंध है, उस पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि जैसा अधिनियम में निर्धारित किया है, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों की मजदूरी की दर से उपदान का भुगतान किया जाए ।

**राज सम्पत्ति कार्यालय द्वारा बेदखल विस्थापित व्यक्तियों के बारे में दिल्ली राज्य को केन्द्र के निदेश**

3232. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पुनर्वास विभाग द्वारा दिल्ली राज्य प्रशासन को नई दिल्ली स्थित राज्य सम्पत्ति कार्यालय द्वारा बेदखल स्थापित व्यक्तियों को उपयुक्त वैकल्पिक स्थान अलाट करने के लिये कितने मामलों में निदेश और निर्देश जारी किए गए और ऐसे निदेशों और स्पष्टीकरणों-हेतु जारी किए गए निदेशों के बारे में उनके क्या उत्तर हैं ;

(ख) क्या उक्त स्पष्टीकरण दिये गये थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपयुक्त निदेशों और निर्देशों को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में अभी तक कुछ व्यक्ति शिकायत कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर)** : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

**कुदरेमुक-मंगलौर आयरन और रोड़ का केन्द्रीय सहायता से निर्माण**

3233. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने माला और पाद्बिदरी से गुजरने वाली कुदरेमुक-मंगलोर आयरन और रोड के निर्माण सम्बन्धी अपने निर्णय में संशोधन किया है और अब केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता से उक्त सड़क का निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अपनी प्रस्तावित सहायता पर अभी भी कायम रहेगी; और

(ग) कुल कितनी सहायता की पेशकश की गई और क्या अब योजना लागत में वृद्धि होने पर सहायता में वृद्धि की जायेगी ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस समय केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिए 166.47 लाख रुपए के ऋण के लिए वचनबद्ध है, जिसका शुरु में प्रस्ताव किया गया था । राज्य सरकार इस समय वर्तमान दरों के आधार पर कार्यों के लिए विस्तृत नक्शे और अनुमान तैयार कर रही है । केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब राज्य सरकार से विस्तृत नक्शे और अनुमान प्राप्त हो जायें और भारत सरकार उन पर विचार कर लें । राज्य सरकार से विस्तृत नक्शे तथा अनुमानों को शीघ्र भेजने के लिए पहले ही कहा गया है ।

**भाड़े के समान हिस्से के आधार पर भारत-रूस नौवहन सेवा**

3234. **श्री पी० गंगादेव** :

**श्री डी० डी० देसाई** :

**श्री श्रीकिशन मोदी** :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस नौवहन सेवा पिछले कुछ समय से भाड़े के समान हिस्से के आधार पर कार्य कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) और (ख) जी, हां । भारत-सोवियत नौवहन सेवा का 1956 में भारत सरकार और यू०एस०एस० आर० सरकार के बीच हुए नौवहन करार के तत्वावधान में परिचालन किया जा रहा है, जिसमें माल उठाने और भाड़ा कमाई में समानता सहित परिचालनात्मक मामलों में समानता का विचार किया गया है ।

इसके गत 19 वर्षों के परिचालन के दौरान माल उठाने तथा कमाई में प्राय: समानता के सिद्धान्त का अनुपालन हुआ है। गत तीन वर्षों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

| | | माल उठाई लाख टनों में | कमाई रुपए करोड़ों में |
|---|---|---|---|
| 1972 | भारत . . . . | 4.71 | 8.92 |
| | यू० एस० एस० आर . . . | 4.80 | 8.95 |
| 1973 | भारत . . . | 3.71 | 7.40 |
| | यू० एस० एस० आर० . . . | 3.86 | 7.35 |
| 1974 | भारत . . . . | 4.88 | 10.80 |
| | यू० एस० एस० आर० . . . | 4.84 | 10.99 |

## शिपयार्डों की स्थापना के बारे में निर्णय

3235. श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री अनादिचरण दास :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री 27 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी परामर्शदाताओं से फरवरी, 1975 के अन्त तक प्राप्त किये जाने वाले प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार शिपयार्ड स्थापित करने के बारे में कब तक निर्णय करेगी ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) और (ख) प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट सभी परामर्शदाताओं से अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। पांचवी योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले दो शिपयार्डों के स्थान के बारे में निर्णय रिपोर्टों की उचित जांच के बाद किया जायेगा ।

## भारत में पनडुब्बी नोदकों (प्रायेलर्ज) का निर्माण

3236. श्री पी० गंगादेव :
श्री अनादिचरण दास :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पनडुब्बी नोदक बनने आरम्भ हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के निर्यात सम्बन्धी कोई पूछताछ की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी हां, श्रीमन् । मैसर्स बंगाल इनगाट कम्पनी कलकत्ता को जानकारी सम्बन्धी एक आर्डर दिया गया था यह एक प्राइवेट क्षेत्र फर्म है । उन्होंने एक प्रोटोटाइप का निर्माण किया है जिस पर उपभोक्ता परीक्षण किए जाएंगे ।

(ख) जी नहीं श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में आवश्यक औषधियों की कमी**

3237. **श्री वरके जार्ज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की शिकायतें हैं कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कुशलतापूर्वक नहीं चल रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के बहुत से औषधालयों में आवश्यक औषधियां उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) ऐसी कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अनेक औषधालयों में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध न होने की बात सही नहीं है। दवाईयों की देश-व्यापी कमी होने, सप्लाई की स्थिति खराब होने और किमतें बढ़ जाने के कारण कभी कभी कुछेक दवाइयां कम पड़ गई ।

(ग) औषधालयों के कार्यभारी अधिकारियों से कहा गया है कि वे उपलब्ध न हो रही दवाईयां सुपर बाजार से केमिस्टों से सप्लाई करवाने की व्यवस्था करें। ऐसा न हो सकने पर रोगियों को बाजार से दवाइयां खरीदने और अपने बिलों का भुगतान लेने की सुविधा दे दी गई । वैसे अन्तरिम अवधि के दौरान रोगियों को इलाज की दृष्टि से समान गुणकारी एबजी दवाइयां हमेशा दी जाती है। दवाइयों का और अधिक स्टाक खरीदकर नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं और कुछेक दवाइयां अभी खरीदी जा रही है ।

**कलकत्ता विश्वविद्यालय में होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति में डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना**

3238. **श्री कुमार माझी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे भेज दिया जाएगा ।

### यूगोस्लाविया की सहायता से आधुनिक जहाजों का निर्माण

3240. **श्री वसंत साठे : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया सरकार ने भारत में आधुनिक जहाजों के निर्माण में सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा करार की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) युगोस्लाविया सरकार ने भारत में आधुनिक जहाजों के निर्माण में सहायता देने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

### सैनिकों का लाभ मुक्त किया जाना

3241. **श्री बी० वी० नायक : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1972, 1973 और 1974 में कितने सैनिक कर्मचारियों को लाभ मुक्त किया गया; और

(ख) उन में से प्रत्येक वर्ष में कितने सैनिकों का पुनर्वास किया गया है ?

**रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) :**

(क)

| | |
|---|---|
| 1972 | 50,551 |
| 1973 | 77,137 |
| 1974 | 44,818 |

(ख) पुनर्वास किये गए सैनिक कार्मिकों की वर्षवार संख्या निम्नांकित है :—

| | |
|---|---|
| 1972 | 18,223 |
| 1973 | 16,175 |
| 1974 | 10,466* |

*इस संख्या में वह संख्या सम्मिलित नहीं है जिनके लिए 1974 की गत दो तिमाहियों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया गया है ।

**नोट :**—(1) उपर्युक्त आंकड़ों के अतिरिक्त जिन के बारे में पुनर्वास किया गया है, 3000 भूतपूर्व सैनिकों का लघु उद्योग, औद्योगिक सहकारी परिवहन कम्पनियां आदि (इन आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है) जैसे विभिन्न स्वनियोजन धन्धों के माध्यम से पुनर्वास किया गया है।

(2) जिन कार्मिकों का पुनर्वास किया गया है वे खासतौर से उन कार्मिकों में से नहीं हैं जिन्हें 1972, 1973 और 1974 में लाभमुक्त किया गया है ।

### Sino -Indian Relations After the Visit by Chinese Table Tennis Team

3242. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Sino-Indian relations have improved to some extent after participation by Chinese players in the World Table Tennis Championship organised in Calcutta;

(b) whether Government's attention has been drawn to the slogan "Hindi Chini Bhai Bhai" published by the Chinese Press and news agencies in this context and India's reaction thereto; and

(c) whether there is any possibility of a diplomatic dialogue between the two countries in the near future?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das)**: (a) Government welcomed the participation of the Chines Team in the World Table Tennis Championship recently held in Calcutta.

(b) Government has taken note of the reporting in the Chinese Press of the Reception of their team in India.

(c) The Diplomatic Channels have always been open for any purposeful dialogue.

### Rehabilitation of Refugees from Burma

3243. **Shri Janeshwar Misra** : Will the **Minister of Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of refugees in various States displaced from Burma;

(b) the facilities being given by Government to provide them with employment and housing;

(c) the number thereof in respect of which arrangements to provide jobs, employment or housing facilities have been completed so far; and

(d) Government's future policy in this regard?

**The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar)** : (a) According to information received upto 28th February, 1975, 2,06,839 repatriates from Burma have arrived in various States.

(b) A statement giving the details of the rehabilitation facilities being given by the Government to the repatriates is attached.

(c) According to the latest reports received from the State Governments, the number of repatriate families given rehabilitation assistance in the form of business loan and resettlement in agriculture upto 31st December, 1974 is 64254. Besides, employment has been provided to 6605 repatriates. This includes 929 repatriate families given employment in Industrial Units set up for rehabilitation purposes. Supplementary assistance in the form of educational concessions, licences, housing etc. has also been given to 37482 repatriates.

(d) The policy of the Government is to continue grant of rehabilitation facilities to repatriates on the existing pattern.

**Statement**

**Details of Rehabilitation Facilites Available for Burma Repatriaties**

(i) *Business loans :*

Loans are sanctioned for trade and business upto a ceiling of Rs. 5,000 per family.

(ii) *Housing Loans :*

Loans for purchase of plots and construction of houses are given as under:—

| | Celling for Housing loans per family. | |
|---|---|---|
| | Urban areas | Rural areas |
| | Rs. | Rs. |
| (a) Cost of plot . . . . | 600 (Loan) | 200 (Loan) |
| (b) Cost of construction of the house . | 2000 (Loan) | 1250 (Loan) |
| (c) Development of land . . . | 1500(Loan) | 600 (Grant) |
| (d) For business premises. . . | 1000 (Loan) | 200 (Loan) |

Business loans and housing loans are given to the repatriates through the District Administration in the States concerned.

(iii) *Repatriates Co-operative Finance and Development Bank :*

The Repatriates Co-operative Finance and Development Bank Ltd. set up with its headquarters at Madras also provides credit facilities to the repatriates settled in the Southern States for small scale industires, business and other schemes.

(iv) *Resettlement in Agriculture :*

Repatriates have been resettled in agriculture under Land Colonisation Schemes in Tamil Nadu (common for Sri-Lanka and Burma repatriates) Sindhanur Project in Karnataka (common for migrants from former East Pakistan and repatriates from Burma and Sri Lanka), Betul project in Madhya Pradesh (common for migrants from former East Pakistan and repatriates from Burma). Certain agricultural schemes in Uttar Pradesh and Bihar for Burma repatriates have been sanctioned.

(v) *Employment in Industries :*

Employment is secured for repatriates in certain industrial schmes for which financial assistance has been given by Government of India namely, Textile Centre at Ramagundam, Spinning Mills at Nellore and Rajahmundry in Andhra Pradesh, and the Spinning Mills at Nazareth and Srivilliputhur in Tamil Nadu.

(vi) *Other Schemes Sanctioned :*

A special residential school for children at Mathur (Tamil Nadu), a Special Home for unattached women at Mathur (Tamil Nadu) and a Permanent Liability Home at Kancherapalem (Andhra Pradesh) have been set up for these repatriates. Training schemes have also been sanctioned in different States.

(*vii*) *Educational Concessions* :

If the income of the parents is not more than Rs. 250 per month.

(a) Day-scholars are given book grants ranging from Rs. 15 to Rs. 150 per annum.

(b) Stipends ranging from Rs. 60 to Rs. 90 per month are given to students in Middle and High Schools and colleges, if they have to stay in hostels and other lodgings away from their families.

This assistance is provided subject to certain prescribed conditions regarding marks etc.

**Financial Assistance to Nepal**

*3244. **Shri Janeshwar Misra** : Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance given to Nepal by India during the last three years;

(b) the purposes accomplished with such assistance;

(c) the atitude of Nepalese people towards such assistance; and

(d) the position obtaining at present as a result of the talks held recently between India and Nepal ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das)**: (a) and (b) India had provided Rs. 24.62 crores as financial assistnce to Nepal during the last three years. This aid has financed development projects in almost all the sectors of the Nepalese economy. Major schemes completed during this period include the Eastern sector of the East-West Highway, the Sonauli Pokhara Road, and the Trisuli Hydel Project.

(c) Indian assistance has been beneficial to the Nepalese people and has been deeply appreciated by the Government and the people of Nepal.

(d) Wide-ranging discussions on Indo-Nepal economic cooperation were held in February, 1974, when the Vice-Chairman of the Nepalese Planning Commission visited India. India then agreed to assist Nepal in the construction of the Devighat Hydroelectric Project, the Kathmandu-Dhankuta Road, and subject to feasibility, assist in the setting up of a cement factory. Other areas in which Indo-Nepal economic cooperation would be beneficial, were also identified.

A formal agreement on the Devighat project is to be finalized shortly.

**Implementation of Agreement with Portugal**

3245. **Shri Janeshwar Misra**: Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state:

(a) whether any agreement has been reached between India and Portugal recently ;

(b) if so, the full facts thereof; and

(c) the steps taken by Government to implement it?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das)**: (a) Yes, Sir.

(b) A treaty between India and Protugal was signed on the 31st December 1974. Copies of the Treaty have been placed in the library of Parliament. Its main features are: Recognition by Portugal of India's full sovereignty over Goa, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli with effect from the dates that they became parts of India under the Constitution of India; resumption of diplomatic relation between the two countries with immediate effect; agreement to settle through bilateral negotiations all questions between the two countries including those concerning property, assets and claims; and a provision to conclude a cultural agreement.

(c) Diplomatic Missions will be established in each other's capital shortly and various issues will be taken up bilaterally. A cultural agreement is now under negotiation.

**Report Against Barrack Warden of Palam Air Force Station, New Delhi**

3246. **Shri Janeshwar Misra** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether Shri Jagdish Prasad Gupta, a senior Store Keeper of the Barrack Warden of the Air Force Station, Palam, has lodged a report with Delhi Cantt. Police Station against the Barrack Warden;

(b) whether the said Store Keeper was beaten up by the Barrack Warden for the reason that he used to do the work in Hindi for a long time; and

(c) if so, the action taken in this regard?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh)**: (a) This Ministry is not aware of any such report having been lodged.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**कोलार गोल्ड़ फोल्ड़, मैसूर में फुटबाल टूर्नामेन्ट**

3247. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कोलार गोल्ड फील्ड ने हाल में कोलार गोल्ड फील्ड, मैसूर में एक फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के अधिकारियों ने श्रमिकों को 8 रुपये से 12 रूपया और 16 रुपया का टिकट खरीदने को विवश किया था तथा उक्त अधिकारियों ने 21 मई, 1974 को श्रमिकों से जबरदस्ती धनराशि एकत्र की थी ;

(ग) क्या कुछ मान्यता प्राप्त यूनियनों ने इसका विरोध किया था तथा इस मामले पर समझौते के लिये बंगलौर के सहायक श्रम आयुक्त ने बातचीत की थी ;

(घ) क्या फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने न भारत सरकार की अनुमति ली थी और न बोर्ड आफ मैनेजमैंट से अनुमति ली थी ; और

(ङ) फुटबाल टूर्नामेंट के लिए कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई तथा खर्च के पश्चात कितनी राशि की बचत हुई ?

**खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) जी हां । कर्नाटक राज्य फुटबाल संघ के तत्वावधान में , मई / जून 1974 के दौरान भारत गोल्ड-माइन्स लि० द्वारा कोलार स्वर्ण क्षेत्र (कर्नाटक) में , मोहन कुमारमंगलम् मेमोरियल फुटबाल टुर्नामेंट का आयोजन किया गया था ।

(ख) जी नहीं, भारत गोल्ड माइन्स लि० के कामगारों ने अन्य लोगों की तरह भारत गोल्ड माइन्स लि० के अधिकारियों से स्वेच्छा से टिकिट खरीदे थे जिन्होंने मोहन कुमारमंगलम मेमोरियल फुटबाल टूर्नामेंट समिति के सदस्य की हैसियत से टिकट बेचे थें। अधिकांश कामगारों ने केवल रु० 8/- वाले टिकट खरीदे थे। 1973–74 का वार्षिक बोनस व वेतन बांटते समय कामगारों ने आपने आप ही टिकटों की कीमत अदा की थी। कुछ कामगारों ने तो पूरी कीमत दी थी जबकी कुछ ने दो किश्तों में दी थी ।

(ग) चार मान्यता प्राप्त यूनियनों में से केवल एक ने, अर्थात् भारत गोल्ड माइन्स वर्कर्स यूनियन ने उक्त टूर्नामेन्ट के आयोजन तथा टिकटों को बिक्री का विरोध किया था। भारत गोल्ड माइन्स वर्कर्स यूनियन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, सहायक श्रम आयुक्त, (केन्द्रीय) बंगलौर ने समझौते की शुरुआत की और उन्होंने अपनी विफल रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। सरकार ने तय किया कि यह मामला, निर्णय हेतु औद्योगिक न्यायधिकरण को भेजने योग्य नहीं है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), कोलार स्वर्ण क्षेत्र द्वारा मौका-मुआयना के दौरान यह प्रमाणित किया गया कि कामगारों से टिकटों की कीमत लेते समय मजदूरी भुगतान अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया ।

(घ) फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन नियमानुसार कर्नाटक राज्य फुटबाल संघ के तत्वावधान में हुआ था। टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सरकार अथवा निदेशक मंडल से अनुमति लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) लगभग 85000।– रु० की कुल धनराशि प्राप्त हुई और खर्च निकालने के बाद कुल उगाही 52000।– रु० रही। इस धनराशि को खान कार्य से होनेवाली बीमारियों के लिए एक सैनेटोरियम की इमारत हेतु, दान में दे दिया गया है ।

## रायफल फैक्टरी तथा धातु और इस्पात फैक्टरी में कार्य समिति का चुनाव

3248. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायफल फैक्टरी तथा धातु और इस्पात फैक्टरी इच्छापुर में कार्य समिति के चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ; और

(ख) चुनावों के कब कराये जाने की सम्भावना है ?

**रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) रायफल फैक्ट्री और धातु तथा ईस्पात फैक्ट्री, इच्छापुर की वर्क्स समिति के चुनाव में विलम्ब माननीय न्यायालय, कलकत्ता द्वारा अंतरिम रोक आदेश जारी कर दिए जाने के कारण हुआ।

(ख) अब चुनाव 4 मार्च को हो गये हैं और परिणाम 5 मार्च 1975 को घोषित कर दिए गये हैं ।



6—16 LSS/ND/75

**भारत-बंगलादेश सम्बन्ध**

3249. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश के शेख मुजीबुर रेहमान के साथ, जब से उन्होंने बंगला देश गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में सम्पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ली है, कोई सम्पर्क स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बांगला देश सरकार ने इस प्रकार के राजनितिक परिवर्तन के बाद हमारे साथ अपने सम्बन्धों के बारे में कोई राय व्यक्त की है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) बंगला देश के राष्ट्रपति के साथ सामान्य तरिके से सम्पर्क स्थापित रहता ही है ।

(ख) और (ग) बंगलादेश सरकार ने भारत के साथ निकट मैत्री, समझबूझ और सहयोग की अपनी नीति को पुनः दोहराया है और जहां तक हमारा प्रश्न है उनके प्रति हमारे मन में भी बिल्कुल इसी प्रकार की भावनाएं हैं ।

**बंगाली रेजीमेन्ट बनाना**

3250. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा बंगाली रेजीमेंट न बनाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या आजाद हिन्द फौज द्वारा किए गए कार्यों को सम्मान देने के लिए एक आजाद हिन्द फौज ब्रिगेड अथवा नेताजी रेजीमेंट बनाई जा सकती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्षेत्र अथवा जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाये रखने की क्या आवश्यकता है ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) सरकार की यह नीति नहीं है कि किसी नई ब्रिगेड़ अथवा रेजीमेंट का नाम किसी श्रेणी, क्षेत्र, अथवा राज्य, अथवा किसी राष्ट्रीय वीर अथवा किसी ऐतिहासिक घटना की याद में रखा जाए ; तदनुसार कोई बंगाली रेजीमेंट बनाना अथवा आई०एन० ए० ब्रिगेंड अथवा नेताजी रेजीमेंट खड़ी करना सम्भव नहीं है ।

(ग) तथापि क्षेत्र/जाति के आधार पर कतिपय पुरानी रेजीमेन्टों के नाम ऐतिहासिक और परम्परागत कारणों से बनाए रखे जा रहे हैं ।

**मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम द्वारा उन्माद अधिनियम, 1912 को प्रतिस्थापित करना**

3251. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान "उन्माद अधिनियम, 1912" को एक नए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें तथा उद्देश क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) और (ख) उन्माद अधिनियम, 1912 को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में बदलने का विचार है जिसके लिए उपयुक्त कानून लागू करने का ख्याल है। विधि मंत्रालय के परामर्श से एक नया विधेयक तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य इस समस्या के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों में आमूल परिवर्तन लाने का है। उपचार संबंधी सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा और दाखिले की कार्यप्रणाली को भी ठीक किया जायेगा।

### Diseases Caused by Hunger

3252. **Shri M. C. Daga :** Will The **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Health Department has found out the diseases which are caused by hunger and mal-nutrition; and

(b) if so, the number of people in India suffering from each of such diseases and the steps being taken by Government in this regard?

**Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning** (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) Yes.

(b) Hunger and mal-nutrition lead to several types of disease. For instance Protein-Calorie mal-nutrition is characterised by Oedema, liver enlargement and skin changes, vitamin A deficiency causes occular disorders which may ultimately cause blindness, anaemia causes breathlessness and cardiac failure, vitamin B complex deficicency causes Beri Beri, Pellagra, Stomatitis etc.

The number of persons suffering from these diseases cannot be specified. A representative sample survey conducted under the auspices of the Indian Council of Medical Research covering children in the age group of 1-5 years revealed that 40% of these children suffered from one or the other nutritional deficiency. Around 3% of them suffered from protein-calorie mal-nutrition, 4.2% from vitamin A deficiency, 50% from anaemia and 5.2% from B complex definciency. Among school children, the common nutrititional disorders prevalent are vitamin A and B complex deficiency. Antdoropometric studies show growth retardation especially among the low income group *i.e.* their heights and weight are low compared to that of well-to-do group of children.

Studies among pregnant and lactating mothers have indicated that 30-40% of them suffered from anaemia, 44% from B complex deficiency and 14.5% from vitamin A defiicency.

The Government of India have been implementing the following nutrition programmes to overcome the problem of malnutrition among the vulnerable segment of the population :

1. Mid-day Meals Programme for primary school children.
2. Special Nutrition Programme for pre-school children, and pregnant and lactating mothers.
3. Balwyadi Feeding Programme covering about 19 lakhs children mostly in rural areas.
4. Applied Nutrition Programme for the rural community.
5. Prophylaxis against blindness in children caused by vitamin A deficiency.
6. Prophylaxis against nutritional anemia in mothers and young children.

Besides, the Government are considering an "Integrated Child Care Services" programme for preschool children, and expectant and lactating mothers which will comprise the following services:

(i) Supplementary Feeding.

(fi) Health Care.

(iii) Nutrition and Health Education.

(iv) Family Planning.

(v) Provision of safe drinking water.

**Khetri Copper Project**

3253. **Shri M. C. Daga** : Will the of **Minister of Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the total amount invested in Khetri Copper Project so far and the amount proposed to be invested at the time of its inception and the time by which this work was to be completed and after how much time copper was extracted in this project or the copper extraction plant was commissioned; and

(b) the amount of foregin exchange to be saved therefrom and the extent to which the import of copper from foreign countries will be reduced?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Mines (Shri Sukhdev Prasad)** : (a) Approximately Rs. 105 crores have been invested so far in Kehtrti Copper Complex. The cost Estimates prepared in 1968 envisaged an investment of Rs. 93 crores; these estimates were revised to Rs. 115 crores in 1972.

According to the time schedule prepared in 1970, the project was to be completed in the last quarter of 1973-74 ; the copper smelter was however, commissioned in November, 1974.

(b) On the basis of LME price of copper metal at £ 600 per tonne, about Rs. 36 crores per annum would be saved in foreign exchange when the plant works at its installed capacity of 31,000 tonnes per annum. Import of copper would also be reduced by 31,000 tonnes per annum when the plant works to its full capacity.

**Memorandum from Indian Federation of Transport Operators**

3254. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the Indian Federation of Transport operators submitted any memorandum to Government in 1974 and if so, the main grievances contained therein; and

(b) the steps taken by Government to solve their problems and the results thereof?

**Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi** : (a) and (d) : Yes, Sir. The main point made by the Federation related to representation of private transport operators on the Central

Coordinating Committee and the Regional/State Level Committees, for distribution of tyres. After examining the matter, it was decided to take two representatives of such operators on the Central Committee and one or two representatives on each of the Regional/State Level Committees. A representative of this Federation has already been nominated on the Central Coordinating Committee.

### Vigilance Cases 1973-74

3255. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) who are the officers whose cases were censured by the Vigilance Department during the year 1973-74 and the charges levelled against them in the Department of Supply; and

(b) whether the officers found guilty by Vigilance Department, were censured by Government and if not, the reasons therefor?

**The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar):** (a) As per statement.

(b) Yes Sir. Concerned Officers were given the penalty of Censure wherever it was determined as adequate, consistent with the lapse committed by them.

**Statement**

**List Of officers under the administrative control of the Department of Supply on whom the penalty of Censure was imposed during 1973-74.**

| Sl. No. | Designation of the officers | Charges levelled |
|---|---|---|
| 1. | Assistant Director (Supplies) | Lapses resulting in drawing of fraudulant payment by a Supplier. |
| 2. | Upper Division Clerk | Absence from duty. |
| 3. | Upper Division Clerk | Unruly and unbecoming behaviour. |
| 4. | Examiner of Stores | Acceptance of sub-standard materials. |
| 5. | Assistant Inspecting Officer. | Acceptance of sub-standard stores. |
| 6. | Assistant Inspecting Officer. | Do. |
| 7. | Assistant Insepcting Officer. | Accetpance of stores not according to specification. |
| 8. | Examiner of Stores | Do. |

### संयंत्रों तथा स्टाक यार्डों में उपलब्ध इस्पात का स्टाक

3256. **श्री के० लकप्पा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 के लिए प्रत्येक इस्पात संयंत्र के उत्पादन आंकड़े क्या हैं तथा संयंत्रों और स्टाक यार्डों में उपलब्ध स्टाक के नवीनतम आंकड़े क्या हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : अप्रैल, 1974 से फरवरी, 1975 की अवधि में मुख्य उत्पादकों का लोहे और इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(लाख टन)

| इस्पात कारखाने का नाम | मद | |
|---|---|---|
| | विक्री के लिए कच्चा लोहा | विक्रेय इस्पात |
| भिलाई | 488 | 1,528 |
| दुर्गापुर | 114 | 474 |
| राउरकेला | 91 | 776 |
| बोकारो | 545 | .. |
| टिस्को | .. | 1,308 |
| इस्को | .. | 371 |
| | 1,238 | 4,395 |

1–2–1975 को स्टाक की स्थिति इस प्रकार थी :—

(हजार टन)

| | | |
|---|---|---|
| इस्पात कारखानों में | 424 | (302 : विक्रेय इस्पात<br>122 : कच्चा लोहा ।) |
| स्टाकयार्डों में | 217 | (विक्रेय इस्पात और कच्चे लोहे के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।) |

## समय-समय पर बिजली बन्द होने (पावर शेडिंग) के कारण संघ राज्य क्षेत्रों में जन-दिवसों की हानि

**3257. श्री के० लकप्पा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में समय-समय पर बिजली बन्द रहने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों में कितने जन-दिवसों की हानी हुई ; और

(ख) उक्त अवधि में समय-समय पर बिजली बन्द रहने के कारण संघ राज्य क्षेत्रों में कितने लघु उद्योग बन्द हो गये ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

**बाह्य दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अस्पताल**

3258. **चौधरी दलीप सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाहय दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने अस्पताल हैं तथा कितने अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर (बेड़) तथा एक्स रे सुविधायें हैं ;

(ख) इन अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या कितनी हैं ;

(ग) जिन अस्पतालों में ये उपलब्ध नहीं है, वहां ऐसी सुविधायें देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) कितने अस्पतालों में प्रसूति केन्द्र स्थापित हैं तथा उनमें जो सुविधायें दी गई हैं क्या वे पर्याप्त तथा सन्तोषजनक हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र भेज दी जायेगी ।

**बौक्साइट निक्षेपों की खोज**

3259. **श्री टुना उराव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान कितने बौक्साइट निक्षेपों की खोज की गयी है ;

(ख) उन क्षेत्रों का नाम क्या है जहां ऐसे निक्षेपों का पता लगा है; और

(ग) क्या निक्षेपों के खनन के संबंध में कोई अग्रेतर कार्यवाही की गयी है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1974–75 के क्षेत्रगत सत्र में पांच अलग अलग स्थानों में बाक्साईट के लिए भू-छेदन द्वारा खोज कार्य किया जा रहा है ।

(ख) ये निक्षेप–बिहार के रांची जिले में दीपाकुजम, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सेमरिया गुजरात के जूनागढ़ जिले में पोरबन्दर, वेरावल-पट्टी, उड़ीसा के कोरापुट जिले में पोटंगी, तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम जिले में चित्तमगोंडों हिल में हैं ।

(ग) खोज कार्य पूरा होने के बाद ही इसके बारे में सोचा जाएगा ।

**"समुद्री-जल मैगनेजाइट" बनाना**

3260. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

**श्री सरजू पांडे :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० " ने रिफ्रेक्ट्रीज की कमी की समस्या को दूर करने के लिए भारत में "समुद्री-जल मैगनेजाइट" बनाने हेतु एक अमरीको फर्म से तकनीकी सहयोग करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) इस्पात उद्योग में तापसह ईंटें महत्वपूर्ण सामग्री है । अच्छी किस्म की समाक्षारीय तापसह ईंटों के उत्पादन के लिए अच्छी किस्म के मेगनेसाईट की आवश्यकता होती है । समुद्र के पानी के मेगनेसाईट में मेगनेशियाम आक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए इसका उपयोग समाक्षारीय तापसह ईंटों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है । भारतीय इस्पात प्राधिकरण समुद्र के पानी के मेगनेसाइट के विकास पर विचार कर रही है । इस बारे में अमरीका की एक फर्म ने तकनीकी सहयोग देना स्वीकार किया परन्तु अभी तक इस बारे में कोई करार नहीं किया गया है ।

### बैलाडिला खानों की निर्धारित क्षमता

3262. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलाडिला खानों की निर्धारित क्षमता क्या है ;

(ख) क्या शत प्रतिशत निर्धारित क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और इसके क्या कारण है,

(ग) शत प्रतिशत क्षमता का कब तक उपयोग किया जायेगा, और

(घ) खनन तथा 'फ्लोट ओर' कार्यप्रणाली से गत तीन वर्षों में वर्ष वार, कितना कितना उत्पादन हुआ ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद ) :** (क) बेलाडिला निक्षेप संख्या 14 की यंत्रीकृत खान की वार्षिक निर्धारित क्षमता 40 लाख टन निश्चित आकार के खनिज का उत्पादन करने की है । बेलाडिला निक्षेप संख्या 5 की यंत्रीकृत खान की जो इस समय निर्माणाधीन है, तीन पारियों के आधार पर वार्षिक निर्धारित क्षमता 52 लाख टन निश्चित आकार का खनिज उत्पादन करने की होगी ।

(ख) वर्ष 1973–74 में बेलाडिला निक्षेप संख्या 14 की यंत्रीकृत खान का उत्पादन 24.7 लाख टन था जो निर्धारित क्षमता का 60 प्रतिशत बैठता था । उत्पादन में कमी के कारण निम्नलिखित है :—

(1) प्रायोजना प्रतिवेदन में खनिज डलों के उत्पादन का अनुमान 75 प्रतिशत लगाया गया था जबकि इस वर्ष खनिज डलों का उत्पादन 64 प्रतिशत हुआ है ।

(2) 10 प्रतिशत बेकार माल तथा ब्लू डस्ट का निकालना जिसकी व्यवस्था आरम्भ में विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में की गई थी ।

(3) क्रांतिक फालतू पुर्जो (दोनों आयातित तथा देशी) की प्राप्ति में विलम्ब जिसके कारण संयंत्र और चल उपस्करों की कम उपलब्ध होना और संयंत्रों में यदाकदा खराबी होना ।

(4) बेलाडिला में मौसम प्रतिकूल होना ।

(5) अप्रत्याशित भारी वर्षा और

(ख) बारिक खनिज की निपटान प्रणाली के पूर्ण होंने में हुए विलम्ब के कारण संयंत्र की कम उपलब्धि के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा । ठेकेदार द्वारा बारिक खनिज के निपटान का प्रबंध जुलाई, 1973 तक किया जाना था लेकिन यह कार्य सितम्बर 1974 तक पूरा हो सका ।

(ग) बेलाडिला – 14 में इस्टतम निर्धारित क्षमता की प्राप्ति 1976–77 में प्राप्त होने की सम्भावना है ।

(घ) बेलाडिला संख्या 14 का गत तीन वर्षों का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(लाख टन)

| | कारखाने से | फ्लोट खनीज का खनन | कुल |
|---|---|---|---|
| 1971–72 . . . | 23.74 | 13.86 | 37.60 |
| 1972–73 . . | 20.37 | 17.02 | 37.39 |
| 1973–74 . . . | 24.69 | 18.66 | 43.35 |

**बैलाडिला खानों के लिये जापान का सहयोग**

3263. **श्री नीतिराज सिंह चोधरी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैलाडिला खानों के लिये जापान का क्या सहयोग है तथा हमने जापान से क्या वायदे किये हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** जापान ने बेलाडिला की लोह खनिज की खानों के निक्षेप संख्या 14 के विकास के लिए मार्च 1960 में 7.6 बिलियन येन (जो अवमूल्यन से पहले की विनिमय दर से लगभग 10 करोड़ रुपए बैठता है) का संधारक ऋण दिया था । जुलाई 1970 में बेलाडिला की लोह खनिज की खान में निक्षेप संख्या 5 के विकास के लिए उपस्करों और खनिज के आयात तथा विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए 616 मिलियन येन (लगभग 1.5 करोड़ रुपये) का एक और ऋण दिया था । यह ऋण विशाखापत्तनम बाह्य पत्तन तथा बेलाडिला निक्षेप 5 प्रायोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए दिए गए समस्त ऋण का ही भाग है ।

अप्रैल 1970 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा जापान की इस्पात मिलों के बीच हुए दीर्घ कालीन करार के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 से 1980 तक एक प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के अनुसार जापान को बेलाडिला से कुल 641.0 लाख टन खनिज की सप्लाई की जाएगी ।

**बैलाडिला लौह अयस्क की उत्पादन लागत**

3264. **श्री नीतिराज सिंह चोधरी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलाडिला लौह अयस्क की उत्पादन लागत, परिवहन खर्च और विशाखापत्तनम पर उसका नौतल-पर्यन्त-निशुल्क मूल्य क्या है,

(ख) बैलाडिला लौह अयस्क जापान को किस मूल्य पर बेचा जा रहा है, और

(ग) अन्य निक्षेपों से प्राप्त लौह अयस्क का नौतल-पर्यन्त-निशुल्क मूल्य क्या है और उसे किस मूल्य पर तथा किन किन देशों को निर्यात किया जा रहा है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बेलाडिला निक्षेप संख्या 14 में वर्ष 1973–74 में उत्पादित लौह अयस्क के उत्पादन की जानकारी नीचे दी गई है :–

| | (रुपये प्रति टन) |
|---|---|
| (1) वर्ष 1973–74 के दौरान उप्पादन लागत . | 24.49 |
| (2) बेलाडिला से विशाखापत्तनम बंदरगाह तक रेल भाड़ा | 37.40 |
| (3) बन्दरगाह प्रभार, आनुषंगिक तथा बिक्री . | 22.40 |
| (4) विशाखापत्तनम में जहाज तक निष्प्रभार लागत . | 84.29 |

(ख) वर्ष 1973–74 में जापान को भेजे गये बेलाडिला लौह अयस्क का विशाखापत्तनम बन्दरगाह पर विक्रय मूल्य 11.13 डालर (लगभग 85 रूपये) प्रति डी एल टी एफ ओ बी टी है। सितम्बर, 1974 से प्रति डी एल टी मूल्य बढ़ाकर 13.28 डालर (लगभग 100 रुपये) कर दिया गया है ।

(ग) अन्य निक्षेपों से तदनुरूपि ग्रेड का लौह अयस्क के रूप में नहीं बेचा जाता है और न ही बन्दरगाहों पर इस बात का रिकार्ड रखा जाता है कि माल किस खान का है। इसलिए जहाज तक निष्प्रभार लागत तथा खानवार ऐसे अयस्क की बिक्री से हुई आय के बारे मे बताना संभव नही है ।

### लौह अयस्क कणों और "ब्लू डस्ट" का जमा हो जाना

3265. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किरन्डूल में अब तक जमा हुए लौह अयस्क के कणों और 'ब्लू डस्ट' की कुल मात्रा कितनी है,

(ख) ये वस्तुएं प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में जमा होती है, और

(ग) इनका किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) अनुमान है कि बेलाडिला निक्षेप संख्या 14 से निकाले गये खनिज से अब तक कुल मिलाकर लगभग 60 लाख टन लौह अयस्क का चूरा इकट्ठा हो गया है। ब्लू डस्ट का कोई स्टाक नहीं है ।

(ख) बेलाडिला निक्षेप संख्या 14 से इस समय जिस दर से माल निकाला जाता है उससे प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख टन चूरा निकलता है ;

(ग) बेलाडिला से निकलने वाले लौह खनिज के चूरे का उपयोग करने के लिए पैलेट बनाने का एक कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

## अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कनवेन्शनों के निर्णयों की क्रियान्विति

3266. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की (एक) व्यवसायिक लोगों के लिए श्रमिकों को प्रतिकर सम्बन्धी कन्वेन्शन (कन्वेन्शन संख्या 18 और 42), (दो) आटोमेटिक शीट ग्लास वर्क्स में काम के घंटों के विनियमन सम्बन्धी कन्वेन्शन (कन्वेन्शन संख्या 43) और (तीन) बोटल वर्क्स में काम के घंटों में कमी (कन्वेन्शन संख्या 49) सम्बन्धी कन्वेन्शन को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक बीमारियों के लिए कर्मकार के प्रतिकर से संबंधित अभिसमय संख्या 18 और 42 का अनुसमर्थन किया जा चुका है । और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । आटोमेटिक शीट ग्लास वर्क्स में काम के घंटों के विनियमन संबंधी अभिसमय संख्या 43 और ग्लास बाटल वर्क्स में काम के घंटा में कमी संबंधी अभिसमय संख्या 49 का अनुसमर्थन अभी तक नहीं किया गया है ।

(ख) अभिसमय सं० 43 और 49 में यह व्यवस्था है कि जिन व्यक्तियों पर ये अभिसमय लागू होते हैं, उन्हें एक ऐसी प्रणाली के अन्तर्गत नियोजित किया जायेगा जिसमें कम से कम चार पालियों की व्यवस्था हो और यह कि ऐसे व्यक्तियों के काम के घंटे प्रति सप्ताह औसतन बयालीस घंटों से अधिक नहीं होंगे । इन दो अभिसमयों के उपबन्ध इस प्रकार के हैं कि सरकार का यह विचार है कि इनका इस समय अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता ।

## अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों के लिये राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी

3267. **श्री शशि भूषण :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची में उल्लखित विभिन्न उद्योगों के लिये राष्ट्रीय निम्नतम मजूरी निर्धारित करने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामले

3268. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामलों के बारें में 25 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम , 1954 के अन्तर्गत, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अदालती मामलों को निपटाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने भारत के अन्य राज्यों में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत कुछ और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**दक्षिण पूर्व एशिया में अमरीकी हस्तक्षेप**

3269. **श्री नुरुल हुडा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरिका ने विमान वाहक 'इन्टरप्राईज' सहित अपने नौसेना कृतिक बल (टास्क फोर्स) को दक्षिण वियतनाम की ओर जाने का आदेश दिया है क्योंकि विश्व के उस भाग में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे (नेशनल लिब्रेशन फ्रन्टस) को शानदार सफलताएं प्राप्त हो रही है ; और

(ख) क्या सरकार ऐसी जंगी चालों को अमरिका द्वारा शरारतपूर्ण हस्तक्षेप तथा दक्षिण पूर्व एशिया में शांति के लिए खतरा मानती है अथवा नहीं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) "एन्टरप्राइज" नामक विमान वाहक जहाज कई युद्धपोतों के साथ, 12 जनवरी, 1975 को हिंद महासागर में प्रविष्ट हुआ था और फारस की खाड़ी को चला गया था ।

(ख) सरकार के विचार सुविदित है । वह हिंद महासागर में बड़े शस्त्रों की नौसैनिक उपस्थिति और प्रतिद्वन्दिता के विरूद्ध है और इसे वह एक शांत क्षेत्र के रुप में देखाना चाहती है ।

**Rehabilitation of Adivasis in Paralkote Area of Madhya Pradesh**

3270. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government of India have rehabilitated Adivasi agriculturists in Paralkote area of Madhya Pradesh under the Dandakaranya Development Prooject Administration;

(b) if so, the facilities provided to Adivasis and Sahats;

(c) whether in the above context Government of India are considering a proposal for approval of the construction of Narainpur Dam on Jamari river; and

(d) if not, the reasons for not according approval thereto?

**The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) :** (a) Yes, Sir.

(b) 300 landless Adivasi families were settled in the Paralkote zone by the Dandakaranya Development Authority. Financial assistance upto Rs. 2,850 is given for the resettlement of each adivasi family.

If the term 'Sabat' ıferes to migrants, attention is drawn to Appendix VII of the Annual Report of the Department for 1973-74, which gives details of assistance to them.

(c) and (d) Due to financial stringency, it has not been possible to provide funds to the State Government for the construction of Narainpur Dam.

**Non-Deposit of Employees Provident Fund by Kohinoor Mill Co. Ltd. Bombay**

3271 **Shri Hukam Chand Kachwai,** will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether Kohinoor Mill Company Limited, Bombay has not deposited full amount of provident fund of the employees;

(b) if so, the amount deposited as also the amount yet to be deposited; and

(c) the action being taken by Government against the said company in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) :** The Provident Fund authitiores have reported as under:—

(a) and (b) M/S Kohinoor Mill Company Limited has paid the full amount of provident fund dues up to December 1974. During the last three years they have deposied provident fund dues as follows:—

| | |
|---|---|
| 1972 . . . . . . . | Rs. 51.66 lakhs |
| 1973 . . . . . . . | Rs. 54.70 lakhs |
| 1974 . . . . . . . . | Rs. 66.15 lakhs |

Dues amounting to Rs. 6.39 lakhs for January, 1975 have not yet been paid.

(c) Demand notice has been sent on 3-3-75. Revenue Recovery action and prosecution are being initiated.

**Reduction in Prices of Imported Steel**

3272. **Shri Hukamchand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the rate of steel, imported by Government to be used by the project officers, is much more than that of the indigenous steel;

(b) whether the project officers are not lifting the steel because of high prices;

(c) whether Government have under consideration any proposal to reduce the prices of steel imported for the projects; and

(d) if so, the steps taken in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) :**(a) and (b). The price of imported steel inclusive of Ocean Freight and Duties is generally higher than that of indigenous steel. Bulk of the imported steel has been taken delivery of by the consumers. Efforts are being made by the consumers to lift even the balance quantity of imported steel.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

**उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण**

3274. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम** मंत्री उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 तथा 1970 अथवा 1969, जो भी नवीनतम हो, में "टोटल वैल्यु ऐडेड बाई मेन्युफैक्चर" क्या थी ;

(ख) वर्ष 1960 तथा 1970 में कुल मजूरी बिल (वेतन तथा अनुषंगी लाभ निकालकर) कितना था ;

(ग) वर्ष 1960 तथा 1970 में प्रति व्यक्ति मजूरी कितनी थी ;

(घ) वर्ष 1960 तथा 1970 में प्रति श्रमिक "टोटल बैल्यू एडेड बाई मेन्यूफैक्चर" क्या थी ; और

(ङ) वर्ष 1960 तथा 1970 में "टोटल वैल्यू एडेड बाई मैन्युफैक्चर" में मजूरी अंश (प्रतिशत में) कितना था?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा):** (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**1960 और 1970 के वर्षों के लिए होटल वैल्यू एड़ेड़ मजदूरियां, प्रति व्यक्ति मजदूरी और प्रति व्यक्ति वैल्यू एड़ेड आदि दर्शाने वाला विवरण**

| क्रमांक | अभिलक्षण | इकाई | 1960 | 1970 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मैन्युफैक्चर द्वारा जोड़ी गई टोटल वैल्य | लाख रुपये | 100,609 | 321,501 |
| 2. | मज़दूरियां . . . . | लाख रुपये | 387,43 | 108,207 |
| 3. | प्रति व्यक्ति मज़दूरी . . | रुपये | 1,202 | 2,558 |
| 4. | प्रति व्यक्ति मैन्यूफैक्चर द्वारा जोड़ी गई टोटल वैल्यू | रुपये | 3,122 | 7,599 |
| 5. | मैन्यफैक्चर द्वारा जोड़ी गई टोटल वैल्यू में मज़दूरियों के भाग की प्रतिशतता | | 38..5 | 33.7 |

**टिप्पणियां :**

(1) सूचना भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2ड(i) और 2ड (ii) के अधीन पंजीकृत कारखानों से संबंधित है, जिसमें बिजली की सहायता से चलने वाले और 10 या इससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखाने और बिना बिजली की सहायता से चलने वाले और 20 या इसस अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखाने शामिल हैं। रक्षा संस्थापनों, तेल संग्रहण वितरण एककों, जल सम्भारण केन्द्रों, स्वच्छता सेवाओं, सिनेमा, लैंडरियों और रंगने के कार्यों को प्रथानसार कारखाने की परिधि से बाहर रखा जाता है।

(2) **मजदूरियों में**, वर्ष के दौरान किए गए काम के लिए श्रमिकों को नकदी में किए गए भुगतान, शामिल हैं, जैसे मूल मज़दूरी, महंगाई भत्ता, समयोपरि भत्ते के भुगतान पाली भत्ता, छुट्टियों की मज़दूरी, सवेतन छुट्टियों के लिए मजदूरी, सभी बोनस, जैसे लाभ संहभागिता बोनस, उत्पादन बोनस, अच्छी हाजिरी बोनस, प्रोत्साहन बोनस,आदि, और समय-समय पर नकदी में किए गए अन्य भुगतान, नियमित और तदर्थ, सांविदिक का अनुग्रहपूर्वक ।

(3) **मैन्यूफैक्चर द्वारा जोड़ी गई वैल्यू** : कुल उत्पादन का वह भाग है जिसे कारखाने में पैदा किया जाता है और जिसे उत्पादन के कुल मूल्य में से निवेश और मूल्यह्रास का कुल मूल्य घटा कर प्राप्त किया जाता है।

(4) वर्ष 1970 के संबंध में आंकड़े अनन्तिम हैं।

## राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड

3275. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग एक वर्ष पूर्व उनके मंत्रालय ने मजूरी नीति का प्रारूप तैयार किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय मजूर बोर्ड के गठन का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस प्रारूप का क्या हुआ ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) से (ग) औद्योगिक संबंध विधान में, जोकि अभी विचाराधीन है, राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड आयोग स्थापन करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

## दिल्ली के अस्पतालों को घटिया स्तर के रक्त की सप्लाई

3276. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

**श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि वाणिज्यिक संगठनों द्वारा दिल्ली में सरकारी अस्पतालों को सप्लाई किया गया रक्त अपेक्षित से घटिया स्तर का होता है और कई बार अपमिश्रित पाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) क्या वाणिज्यिक संगठनों द्वारा अपमिश्रित रक्त की सप्लाई को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

## कर्मचारी भविष्य निधि की राशि पर ब्याज की दर बढ़ाना

3277. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार रुपये के वर्तमान मूल्य को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि की राशि पर ब्याज की दर को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : ब्याज की दर, कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की समय-समय पर की गई सिफारिश के आधार पर प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है। इस समय ब्याज की दर को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## मलेरिया तथा अन्य संक्रामक रोगों का निवारण

3278. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मलेरिया तथा अन्य संक्रामक रोगों के रोगियों को संख्या में अचानक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं और उनके फैलने को रोकने के लिए सरकार का क्या तत्काल प्रभावी उपाय करने का है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) मलेरिया का प्रकोप बढ़ा है। किन्तु हैजा, कुष्ठ, फाइलेरिया, रति रोग, क्षय रोग और रोहे जैसे दूसरे संक्रामक रोगों का प्रकोप भी अचानक बढ़ गया है इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। चेचक की घटनायें कम देखने में आई हैं।

(ख) मलेरिया के प्रकोप में वृद्धि के मूख्य कारण, दूसरी बात के साथ-साथ इस प्रकार हैं:—

1. पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाओं समय पर मिलने और वितरण करने में कठिनाइयां ।
2. कुछ क्षेत्रों में विशेष प्रकार के मच्छरों द्वारा आम प्रयुक्त किट नाशक दवाइयों को सहन कर लेना ।
3. देश के कुछ भागों में मच्छरों का विशेष मलेरिया निरोधी दवाओं को बर्दाश्त करना ।
4. ऐसी विशेष मलेरिया निरोधी दवाओं की कमी होना जिनके लिए कच्ची सामग्री बाहर से मंगाई जाती है ।
5. तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकरण के परिणामस्वरुप अधिक संख्या में मच्छरों का पैदा होना ।

मलेरिया, फाइलेरिया, चेचक, हैजा, कुष्ठ, रतिरोग, और क्षयरोग जैसे मुख्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को केन्द्र पोषित योजनाओं के रुप में पांचवी योजना के दौरान चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जैसा आवश्यक हो इसके उत्तम कार्यान्वियन के लिए कार्यवाही की जाती है।

## देश में वायु सेना भर्ती केन्द्र

3279. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वायु सेना के लिये भर्ती सम्बन्धी कार्यालयों/केन्द्रों के नाम क्या हैं तथा वे किस-किस राज्य में विद्यमान हैं ;

(ख) वायु सैनिकों की भर्ती के लिये हिमाचल प्रदेश में अब तक कोई केन्द्र/कार्यालय स्थापित न किये गये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसा केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी अनुरोध को शीघ्र स्वीकार किया जायेगा ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) वायुसैनिकों के लिए भर्ती केन्द्र सभी क्षेत्रों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर खोले गये हैं किसी विशेष राज्य के लिए खासतौर से नहीं। अम्बाला में वायु सेना भर्ती कार्यालय के

अन्तर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मिर, हरियाणा ( रोहतक और गुड़गांव जिलों को छोड़कर) और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ आते हैं और यह कार्यालय हिमाचल प्रदेश के लिए भी सुविधाजनक है ।

**विवरण**

| क्रम संख्या | केन्द्र का नाम और वह राज्य जिस में स्थित है | हर भर्ती केन्द्र के अन्तर्गत क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | देहरादून (उ० प्र०) | इन तीनों केन्द्रों में सारा देश सम्मिलित है । |
| 2 | वाराणसी (उ० प्र०) | |
| 3 | मैसूर (कर्नाटक) | |
| | **वायुसैनिक** | |
| 1 | अम्बाला (हरियाणा) . . | जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और हरियाणा। (रोहतक और गुड़गांव जिलों को छोड़कर) |
| 2 | बंगलोर (कर्नाटक) . . | केरल और कर्नाटक। |
| 3 | बम्बई (महाराष्ट्र) . . | महाराष्ट्र और गुजरात, गोआ, दियू और दमन दादरा और नगर हवेली । |
| 4 | भुवनेश्वर (उड़ीसा) . . | उड़ीसा । |
| 5 | कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) . | पश्चिम बंगाल । |
| 6 | दिल्ली . . . | संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली, हरियाणा के गुड़गाव और रोहतक जिले बरेली, कुमाउं और मेरठ प्रभाग उत्तर प्रदेश के मथुरा और अलीगढ़ जिले । |
| 7 | बेगमपत (आंध्र प्रदेश) . . | आंध्र प्रदेश । |
| 8 | गोहाटी (असम) . . | असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल और मिजोरम का संघ शासित क्षेत्र । |
| 9 | जोधपुर (राजस्थान) . . | राजस्थान । |
| 10 | कानपुर (उत्तर प्रदेश) . . | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (मेरठ, बरेली और कुमाउं प्रभाग और अलीगढ़ तथा मथुरा जिलों को छोड़कर) । |
| 11 | पटना (बिहार) . . | बिहार । |
| 12 | ताम्बरम (तमिलनाडू) . . | तमिलनाडू । |



7—16 LSS/ND/75

## दिल्ली परिवहन निगम द्वारा विवेक विहार कालोनी से चालू किये गये बस रूटों पर बसों के चलने की बारंबारता

3280. श्री मधु लिमये : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने भूतपूर्व परिवहन मंत्री श्री राजबहादुर द्वारा जुलाई 1973 में विवेक बिहार कालोनी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में विवेक बिहार कालोनी से चालू किये गये बस रूटों पर बसों के चलाने की बारंबारता के बारे में किये गये निर्णयों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने अपने शासी निकाय के सदस्यों में से एक सदस्य को व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करने के विचार से विवेक बिहार कालोनी के बीच से चलने वाले रूट संख्या 11-ए को समाप्त कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन मामलों में क्या कार्यवाही की है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) से (ग) विवेक विहार के निवासियों की ओर से कुछ प्रतिनिधियों ने अप्रैल, 1974 में नौवहन और परिवहन मंत्री के साथ बातचीत की। बाद में नवम्बर, 1974 में वे दिल्ली परिवहन निगम के उपाध्यक्ष से भी मिले। उनकी मुख्य मांगे निम्न प्रकार से थी :–

(1) विवेक बिहार की सी व डी ब्लाकों से होकर 11 ए और 11 एच मार्गों का मोड़;

(2) मार्ग सं० 11 एच की सेवाओं की 40 मिनटों से 30 मिनटों की बारम्बारता में वृद्धि; और

(3) विवेक विहार से इन्द्रप्रस्थ टर्मिनल तक चालू मार्ग सं० 311 का दिल्ली गेट तक विस्तार अनुरोधननुसार 11 ए और 11 एच मार्गों को तुरन्त मोड़ दिया गया। परंतु चूंकि चक्करदार मार्ग होने के कारण इसकी दूरी बढ़ गई थी अतएव निवासियों को निगम के मौजूदा किराया ढांचे के अनुसार प्रति यात्रा 5 पैसे अधिक देने पड़ते थे। झिलमिल और कस्तूरबा नगर कोलोनियों के निवासी संघ, जो कि इन मार्गों द्वारा भी सेवित होते थे, ने इस मोड और इसके परिणामस्वरुप किराये में हुई वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया। इस क्षेत्र से निर्वाचित महानगर परिषद के सदस्य की सलाह पर, मार्ग सं० 11 को पहले की तरह कर दिया गया। रूट सं० 11 एच पर बस सेवाओं की बारम्बारता बढ़ाकर 40 मिनट से 24 मिनट कर दी गई है।

मार्ग सं० 311 को भी दिल्ली गेट तक बढ़ा दिया गया है।

## जीवन निर्वाह सूचकांक

3281. श्री मधु लिमये : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के 12 महीनों में, प्रत्येक महीने में जीवन निर्वाह सूचकांक (अखिल भारतीय) क्या था ;

(ख) वर्ष 1973 के उन्हीं महीनों में जीवन निर्वाह सूचकांक क्या था ; और

(ग) क्या जीवन निर्वाह सूचकांक के वर्ष 1975 में और आगे बढ़ जाने की सम्भावना है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जनवरी, 1975 संबंधी सूचकांक दिसम्बर, 1974 के 326 के स्तर पर स्थिर रहा है। एक महीने की स्थिति के आधार पर 1975 के सारे वर्ष के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ।

## विवरण

**1973 और 1974 के वर्षों के लिए 1960-100 आधार पर औद्योगिक श्रमिकों संबंधी अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (मासिक आंकड़े)**

| मास | 1973 | 1974 |
|---|---|---|
| जनवरी . . . . . | 210 | 264 |
| फरवरी . . . . | 213 | 267 |
| मार्च . . . . . | 216 | 275 |
| अप्रैल . . . . . | 221 | 283 |
| मई . . . . . | 228 | 294 |
| जून . . . . . | 233 | 301 |
| जुलाई . . . . . | 243 | 311 |
| अगस्त . . . . | 247 | 321 |
| सितम्बर . . . | 248 | 334 |
| अक्तूबर . . . . | 254 | 335 |
| नवम्बर . . . | 259 | 331 |
| दिसम्बर . . . . . | 260 | 326 |

### चीन की टेबल टेनिस टीम द्वारा भारत का दौरा

3282. **श्री समर गुह : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की भारत के दौरे पर आने वाली टेबल टेनिस टीम ने महत्वपूर्ण सरकारी व्यक्तियों से मुलाकात की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) चीनी दल को भारत में दिये गत स्वागत के बारे में चीनी समाचार पत्रों में किस प्रकार का प्रचार किया गया ;

(घ) क्या भारत ने ऐसे प्रचार के प्रभावों का अध्ययन किया है ; और

(ड.) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) और (ख) चीन की टेबल टेनिस टीम ने दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा उपमंत्री से और शिक्षा सचिव से तथा कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से शिष्टाचार के नाते भेंट की थी ।

(ग) चीन के अखबारों ने चीनी टीम की इस यात्रा की खबरें विस्तार के साथ छापी थीं।

(घ) और (ड.) भारत के प्रति चीन के रवैये के संदर्भ में इस प्रचार की ओर सरकार ने यथोचित ध्यान दिया है।

**देहरादून तथा पूना स्थित रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला**

3283. **श्री समर गुह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून और पूना स्थित रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 1972-1973 और 1974 में दाखिले के राज्य-वार, आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या कुछ वर्गों के लोगों के साथ दाखिले में पक्षपात के बारे में विभिन्न अवसरों र शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त दोनों सैनिक अकादमियों में भरती के नियमों तथा प्रक्रियाओं पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन करेगी जिससे कि देशभर के अपेक्षित अर्हताओं वाले युवकों को न्यायोचित और समान अवसर प्राप्त हो सकें ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) सूचना देना लोकहित में नहीं है।

(ख) जी नहीं श्रीमन् ।

(ग) जी नहीं श्रीमन् । नेशनल डिफेन्स अकादमी और इंडियन मिलिट्री अकादमी में प्रवेश जाति, मत, राज्य अथवा धर्म के आधार पर न होकर पूर्णतया गुण के आधार पर होता है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने तथा उपयुक्त सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा उनकी उपयुक्ति का निर्धारण करने के बाद प्रवेश मिलता है। इस पद्धति से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है और यह पद्धति सन्तोषजनक रूप से काम कर रही है।

**भारतीय प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आणविक क्षमता का उपयोग**

3284. **श्री समर गुह :**

**चौधरी राम प्रकाश :**

**श्री विभूति मिश्र :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा पाकिस्तान की आक्रमक रक्षा नीति के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अपनी आणविक क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** परमाणु अस्त्रों के उत्पादन के बारे में सरकार की नीति सदन को कई बार स्पष्ट की जा चुकी है। यह नीति अणु उर्जा को केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की है। सरकार को अभी भी विश्वास है कि हमारी सीमाओं की रक्षा परम्परागत शस्त्रों के आधार पर पर्याप्त सैनिक तत्परता द्वारा भली प्रकार से सुनिश्चित की जा सकती है।

**खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा एफ० सी० आई० के लिये नौभरक लाइसेंस**

3285. **श्री रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनिज तथा धातु व्यापार निगम और एफ० सी० आई० के लिये नौभरक लाइसेंस प्राप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने किसी बड़े पत्तन में नौभरण लाइसेंस के लिये कोई आवेदन नहीं दिया है। परन्तु मिनरल्स एण्ड मैटलस ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ने मारमुगाव पत्तन के लिये नौभरण लाइसेंस के लिये आवेदन दिया है और मामले पर पत्तन प्राधिकरण जांच कर रहा है।

**भारतीय वायु सेना के लिए विदेशी मुद्रा संकट**

3286. **श्री रानेन सेन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा संकट से भारतीय वायु सेना के लिए कठिनाइयां पैदा होती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) भारतीय वायु सेना को कठिनाईयों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) इस परिस्थिति को संकट कहना ठीक नहीं होगा। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां सर्वविदित हैं और वे हमारे देश के लिए ही विशेष नहीं हैं। हमारे प्रयत्न सदा यही रहे हैं कि अपनी रक्षा तत्परता को नियन्त्रित स्रोतों के अनुसार सन्तोषजनक स्तर तक रखा जाए।

**वियतनाम के जनमुक्ति मोर्चे की मान्यता**

3287. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वियतनाम के जन मुक्ति मोर्चे को मान्यता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) और (ख) सरकार ने दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के साथ और अधिक सीधे संबंध और औपचारिक सम्पर्क स्थापित करने का निर्णय किया है। इसके ब्यौरे पर बातचीत चल रही है और जैसे ही इन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार, नई दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित कर लेगी।

**विभिन्न उद्योग द्वारा मध्यस्थों के पेनल का गठन**

3288. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिये एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में विभिन्न उद्योगों द्वारा सरकार के सहयोग से मध्यस्थों के पेनल का गठन किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या इस कार्यवाही से औद्योगिक शान्ति बनाये रखने में और उत्पादकता बढ़ाने में क़ाफी सहायता मिलेगी ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) और (ख) औदयोगिक विवाद अधिनियम, निर्दिष्ट क्षेत्रों या निर्दिष्ट उदयोगों के लिए संराधन अधिकारियों को नियुक्ति के लिए पहले ही व्यवस्था करता है । इसलिए, संसाधकों नामिकाएं गठित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

## तुर्क-साइप्रेस वासियों द्वारा संघ सरकार की घोषणा

3289. **श्री राजदेव सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तुर्क-साइप्रेस वासियों से सहमत है, जिन्होंने साइप्रस के उत्तरी भाग में संघ सरकार को स्थापना को घोषणा की है ;

(ख) यदि नहीं, तो अपने विमत को प्रकट करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ; और

(ग) क्या विश्व को किसो सरकार ने तुर्क-साइप्रस वासियों की इस कार्यवाही से सहमति प्रकट की है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) :** (क) और (ख) साइप्रस को प्रभु-सत्ता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने को भारत सरकार की नोति में कोई परिवर्तन नहीं है । भारत उपरोक्त सिद्धान्तों को समहित करने वाले प्रस्ताव सं० 3212 के पेश करने वालों में से था जिसे संयुक्त राष्ट्र को महा सभा में 1 नवम्बर, 1974 को स्वीकार किया गया था । इस प्रस्ताव में साइप्रस के दोनों समुदायों से यह भी कहा गया है कि परस्पर सहमत किसी राजनीतिक समाधान पर पहुंचने के लिए वे आपस में स्वच्छंद रूप से बातचीत करें । हम किसी भी ऐसी बात के पक्ष में नहीं हैं जो साइप्रस को जनता को किसी स्वीकृत समझौता पर पहुंचने में बाधक हो, संयुक्त राष्ट्र में अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के उपरोक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन के उपाय ढूंढने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं ।

(ग) तुर्की ने तुर्की-सायप्रस वासियोंका समर्थन किया है । अन्य सरकारों द्वारा किये गये ठीक-ठीक समर्थन की हमें कोई जानकारी नही है ।

## राज्यों द्वारा मालवाही जहाजों की खरीद के लिये बात-चीत

3290. **श्री राजदेव सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई राज्य सरकार मालवाहो जहाजों को खरीद के लिये बातचीत कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि केरल राज्य नौवहन निगम तीन मालवाहो जहाजों को खरीद के लिये बुल्गारिया से बातचीत कर रहा है;

(ग) क्या केरल सरकार को बुल्गारिया के साथ बातचीत करने का प्राधिकार दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या अन्य राज्य सरकारों को भी विदेशी सरकारों से बातचीत करने का प्राधिकार दिया जा सकता है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** (क) भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई नौचालन कंपनी, जिस में इस प्रकार पंजीकृत सरकारी निगम शामिल है, जहाजों को खरीद के लिये बातचीत कर सकती है, परन्तु जहाज को खरीद का प्रस्ताव तथा उसकी शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत करवानी होती है ।

(ख) यह पता चला है कि केरल नौवहन निगम, जो एक सरकारी कंपनी है, माल जहाजों की खरीद के लिये बलगेरिया में शिपयार्डों के साथ बातचीत कर रहा है।

(ग) जी नहीं। किसी भी प्रस्तावित करार के लिये केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति लेनी होगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

**भारत में लोह अयस्क के सर्वाधिक निक्षेप**

**3291. श्री विभूति मिश्र :**
**श्री राजदेव सिंह :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह अयस्क का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पहली बार तैयार की गई 'स्टेट्स रिपोर्टस" में देश के लोह अयस्क निक्षपों की जानकारी में भारी कमी होने तथा वास्तविक खनन प्रक्रियाओं में गम्भीर त्रुटियां होने का रहस्योद्‌घाटन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह माना जा सकता है कि भारत के पास विश्व में सब से अधिक लोह अयस्क निक्षेप है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) पिछली बार वर्ष 1972 में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था और इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स ने मिल कर देश में लोह खनिज के निक्षेपों का अनुमान लगाया था। निक्षेपों का अनुमान तीन श्रेणियों अर्थात (1) मापित (2) निर्दिष्ट और (3) अनुमानित के आधार पर लगाया था। नए निक्षेपों का पूर्वेक्षण करना तथा अनुमान लगाना एक सतत प्रक्रिया है। लौह अयस्क बोर्ड ने उपलब्ध डेटा के आधार पर बिहार उड़ीसा कर्नाटक में बेलारी हास्पेट और गोआ में समस्त निक्षेपों की स्थिति, विभिन्न क्षेत्रों में पट्‌टे पर दिये गये क्षेत्रों में किये गये समन्वेषण तथा उत्पादन के तरीकों के बारे में पता लगाने के लिए कुछ अध्ययन करने का काम आरम्भ किया था। इन अध्ययनों से यह पता चला है कि निजी क्षेत्र की लौह खनिज की खानों में खनन कार्य उचित तथा वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया गया है।

**कारखाना मजदूरों द्वारा हड़ताल**

**3292. श्री एम० एस० पुरती :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान उद्योग के संगठित क्षेत्र में राज्यवार कितने कारखानों में मजदूरों ने हड़ताल की ; और

(ख) उक्त अवधि में समझौता व्यवस्था द्वारा राज्यवार ऐसे कितने विवाद हल किये गये ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

**गुट निरपेक्ष देशों के साथ परमाणु संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान**

**3293. श्री विभूति मिश्र :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1975 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में यूगोस्लाविया द्वारा परमाणु संबंधी जानकारी के आदान प्रदान (यूगोस्लाविया फोर शेयरिंग न-नो-हाउ) के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, भारत गुट-निर्पेक्ष देशों के साथ किस सिमा तक उक्त जानकारी का आदान-प्रदान करेगा; और

(ग) इस से भारत को क्या लाभ होगा ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास)** : (क) जो हां।

(ख) और (ग) नाभिकोय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने के लिए, यूगोस्लाव के उप प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्ष देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर आम राय प्रकट की थी। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विभिन्न आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में गुट निरपेक्ष देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के संदर्भ में ठीक प्रकार का विचार किया जाएगा।

**Kalazar Epidemic in Bihar**

3294. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in local daily dated the 17th February, 1975 under the caption "Bihar mein Kalazar Mahamari" (Kalazar epidemic in Bihar);

(b) if so, the measures proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) the names of the new drugs developed for its cure?

**The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning : (Shri A. K. M. Ishaque) :** (a) Yes.

(b) The State Government has been advised to carry out insecticide spraying in the affected areas to control the transmission of the disease by sand-flies. Measures are also being taken to improve the supply of suitable drugs for the treatment of the disease.

The National Institute of Communicable Diseases, Delhi has undertaken intensive field studies into the various aspects of this disease and to outline suitable measures to check it.

(c) Research studies to explore the possibility of use of newer antibiotics and drugs for treatment of Kalazar, are being intensified. Recently Amphoteracin B, in antibiotic has been used abroad.

**Chinese Movements in Indian ocean and Neighbouring Countries**

3295. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state:

(a) whether China is giving assistance to Nepal, Thailand, Burma, Korea ;

(b) if so, whether China is also strengthening its position strategically in the Indian Ocean ;

(c) if so, whether by strenghtening her position in the neighbouring countries of India and in the Indian Ocean, China is posing a threat to India ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipin Pal Das)** : (a) Like other countries China has given assistance to Nepal Burma and the Democratic Peoples' Republic of Korea.

(b) to (d) So far as we are aware China does not have a naval presence in the Indian ocean though she is capable of developing one in future. The Government of India is fully aware of the implications of moves by other powers to strengthen their presence and positions in the region including the Indian Ocean. All such developments having a bearing on our security are taken fully into account in planning the country's defence measures.

## एच० एस० एल० का पुर्नानर्माण

**3296. श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एच० एस० एल० का पुर्ननिर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) :** स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के बन जाने से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में कुछ और समय लगेगा ।

## भारत इराक संबंध

**3297. श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक पर ईरान की निरन्तर आक्रमक गतिविधियों तथा उनका सीमावर्ती झड़पों को देखते हुए भारत इराक तथा ईरान के बीच मध्यस्थता करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ख) क्या ईरान के साथ हमारी बढ़ती हुई मित्रता के कारण इराक के साथ हमारे संबंध कुछ ढीले पड़ गये है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) और (ख) इराक और ईरान के बीच समस्याओं पर, मध्यस्थता करने का कोई प्रस्ताव भारत के सामने नहीं आया है। हाल ही में अल्जियर्स में दोनों देशों के बीच हुए समझौते का, सरकार स्वागत करते है, इन दोनों देशों, के साथ भारत के घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं ।

## हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

**3298. मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० अपनी अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के विभिन्न डिवीजनों में कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और वर्ष 1974-75 में वित्तीय दृष्टि से उनका कार्य निष्पादन कैसा रहा; और

(ग) इन एककों के अकुशल कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) कुल मिलाकर हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। तथापि कानपुर और मिग प्रभागों की कतिपय शापों में कुछ फालतू क्षमता है। फालतू क्षमता के उपयोग के प्रश्न पर हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा लगातार विचार किया जा रहा है और जहां कहीं सम्भव है उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के विभिन्न प्रभागों की क्षमता अथवा उत्पादन के आंकड़े प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा। । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के वर्ष 1974-75 के लेखों को अभी अन्तिम रुप नहीं दिया गया है। तथापि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के 1974–75 के वित्तीय कार्य में पिछले वर्षों की अपेक्षा सुधार होने का प्रत्याशा है ।

### पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव

3299. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं के जमाव में लगातार वृद्धि होती जाती है : और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं श्रीमन ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### औद्योगिक श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध न होना

3300. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विषाक्त रसायनों, गर्मी, शोर से प्रभावित वातावरण में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थय-सेवायें न उपलब्ध होने के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन दल द्वारा निकाले गये निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा समय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

### बंगलादेश सरकार के ढांचे में परिवर्तन

3301. **श्री पी० वेंकटासुब्बय्या :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगलादेश सरकार के ढांचे में हाल में हुए परिवर्तन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) जी हां ।

(ख) कोई देश अपने यहां के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था चुनता है यह उसका अपना घरेलू मामला है ।

**आसाम में राष्ट्रीय राजपथों पर किया गया खर्च**

**3302. श्री रोबिन ककोटी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम में वर्ष 1972–73 और 1973–74 में विभिन्न राष्ट्रीय राजपथों पर पुलियाओं पुलों तथा मोड़ों को मरम्मत और निर्माण पर केन्द्रीय सरकार ने कितना धन खर्च किया, और इन प्रयोजनों के लिये वर्ष 1974–75 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

(ख) क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष आसाम में भारी और लम्बे समय तक हुई वर्षा बाढ़ों और भारी यातायात के कारण सभी राष्ट्रीय राजपथों की अत्यधिक क्षति हुई है, और

(ग) यदि हां, तो इन राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई और यह वित्तीय मंजूरी अन्तिम रूप से कब दी गई ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) सूचना नीचे दी गई है।

| व्यय | 1972–73 | 1973–74 | राशि जो मंजूर की गई है / आबंटित की गई है 1974–75 (रु० लाखों में) |
|---|---|---|---|
| निर्माण कार्य जिसमें पुलियों पुलों और मोड़ों का निर्माण शामिल है। | 188.74 | 90.94 | 73.00 |
| रखरखाव और मरम्मत | 67.80 | 62.66 | 122.42 |
| कुल | 254.54 | 153.60 | 195.42 |

(ख) जी हां।

(ग) असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव और मरम्मत के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 122.42 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है जो निम्नप्रकार है।

| स्वीकृत राशि (रु० लाखों में) | स्वीकृति की तारीख |
|---|---|
| 14.00 | 25–4–1974 |
| 45.64 | 12–9–1974 |
| 13.09 | 11/17–12–1974 |
| 49.69 | 20–2–1975 |

**सशस्त्र सेनाओं में उड़ीसा के व्यक्ति**

3303. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अलग अलग उड़ीसा के कितने कितने व्यक्ति हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक)** : सूचना देना लोकहित में नहीं है ।

---

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर): मैंने मोहन धारिया के मामले के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया था ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : मैंने ध्यान आकर्षण सूचना दी थी । स्वदेशी कपड़ा मिल कानपूर में तालाबन्दी है जिससे 15,000 कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । ये सब कार्य सूची में नहीं है ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री इस बारे में कुछ कहें ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह से सभा का कार्य नहीं चल सकता ।

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : The Ministers are very often violating the direction which reads as follows:—

"Answering to questions given in the House shall be complete as far as possible such part there of, shall be answered separately".

I had given notice of a question on imported machinery in Maruti Limited which contained three parts. These parts have been clubbed and the answered has been avoided. Thus I want your guidance as to how I can persue this matter ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी जांच करूंगा ।

**Shri Madhu Limaye** : The hon. Minister has violated your direction explicitly. You may kindly ask him that he should follow direction 13-A. He has admitted that imported machinery has been used in Maruti.

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने मुझे लिख दिया है फिर आप इस प्रश्न को क्यों यहां उठा रहे हैं ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा उठाने की अनुमति दी जाए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री मधु लिमये को बता दूंगा कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है । उनका पत्र आज मुझे मिल गया है ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मैं इस बारे में पिछले चार रोज से बोलता आ रहा हूं । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हिदायतें जारी की है कि कपड़ा मिल खोल दिया जाए परन्तु उनका भी कोई असर नहीं हुआ है । केन्द्र को इस बारे में हस्तक्षेप करना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न अनायास ही नहीं उठाए जा सकते । इनकी विधिवत सूचना दी जानी चाहिए ।

---

## आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
## RE. QUESTION OF PRIVILAGE AGAINST AIR

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : श्री मोहन धारिया ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब तक श्री गुजराल आकाशवाणी द्वारा की गई विद्वेषपूर्ण घोषणा के बारे में खेद प्रकट नहीं करते उन्हें विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना होगा। मैं ने इस बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है तथा विशषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है।

हम आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचारों को गैर-सरकारी समाचारपत्रों के समाचार के श्रेणी में नहीं रख सकते। आकाशवाणी द्वारा जो भी घोषणा की जाए वह सरकारी घोषणा मानी जाती है। अतः इससे पता चलता है कि आप द्वारा दिए गए विनिर्णय तथा राष्ट्रपति भवन से जारी किए गए बुलेटिन का अवमान है।

अतः मेरा निवेदन है कि या तो श्री गुजराल सदन के सामने खेद प्रकट करे या इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री धारिया और मंत्री महोदय के वक्तव्य को देखूंगा तथा इस बारे में अपनी राय बनाउंगा।

---

## सभा-पटल पर रखे गए पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### तम्बाकू उत्पादन-शुल्क समिति आदि की मुख्य सिफारिशें

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुकर्जी)** : मैं सिगरेटों के अतिरिक्त तम्माकू और उससे बनी चोजों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों सम्बन्धी तम्बाकू उत्पाद शुल्क समिति की मुख्य सिफारिशों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 9163/75]**

### मुगल लाइन आदि के कार्यकरण की समीक्षा

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी [संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हू :—

(एक) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9164/75]**

(2) व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत व्यापार पोत (पोत ध्वंश और उद्धारण) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 259 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9165/75]**

## दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का निर्वाचन) संशोधन नियम, 1975

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 479 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 फरवरी 1975 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 2(30)/73–एल० एस० जी० में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 9166/75]

## नौसेना छुट्टी (दूसरा संशोधन) विनिमय, 1975

**रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक)** : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना छुट्टि (दुसरा संशोधन) विनिमय, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 77 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9167/75]

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

# CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

## जूनागढ़ के निकट 40 तीर्थयात्रियों की मृत्यु का समाचार

**श्री पी० एम० मेहता (भावनगर)** : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय कि और दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दे :

"11 मार्च, 1975 को महाशिवरात्रि मेले के अवसर पर जूनागढ़ के निकट 40 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो जाने का समाचार"

**गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)** : गुजरात सरकार से प्राप्त प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार दुखद घटना 11 मार्च, 1975 को प्रातः 10 बजकर 15 मिनट पर घटी। महाशिवरात्रि के अवसर पर गिरनार की पहाड़ी पर चढने वाले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ थी। जब तीर्थयात्री पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो मालीपरब के उपर सुरक्षात्मक मुडेर का 16 फीट लम्बा हिस्सा गिर पडा। वे पहाडो की तरफ लगभग 200 फीट गहरे गडडे में गिर गए जिसके परिणाम स्वरुप 26 व्यक्ति मर गए और 10 जखमो हो गए घायलो में से 2 कि हालत चिन्ताजनक बताई जाती है। 20 शवों की पहचान कर ली गई है और उनके संबंधियों को सौंप दिये गये हैं। सूचना मिलने पर तूरन्त पुलिस उप महानिरीक्षक, राजकोट रेंज तथा पुलिस अधीक्षक, जूनागड घटना स्थल पर चिकित्सा सहायता, अतिरिक्त पुलिस दल तथा कुछ प्रमुख साधुओं के साथ पहुंचे और प्रथम चिकित्सा सहायता का बन्दोबस्त किया। उन्होंने मृतक तथा घायल व्यक्तियों को वहां से हटाया और अन्य तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित आबाजाई की देखभाल की। राज्य सरकार ने कमाने वाले प्रत्यक मृतक व्यक्ति के परिवार को 500.00 रु० और अन्य मामलों में 250.00 रु० की राशि स्वीकृत की है पर यह राशि प्रति परिवार अधिक से अधिक 1500.00 रु० होगी।

2. बड़े दुख की बात है कि दुर्घटना में काफी व्यक्ति मारे गये या घायल हुये और भारत सरकार शोक संतप्त परिवारों तथा घायल व्यक्तियों के साथ गहरी सहानुभूति व्यक्त करती है। जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले में जांच करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, जूनागड, को नियुक्त करने का निर्णय किया गया है।

**श्री पी० एम० मेहता** : गिरनार पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य है । यहां की पहाड़ियों से मीठा पानी बहता है । गिरनार का अपना ऐतिहासिक महत्व है । यहां पर कई घटनाएं घटी है परन्तु ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई ।

11 मार्च को प्रसिद्ध महाशिवरात्रि के अवसर पर दो लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे जब यह दुर्घटना घटी । यह दुर्घटना टल सकती थी यदि राज्य सरकार ने सूझबूझ से काम लिया होता । सौराष्ट्र में हर व्यक्ति जानता है कि इस रोज वहां पर लाखों लोग इकट्ठे होते है । अतः अधिकारियों को इस के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी । यदि यातायात का बंदोबस्त ठीक ढंग से किया गया होता तो वह दुर्घटना टल सकती थी ।

मैं पूछना चाहता हूं कि जूनागड के स्थानीय अधिकारियों को कब सूचना मिली थी । उन्हें किसने सूचना दी थी । क्या पर्वत पर पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था की गई थी । क्या होम गार्डों की सहायता ली गई थी । बचाव कार्य कब आरम्भ किया गया तथा क्या वह अभी भी चल रहा है । क्या पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली राशि में कोई वृद्धि की जाएगी ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि यह एक दुःखद घटना घडी है तथा हमें संत्पत परिवारों के सदस्यों के प्रति बहुत सहानुभूति है । प्रारम्भिक जांच के अनुसार 25 व्यक्ति मारे गए हैं । मैं समझता हूं कि यह संख्या इससे अधिक नहीं होगी ।

जैसा कि आप को पता हि है पहाड़ी के ऊपर तक दो मील लम्बी सुरक्षा दीवार बनी हुई है । सम्पूर्ण पहाड़ी पर लगभग 3,500 सीड़ियां हैं । यह घटना लगभग 2000 सीडियों के ऊपर घटी थी जबकि 16 फुट लम्बी दीवार गिर गई ।

जहां तक बन्दोबस्त का प्रश्न है मैं समझता हूं कि काफी बन्दोबस्त किया गया था । मेला स्थल पर कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा की दृष्टि से 500 पुलिस व्यक्ति तैनात किए गए थे ।

प्राप्त सूचना के अनुसार मेल पर दो लाख लोग आए हुए थें । सहायता के तौर पर हम प्रत्येक मृत कमाने वाले पुरुष के लिए 500 तथा प्रत्येक अन्य मामले में 250 रुपए तथा प्रत्येक परिवार को अधिक से अधिक 1500 रुपए दे रहे हैं ।

**श्री पी० एम० मेहता** : मैं ने पूछा था कि घटना घटने के कितनी देर बाद स्थानीय प्राधिकारियों को सूचना दी गई थी ।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : प्राप्त जानकारी के अनुसार बचाव कार्य लगभग मध्याह्न समय प्रारम्भ हुआ था ।

**श्री पी० एम० मेहता** : क्या कोई अस्थायी संचार व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : इस की जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

**श्री धामनकर (भिवंडी)** : यह बहुत दुःखद घटना घटी हैं । इस समाचार को पढ कर सब को बहुत दुख पहुंचा है ।

हमारे देश में लोगों के जीवन में धार्मिक भावनाएं महत्वपूर्ण काम करती हैं । जब भी कोई धार्मिक दिवस आता है तो लोग तीर्थस्थानों पर पवित्र स्नान करने जाते हैं । ऐसे अवसरों पर केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार यातायात को विनियमित करने के लिए बन्दोबस्त करती है । मुझे

[श्री धामनकर]

भी एक बार गिरनार मन्दिर देखने का अवसर मिला था। वहां पर मन्दिर में जाने के लिए लगभग 7,600 सीड़ियां चढनी पड़ती है। प्राय: ऐसी घटना नहीं घटती क्योंकि आमतौर पर लोग कम संख्या में जाते हैं। परन्तु इस बार महाशिवरात्रि के मेले पर दो लाख से अधिक लोग वहां पर गए कोई भी सरकार हो उसे एसे मेलों पर बन्दोबस्त करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने समय समय पर इस दीवार की जांच की थी मैं यह भी जानना चाहता कि क्या वहां पर उस समय पुलिस तैनात थी। क्या वहां पर प्रथमोपचार की व्यवस्था थी या नहीं? इन बातों के अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या गिरनार पर्वत पर पहूंचने के लिए रज्जु पथ बनाने की कोई योजना है।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहताहूं कि क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर भी विचार कर रही है कि वहां जाने के लिए पक्की सड़क बनाई जाए।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : मैं समझता हूं कि हर राज्य में, बड़े बड़े मेलों पर क्या बन्दोबस्त किया जाना चाहिए, स्थायी हिदायतें दी गई हैं। प्राय: पुलिस का बन्दोबस्त किया जाता है जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं सहायता कार्य तुरन्त आरम्भ किया गया था। मुझे बताया गया है कि मध्याह्न तक इन लोगों को अस्पताल में जाया गया था।

जहां तक रज्जु पथ का प्रश्न है उस पर बहुत लागत लगती है। उसे बनाना कोई आसान बात नहीं जहां तक पक्की सड़क बनाने का प्रश्न है उसपर विचार करना राज्य प्रशासन का काम है।

मैं समझता हूं कि इस घटना में किसी व्यक्ति ने अवहेलना नहीं की है जैसा कि इन सब बातों को देखने से पता चलता है। समाचारपत्रों में भी वही छपा है कि दीवार पर जोर पड़ने के कारण वह बैठ गई।

**श्री पी० जी० मावलंकर** (अहमदाबाद) : गुजरात को भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ यह गिरनार की घटना और जुड़ गई है। मृत तथा घायल व्यक्तियों के प्रति मे भी बहुत सहानुभूति है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि भगवान शिव के भावनार्थ मंदिर, जैन मन्दिरों तथा अन्य मन्दिरों का प्रबन्ध धार्मिक न्यास द्वारा किया जाता है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों के लिए यह बात अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए कि वे कुछ बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करें?

जहां तक सहायता का सम्बन्ध है मैं समजता हूं कि यह सहायता बहूत कम है। रेल दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की दिशा में 50,000 रुपए जाते हैं जबकि एैसी घटना की दिशा में केवल 500 रुपए। क्या हमारे देश में कोई न्याय है? ऐसे लोगों को गुजरात सरकार तथा भारत सरकार की ओर से पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए।

यह एक ऐतिहासिक स्थान है तथा पांडव और कौरव भी यहां पर महाशिवरात्र के मेले पर आया करते थे। अब भी उस रोज भारत के प्रत्येक भाग से लोग वहां जाते हैं। ऐसी हालत में यह बात मेरी समझ मे नहो आई पर्याप्त व्यवस्था क्यो नही की गई थी?

मुझे पता चला है कि सरकारी अधिकारियों को कहा गया है कि वे इन दीवारों को मजबूत बनाने के लिए उपाय करें परन्तु कुछ कार्यवाही नही की गई। आगामी मेले से पहले स्थायी तौर पर व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रथम उपचार के लिए भी स्थायी तौर पर व्यवस्था की जानी चाहिए।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** मेरी जानकारी के अनुसार गुजरात में पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम लागू है, परन्तु यह मन्दिर उसके अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, ज्ञात नहीं है। जहां तक राहत का सम्बन्ध है, मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि वह उसे बढ़ाने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। वहां पर यदि चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है तो कोई डिस्पेन्सरी या अस्पताल खोलने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा। क्योंकि यह एक प्रमुख तीर्थस्थान है और लाखों तीर्थयात्री आते हैं। हम प्रशासन से कहेंगे कि महाशिवरात्रि से पहले वहां पर पूरी सावधानी बरती जाये।

**Shri R. R. Shrma** (Banda) : The hon. Minister has stated that there was a death toll of 27 persons where as the persons who were present on the spot have stated that about 100 persons were killed in the incident. Why precautions were not taken to prevent the pilgrims from going near the wall under repair? If this wall was being constructed, let me know the details of the officers whose criminal negligence caused the death of many people.

I urge the hon. Minister to provide Rs. 5,000/- as relief to each family of the deceased persons. I would like to know whether he is going to institute an enquiry through a judge and what steps are proposed by him to reinforce the wall.

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** यह मामला तथ्य पता लगाने का है। इस प्रकार के मामलों में जांच करने के लिए कोई न्यायाधीश नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक राहत की राशि बढ़ाने का प्रश्न है, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

**श्री वसंत साठे** (अकोला) : गिरनार की चोटी पर स्थित इस मन्दिर में होने वाले इस मेले से जिसमें लाखों तीर्थयात्री आते हैं, कौन लाभ उठाता है। क्या उसके रखरखाव के सम्बन्ध में आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। क्या आप उस ट्रस्ट को, जिसने इस मन्दिर से लाखों रुपये कमाये हैं पर्याप्त मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** यदि इस मन्दिर से लाभ उठाने वाला कोई ट्रस्ट है या अन्य कोई संगठन है तो उसके प्रबंधकों पर इस दीवार की ठीक ठाक मरम्मत कराने का उत्तरदायित्व डाला जा सकता है। मुआवजा देने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की नहीं हो सकती।

---

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

### 52 वां प्रतिवेदन

**श्री जी० जी० स्वेल** (स्वायत्त जिले) मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

**श्री दरबार सिंह** (होशियारपुर) : मैं आपकी अनुमति से उन लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्हें पंजाब के तीन गांवों में चक्रवात से भारी जन-धन की हानि उठानी पड़ी है।

**अध्यक्ष महोदय :** इसके लिए मुझे भी तो कोई सूचना भेजनी चाहिए थी। तथापि हम सब उन लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं।

---



8—16 LSS/ND/75

## राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT *RE* SUBMISSION OF INTERIM REPORT OF NATIONAL COMMISSION ON AGRICULTURE

**कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :** मैं, कृषि तथा सिंचाई मंत्री की ओर से, राष्ट्रीय कृषि आयोग के दो प्रतिवेदनों के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप उसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

**श्री प्रभुदास पटेल :** मैं यह वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूँ।

### विवरण

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी और उसे अपनी इच्छानुसार अपने विचारणीय विषयों में से जिन्हें वह आवश्यक समझे उनके संबंध में अन्तिम सिफारिशें करने के लिए कहा गया था। आयोग ने इससे पहले विभिन्न विषयों पर 21 अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। इन रिपोर्टों में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सार सभा पटल पर रख दिया गया है। इन रिपोर्टों की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में भी रख दी गई हैं। आयोग ने आज 13 मार्च, 1975 को भारत सरकार को निम्नलिखित विषयों पर दो और अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :

1.—कृषि मूल्य नीति

2.—कपास, पटसन, मूंगफली और तम्बाकू के विपणन और मूल्यों के कतिपय महत्वपूर्ण पहलू।

ये रिपोर्टें तथा इन दोनों रिपोर्टों में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सार सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9168/75]**

3. मैंने अपने विभाग को इन सिफारिशों की शीघ्र जांच करने का निदेश दिया है, ताकि सरकार इस संबंध में आगे कार्यवाही कर सके।

### राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 13 मार्च 1975 को प्रस्तुत की गई दो अन्तरिम रिपोर्टों में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने आज भारत सरकार को नीचे दी हुई दो अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :—

(i) **कृषि मूल्य नीति, और**

(ii) **कपास, पटसन, मूंगफली और तम्बाकू के विपणन तथा मूल्यों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू।**

इससे पहले इस आयोग ने कृषि विकास के विभिन्न पहलुओं पर 21 अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। अब ये दो और रिपोर्टें प्रस्तुत कर दिये जाने से अंतरिम रिपोर्टों की श्रृंखला पूरी हो गई है। आयोग अब अपनी अंतिम रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर रहा हैं। आयोग द्वारा इन दो अंतरिम रिपोर्टों में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें संक्षेप में नीचे के पैरों में दी गई है।

### (i) कृषि मूल्य नीति :

आयोग ने कृषि मूल्य नीति पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में खाद्य तथा वाणिज्यिक फसलों की मूल्य नीति और समर्थन मूल्य के पैकेज, वसूली/खरीद मूल्य, धान्यों की वसूली और वितरण तथा मूल्य नीति से सम्बन्धित खाद्य नीति के ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस रिपोर्ट में कृषि मूल्य नीति के मामले में सरकार को परामर्श देने की व्यवस्था का भी उल्लेख है।

आयोग ने कृषि में पूंजी लगाने और आधुनिक टैक्नोलोजी अपनाने को प्रोत्साहित करने की बात दृष्टिगत रखत हुए किसानों को निश्चित रूप से लाभकर मूल्य देने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके साथ साथ आयोग ने इस बात पर भी बल दिया है कि मूल्य नीति से स्थिरता के साथ विकास का कार्य होना चाहिए और सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए ही इसे बनाया जाना चाहिये।

आयोग ने एक ऐसी स्थिति में जबकि कमियां बहुत अधिक हों, उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से मूल्यों पर निर्भर रहने का पक्ष नहीं लिया है क्योंकि ऐसी नीति से मूल्य बढ जायेंगे। और उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाएगी। आयोग ने महसूस किया है कि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और महत्वपूर्ण आदानों की उपलब्धि पर मुख्य बल दिया जाना चाहिए।

आयोग के विचार में विपणन की अपूर्णता के फलस्वरूप उत्पन्न कमियां दूर करना मूल्य नीति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। मूल्य गिरने पर इसे किसानों के हित की और मूल्य बढ़ जाने पर उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करनी चाहिए।

आयोग ने सिफारिश की है कि खाद्य और वाणिज्यिक दोनों प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए और इन्हें बुवाई के मौसम से पर्याप्त पहले घोषित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को कृषि में पूंजी लगाने के बारे में निर्णय लेने में सुविधा हो। मूल्य उचित होने चाहिए तथा इसमें उत्पादन लागत और समुचित लाभ भी शामिल होना चाहिए। एक समान अखिल भारतीय समर्थन मूल्य निर्धारित करने की वर्तमान पद्धति जारी रहनी चाहिए, किन्तु विशेष रूप से उंची लागत के क्षेत्रों में मूल्य में मामुली अंतर की अनुमति दी जा सकती है।

मूल्य-निर्धारण के आधार पर विचार करते हुए आयोग ने नोट किया है कि उपलब्ध लागत के आंकड़ों में भारी अंतर और अन्य सीमाओं के कारण पक्के आधार पर नहीं बनते हैं। उत्पादन लागत में होने वाले वर्षानुवर्ष परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए इसने प्रमुख फसलों के लिए एक सूचकांक प्रणाली के विकास और प्रयोग का प्रस्ताव किया है। जब तक सूचकांक प्रणाली का विकास न कर लिया जाये तब तक कृषि मूल्य आयोग को उपलब्ध सूचना तथा अपने परामर्शदाता पैनल की सलाह पर विचार करने के बाद उचित समर्थन मूल्य के बारे में पक्का फैसला देना चाहिए। तथापि मूल्य-निर्धारण के समय कृषि आदानों के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव को भी ध्यान में रखना चाहिए।

धान्यों के वसूली मूल्य के बारे में आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि इसका सम्बन्ध समाज के उन दुर्बल वर्गों की कार्यक्षमता से होना चाहिए जिन्हें प्रमुख रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज दिया जाता है। यह मूल्य यद्यपि समर्थन मूल्य से अधिक होना चाहिए, किन्तु वितरण की लागत निकालकर और अधिक से अधिक, मामूली राजसहायता को जोड़कर निर्गम मूल्य से बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।

आयोग ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करके इसके अंतर्गत देश के खासतौर से सूखाग्रस्त और बाढ़ से प्रभावित रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र लाये जायें। वितरण प्रणाली के पर्याप्त रूप से काम करने के लिए अगले कुछ वर्षों के लिए औसतन धान्य उत्पादन के लगभग 12 प्रतिशत की वसूली की सिफारिश की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि 1975 में 120 लाख मीटरी टन की वसूली होनी चाहिए।

[श्री प्रभुदास पटेल]

आयोग ने सबसे छोटे उत्पादकों की आवश्यकतानुसार राहत देकर धान्यों की वसूलो के लिए उत्पादकों, मिल से या अन्यथा चावल को भूसो से अलग करने वालों पर अनिवार्य क्रमिक लेवो लगाने को प्रणालो को एक प्रमुख सफल उपाय के तौर पर तरजोह दो है। सिंचित और असिंचित क्षत्रो में उत्पादन के स्तरों में विभिन्नताओं को भो ध्यान में रखना होगा। आयोग ने इसके कारगर क्रियान्वयन के लिए कानूनी कार्यवाहो पर्याप्त प्रसासनिक व्यवस्था और राजनतिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।

आयोग ने आवश्यकताओं और उपलब्धि पर यथार्थ रूप से विचार करने के बाद प्रति वर्ष एक राष्ट्रीय खाद्य बजट बनाने को सिफारिश को है। प्रत्येक राज्य में लेवो की दरें उसके वसूलो के लक्ष्य के आधार पर निर्धारित को जानो होगो। यदि सम्बन्धित राज्य अपना वसूलो का लक्ष्य पूरा कर सके तो पूर्वक्रय जैसे वसूलो के अन्य निश्चित रूपों पर विचार किया जा सकता है।

एक बार लक्ष्य के आधार पर लेवो वसूल कर लिए जाने पर किसान शेष अनाज खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे और राज्य संचलन पर लगा प्रतिबन्ध हटा सकते हैं। किन्तु इस प्रश्न का निर्णय केन्द्र द्वारा लिया जाना चाहिए कि राज्य ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है या नहीं, न कि सम्बन्धित राज्य द्वारा।

वाणिज्यिक फसलों के बारे में आयोग ने सिफारिश को है कि प्रमुख फसलों के लिए समर्थन मूल्यों को सिफारिश करने के अलावा कृषि मूल्य आयोग को अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर निगरानो रखनो चाहिए तथा आवश्यकतानुसार समर्थन मूल्यों और उन्हें कारगर बनाने के लिए अपेक्षित उपायों को सिफारिश करनो चाहिए। आयोग ने कपास, पटसन तथा तम्बाकू को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक फसलों के सम्बन्ध में मूल्य समर्थन तथा अन्य कार्यों के लिए एक भारतीय कृषि जिंस आयोग की स्थापना करने को शिफारिश को है।

आयोग ने सिफारिश को है कि वर्तमान तोन सदस्यों के कृषि मूल्य आयोग का विस्तार करके उसमें चार सदस्य रखे जायें ताकि यह विभिन्न मामलों पर और अधिक जानकारो के आधार पर राय दे सके। इसका एक सदस्य उत्पादन को समस्याओं में अनुभव प्राप्त कृषि वैज्ञानिक हो। दूसरा सदस्य कृषि उत्पादन और उपभोक्ता समस्याओं को जानकारो रखने वाला एक गैर-सरकारो व्यक्ति हो।

बेहतर परामर्श उपलब्ध करने को दृष्टि से आयोग ने एक तकनीकी पैनल नियुक्त करने को सिफारिश को है। मूल्य आयोग को परामर्श देने के लिए इस पैनल में कृषि वैज्ञानिक, प्रशासक, अर्थशास्त्री और सांख्यिकोविद् सदस्य हों। यह पैनल वर्तमान कृषक परामर्शदात्रो पैनल के अलावा हो।

**(ii) कपास, पटसन, मुंगफली और तम्बाकू के विपणन और मूल्यों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू**

इस अंतरिम रिपोर्ट में आयोग ने आगामो वर्षों में उत्पादन और मांग को सम्भावित प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए कपास, पटसन, मूंगफलो और तम्बाकू को चार महत्वपूर्ण जिन्सों के विपणन ढांचों के कुछ पहलुओं और मंडियों में आने वाले जिन्सों को मौजूदा पद्धतियों का व्यापक रूप से जायजा लिया है।

आयोग ने यह नोट किया है कि इन जिन्सों के उत्पादन और मूल्यों में वर्षानुवर्ष भारो उतार चढ़ाव होते रहते हैं जो कि सतत उत्पादन-प्रयास के लिए हानिकारक हैं। आयोग का यह भो विचार है कि बिचौलिए बाजार को प्रभावित करने वाले तत्वों पर प्रभाव डालकर किसानों का

शोषण करते रहते हैं। इन जिन्सों का विपणन सुगम बनाने और उनके मूल्य स्थिर करने के लिए इसने विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है ताकि एक और किसानों को उनकी पूंजी पर निश्चित रूप से उचित लाभ मिल सके और दूसरी और स्थिर मूल्यों तथा सप्लाई से अर्थ-व्यवस्था को लाभ हो।

आयोग ने सुझाव दिया है कि भारतीय कृषि जिन्स निगम जिसकी स्थापना के लिए कृषि मूल्य नीति पर अंतरिम रिपोर्ट में प्रस्ताव किया गया है, तिलहनों के विपणन सम्बन्धी पहलुओं का कार्य करे। इसने यह भी सिफारिश की है कि प्रस्तावित तम्बाकू बोर्ड को विभिन्न किस्मों के तम्बाकू के मूल्य स्थिर करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए।

आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि सभी जिंस निगमों (अर्थात कपास निगम, पटसन निगम, तम्बाकू बोर्ड और कृषि जिंस निगम) को पर्याप्त वित्तीय और व्यावसायिक साधन प्राप्त होने चाहिए ताकि वे सम्बन्धित जिंस मण्डि में निर्णायक स्थिति में हों।

ये निगम बफर स्टाक प्राप्त करके और उसका कारोबार करके जिंस धारी एजेंसियों का काम करे और मूल्य में भिन्नता को सामान्य करने तथा औद्योगिक/विदेशी व्यापार क्षेत्र के लिए बराबर सप्लाई बनाए रखने के लिए सहायता दे। इसके अलावा ये आयात/निर्यात के आधार पर भी काम करें। आयोग ने यह भी महसूस किया है कि ये उत्तरदायित्व निभाने के लिए उन्हें विशेष रूप से आयात के मामले में उसकी मात्रा और कार्य करने के समय का निर्धारण करने के लिए कुछ ढील और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की ऋण नीतियां ऐसी बनाई जानी चाहिए कि वे इन निगमों को सुदृढ बनाने में सहायक हों। निगम उन कर्मचारियों का एक काडर तैयार करे जोकि किसी प्रकार की वित्तीय छूट के बिना व्यावसायिक कार्य शुरू कर सकें।

मण्डी के यार्डों, भांडागारों तथा नीलामी के स्थलों जैसी आवश्यक सेवा की व्यवस्था और इन फसलों का उपयुक्त विपणन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ग्रेडिंग सुविधाओं का सृजन करने के मामले में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आयोग ने इन फसलों की खेती के अंतर्गत लाए गए नये क्षेत्रों में नियंत्रित मंडियां खोलने और धनराशि के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हुई नियंत्रित मंडियों में पुनः प्राण फूंकने की सिफारिश की है।

कपास और पटसन के मामले में नियंत्रित मंडियों में नीलाम एवं निविदा प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया गया है। इस प्रणाली में बोली बोले गए अधिकतम मूल्य पर पूर्व-क्रय का हक होना चाहिए। तम्बाकू के मामले में विश्वव्यापी आधार पर नीलामी पर आवश्यक रूप से बिक्री करने की सिफारिश की गई है। मूंगफली के मामले में तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में अपनाई गई गोपनीय बोली की निविदा प्रणाली की सिफारिश की गई है।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि बहुत लम्बी-लम्बी और बारीक किस्मों के कपास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय को नए किस्म के जिन और प्रैसों के देशी विनिर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए।

आयोग ने सिफारिश की है कि तम्बाकू के मामले में विशेषरूप से वी० एफ० सी० और बीड़ी की किस्म की तम्बाकू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

---

## नियम 377 के अधीन मामला

## MATTER UNDER RULE 377

### एक /प्रतिशत सामान्य उत्पाद-शुल्क की अदायगी से छूट के बारे में संसद से बाहर की गई घोषणा का कथित अनौचित्य

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बर्दवान) : मैं भारत सरकार द्वारा की गई अनौचित्यपूर्ण एक भयंकर भूल का प्रश्न उठाना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम की अनुसूची में जो मदें निर्दिष्ट नहीं हैं उन सभी पर एक प्रतिशत की दर से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लगाया जायगा परन्तु संसद का सत्र और बजट पर चर्चा चलते हुए भी समाचारपत्रों में और रेडियो पर सरकारी प्रवक्ता द्वारा इस कर से छूट की घोषणा कर दी गई। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण नीति निर्णय संसद के समक्ष लाय बिना घोषित कर दिया गया जोकि सभा के विशेषाधिकार के भंग का मामला बन जाता है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मैं मंत्री महोदय से यह बताने का भी आग्रह करुंगा कि क्या ऐसी कर छूट अन्य वस्तुओं के मामले में भी दी जायेगी और यह संशोधन संसद के समक्ष बाद में प्रस्तुत किया जायगा।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : मुझे खद है कि माननीय सदस्य इसे पूर्णतः गलत समझा है। इसका उल्लख बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में पहले ही किया जा चुका है और प्रैस विज्ञप्ति में जो कुछ बताया गया है वह तो उसी का विस्तार से स्पष्टीकरण है।यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

---

## बजट सामान्य, 1975-76—सामान्य चर्चा

## GENERAL BUDGET 1975-76—GENERAL DISCUSSION

**Shri Darbara Singh** (Hoshiarpur) : Mr. Speaker, Sir, during the discussion on budget many friends have stated that the past three four years have been of great difficulty and crisis for the country and Government have tried to improve the economy by taking some measures. The Hon'ble Minister has also stated that inflation has been checked and the expenditure is being diverted from unproductive items to developmental work. The prices are stated to have been brought down by 3.9 percent though the availability of essential commodities has not improved. Efforts have also been made for the utilisation of capacity. In spite of this we have to face the difficulties due to the increase in the prices of fertilizers.

Agricultural economy needs to be reshaped and reorganised today. I would like to congratulate the Hon'ble Minister for his giving priority to agriculture. He has stated that now major portion of expenditure would be incurred on agriculture. Our economy is based on agriculture because all the essential commodities and food grains as also other raw matarials are provided by agriculture.

There seems to be some defect in the functioning of Agricultural Prices Commission. This should have had three fourth such members as would understand economy, and Statistics and would have knowledge of agriculture so that they may prescribe the prices by their expert knowledge.

There is not such improvement in the growth of agriculture. It is now 2 percent. The area under irrigation has also not increased. The target by 129 million tonnes of foodgrains has also not been achieved. The production was only 104 million tons even if our production of Kharif and wheat is according to our expectations we will have to import foodgrains.

Government have not yet been able to implement Land Ceiling. Its implementation in the States in also far from satisfactory for land ceiling it is necessary that Government should first have physical verification. Neither there has been any distribution of land now has any land been taken from the owners so far. Agricultural economy has been shattered. Agriculture requires to be reorganised. It is found that past two three years have been of great difficulty for reasons of war with Pakistan-Bangla Desh, draught etc. but whatever we have today it should be properly distributed. If the distribution system is not reformed the condition would not improve and the poor people would continue to suffer.

The procurement and working of F.C.I. is not satisfactory. There is lot of unnecessary expenditure and this all increases the prices. You may give remunerative prices to farming but we have to see the interest of the Consumers also. Presently neither the farmer is getting remunerative price nor the consumer is getting commodities at Cheaper rates. This has to be examined and the cause thereof should be found out. Unless this is done economy cannot be improved.

The production Capacity of the fertilizer plants is to be expanded instead of importing the fertilizers. It is now said that manner should be used in place of fertilizers but it is also not available in adequate quantity because of scarce cattle and moreover the land has become accustomed of fertlizers. Therefore this suggestion would not help in increasing production. The budget submitted to Ministry by his Subordinates should be examined fully by him before the same is presented in the Parliament.

In so far as population is concerned I would like to know as to what has been done by Government to check increasing population. Incentive Cultivation should be introduced and we have also to lay more stress on increasing agricultural yield.

Attention is also to be paid to irrigation. All the water disputes are still pending settlement and this has hindered power generation. Some decision has to be taken on national level, states would not settle these disputes. Unless these disputes are settled there would be no power generation and water will not be available for irrigation and the agricultural production would not be increased effective steps should be taken in regard to procurement and the movement of foodgrains to other places should be stopped.

The funds provided for defence expenditure are quite justified in view of the arms supply to Pakistan by America. Moreover, though efforts are being made to resolve world, disputes but there is no hope of their being settled.

In regard to black money I would like to say that we have black money to the tune of Rs. 15 thousand crores. It requires to be squeezed. MISA should be used for arresting black maketeers because those are destroying our economy.

Power generation should be given priority No. 2. We have to see as to where Thermal Power Stations can be set up. We should have some sorts of National Grid System so that all may get power and the crisis there of may be removed.

[Shri Darbara Singh]

In regard to khandsari I would like to say that today by the imposition of taxes Seven and a half thousand units would be rendered idle. It is bettter to nationalise sugar mills and make use of their full capacity. By the time it is done khandsari mills may be allowed to continue production. The levy and 17½ percent tax on khandsari have rendered 15 lakh people unemployed.

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* ]

The cotton yarn position is most unsatisfactory. Essential commodities should be made available at lower prices. The luxuary goods should be taxed instead of essential goods.

I congratulate the Hon'be. Minister for his presenting this budget keeping in view the difficulties through which we are passing today.

**श्री पी० जी० मावलंकर** (अहमदाबाद) : मैं श्री सुब्रह्मण्यम को उनके प्रथम बजट के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने सफलतापूर्वक बजट प्रस्थाओं को उचित ढंग से प्रस्तुत किया है किन्तु बजट के बारे में जो आम धारणा है वह यह है कि बजट संतोषजनक नहीं है।

यह बजट चुनावों को दृष्टि में रखते हुए तैयार किया गया है, सभी लोकतांत्रिक सरकारें ऐसा ही करती हैं तथा उन्हें ऐसी धारणा बनानी पड़ती है कि वे कर नहीं लगा रही हैं और फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में कर लगाती जाती है। यही वित्त मंत्री ने किया है। यह सराहनीय है कि वित्त मंत्री ने एक उचित रुख अपनाया है किन्तु मैं नहीं समझ पाया हूं कि बजाय कर लगाने के उन्होंने मितव्ययता क्यों नहीं की है। यह एक धारणा बनती जा रही है कि बिना कर लगाये राजस्व बढ़ ही नहीं सकता है। मितव्ययता की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मितव्ययता का मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि ऐसा करने से एक आदत बन जायेगी और गैर-सरकारी क्षेत्र भी इसका अनुकरण करेगा। सरकार तो कर लगा सकती है और घाटे का बजट बना सकती है किन्तु उपभोक्ता का क्या होगा। वे तो घाटे का बजट नहीं बना सकते। उनके लिये अपने बजट को संतुलित करने की समस्या है। अत: माननीय वित्त मंत्री से मैं यही चाहता था कि वे मितव्ययता की ओर आधिक जोर देकर एक नया अध्याय आरम्भ करते और यह अभियान राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रियों से आरम्भ किया जा सकता है ?

हमारे देश में तथा समस्त विश्व में सामान्य आर्थिक दशा संतोषजनक नहीं है। किन्तु जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि अब सुधार की आशा है, दशा स्वत: ही सुधरेगी और यह वर्ष अच्छा रहेगा। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि आर्थिक समीक्षा के अतिरिक्त वे हमें हर वर्ष दो अन्य दस्तावेज दें। एक तो देश की गरीबी की दशा सम्बन्धी दस्तावेज जिसमें योजनाओं, समस्याओं के बारे में दिया हुआ हो और उनके समाधान के लिये किये जाने वाले उपायों का उल्लेख हो। आर्थिक समीक्षा में इस प्रकार का कुछ भी उल्लेख नहीं होता है और यह अधिक लाभदायक नहीं है। साथ ही बजट सम्बन्धी वाद-विवाद में हमें आर्थिक समस्या ओं के बारे में ही विचार करना चाहिये और अन्य बातों पर समय व्यतीत नहीं करना चाहिये। श्री दांडेकर ने 'पावर्टी' नामक पुस्तक लिखी। उनके बाद श्री दांतवाला ने भी 'पावर्टी' पर एक किताब लिखी इनके अतिरिक्त श्री दादाभाई नौरोजी ने भी इस विषय पर एक पुस्तक लिखी। अत: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे गरीबी की समस्याओं के समाधान के लिये क्या कर रहे हैं।

वित्त मंत्री तथा योजना आदि मंत्री बेरोजगारी के बारे में पर्याप्त आंकड़े नहीं देते हैं। कल ही योजना राज्य मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि लगभग 40 लाख शिक्षित बेरोजगार 30 जून को रोजगार के लिये दर्ज हैं। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक कुछ तथ्य सभा के समक्ष नहीं रखे जाते हैं तब तक बजट पर बहस अर्थहीन है। इंग्लैंड में यदि बेरोजगारी की संख्या एक विशेष निशान तक पहुंच जाती है तो सरकार का पतन हो जाता है। सरकार ने प्रो० दांतवाला के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी और उन्होंने भी कहा था कि भारत सरकार को बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद भी नियमित रूप से तथा समय समय पर बेरोजगारी के आंकड़े देने चाहिए। अत: बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व आर्थिक समीक्षा के साथ ये दो प्रतिवेदन अर्थात गरीबी सम्बन्धी प्रतिवेदन और बेरोजगारी सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को देने चाहिए ताकि विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हो सके।

मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने 27 वर्षों में प्रथम योजना परिव्यय को बन्द किया है और प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया है। यह अच्छी बात है कि कृषि और ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई है। किन्तु इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका किन विशेष योजनाओं के बारे में ध्यान है और उनके लिए वे कितनी रकम उपलब्ध कराना चाहते हैं जिससे यह सिद्ध हो जाये कि वास्तव में इनको प्राथमिकता दी गई है।

यह बजट मंदी विरोधी प्रतीत होता है। यद्यपि वित्त मंत्री स्वयं यह नहीं मानते है कि मंदी है किन्तु उन्होंने जो उपाय किये हैं उनसे सिद्ध होता है कि वे सार्थक रूप में मंदी की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु उनका यह कर्तव्य भी हो जाता है कि लोगों को मंदी के खतरे के बारे में बताएं। लोगों को अन्धकार में नहीं रखा जाना चाहिए।

जहां तक मुद्रास्फीती का सम्बन्ध है यह बजट मुद्रास्फीती विरोधी नहीं है। बजट में मुद्रास्फीती के सम्बन्ध में कोई भी सार्थक उपाय नहीं किये गये हैं। जान पड़ता है कि वित्त मंत्री तथा उनके मंत्रालय ने मुद्रास्फीती के खतरों का कम अनुमान लगाया है। उसके अनुसार यह बढ़ेगी नहीं और अगले वर्ष स्थिति ठीक हो जायेगी। किन्तु मैं समझता हूं कि इसके बढ़ने की सम्भावना है और बजट में इसे रोकने के कोई उपाय नहीं किये गये हैं। मूल्यों के सम्बन्ध में मैं मानता हूं कि मूल्यों में कुछ थोड़ी गिरावट आई है। किन्तु क्या हम यह कह सकते है कि अगले कुछ महीनों में कीमतें नहीं बढ़ेगी। हम इस देश में रबी और खरीफ की फसलों पर निर्भर करते हैं किन्तु उनका यह विश्वास सही नहीं है कि कीमतें बढ़ेगी नहीं। फसलों के अच्छी होने पर जो उपाय कीमतों को रोकने के लिए उन्होंने किये हैं उन से कीमतों का रूकना सम्भव नहीं हैं।

जहां तक घाटे का सम्बन्ध है। गत वर्ष कहा गया था कि 126 करोड़ रुपये का घाटा होगा जबकि अन्तत: 625 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस वर्ष 255 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया गया है किन्तु सम्भवत: वही बात इस वर्ष भी हो सकती है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि घाटा 800 करोड़ रुपये तक पहुंच जाये। परिणामस्वरूप मुद्रास्फीती में भी वृद्धि होगी। अत: मेरा सुझाव है कि सरकार को न्यूनतम घाटे की व्यवस्था करनी चाहिए।

सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वे अवरुद्ध खाते से रकम निकालें। गत वर्ष मंत्री महोदय ने खासतौर से यह बात कही थी कि वे इसे नहीं छुयेंगे।

विद्युत चालित करघे और खंडसारी पर बहुत बोझ डाला गया है। विद्युतचालित करघों पर लेवी 10 रु० से बढ़ाकर 200 रुपये की गई है। इसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या यही समाजवादी रुख है। विलासिता की वस्तुएं जैसे शराब आदि पर अधिक कर लगाना चाहि क्योंकि इनका उपयोग कुछ थोड़े से लोग करते हैं।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

आय की वह सीमा जिस पर कर लगता है, 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये नहीं तो 10,000 रुपये की जानी चाहिए।

अन्त में बजट से हमें जो आशाएं थीं वे इसमें नहीं मिलती हैं क्योंकि यदि सरकार वास्तव में देश के संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहती है तो इस दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कांग्रेस के और 35 सदस्य बोलना चाहते हैं। संसदीय मंत्री का निवेदन है कि वे 10 मिनट से अधिक समय न लें।

**Shri Nathu Ram Mirdha** (Nagaur) : Sir, I welcome the budget. I have heard the speeches of Hon'ble Members yesterday. Today Country is passing through a political atmosphere and our Country alone is not facing these economic difficulties but it is a world phenomenon. I would like to Congratulate the Hon'ble Minister for the steps he has taken in regard to price rise and inflation which has resulted in checking price rise and downward trend in the prices has now started. It is a great achievement for the Government. Inflation and price rise are problems of all countries including the Socialist countries though its pressure may be somewhat low there. The action taken against smugglers has also resulted in checking price rise.

The steps proposed to be taken for increasing production should be expedited because it is necessary for the progress of our country as 75 per cent population of its population engaged in agriculture. I would like to request that the provision for the other sectors of agriculture such as animal husbandry, etc. should be increased.

In spite of our progress there is still economic imbalance. There are certain regions and people who are still backward and below poverty time. Steps should be taken to remove this imbalance. Some Hon'ble Members have complained of absence of any provision in budget for small farmers but Shri Subrahamanian has mentioned in his speech the measures in this regard. He has proposed constitution of Cooperative Societies on village level. Villages with a population of 10 to 12 thousands should be grouped into one cooperative unit which should be provided bank facilities for advancement of loans to the farmers for carrying out improvements in agriculture. The requirements of machines etc. of the farmers should also be met with by this cooperative unit. The cooperative society there should also handle marketing etc. Therefore, I would suggest that all of us should help in strengthening this movement. Provision for financial assistance for the active workers in the movement can also be made. It is high time that we should concentrate in this movement instead of discussing other things.

In regard to fertilizers we should make full use of our capacity of production. If the present capacity of 19-20 lakh tons is expanded we would reduce import of Fertilizers. It is not possible to increase production without fertilizers.

The production of fishes can also be increased by helping small fishermen. We will have to prepare basic infra structure for it and also make arrangements for cold storage etc.

Our water disputes are still pending settlement. Unless there are proper irrigation facilities, the agricultural production cannot be increased. Proper arrangements should also be made for the distribution of seeds.

The Agricultural Prices Commission has submitted their report in regard to fixation of prices, marketing etc. Government should examine it and also reform the composition of the Commission so that farmers and consumers both are benefited. The question of public distribution system and making buffer stocks should also be looked into carefully

We should also make efforts to get financial assistance from friendly countries so that big projects could be completed early. We can get loans from world Bank and other financial institutions. Arab Countries are rich contries. Financial assistance can be sought from those countries.

We will have to review our theories in the context of existing condition of the country. For instance there are many factories in the public sector. If 49 percent shares of these factories are given to some other people also, we can get capital to the time of Rs. 3 to 4 crores and this capital can be utilised in the industries and agricultural production. Therefore it is necessary to give shares to private persons in public sector by changing the present policy for the sake of mobilising resources 23 percent increase in the provision for the plan as compared to that of last year is not much because the prices have gone up. The foremost requirement is to have greater production and then only the prices can be brought down to a reasonable level and development can be possible.

**श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** (मंजेरी) : मेरे विचार से अब ऐसा समय आ गया है जब हमें बजट को संतुलित बनाने के लिए जनसाधारण पर अधिकाधिक कर भार डालने के परम्परागत मार्ग को छोड़ना होगा। हर वर्ष हम आशा करते हैं कि सरकार करों में कुछ कमी करेगी या रियायत देगी परन्तु वित्त मंत्री का पद संभालने वाला हर वित्तीय विशेषज्ञ लोगों पर कर भार बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करता है। हमें जनसाधारण की आवश्यकता की वस्तुओं की कीमते नीचे लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा।

उत्पादन को बढ़ाया जाये और बन्दों को रोका जाये। श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावकारी तंत्र स्थापित किया जाये। यदि सरकार निर्धन श्रमिकों को उचित वतन दिला सके, तो हड़ताल अवकाश के लिए विधान बनाने की भी मैं वकालत करूंगा।

पुस्तकों पर कर लगाकर सरकार ने ज्ञान पर भी करारोपण किया है। कागज और स्याही का मूल्य बढ़ने और मजूरी में वृद्धि होने से उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण प्रकाशकों को अभी भी कठिनाई उठानी पड़ रही है। इसके बावजूद भी यह नया कर लगा दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप देश में अनेक अच्छे अच्छे प्रकाशक संगठन भी बन्द हो जायेंगे। बीड़ी उद्योग समाप्त होने की स्थिति में है। यदि उस पर लगाया गया कर बनाये रखा गया तो बीड़ी फैक्टरियां बन्द हो जायेंगी और बहुत से गरीब लोग बेरोजगार हो जायेंगे। यह स्थिति बड़ी ही दुःखद होगी।

चाय आदि जैसी वस्तुओं पर लगाये गये प्रत्यक्ष कर पर भी पुनः विचार किया जाना चाहिए। देश में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि मेरा राज्य केन्द्रीय राजस्व में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है; परन्तु उसकी लम्बे समय से उपेक्षा की गई है। मेरे विचार से कोई भी बुद्धिमान वित्त मंत्री यह नहीं चाहेगा कि कृषि उत्पादन को खाद्यान्नों की ओर मोड़ दिया जाये क्योंकि उससे विदेशी मुद्रा की आय में कमी हो जायेगी।

हमारे यहां जन्म दर तो घटी है परंतु मृत्यु दर घटने से जनसंख्या बढ़ी है उसके लिए हमें दोषी न माना जाये। केरल की मुख्य समस्या शिक्षित बेरोजगारी की है। इस समस्या के समाधान का उचित उपाय नहीं सुझाया गया है। क्योंकि अब अपने ही प्रदेशवासियों को रोजगार देने के सिद्धांत

[श्री सी० एच० महम्मद कोया]

पर जोर दिया जाने लगा है, इसलिए केरल और तमिलनाडु के शिक्षित लोगों को बाहर से लौटाया जा रहा है। यदि अपने यहां इस सिद्धांत को रोका नहीं गया तो हम देश को विघटन की ओर ले जायेंगे।

कुछ देशों के पास तेल, तकनीकी जानकारी उपलब्ध है परन्तु हमारे देश के पास जनशक्ति है। अत: हमें अपने देशवासियों को विकासशील देशों में रोजगार के लिए भेजना चाहिए। हमारे युवकों के लिए सऊदी अरब आदि खाड़ी के देशों में रोजगार के असंख्य अवसर है। सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है। उन्हें किसी प्रकार का दिशा-निर्देशन नहीं दिया जाता है। अत: सरकार इस ओर ध्यान दे तथा देश के जो युवक स्नातक तथा तकनीशियन रोजगार चाहते हैं उन्ह उन देशों को भेजा जाय।

सरकार को उन लोगों को सेवाओं में उनका उचित भाग देना चाहिए जिन्हें कम स्थान मिले हैं अथवा बिल्कुल नहीं मिले हैं। सरकारी सेवाओं में उपेक्षित अल्प-संख्यकों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में जांच की जाए। किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाये इसके लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाये।

**श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर)** : अलग-अलग राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अपने अपने दल के दृष्टिकोण से बजट के सम्बन्ध में सरकार तथा वित्तमंत्री की आलोचना की है परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वित्त मंत्री बढ़ती हुई आबादी, घटता हुआ उत्पादन, बढ़ती हुई कीमतों और मुद्रा स्फीति की समस्याओं से घिरे हुई है। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट चित्र दिया है वह न ही तो अत्यधिक निराशावादी है और न ही यथार्थ को भुलाकर आशावादी है। परंतु हमे अपने सामाजिक उद्देश्यों को नही भुलना चाहिए। हमें सामाजिक न्याय को ध्यान में रखना चाहिए तथा 60 प्रतिशत निर्धन जनता को उपर उठाना चाहिए। ईस उद्देश्य को बजट में नकारा नहीं गया है।

इस वर्ष के बजट की एक मुख्य बात यह है कि प्रत्यक्ष करों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। पूरे के पूरे 289 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष करों से ही इकट्ठा किये जायेंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि मूल्य दिसम्बर, 1974 के स्तर से उपर नही बढे है। परंतु अभी भी हम यह नहीं कह सकते कि वृद्धि रुकी है। सरकार द्वारा जुलाई, 1974 में अपनाई गई आर्थिक नीतिओं के परिणाम छ: महिने बाद निकलने शुरु हुए है और मुद्रास्फीति में रुकावट आयी है। परंतु कुछ मुद्रास्फीति विकास कार्यक्रमों के कारण जिनमें करोडो रुपया लगता है, होनी है। उनसे लाभ साथ साथ नही मिलता जाता क्योंं कि ऐसी स्थिति आने में उन्हें लम्बा समय लगता है। इसका एकमात्र समाधान उत्पादन में वृद्धि है।

वित्त मंत्री ने कृषी पर ठीक ही जोर दिया है क्योंकी कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। पाणी का ईस समय उचित उपयोग नही होता है। सिंचाई का समान विकास किया जाये जिससे पिछड़े क्षेत्रों के गरीब लोगों को लाभ मिल सके।

जो भी सिंचाई परियोजनाएं, चाहे वे छोटी हों अथवा बड़ी, स्थगित पड़ी हैं उन्हें पूरा किया जाये। यदि राज्य सरकार उन्हें पूरा करने में असमर्थ है, तो केन्द्रीय सरकार किसी विशेष निधि में से अग्रिम राशि दे। मेरे राज्य में बहुडा नदी पर एक मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना पिछले 12 वर्ष से पूरी नही ही पायी है। राज्य सरकार लघु सिंचाई को आवश्यक महत्व नही देती

प्रत्येक राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जहां सिंचाई का वर्षा के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं हैं। राज्य में पुराने जमींदारों के समय के कुछ टैंक है जिनकी मरम्मत नहो कि जाती है। योजना आयोग को इस प्रयोजन के लिए कुछ धनराशि नियत करनी चाहिए।

भूमि सुधार की ओर गम्भीर कदम उठाया गया है जो एक अच्छी बात है। परन्तु भूमिहीन लोगों को भूमि देते समय उस पर बाद की कार्यवाही भी की जानी चाहिए अर्थात ऐसे लोगों को मवेशी बीज आदि खरीदने के लिए तकाबी ऋण दिये जाने चाहिए ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। भूमि सुधार के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों के ऐसे शिक्षित बेरोजगार लोगों को भूमि दी जानी चाहिए जो स्वयं खेतों पर काम करें।

अधिक भूमि पर खेती की जाये। बंजर, बेकार तथा आरक्षित जंगलों की भूमि को कृषि योग्य बनाया जाये। राज्य सरकारों ने छोटे और सामान्य किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है। अपर नदीतट वाले राज्यों को बांध आदि बनाकर नदी जल का पूरा पूरा उपयोग करने का अधिकार है परन्तु उन्हें नीचे नदी तट वाले राज्यों के लिए जल का एक उपयुक्त प्रतिशत बहाव छोड़ देना चाहिए। राज्य सरकारों ने छोटे तथा सीमान्त किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया है।

जहाँ तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है सरकार ने इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्योगपतियों को कुछ राहत देने की घोषणा की थी, परन्तु इन क्षेत्रों में अभी तक कोई उद्योग नहीं लगा है। उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के बजाय सरकार पिछड़े क्षेत्र विकास निगम की स्थापना करे और ऐसे राज्यों को जहां पर अत्यधिक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है, उसके लिए मूलभूत ढांचा तैयार करने में सहायता दे।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के अधिकारों को शरणार्थी समस्या के सम्बन्ध में सीमित कर दिया गया है। यह प्राधिकरण विकास निगम में बदल दिया जाये।

औद्योगिक प्रगति की गति भी धीमी है। सरकारी क्षेत्र का विकास इतने बड़े स्तर पर किया जाये कि वह अर्थ-व्यवस्था में उच्चाधिकार प्राप्त कर ले। गैर-सरकारी क्षेत्र पर नियंत्रण किया जाये। प्रत्येक निर्मित वस्तुओं के मूल्य नियत कर दिये जायें। सरकार शासकीय वितरण व्यवस्था का जो विचार कर रही है उसे कारगर रूप से क्रियान्वित किया जाये। मध्यम वर्ग के लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाये। आयकर सीमा को भी बढ़ाया जाये। लाभांश पर छूट की सीमा 5000 रुपये तक बढ़ाई जाये जिससे लोगों को धन विनियोजन का प्रोत्साहन मिलेगा।

**श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी)** : वित्त मंत्री विकास प्रधान बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बजट में उन्होंने कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर भी बल दिया है।

कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए 270 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। क्या इतनी धनराशि पर्याप्त होगी क्योंकि कृषि विकास की गति 2.3 प्रतिशत किये जाने का अनुमान है। यदि हम अपनी खाद्य सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के सम्बन्ध में गम्भीर हैं, तो इसके लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और कम से कम 7 प्रतिशत की दर से कृषि उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखना होगा।

मेरा सुझाव है कि इस राशि को दुगुना किया जाये क्योंकि बहुत सी परियोजनाएं धनाभाव के कारण रूकी पड़ी हैं। विभिन्न क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत क्षेत्र विकास कार्यक्रम रूके पड़े हैं। बिहार में इसके अन्तर्गत तनिक भी काम नहीं हुआ है। सरकार इस बात की जांच करे और उचित सुझाव दे।

[श्री हरि किशोर सिंह]

जिस प्रकार सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का चयन किया है और उनके लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार देश भर में कृषि विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों को छांटा जाना चाहिए ।

कृषि के मोर्चे पर असफलता मिलने का एक कारण भूमि सुधार कार्यक्रमों को भली प्रकार लागू न करना है । अधिकांश राज्यों ने स्वयं अपने बनाये भूमि सुधार कानूनों को क्रियान्वित नहीं किया है । केन्द्र को इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों पर दबाव डालना चाहिए । भूमि सुधार लागू करने में बड़े किसानों ने बहुत आनाकानी की है । उद्योगों की तरह उन क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए जहां पर भूमि सुधार लागू हो जाएं । सुनिश्चित सिंचाई, ऋण, भण्डार, विक्रय आदि की सुविधाएं देने पर भूमि सुधार लागू होने वाले क्षेत्रों के किसानों में यह भय नहीं रहेगा कि सरकार उनसे वंशानुगत सम्पत्ति छीन रही है और वे भूखे मर जायेंगे । इस दिशा में भी मार्गदर्शी परियोजनाएं अपनायी जायें ।

सरकार भूमि अधिकार और लगान को अन्तिम रूप दे । राज्य सरकारें अधिनियमों के साथ खिलवाड़ करती रही हैं और लोगों के मन में अनिश्चितता की यह भावना घर कर गई है कि उन्हें काश्तकारी के सम्बन्ध में गारंटी नहीं रही है । इस ओर भी ध्यान दिया जाये ।

फसल का बीमा किया जाना आवश्यक है । यदि उद्योग में मशीन से लेकर उत्पादन तक का बीमा किया जा सकता है, तो यह योजना कृषि के सम्बन्ध में क्यों लागू नहीं की जा सकती जिससे देश की आधी आय होती है ।

मूल्य नीति के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की इस सदन में घोर आलोचना की गई है । अत: इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए । इसके कारण किसानों के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई है कि सरकार किसानों के विरुद्ध है ।

वित्त मंत्री को बचत बढ़ाने और प्राथमिकता पूंजीनिवेश के उपाय अपनाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए । परन्तु जब तक सम्पन्न लोगों के व्यय करने पर अंकुश नहीं लगाया जाता तब तक इससे कोई उल्लेखनीय परिणाम निकलने वाले नहीं हैं ।

बिहार में बिजली उत्पादन के लिए मेरा सुझाव है कि वहां केन्द्रीय परियोजना चालू की जाये क्योंकि बड़ी मात्रा में बिजली उपयोग करने वाले बोकारो आदि केन्द्रीय सरकार के कारखाने ही हैं । मुजफ्फरपुर तापीय संयंत्र को केन्द्रीय परियोजना में बदल दिया जाये । बिहार में बागमती नदी परियोजना को भी अधिक धन का आबंटन किया जाये जिससे वह शीघ्र पूरी हो सके तथा इसके लिए एक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाये ।

**श्री धामनकर (भिवंडी)** : इस बजट में कृषि और ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई है जिससे देश में उत्पादन बढ़ेगा, मुद्रा स्फीति को रोक लगेगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी । अत: यह बजट उत्पादन उन्मुखी है ।

बजट घाटे को कम करने के लिए वित्त मंत्री ने कई नई वस्तुओं पर कर लगाया है परन्तु इस बारे में बहुत सावधानी रखी है कि जन-साधारण पर कोई बोझा न पड़े ।

खण्डसारी चीनी के मूल्य ढांचे की जांच की जानी चाहिए ताकि वह सस्ती दर पर जन-साधारण को उपलब्ध हो सके । चीनी का निर्यात अधिकतम सीमा तक किया जाना चाहिए ।

हमारे यहां कपड़ा उद्योग के चार क्षेत्रों में अर्थात् कम्पोजिट मिलों, विकेन्द्रित शक्ति चालित करघों, हथकरघा और राष्ट्रीयकृत मिलों के क्षेत्र में बंटा है । जहां तक राष्ट्रीयकृत मिलों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हर मदद दी जानी चाहिए ताकि वह निर्यात उन्मुखी हो सके । कम्पोजिट मिलों ने पिछले तीन चार वर्षों के दौरान भारी लाभ कमाया है । पता नहीं वित्त मंत्री विकेन्द्रित शक्ति चालित करघा क्षेत्र के प्रति इतने निर्दय क्यों हैं । हथकरघा उद्योग को कुछ सहायता और प्रोत्साहन अवश्य दिया जाना चाहिए । शक्तिचालित करघा क्षेत्र के प्रतिनिधि वाणिज्य मंत्री से मिले थे और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उनके मामले पर उचित विचार किया जायेगा । परन्तु ऐसा नहीं किया गया । प्रति शक्तिचालित करघे पर 10 रुपया शुल्क बढ़ाकर 200 रुपया वार्षिक किया गया है जिसे वह कैसे वहन कर सकता है । देश भर में लगभग दो लाख शक्तिचालित करघे हैं जो हथकरघा उद्योग की प्रगति में किसी प्रकार भी बाधक नहीं हैं बल्कि देश की एक तिहाई आवश्यकता को पूरा करते हैं । वित्त मंत्री इनकी समस्याओं पर पुनः विचार करें ।

**श्री एम० एस० संजीवी राव** (काकिना) : मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार के बजट का स्वागत करता हूं जो उद्देश्यपूर्ण है और जो आने वाले समय में हमारी अर्थ-व्यवस्था को स्थायी तथा सुदृढ़ बनाने में योगदान देगा ।

बिजली के लिए 1040 करोड़ पये की व्यवस्था की गई है । यदि इस हेतु राशि-नियतन का यही रवैया रहा तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.6 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा करने के लक्ष्य को पूरा करने में हम सफल हो जायेंगे जब कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2 करोड़ किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य था ।

यह बात उत्साहजनक है कि वित्त मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिक्स, और परमाणु ऊर्जा के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की है । हम अपने वैज्ञानिकों से आशा लगाये बैठे हैं कि वे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की प्रौद्योगिकी को पूरा करेंगे । इस प्रौद्योगिकी के पूरा होने से ही हमारा देश बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का उपयोग कर सकेगा ।

देश को पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के लिए जो बहुत सी विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है उससे बड़ी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं । अतः हमें लघुकालीन ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन उपाय भी काम में लाने हैं । लघुकालीन उपायों के बारे में हमें चीनी की वर्तमान विश्वव्यापी कमी का लाभ उठाना चाहिए । हमें कम से कम 10 लाख टन चीनी का निर्यात करके 600 करोड़ रुपया कमाना चाहिए ।

जहां तक दीर्घकालीन उपायों का सम्बन्ध है हमें भारी और हल्के इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात पर विशेष ध्यान देना चाहिए । फाउन्डरी उद्योग निर्यात के लिए अच्छा उद्योग है और तकनीक-प्रधान तथा श्रम-प्रधान है । इलैक्ट्रानिक उद्योग भी समान महत्व का उद्योग है जिसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए ।

सरकार ने देशभर में बहुत से उर्वरक कारखाने खोले हैं लेकिन मेरे प्रदेश में केवल एक ही कारखाना खोला जा रहा है । आन्ध्र प्रदेश ने केन्द्रीय पूल में 5 लाख टन चावल दिये हैं । लेकिन यह एक उर्वरक कारखाना भी उस समय तक नहीं खोला जा सकेगा, जब तक कि काकीनाड़ा पत्तन के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं की जायेगी ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बर्दवान) : वित्त मंत्री का भाषण, जहां तक मैं समझता हूं, सरकार की गत समय की असफलता तथा भविष्य के लिए थोथे आश्वासनों का द्योतक है। इस बजट से सरकार ने अपने आपको निहित स्वार्थों को समर्पित किया है तथा इस देश के आम लोगों पर जुल्म किया है। गरीबी हटाओं का नारा एक धोकेबाजी सिद्ध हुई है।

पिछले दो बजटों में लगभग 700 करोड़ रुपये के कर लगाये गये फिर भी घाटा 626 करोड़ पये तक पहुंचा और इस वर्ष यह घाटा 469 करोड़ होने की सम्भावना है जो और कर लगाकर 225 करोड़ तक होगा। इस घाटे को चीनी, कपड़ा, चाय और बीड़ी पर लेवी लगा कर पूरा करने का प्रस्ताव है जिसका बोझ निर्धन मध्यम वर्ग पर पड़ेगा, अब ऐसा लगता है कि देश के अधिकांश लोगों के भाग्य में भूखा रहना ही है। गत 27 वर्षों की आर्थिक नीति का परिणाम यह रहा है कि आम आदमी अधिक गरीब हुआ है, रहन सहन में विषमता बढ़ी है तथा उन थोड़े से लोगों के हाथ में सम्पत्ति और आर्थिक साधनों का संकेन्द्रण हुआ है जो सरकार और सत्ताधारी दल के संरक्षक हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता विना आर्थिक स्वतंत्रता के आम लोगों के लिए केवल एक भावनात्मक संतोष की बात रही है।

इस वर्ष के बजट में त्वरित कार्यक्रम के बारे में, जिससे लोगों को रोजगार मिले, कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के बारे में जो देश की एक गम्भीर समस्या है, बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। बेरोजगारी और गरीबी के बढ़ते रहने का परिणाम यह होगा कि देश के युवकों की प्रतिमा उस ओर जायेगी जिससे देश का हित नहीं होगा। युवकों का समाज-विरोधी गतिविधियों में भाग लेने का कारण भी यही है और सत्ताधारी दल इसका उपयोग अपने राजनीतिक हित साधन के लिए कर रही है।

मंत्रियों के वक्तव्यों से मालूम होता है कि अनाज पर्याप्त मात्रा में है किन्तु तथ्य यह है कि इसकी भारी कमी है और साथ ही इनकी कीमतें भी ऊंची हैं। वितरण प्रणाली का विस्तार नहीं किया गया है, यहां तक कि सांविधिक राशन व्यवस्था भी समाप्त होने पर है। राशन की नियमित सप्लाई निश्चित नहीं है और जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त तथा नियमित राशन नहीं मिलता है। अन्य आवश्यक वस्तुओं की दशा भी अच्छी नहीं है। कल्याणकारी राज्य में आम आदमी का ध्यान रखा जाता है और उन पर कर लगाने के साथ साथ उन्हें बजट प्रस्तावों में तदनुरूप लाभ भी दिया जाता है किन्तु इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में योजना की सारी पद्धति समाप्त हो रही है। बजट का उद्देश्य योजना प्रस्ताओं को कार्यान्वित करना होता है किन्तु योजना के अभाव में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में पर्याप्त राजकोषीय उपाय का आधार ही पूर्णतः निष्फल हो गया है। अब योजना बजट का अनुसरण करेगी नकि बजट योजना का अनुसरण करेगा।

दूसरा पहलू जिस की ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि हमारा संघीय ढांचा है अतः यह महत्वपूर्ण है कि संघ के एककों का भी सुसमन्वित तथा योजनाबद्ध तरीके से विकास हो। अतः सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी एककों का पर्याप्त और समान विकास हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों को उचित मांगों पर गम्भीरता से विचार किया जाये क्योंकि इसके बिना योजनाबद्ध विकास नहीं हो सकता है। मैं इस सम्बन्ध में पूर्वी क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं। क्या कारण है कि यह क्षेत्र जिसका देश को आय में महत्वपूर्ण योगदान है, पिछड़ा हुआ है। जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं उन्हें भी आवश्यक कच्चे भाव से वंचित किया जा रहा है। विकास इस प्रकार होना चाहिए कि देश का कोई भी भाग अपनी वैध मांगों से वंचित न रह जाये। हावड़ा-आमटा रेलवे लाइन का क्या हुआ। प्रधान मंत्री

ने इसका आश्वासन दिया था और इसके बिना लोग बड़ी कठिनाई में हैं । इसी प्रकार कलकत्ता की भूमिगत रेलवे लाइन, हुगली पुल परियोजना और हल्दिया पेट्रो रसायन परियोजना का क्या हुआ है । जान पड़ता है ये सब समाप्त हो गई हैं । चुनाओं से पहले पश्चिम बंगाल अथवा पूर्वी क्षेत्र के लिए जितनी भी राष्ट्र निर्माण की परियोजनाओं का आश्वासन दिया गया था वे कागज तक हीं सीमित रही । आज सरकार को पश्चिम बंगाल तया पूर्वी क्षेत्र के लोगों को स्पष्टीकरण देना है ।

मुद्रास्फीति से रुपये का 75 प्रतिशत मूल्य घट गया है और सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं तथा देश के आम लोगों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है । आज स्थिति यह है कि साधारण आदमी के रहन सहन के स्तर का मूल्य बढ़ रहा है किन्तु वास्तविक आय घटती जा रही है ।

सरकार ने जो अनिवार्य जमा योजना आरम्भ की है सरकारी कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं ।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, भूमिहीन श्रमिकों तथा कृषकों को कुछ सुविधाएं देने से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता । जब तक आमूल भूमि सुधार नहीं किये जाते तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता है ।

देश से गरीबी तो समाप्त नहीं हुई है किन्तु आपातकालीन स्थिति को बनाये रख कर मूलभूत अधिकार छीन लिए गये हैं । आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना कानून के अन्तर्गत राजनीतिक विरोधियों विद्यार्थियों, अध्यापको को नजरबन्द किया जा रहा है । कोई भी आर्थिक नीति जनता की भागीदारी के बिना अर्थहीन है । अतः मेरा निवेदन है कि आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत लोगों को अनिश्चित काल तक नजरबन्द न रखा जाये और आपातकालीन स्थिति को शीघ्र समाप्त किया जाये ।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)**: महोदय, मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया गया है । यह स्वाभाविक है कि बजट दस्तावेजों पर विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों से विचार किया गया है और इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी भी बातें कहीं गई हैं जो वास्तव में हैं नहीं ।

बजट निस्सन्देह एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है । इसमें राष्ट्र का संकल्प होता है कि किस प्रकार स्थिति का सामना किया जाना है । इसी संदर्भ में माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि वित्त मंत्री को बजट एक बड़ी कठिन परिस्थिति में पेश करना था और उनके समक्ष कोई और अच्छा विकल्प सम्भव नहीं था ।

श्री साठे ने सही कहा है कि देश में आर्थिक विकृतियों को रोकने तया काले धन को निकाला बाहर करना और कर अपवंचन को समाप्त करना आवश्यक है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि न केवल ऐसे उपाय किये जायेंगे जिनसे काला धन निकाल बाहर किया जाये किन्तु ऐसे भी उपाय किये जायेंगे कि काले धन का निर्माण ही न हो ।

बजट दस्तावेजों तया वित्त मंत्री के भाषण से मालूम पड़ेगा कि विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद करों की वसूली बढ़ी है । 1974-75 के बजट में सीमा शुल्क की वसूली का अनुमान 936 करोड़ रुपये का लगाया गया था और संशोधित अनुमान में यह 1,300 करोड़ रुपये होगा । आयकर तथा प्रत्यक्ष करों की वसूली में भी वृद्धि हुई है । यह कर-तंत्र में सुधार करने के कारण सम्भव हुआ है ।



9—16 L.S.S. (ND)/75

[प्रणव कुमार मुखर्जी]

जहां तक तस्करी तथा विभिन्न अन्य आर्थिक अपराधों का सम्बन्ध है आयकर विभाग ने छापों और तलाशियों को बढ़ाया है और 31 डिसम्बर, 1974 तक 1,774 छापे और तलाशियां की गई जबकि इसी अवधि में गत वर्ष इनकी संख्या 538 थी। गत वर्ष 4.40 करोड़ का माल जब्त किया गया जब कि इस वर्ष 14.87 करोड़ रुपये का माल जब्त किया गया।

इस बात की शिकायत की गई है कि आय-कर के बहुत मामले लम्बित पड़े हुए हैं। इसका कारण न्यायालयों में अधिक समय लगाना है और यह अधिकारियों के दोष के कारण नहीं है क्योंकि न्यायालय में लम्बित 1,366 मामलों में से केवल एक ही मामला निपटाया गया। वर्ष 1974 में आयकर विभाग ने 26,75,678 मामलों का मूल्यांकन तथा निपटान किया जब कि गत वर्ष इनकी संख्या 21,37,220 थी।

श्री वसंत साठे ने जो यह सुझाव दिया है कि कर तंत्र में सुधार किया जाये तथा इसे और कारगर बनाया जाये और मूल्यांकन करने तथा करों की शीघ्र वसूली की जाये जिससे मामले लम्बित न पड़े रहें, सरकार इस सम्बन्ध में विशेषरूप से ध्यान रख रही है।

बार बार यह पूछा गया है कि सरकार को तस्करी रोकने के लिए क्या कर रही है। आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम का जब संशोधन किया गया और 17 सितम्बर, 1974 को एक अध्यादेश जारी किया गया तथा बाद में अधिनियम बन कर जब 19 दिसम्बर, 1974 से लागू किया गया तब से बड़ी संख्या में आदमी गिरफ्तार किये गये। यद्यपि विधेयक का विरोध किया गया है किन्तु बिना कढ़ी कार्यवाही किये तस्करी को रोकने के लिए कारगर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तस्करी से निपटने के लिए असाधारण उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (वर्दवान) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन जेल में अनिश्चित काल तक नजरबन्द रखने का क्या औचित्य है।

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी** : सम्भवतः ऐसी धारणा बन रही है कि तस्करी के विरूद्ध सरकार अपने प्रयत्नों में कुछ ढ़ील दे रही है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। सरकार ने ऐसा दावा नहीं किया है कि तस्करी पूरी तरह से समाप्त हो जायेगी। प्रश्न यह है कि क्या हम तस्करी की गतिविधियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाना सरकार के लिए सम्भव हुआ है। 19 दिसम्बर, 1974 से 9 मार्च, 1975 तक 690 नजरबन्दी के आदेश जारी किये गये। यद्यपि कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया किन्तु सभी राज्य सरकारों ने यह प्रयत्न किया है कि इन लोगों को नजर बन्द किया जाये।

छापों में धीरे धीरे कम सामान जब्त हो रहा है किन्तु छापों की संख्या वृद्धि में हुई है। सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1973 में छापों की संख्या 2,200 थी जब कि इसी अवधि में 3,000 रही किन्तु जब्त किया गया माल 2.8 करोड़ रुपये से घट कर 1.08 करोड़ रुपये का रहा है।

हमने विश्व के भिन्न भिन्न भागों से रिपोर्ट मंगाई हैं जहां तस्करों को वहां रहने वाले भारतीयों से रुपया मिलता है और वे उस रुपये को यहां भेजते थे। उन्हें इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। हाल के महीनों के आंकड़ों से मालूम पड़ता है कि स्थानीय कानूनी माध्यमों से अधिक रुपया आ रहा है जो इस बात का द्योतक है कि उन क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। इन क्षेत्रों से ऐसी भी रिपोर्ट मिली हैं कि वहां तस्कर माल को बहुत नीचे दामों पर बेच रहे हैं और यही कारण है कि देश के कुछ भागों में तस्करी का माल मिल रहा है।

श्री पीलू मोदी ने यह आरोप लगाया है कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डा० शंकर दयाल शर्मा के हस्तक्षेप करने पर श्री रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र जो साड़ी के व्यापारी है, के घर छापा मार कर जो 50,000 डालर तथा 22 लाख रुपये जब्त किये गये थे, वे वापस किये गये क्योंकि यह कांग्रेस का माल था। किन्तु इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है और निराधार है। वास्तविकता यह है कि उक्त साड़ी व्यापारी के घर पर छापे में 11,93,976 रुपये तथा 2,840 डालर और पौंड जब्त किये गये। इसमें से केवल 40,250रु पये की रकम वापस की गई क्योंकि उस रुपये के स्रोत के बारे में सही पता हो गया था और यह आयकर अधिनियम की धारा 132 (5) के अधीन किया गया।

दुसरा उनका कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नही है। मने तत्कालिन कांग्रेस अध्यक्ष डा० शंकर दयाल शर्मा से पता किया है। कांग्रेस में से किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि यह धन या चीज़ कांग्रेस दल की हैं। श्री भरत सिंह सिंघानिया को लेकर भी कुछ आरोप लगाये जाते हैं, जो निराधार हैं। यह सच है कि जब आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम लागू था तब उनके विरुद्ध नजरबन्दी आदेश जारी किये गये थे। 19 दिसम्बर, 1974 को इस अधिनियम के समाप्त हो जाने और नये अधिनियम के लागू होने पर उसके अधीन नजरबन्दी के सभी 680 मामलों का पुनर्विलोकन किया गया और 520 लोगों को नये अधिनियम के अधीन जेल में रखा गया। श्री सिंघानिया के मामले पर विशेष रूप से अलग विचार नहीं किया गया। सभा में यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध वर्तमान आर्थिक कानूनों के अधीन न्यायालयों में कार्यवाही की जा सकती है उनपर आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम लागू नहीं किया जायेगा। श्री सिंघानिया के विरुद्ध जून, 1974 में विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन मामला दर्ज किया जा चुका था। इसलिए उन्हें नये अधिनियम के अधीन नजरबन्द नहीं किया गया। यह कहना बिल्कुल निराधार है कि कोई एक या दो मुख्य मंत्री को उनसे 1 करोड़ रुपया मिल रहा है या आधा दर्जन मंत्री प्रधान मंत्री को समझा रहे हैं कि वह श्री जय प्रकाश नारायण का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

काले धन का पता लगाने का एक कारगर तरीका, जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया और जैसाकि मेरे वरिष्ठ साथी श्री सुब्रह्मण्यम ने पहले कई अवसरों पर कहा है, इन तस्करों द्वारा बनाई गई सम्पत्तियों का पता लगाना है। इसके कानूनी पहलू पर विचार करने के लिये उच्च अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है जिसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है कुछ तस्करों जैसे हाजी मस्तान, पटेल, बाखिया आदि के मामले में आयकर अधिकारियों ने निर्धारण आरम्भ कर दिया है। प्रत्येक प्रवर्तन मंडल में एक सैल बना दिया गया है जो तस्करी से बनाई गई बैनामी सम्पति के बारे में जानकारी इकटठा करने का कार्य करेगा। अनेक बाधाएं होने पर भी उन्होंने बहुत बढ़ियां काम किया है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। आर्थिक अपराधों के लिय विचारणा प्रणाली के बारे में विधि आयोग की सिफारिश पर भी सरकार विचार कर रही है। निकट भविष्य में यह बताना संभव होगा कि इस बारे में विधान कब तक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बर्दावन) : श्रीमन्, अनेक आयकर अधिकारियों को पदावनत कर दिया गया है जबकि उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। इन अधिकारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उन्हें पुराने पदों पर पुनः वापस लाना चाहिए।

**श्री पी० के० मुखर्जी** : उनके मामलों पर सहानुभतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

**Shri Ram Hedaoo** (Ramtek) : Mr. Deputy Speaker, sir, his Budget raises certain basic questions

[ SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMY *in the Chair*
श्री० दिनेश चन्द्र गोस्वामी पिठासीन हुए। ]

will it help to check corruption, provide food, clothings and houses to the people, ensure planned and integrated development of the country, solve the unemployment problems or remove poverty ? We draw a blank. There is no provision in this regard.

We find that loans are granted to big people only who can arrange guarantee. The youth coming out of colleges cannot start their own business since they can not provide a guarantee for loan by Government. There is no provision in the budget for encouraging home or cottage industries What is the fun in appointing committees by Government if their recommendations are not to be implemented. Ashok Mehta Committee that production of coloured sarees should be reserved for the handlooms but these continue to be produced by powerlooms, Similarly certain suggestions have been made by Sivaraman Committee also but I know that its report is also not going to be implemented since the powerloom onwers have got a powerful lobby here The exploitation of the poor continues in *bigi* industry also. In agriculture all the facilities, assistance etc are covered by big farmers and the small farmer with two or four acres of land gets nothings.

In fact 95 per cent of the Government money is taken away by big factory owners and capitalists and the agriculturists have to remain content with 5 per cent As regards the realisation of taxes from capitalists I will like to cite the case of Mr. Ram Narain, President of District Congress Committee, Bhandara against whom an amount of Rs. 375 lakhs is outstandings as arrears of income tax But no body dose take action against him since the ministers dine with him and the collector drinks with him.

I find no provision for the upliftement of Adivasis. The facilities ment for them remain only on paper. Adivasis living outside the Adivasi areas are denied all facilities on the ground that they do not live in Adivasi area. They are not being given proper representation in government service. As regards regional imbalances, all depends on the influence exercised by the leadership of the area. Vidarbha region of Maharashtra is receiving stepmotherly treatment and continues to suffer, the leadership there is selfish. opportunist and power hungry. There are no industries, no railway lines and the cotton growers do not get a remunerative price for their produce.

If the amount spent on food imports is utilised for implementing the irrigation schemes, the country may become self-sufficient in foodgrains. If the use of cowdung as fuel is banned it will prove to be a good manure While excise duty has been levied on 120 items of common use, liquor has been spared. The enhanced gurs or sugar, petrol cloth, tea and sugar will result in decline of production and accumulation of stocks in factories and fall in revenue. Thus this budget will further aggravate the economic crises, increase inflation and hit the common man hard.

**श्री डी० डी० देसाई** (कौर) : मैं तेजी से बढ़ती हुई मुद्रा स्फिति को रोकने और मुल्यों को स्थिर करने के लिय वित्त मंत्री के बधाई देता हूं। उनके द्वारा घोषित किये गये उपायों के परिणामस्वरूप मूल्यों में और अधिक स्थिरता आयेगी।

**श्री डी०डी०देसाई (कैरा)** : मैं तेजी से बढ़ती हुई मुद्रा स्थिति को रोकने और मुल्यों को स्थिर करने के लिये वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। उनके द्वारा घोषित किय गये उपायों के परणामस्वरुप मुल्यों मे और आधिक स्थिरता आयेगी।

मंत्री महोदय को उत्पादन और बचत को बढ़ाने के लिये कुछ छूट देनी होगी। बेरोजगारी को हल करने के लिये बड़ी संख्या में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं जिनमें लोगों को हस्तकलाओं का प्रशिक्षण दिया जाय। हस्तकला के औज़ारों पर केवल 200 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय आता है। पहले लोग कुटीर उद्योगों में लगे होते ये और मिट्टी के बर्तन गेहूं और धान कूटने के ऊखल, हल, बैलगाड़ी आदि बनाते थे। परन्तु मिलों द्वारा उनका स्थान लिये जाने से वे बेरोजगार हो गय। यदि हस्तकलाओं और हस्तशिल्पों के लिये पर्याप्त धन दिया जाये तो भूमिहीन बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिल जायगा।

हमारी राष्ट्रीय आम का 50 प्रतिशत भाग स्थानीय अधिकारियों, राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा ले लिया जाता है जिसे वे अनुत्पादक कार्यों पर अधिक व्यय करते हैं, वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे सरकार के अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण करें। सरकारी कर्मचारियों पर ही व्यय 700 करोड़ से बढ़कर 1400-1500 करोड़ रुपये हो गया है। इसे कम किया जाना चाहिये। वित्त मंत्री द्वारा कृषि पर जोर देना सराहनीय है। मेरा सुझाव है कि यदि खाद्यान्नों के आयात पर खर्च किया जाने वाला धन देश को समृद्ध बनाने में उपयोग किया जाय और नदियों के जल का पूर्ण उपयोग किया जाय तो खाद्य समस्या हल हो जायेगी।

आज कपास सम्बन्धी एक गंभीर समस्या है। कपास उत्पादकों को एक औद्योगिक श्रमिक के बराबर भी पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। किसान अपने पूरे परिवार के साथ तप्ती गर्मी कड़ाके की सर्दी और भारी वर्षा में भी खेत में अपना खून पसीना एक करता है। फिर भी यदि उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है तो वह अगली फसल कैसे बोयेगा। कपास के लिये 10 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा की व्यवस्था की गई जबकि 900 करोड़ रूपये की कपास पैदा हो रही है। इसे बढ़ाकर कम से कम 100 करोड़ रुपये किया जाना चाहिये। गन्ना उत्पादकों की हालत बड़ी खराब है। गन्ने के मूल्य में 3 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोत्तरी की जानी चाहिये। गन्ने की चीनी के अंश में मिलों द्वारा जांच की जानी है। यह उत्तर में 9.5 और दक्षिण में 14 बताया जाता है। इतना अन्तर कैसे हो सकता है, ऐसा किसान का सन्देह है। गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि शीघ्र दिलाने में वित्त मंत्री को व्यक्तिगत रूचि लेनी चाहिये। गेहूं का वसूली मूल्य कम से कम 125 रुपए प्रति क्विंटल अवश्य होना चाहिए। गेहूं पैदा करने वाले किसान को कम से कम कपड़ा श्रमिक या किसी इंजीनीयरी उद्योग के श्रमिक के बाराबर पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिये। बिजली उत्पादन की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पूंजी निवश और बचत को बढ़ाने की दिशा में वित्त मंत्री ने अच्छा कार्य किया है, जिसकी सराहना की जानी चाहिये।

**डा० बी० के० आर० बी० राव (बेल्लारी)** : मैंने बजट भाषण और उनसे संलग्न दस्तावेजों को बहुत ध्यान से पढ़ा है। उनको पढ़कर मैं यह नहीं समझ पाया कि वर्ष 1974-75 के योजना परिव्यय में किन अतिरिक्त बजट संसाधनों का प्रयोग किया गया है। जो आंकड़े दिये गये है उनसे भी पहली योजना के परिव्यय और 1975-76 के प्रस्तावित परिव्यय में अन्तर का पता नहीं चलता।

वित्त मंत्री को बड़ा कठिन कार्य करना पड़ा है। हमारे देश में मुद्रास्फीति का बहुत बोलबाला रहा है। यदि हम पिछले वर्ष के संशोधित बजट अनुमानों की इस वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना करें तो इससे विदित हो जाएगा कि अनुत्पादक मदों पर काफी धन

[ डॉ० व्ही० के० आर० वी० राव ]

व्यय किया गया है । योजना परिव्यय मे केवल 70 या 80 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई थी । हमने संसाधनों को 700 करोड़ रुपए तक बढ़ाया लेकिन इसका अधिकांश भाग विकास कार्यों के लिए उपलब्ध न था ।

मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि "इकनामिक सर्वे" मे भी यहीं कहा गया है कि अभी मुद्रास्फीति दूर नहीं हुयी है। जो भाषण सदन में दिए गए हैं उनसे भी यह प्रतीत होता है कि इस लक्ष्य की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है कि मुद्रास्फिति अभी भी देश में व्याप्त है । हम आशा कर रहे है कि रबी की फसल अच्छी होगी परन्तु हमे यह मालूम नहीं कि खरीफ की फसल कैसे होगी । हमें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि रबी की फसल से कितनी वसूली होगी और विकास किस मूल्य पर ।

मुद्रास्थिती कुछ समय के लिए मामले ही रुक गई हो परन्तु इस के पुन्हा बढने कि हर सम्भव सम्भावना है । हमें इस बात पर बल देना होगा कि हम अभी भी मुद्रास्फिति के दौर से गुजर रहे हैं । 1975-76 में कीमतें बढ़ने की सम्भावना है । यदि इस वर्ष कीमतें 20 या 25 प्रति शत से अधिक बढ़ गई तो स्थिति को सम्भालना कठिन हो जाएगा । इसलिए चालू वर्ष की बजट नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह होना चाहिए कि एक तो मुद्रास्फीति की शक्तियों को रोका जाए तथा दूसरे कीमतें को अधिक बढ़ने से रोका जाए ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बजट में महंगाई भत्ते के बारे में कोई प्रावधान नहीं है । बजट में कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों के साथ बातचीत करने जा रही है । पता नहीं इस बातचीत का क्या परिणाम निकलता है । इसके अलावा 1976-77 के बजट वर्ष में वर्ष 1974-75 की जमा आय भुगतान के लिए देय हो जाएगी । इसलिए इस अतिरिक्त आय को जमा करने की अपेक्षा सरकार को उसे कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा कर देना चाहिए जिससे कि कर्मचारी यह मांग न कर सके कि उन्हें वह रकम तुरन्त लौटाई जाए । यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह रकम दो तीन वर्ष में देय हो जाएगी ।

मैं काले धन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । काला धन भी मुद्रास्फीति के फैलाव में काफी काम करता है । मैं समझता हूं कि सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ कार्यवाही की है । तस्करों और कर की चोरी करने वालें पर छापे मारे गए हैं तथा उसके अच्छे परिणाम निकले हैं । काला धन जमा करने वालों के मन में भय छा गया है । परन्तु मैं वित्त मंत्री का ध्यान काले धन के एक अन्य पहलू की ओर भी दिलाना चाहता हूं । मकान अथवा अन्य स्थल बेचने के मामलों में काले धन को काफी हेरा फेरी होती है। उनका मूल्य जो कागजों पर दिखाया जाता है वह बाजार के मूल्य से बहुत कम होता है । इस तरह में मकान खरीदने वाला अपना काला धन आराम से मकान बेचने वाले को दे देता है । मेरे कहने पर मेरे राज्य सरकार ने बंगलौर नगर में नमूना सर्वेक्षण किया । 13,000 मामलों का लेन देन हुआ था । इनमें से लगभग 1,000 मामलों का सर्वेक्षण किया गया । इससे पता चला कि रजिस्टर्ड मूल्य 195 लाख रूपए था जब कि उनका अनुमानित मूल्य 435 लाख रूपए से अधिक था । सम्पदा कि बिक्री सम्बधी काले धन के बारे मे भी सरकार को उसी कडाई से काम लेना चाहिए जैसे उसने तस्करों और कर-अपवंचकों के मामलों में किया है ।

झूठे लाईसेंस और कोटे लेने वालों के प्रति भी सख्ती बढती जानी चाहिए इससे भी कालाधन कम होगा।

इसके पश्चात् मैं निर्यात के प्रश्न पर आता हूं। हमें निर्यात में वृद्धि करनी है। यह खुशी की बात है कि हमारे निर्यात में पिछले दो-तीन वर्ष से 50 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भी निर्यात में वृद्धि होने का कारण मुख्य रूप से मूल्य वृद्धि है। जहां तक निर्यात की मात्रा का सम्बन्ध है उसमें केवल चार प्रतिशत की दर से ही वृद्धि हुई है। हमें इसे और अधिक बढ़ाना है।

विदेशों में मैंने सुना है कि भारतीय लोगों के हाथ से विदेशी बाजार निकल रहे हैं क्योंकि वे अपने ठेके पूरे नहीं करते और समय आदी का पालन नहीं करते। अतः ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जो उनकी कठिनाईयों को दूर करे और हमारे निजी तथा सरकारी क्षेत्र के निर्यात संबंधी ठेके पूरे हों। विश्व बैंक या अमरीका से ऋण लेने की बजाय हमें पैट्रो डालर के रुप में उपलब्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

निजी क्षेत्र को कर अवकाश तथा अन्य अनेक रियायतें देकर उत्पादन वृद्धि का उत्तरदायित्व निजी-क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है, परन्तु वित्त मंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी क्षत्र अपने इस उत्तरदायित्व को अनुभव करे।

यद्यपि कृषि, ऊर्जा तथा परिवहन को प्राथमिकता दी गई है परन्तु केन्द्रीय बजट के आंकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि के लिए योजना अन्तर्गत परिव्यय में अधिक धन की व्यवस्था नहीं रखी गई है। राज्य सरकारें बजट के सम्बन्ध में अपने संसाधनों पर निर्भर नहीं करतीं। मेरा सुझाव है कि ऐसे राज्यों को विशष अनुदान देने की सम्भावनाओं पर विचार करें जोकि बिजली उत्पादन, सिंचाई और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की दिशा में शीघ्र सफलता प्राप्त करने की स्थिति में हों।

यह बजट बिल्कुल व्यावहारिक है। वित्त मंत्री ऐसी स्थिति में फसे हैं कि एक ओर तो व्यय में कमी, ऋणों में कटौती, अधिक लम्बी निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं पर खर्च रोकने आदि की दिशा में कदम उठाना आवश्यक है और लागत बढ़ाने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही दूसरी ओर विकास तथा उसके लिए धन व्यय करने की भी आवश्यकता है। अतः ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जो कम से कम अर्थ-व्यवस्था को इस वर्ष तो स्थिर रखेगा। परन्तु मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि यह बजट वित्त मंत्री को इस उद्देश्य में सहायता नहीं करेगा। यह कहना कि चुनाव घोषणा पत्र में जो वचन दिये गये थे उन्हें इस बजट द्वारा पूरा किया जायेगा गलत है क्योंकि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण मे नहीं हैं।

हमारा प्राथमिक कर्तव्य यह है कि कीमतों में वृद्धि को रोका जाये और निर्धन तथा कमजोर वर्ग को अत्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी जायें। परन्तु इसके साथ ही, ऊर्जा उर्वरक, सिंचाई, कृषि आदि के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। अतः वित्त मंत्री को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इन कठिनाइयों के होते हुए भी उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है।

**श्री समर गुहा (कन्टाई)** : इस बजट में देश में निर्धनता स्तर घटाने और मूल्य-वृद्धि को रोकने की आधारभूत समस्याओं के किसी ठोस हल के बारे में कोई दृढ़ संकल्प नहीं है। स्वयं योजना मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि इस बजट में बेरोजगारी की समस्या की ओर

[ श्री समर गुहा ]

ध्यान नहीं दिया गया है । सरकार ने बड़े बड़े वायदे किये थे लेकिन वे सभी वायदे पूरे नहीं हुए हैं । कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता से पूर्व और उसके पश्चात् भी यह संकल्प लिया था कि अप्रत्यक्ष करों को, जोकि जनसाधारण को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, धीरे धीरे कम कर दिया जायेगा । परन्तु वस्तुतः इनमें वृद्धि की जाती रही है । इसके विपरित, प्रत्यक्ष करों में जोकि निहित स्वार्थों और धनवान लोगों को प्रभावित करते हैं, कमी की जाती रही है । इससे स्पष्ट है कि क्या हम आपने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जनता की या निहित स्वार्थों की सहायता कर रहे हैं । जनसाधारण पर से बोझा कम करने की बजाय और अधिक बढ़ाया जा रहा है । पहले की तरह इस बजट में भी योजना और विकास के बारे में बहुत से वायदे किये गये हैं । लेकिन पहले वचन ही पूरे नहीं हुए हैं । उदाहरण के लिए चौथी योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय की तुलना में सार्वजनिक बचत 1.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत तक करने का वचन था, परन्तु चौथी योजना के अन्त तक वह अपने 1965-66 के स्तर से केवल आधी ही बढ़ी । राष्ट्रीय आय के अनुपात में विकास नहीं कर सकें । 1965-66 में विकास व्यय 59.4 प्रतिशत था जोकि 1973-74 में 46.3 प्रतिशत रह गया । यह कहना गलत न होगा कि गत चार योजनाओं के परिणामस्वरूप जनसाधारण में निर्धनता स्तर असाधारण गति से बढ़ा है और अभी बढ़ता जा रहा है ।

पिछले अनुभव से यह कहा जा सकता है कि 1975-76 में जो घाटा होगा वह 1972-73 के 869 करोड रुपये के अभूतपूर्व घाटे से भी आगे बढ़ जायेगा ।

इस प्रकार का बजट निहित स्वार्थों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता क्योंकि इसका उद्देश्य निजी उद्योगों में व्याप्त काले धन को 1976 के चुनाव वर्ष के लिए जुटाना है । चुनाव हो या न हो, परन्तु इस पर महाद्विप युद्ध छिडने की आशंका अवश्य है । स्वाधीनता के बाद के 27 वर्षों में हमारे पचास से साठ प्रतिशत संसाधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः विभिन्न प्रयोजनों में लगाये गये हैं और लगभग 35 प्रतिशत संसाधन प्रतिरक्षा पर खर्च किये गये हैं । इसके अलावा अब पुनः शस्त्रों की होड़ लगी है जिसके परिणामस्वरूप भारत-पाक युद्ध होना अवश्य सम्भावी है। इस उप-महाद्वीप में राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याएं परस्पर सम्बन्धित हैं । बंगला देश के अभ्युदय और बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान तथा सिंध में जातीय स्वायत्तता आन्दोलन छिड़ने के बाद उपर्युक्त समय आ गया है जब हमें इस उप-महाद्वीप में इन आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं का कोई वैकल्पिक हल निकालना चाहिए तथा जन-साधारण को संरक्षण दिया जाना चाहिए । भारत, पाकिस्तान और बंगला देश का एक महासंघ बनाकर ही इस उपमहाद्वीप के लिए एक समान प्रतिरक्षा तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी नीति तैयार की जा सकती है । बजट कैसा भी हो, परन्तु वह युद्ध की स्थिति में, अवश्य अस्त-व्यस्त हो जायेगा । जैसा कि भारत-पाक और भारत चीन संघर्ष के दौरान पहले हो चुका है । यह वर्ष राष्ट्रीय संकट का सबसे खराब वर्ष है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय जीवन में इतने संकट का कोई वर्ष नहीं रहा । ज्यों ज्यों राष्ट्रीय संकट के अधिक होने की सम्भावना बढ़ती जाती है त्यों त्यों दिल्ली के शासकों में अपने हाथों में अधिक से अधिक शक्ति केन्द्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । आज शायद पाकिस्तानी आक्रमण की सम्भावना के डर से भी वह अधिक से अधिक शक्ति अपने हाथों में लेना चाहेंगे । बंगला देश में गम्भीर संकट उत्पन्न हुआ तो वहां निरंकुश शासन स्थापित हो गया । यही पाकिस्तान में भी हुआ है । इसी प्रकार सत्तारूढ़ दल भी, अपने हाथों मे अधिक से अधिक शक्ति केंद्रित कर रहा है और इसी प्रकार आपातकालीन स्थिति को भी जारी रखा जा रहा है । अब एक सशक्त संगठन बनाया गया है जो केवल दिल्ली में ही कार्य कर रहा है जिसका नाम आर० ए० डब्ल्यु है जिसपर केवल प्रधान मन्त्री का ही

नियन्त्रण है । इस का बजट भी गोपनीय है यद्यपि इस संगठन पर बहुत बड़ी राशि व्यय की जा रही है। आज देश मे आर० ए० डब्लू शासन कर रहा है सरकार अथवा कोई संसदीय समिति अथवा नीति निर्धारित करने वाली संकाय का देश पर शासन नहीं है । जितनी भी नीतियां है उनमें से अधिकांश का निर्माण उसी के द्वारा किया जाता है । इसका उद्देश्य क्या है यह हम नहीं जानते हैं । इस सभा में इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे गये हैं किन्तु कुछ भी नही बताया गया है । आज यह संगठन कुछ अर्थो में सी०आई०ए० तथा के०जी०बी०से भी अधिक शक्तिशाली है । यह संगठन देश में प्रधानमन्त्री के सीधे नियन्त्रण में कार्य कर रहा है ।

केवल सुरक्षा व्यय में ही वृद्धि नहीं हुई बल्कि अर्धसैनिक संगठन, सीमा सुरक्षा दल आदि पर भी व्यय बढ़ा है। अभी हाल में ही रूस से एक 26-सदस्यी रक्षा प्रतिनिधि मंडल हमारे देश में आया था । इस दल का नेतृत्व वहां के उप-रक्षामन्त्री कर रहे थे जो कि पालिट ब्यूरो के सशक्त सदस्य है । इस दल में सशस्त्र सेनाओं के तीनों अध्यक्ष भी थे और साथ ही सहायता के लिय सोवियत रुस के रक्षा विभाग का एक अत्यन्त शक्तिशाली तकनीकी दल भी आया था । मैं नहीं जानता कि रूस ने कभी किसी देश में इस प्रकार का दल भेजा है । इस दल के साथ क्या क्या बाते हुई सदन में कुछ भी नहीं बताया गया ।

यदि श्री जयप्रकाश का आन्दोलन लोक सत्ता का विकास नहीं करता तो निकट भविष्य में लोक सत्ता के बढ़ते राष्ट्रीय संकट तथा पाकिस्तान के साथ सम्भावित संग्राम के नाम पर सत्तावादी ही हड़प लेंगे ।

**श्री पी० गंगादेव** (अंगुल) : मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्तमान कठिन परिस्थितियों में भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना, निदेश में वृद्धि, सीमित घाटे का बजट, कमजोर वर्ग को उचित लाभ देना आदि कुछ अच्छी बातें बजट में रख कर उचित रूप अपनाया है । इसके अतिरिक्त 225 करोड़ का घाटा होते हुए भी 1974-75 की अपेक्षा निवेश परिव्यय में 23 प्रतिशत की वृद्धि पर उन्होने एक अच्छा बजट प्रस्तत किया है ।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए
SHREE ISHAQE SAMBHALI *in the chair*]

बजट प्रस्तावों में कृषि, उर्वरक और विद्युत पर अधिक ध्यान दिया गया है तथा इससे उत्पादन में अवश्य वृद्धि होगी तथा स्थायित्व प्राप्त होगा । बीड़ी, चीनी और चाय के मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि होने से लोगों को कुछ कठिनाई होगी । सीमेंट, कागज, जहाज-निर्माण तथा परिवहन जैसे उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करने से आय-वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र हो जायेगी ।

बजट के उद्देश्यों की पूर्ति खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं के सुचारू सरकारी वितरण, मूल्य वृद्धि पर पूर्ण नियन्त्रण, गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पूरा सहयोग देने, तस्करों, जमाखोरो, चोरबाजारी और कर अपवंचकों के विरुद्ध सफल कार्रवाई करने, किसी विदेशी आक्रमण न होने, जिससे रक्षा व्यय में वृद्धि न हो, राज्य सरकारो द्वारा बजट में बताई गई बातों को प्राथमिकता देने और सख्त आर्थिक अनुशासन रहने पर ही हो सकती है । सरकार प्रशासनिक तंत्रकों शक्ति संपन्न बनाए जिससे बजट के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ।

[ **श्री पी० गंगादेव** ]

देश में उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय सब से कम है। इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिशत सब से अधिक है। यह बड़े सन्तोष की बात है कि सरकार वहां 9 केन्द्रीय परियोजनाएं चलायेगी जिसमें कुल मिलाकर 489.34 करोड़ रुपया व्यय होगा। उड़ीसा जैसा गरीब राज्य अपने संसाधनों से उन्नति नहीं कर सकता। मेरा सुझाव है कि उड़ीसा में कुछ और केन्द्रीय परियोजनाएं चालू की जाय। इससे स्थायित्व आयेगा और गरीबी दूर होगी। मालेन गोट ली लौह अयस्क परियोजना तथा सरगीपाली सीसा निक्षेप जैसी परियोजनाएं लम्बे समय से केन्द्र के पास लम्बित पड़ी हैं। आशा है कि उन्हें लागू किया जायगा तथा 1975-76 के बजट में राज्यों को आबंटित राशि में से कुछ धन आवंटित कर इन्हें चालू किया जायेगा।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी)** : नये वित्त मन्त्री ने अपना प्रथम बजट प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया है कि उस बजट का उद्देश्य देश का विकास और सुरक्षा करना तथा सामाजिक न्याय दिलाना है। उन्होंने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि लम्बे अर्से की गरीबी हटाने के लिये तीव्र गति से विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुत सम्भावनाएं हैं। यह मात्र नारे हैं। उन्होंने बजट में कृषि को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के साधनों में वृद्धि आदि विषय के लिये आवश्यक उपादानों को उपलब्ध करा के कृषि क्षेत्र को शक्ति सम्पन्न बनाया जायेगा परन्तु इन सब उपादानों को उपलब्ध कराये जाने में सन्देह है। कृषि को हमने अभी उपेक्षित नहीं किया। चौथी योजना में इस पर 2353 करोड़ रुपया व्यय किया गया जिसमें से 1972 करोड़ सिंचाई पर और 2900 करोड़ रुपया बिजली उत्पादन पर व्यय हुआ। पांचवी योजना में कृषि विकास पर हमारा विचार 14,000 करोड़ रुपये व्यय करने का है। इतने पर भी हम देखते है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति इस सीमा पर पहुंच गई है कि हमें अधिकतर अन्य देशों से खाद्य के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका अर्थ यह नही है कि हमारा उत्पादन बढ़ा नहीं है। परन्तु हुआ यह है कि हम उसे वितरण के लिये प्राप्त नहीं कर सके है। इतना अधिक व्यय करने पर भी उसका लाभ कुछ व्यापारियों और किसानों को पहुंचा है। इसी कारण उन्होंने गेहूं का थोक व्यापार सरकार द्वारा आपने हाथ में लेने की नीति को विफल करने का प्रयास किया और वे उसमें सफल हुए।

कराधान के लिये सरकार को नये संसाधन ढूंढने चाहिये। उदाहरणतः इस समय देश में 5000 विदेशी कम्पनियां है जिसमें से 800 बहु-राष्ट्रीय निगमों की अधीनस्थ कम्पनियां है और उनमें 1,800 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है। प्रतिवर्ष वे करोड़ों रुपया अपने मुख्यालय को विदेश में भेजते है सरकार उन्हें इस प्रकार रुपया भेजने से मना क्यों नहीं करती ?

सरकारी क्षेत्र में लाभ होना आरम्भ हो गया है। गत वर्ष उसने राजस्व को अच्छी धनराशि दी है। परन्तु कुछ नौकरशाह गैर-सरकारी क्षत्र के ठेकेदारों से मिलकर सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण को बिखराने का प्रयत्न कर रहा है। सरकार को इस स्थिति का सामना करने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

मेरे विचार से यह बजट एक ऐसा बजट है जो आम आदमी को तो लटेगा और बड़े आदमियों की सहायता करेगा। इसमें बड़े एकाधिकारियों को छुआ तक नहीं गया चाहे यह एकाधिकारी बहु-राष्ट्रीय निगम हो अथवा देश में भारतीय एकाधिकारी, अतः मैं इस प्रकार के बजट को अपना समर्थन नहीं दे सकता।

**SHRI R. S. Pandey** (Rajnandangaon) : In view of the economic situation rising population and chronic poverty of our people, if the present economic growth of 3.5 percent was not stepped upto 6 per cent, we would be heading towards bankruptcy and there will not be any remedy to it.

The Finance Minister has mainly given four reasons for the malaise viz, continued increase in the money supply, inadequate production and procurement of foodgrains in the year 1974, steep rise in the price of petrol and larger payments made for imports, specially of foodgrains and oils. It was in this context that the Finance Minister has shown a deficit of Rs. 225 crores. A deficit budget has become one of our conventions.

There is great discontentment among people due to continued rise in prices and lack of availability of essential goods now-a-days. It might be said that there were no rains. But the fact is that water is being wasted on a large scale due to inter-State water disputes In this regard, accountability should be fixed for this indecision. We have one-tenth of water in the world but it is unfortunate that we were unable to regulate it. The Fourth Plan included 124 schemes at an estimated cost of Rs 800 crores but they have not been taken up so far. A high-powered Commission should be set up to solve the river water disputes and responsibility be fixed for this state of affairs. Their decisions should be immediately put into force.

Then, there is a power cirsis. It has been urged that power be generated in those States where coal is available, but what happened today is that coal is transported to other States. It should be rationalised. Power should be generated in those States where coal is in abundance and should be supplied to other state through transmission towers.

The Finance Minister in his budget speech has laid down certain priorities. It is a good feature but due attention has to be paid to its implementation.

Plans are formulated at Delhi with the Co-operation of the State Governments. This formulation of plans should be decentralised at the district level and the Collector should be made responsible for their proper implementation. All unproductive expenditure should be stopped and the money saved should be spent for removing unemployment.

Government should take the responsibility of making essential commodities available to the general public Middleman should be elimin ted in the public distribution system.

In the agricultural Sector, the necessary minimum structure of approach roads, fertilizers, improved seeds, water and power should be arranged and due attention should be paid to bring about increase in agricultural production. Mere expantion of money supply in the form of larger number of currency notes would neither improve the availability in the market nor bring down the prices. Somewhere an accountability has to be fixed for the present situation.

*श्री ई० आर० कृष्णन् (सेलम) : मैं वित्त मंत्री जी से वर्ष 1975–76 के बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। वास्तव में देश का वार्षिक बजट ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश की लुड़कती अर्थव्यवस्था को पुन: नई जान देने में पर्याप्त शक्तिवर्धक हो। सत्तारूढ़ दल के सदस्य श्री ए० के० जी० सालवे ने अपने भाषण में यही उदात्त भावना व्यक्त की थी, जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रस्तुत बजट इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।

*तमिल में दिए गए अंग्रजो अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।
Summarised translated version based on English translatiod of the speech delivered in Tamil.

[ श्री० ई० आर० कृष्णन ]

वित्त मंत्री, श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उनकी सिद्ध बुद्धि कौशल की झलक नहीं दिखाई पड़ती जिसका कारण सम्भवत: यह हो सकता है कि उन्हें इस पद को सम्भाले अधिक दिन नहीं हुए। कुछ समय पहले उन्होंने इस सभा में कहा था कि रुपये की क्रयशक्ति बढ़कर दिसम्बर, 1974 में 25.3 पैसे हो गई थी जब कि सितम्बर, 1973 में उसकी क्रय शक्ति 24.6 पैसे थी। किन्तु इस बजट में प्रस्तावित करों के फलस्वरूप उसकी क्रयशक्ति कितनी और बढ़ जायेगी ?

यह बड़ी चिन्ता की बात है कि 1975–76 के बजट में पांच लाख लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम के लिए कोई राशि नहीं रखी गई है। 1-9-1974 को 40 लाख स्नातक बेरोजगार थे, वित्त मंत्री हमें बतायें कि इस कार्यक्रम हेतु धन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है।

पिछले आठ वर्षों में वित्त मंत्री ने गेंहू के लिए राज सहायता के रूप में 1148 रुपये दिये थे। इस समय तमिलनाडु में भयंकर सूखा तथा अकाल की स्थिति चल रही है। क्या सरकार तमिल-नाडु के पीड़ित लोगों का कष्ट कम करने के लिए रियायती दर पर उन्हें चावल उपलब्ध करने हेतु चावल का आयात करने के लिए धन की व्यवस्था करेगी ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्री ने 10 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 284 के उत्तर में बताया था कि राज्यों ने केन्द्र के पास 117 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति हेतु भेजी थी। किन्तु यदि केन्द्र इन परियोजनाओं की स्वीकृति में इतना अत्यधिक विलम्ब न करता, तो आज तक हमारा कृषि उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया होता। 13 मार्च, 1970 को तमिल नाडु की द्रमुक सरकार ने कावेरी डेल्टा के आधुनिकीकरण की एक योजना स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजी थी जिससे 64.75 लाख हैक्टयर कृषि भूमि को लाभ पहुंचना था, यदि केन्द्रीय सरकार ठीक समय पर इसकी मंजूरी दे देती तो राज्य सरकार इसे सफलतापूर्वक लागू कर देती और आज वहां सूखे की यह अभूतपूर्व स्थिति न होती।

केन्द्रीय सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के मामले में भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। उदाहरणार्थ, बंगलोर में कई सरकारी उपक्रम स्थापित किए गए हैं जब कि तमिल नाडु, केरल तथा आन्ध्र में उसके आधे भी नहीं है, इसी प्रकार तमिल नाडु तथा केरल को कावेरी के जल का उचित भाग नहीं दिया गया है जो पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है तो और क्या है ?

मुझ से पूर्व बोलने वाले बहुत से सदस्यों ने देश में चल रही समानान्तर अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है और बताया कि देश में लगभग 15,000 करोड़ रूपये का काला धन है। काले धन की बुराई समाप्त करने तथा भविष्य में उसे न उभरने देने के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट में क्या उपाय किए हैं ?

वर्तमान आर्थिक संकट, मुद्रा स्फिति तथा अति मूल्य वृद्धि को देखते हुए मैं वित्त मंत्री से अपील करुंगा कि वह आयकर छूट की सीमा को 6000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दें।

यदि केन्द्रीय सरकार गरीबी हटाना चाहती है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य एक उचित स्तर तक घटाने के लिए औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ाना चाहती है और बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या हल करना चाहती है, तो उसका केवल एक ही उपाय है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को पूरी शक्तियां प्रदान कर दे जैसा कि तमिलनाडु सरकार मांग कर रही है। देश में समाजवाद वस्तुत: तभी पनप सकता है।

**डॉ० हरि प्रसाद शर्मा** (अलवर) : गत वर्ष देश बहुत कठिन स्थिति से गुजरा है, हमें भयंकर सूखे की स्थिति तथा बाढ़ों का सामना करना पड़ा है। मूल्यो में बहुत वृद्धि हुई है और मुद्रा स्फीति बहुत बड़ी है। हलांकि मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति आज एक विश्व व्यापी लहर है। बजट में मुद्रा स्फीति के कारणों पर प्रकाश डाला गया है और उन दोषों तथा त्रुटियों की ओर भी संकेत किया गया है जिनके कारण सरकार इस दिशा में असफल रही है। मुद्रास्फीति के कारण केवल आम जनता को ही परेशानी नहीं उठानी पड़ी है बल्कि बचत के द्वारा निवेश किए जाने पर भी इसका प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में सरकार एक ओर तो मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करना चाहेगी जिसका मतलब है धन कि सप्लाई पर कुछ हद तक प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा और दूसरी ओर अर्थ व्यवस्था सुधारने के लिए मुख्य विकास परियोजनाओं में धन लगाना पड़ेगा। ऐसी बिकट स्थिति में कुछ निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल है।

बजट में मुख्य रूप से दो बातों पर अधिक ध्यान दिया गया है —एक कृषि तथा खाद्य उत्पादन पर और दूसरा विद्युत प्रजनन पर। क्या वित्त मंत्री हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि इन मदों पर इतना अधिक धन लगा कर वह देश को मुसीबत से उबार लेंगे और समस्याओं पर काबू पा लेंगे ? ऐसा करने में हम सफल हो जाएंगे, इसका मुझे विश्वास नहीं है। जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, चौथी योजना का लक्ष्य 42 लाख निर्धारित किया गया था जिसे मध्यवर्ती मूल्यांकन में घटाकर 29.51 लाख किया गया और वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता 20 लाख टन से भी कम थी। चौथी योजना का उत्पादन लक्ष्य 37 लाख रखा गया, मध्यवर्ती मूल्यांकन में जिसे घटाकर 22.5 लाख टन रखा गया और कुल उत्पादन वास्तव में 13.83 लाख टन हुआ, इस उत्पादन के आधार पर मैं पूछता हूं कि क्या वे समझते हैं कि पांचवीं योजना के उर्वरकों का उत्पादन पांच गुना हो जायेगा, क्यों कि जब लक्ष्य 42 लाख टन था तो उत्पादन 13 लाख टन हुआ।

जहां तक बिजली का सवाल है उसके सम्बन्ध में भी यही समस्या है। बजट में इस हेतु 140 करोड़ रुपये रखे गए हैं और 900 करोड़ रुपये राज्यों से प्राप्त होंगे, इस प्रकार कुल मिलाकर 1040 करोड़ रुपये हुए जो केवल 17 प्रतिशत है जबकि विशेषज्ञों के अनुसार कम से कम 20 प्रतिशत होना आवश्यक है, ये बहुत कठिन लक्ष्य है। सरकार के लिए उन्हें क्रियान्वित करना कठिन रहेगा।

परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार, जिसमें अगले दस वर्षों के लिए परमाणु ऊर्जा के सम्बन्ध में कार्यक्रम का ब्यौरा दिया गया है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में पूर्णत: परिवर्तन कर दिया गया है। 1980 तक 2700 मैगावाट बिजली उत्पादन करने की योजना थी जो अब केवल 1200 मैगावाट टन रह गयी है। यह एक बहुत जटिल क्षेत्र है और इन संयंत्रों को लगाने में ढ़ील देने पर हम अन्य देशों के साथ नहीं चल सकेंगे, सरकार को इस ओर विशेष तथा गंभीर रुप से ध्यान देना चाहिए।

**Shri Janeshwar Mishra** (Allahabad) : Mr. Chairman, Sir, it appears that Government has prepared this budget for us living on earth while sitting in Heaven. Mr. Subramanian hoped in his speech that the prices would come down since the rabi prospects were bright. It appears that they depend on the mercy of God and do not make efforts to improve the economic conditions. I fail to undrstand how everything is linked to rabi crop propsects as it dalda, kerosene oil, petrol etc. are all rabi crops.

There are reports of damage to crops in Punjab by hailstorm and I myself saw during my recent visit to allahabad that the entire crop was damaged by hailstorm in Shankargard Manda region. But Government is procuring wheat from formers

(Shri Janeshwar Mishra)

at the rates of Rs. 100 to Rs. 105 per quintal. When fertilisers are supplied at the rate of Rs. 210 a quintal, what is the justification for fixing procurement price of wheat at Rs. 105. Similarly the price of sugarcane has been fixed at Rs. 8 a quintal while the firewood is being sold at the rate of Rs. 25/- a quintal. The price now being paid to the farmers is lower than that paid to U. S. A. for purchase of wheat. Government appears to be in league with the factoryowners and industrialists in exploiting the poor farmer since the prices of industrial products continues to rise.

Government has continued its old practice or taxing the public instead of effecting economy in expenditure. It is reported that a sum of Rs 20 lakhs was spent on a Congress camp in Banaras recently. As many as 15,000 policemen are put on duty during each visit of the Prime Minister for her safety and every constable is to be paid Rs. 4-5 per day travelling allowance. This expenditure is not borne by the Congress. This can be avoided. There is no reference in the budget to stops to be taken to solve the unemployment problem. Government has not even given in the budget the total number of un employed persons. In fact one member in each family of 5 persons is without a jobe. Thus there are about 12 more unemployed persons in a population of 60 crores on the basis of a very simple estimate. When they follow the lead given by Shri Jai Prakash Narayan, they are termed fascist, dictators etc.

People are facing starvation in the country. In U. P. people have to take mango seed as food and in Madhya Pradesh people are taking *keseri Dal* and becoming victims of latryrism. The Petrol price has been raised so that opposition may not be able to use their vehicles in the elections. It is a politically indicated and anti people budget therefore it should not be passed.

**श्री इस्माइल हुसेन खान** (बारपेटा) : इस सभा का एक नया सदस्य होने के नाते सर्वप्रथम मैं आपका अभिवादन करता हूं । मैं कृषि क्षेत्र को बजट में राहत देने के लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं । आसाम में किसान मशीनों से खेती और बीज, खाद आदि के मामले में पीछे हैं । ब्रह्मपुत्र से जहां सिंचाई के लिए पानी मिलता है ? वहां बाढ़ से हानी भी होती है। वहां संचार की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को 20—20 मिल पैदल चलना पड़ता है तब कहीं सड़क या रेल तक पहुंच पाते हैं । बड़ी लाइन को गोहाटी तक बढ़ाया जाना चाहिए ।

किसानों को उपज बहुत कम होती है और उनका आमदनी का कोई और साधन नहीं है । उन्हे सींचाई मशीनों, बीज आदि को सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहिए । अभी ऐसे लोगों को बीज मिल गया जिनके पास भूमि ही नहीं है और भूमि धारी किसानों को पर्याप्त बीज नहीं मिला । ब्रह्मपुत्रा के नियंत्रण के उपाय भी किए जाने चाहिए । मानस घाटी में बेकी, मानस और बुरीआई नदियों के पानी के उपयोग के लिए योजना बनाई जानी चाहिए, आसाम में पटसन और धान को खेती होती परन्तु कलकत्ता के साथ समुचित संचार व्यवस्था न होने के कारण फसल के समय किसानों को अपनी फसल बहुत सस्ते दामों में बेचनी पड़ती है । संचार व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए ताकि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके ।

आसाम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । वहां पर एक केवल एक तेल शोधन कारखाना है और दूसरा मात्र कारखाना एक कागज मिल अभी तक पूरी ही नहीं हो पाई है । छात्रों, जनता, राजनीतिओं के संघर्ष के बाद एक और तेलशोधन कारखाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया लेकिन इस दिशा में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । इसके लगाये जाने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी ।

**SHRI G. C. Dixit** (Khandwa) : Mr. Chairman, Sir, this budget is a step in the right direction in the context of shooting prices, widespread unemployment minimum production uneconomic labour and industrial recession. We have to make efforts to get foreign exchange for providing means for the integrated development of the nation as a whole by consuming exportable surplus such as sugar, tea-etc. by resorting to taxation on such items. But *bidi*. tobacco, khandsari, powerlooms should have been spared as they are not exportable and are consumed by the common man. Many powerloom, which had been sick for want of yarn and falling market will have to close down. This small scale industry should not taxed further.

Agriculture is the backbone of our economy.

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : न तो वित्त मंत्री और न ही वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री उपस्थित हैं ।

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : वे चाय पीने गये हैं । मैं यहां पर उपस्थित हूं ।

The farmer believes in hard work and is never found indulging in violance subversive activities. It is welcome it more funds are provided for agricultural sector. But merely providing fertilizers. seeds, pesticides etc. to the farmer is not enough if a remunerative prices is not ensured for his produce. It is necessary that we should case the pressure on land by encouraging cottage and subsidiary industries tin each District. We should follow the lead given by Japan, Germany, Suitzerland, France etc. in the matter.

The U. N. food and agriculture export Prof. Kwist, who recently visited Madhya Pradesh, said that it was rich in forest reserves and its forest wealth should be exploited. 92 million cubic metres of industrial timbar can be produced in M. P where at present only 9 million cubic metres are produced. Centre should give more assistance to the state for the purpose.

**डा० कौलस** (बम्बई दक्षिण) : श्री सुब्रह्मण्यम ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है और यह सावधानी रखी है कि ऐसा कोई प्रस्ताव न रखा जाये जिससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर जो स्थिर हो गए हैं, कोई प्रभाव न पड़े । बजट पहली बार 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ है और विलासिता की वस्तुओं पर काफी कर लगाये गये हैं । प्रत्यक्ष कर परोक्ष करों की तुलना में कम है तथा मूल्यों में गिरावट और उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है । उत्पादन में वृद्धि बिजली और कच्चा माल समय पर और शीघ्रता से मिलने पर ही संभव होगी ।

आज देश में कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 12.10 मीटर है, जो 20 मीटर होनी चाहिए । देश में रूई की 61.95 गांठ लाख उपलब्ध हैं और हम 4.68 लाख रुपये की कपास का आयात करते हैं जिसका मूल्य 69 करोड़ रुपये होता है । यदि हम लम्बे रेशे की कपास की खेती पर केवल 25 लाख रुपये खर्च करें, तो 69 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है । शराब पर कुछ शुल्क लगाया जाना चाहिए जीससे राज्य असहमत नहीं होंगे । केन्द्र तथा राज्यों में योजना व्यय से भिन्न व्यय में कटौती करने की किसी योजना का बजट में उल्लेख नहीं है । यह व्यय कम किया जाना चाहिए । सरकार ने पैट्रोल पर शुल्क 10 पैसे बढ़ाया गया है । इसका टैक्सी चालकों पर प्रभाव पड़ेगा । पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा वापस प्राप्त करने के लिये हमें कम से कम एक लाख टन चीनी का निर्यात करना होगा जनता को, विशेष रुप से 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, चीनी का प्रयोग कम करना चाहिए, मेरे विचार में तो यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है ।

[डा० कैलास]

पता नहीं को दिनेन भट्टाचार्य इस बजट को किस प्रकार जनता विरोधी और एकाधिकारियों के पक्ष में बताते हैं। क्या 12,000 रुपये वार्षिक से कम आय वाले लोगों को बच्चों को शिक्षा पर व्यय पर आयकर को छूट देना, रेशन, चाय, नकली रेशम, एयरकन्डीशनों, प्रसाधन सामग्री आदि पर कर में वृद्धि करना जनता-विरोधी और एकाधिकारिक कार्य है? उर्वरक, कीटनाशी दवाइयों, कागज, सीमेंट आदि बनाने वाले कारखानों को आम और अन्तर निगम लाभांश पर आयकर से छूट देने से इन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा और इनकी चोर बाजारी समाप्त होगी। जनसंघ के श्री वीरेन्द्र अग्रवाल की आलोचना से ऐसा लगता है कि वे देश में निराशावाद की लहर लाना चाहते हैं। उनके द्वारा दिये गए आंकड़े सही नहीं है।

**श्री बनमाली बाबू** (सम्बलपुर) : आज बढती हुई मुद्रा स्फिति, वस्तुओं का अभाव और मूल्यों में वृद्धि आदि विश्व व्यापी हैं। ऐसा बजट लाना अत्यन्त कठिन है जिससे सभी वर्ग संतुष्ट हों। परन्तु इस बार पेश किये गए बजट को देशव्यापी समर्थन मिला है। सरकार द्वारा किए गये विभिन्न उपायों से कालाधन पकड़ा गया है और चलन में मुद्रा कुछ कम हुई है जिससे मूल्यों में 5 प्रतिशत की कमी आई है। देश में काले धन की एक समानान्तर अर्थव्यवस्था एक बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए इस दिशा में निरन्तर और उत्साह के साथ कार्य करते रहना आवश्यक है। बजट की सफलता के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्यों और केन्द्र के विभिन्न विभागों की गतिविधियां के बीच तालमेल करना होगा।

चाय और अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क वसूल करना विकासशील देशों की अर्थ व्यवस्था में एक सामान्य बात है। हमें अपना निर्यात बढ़ाना होगा हमारी प्रगति की वर्तमान दर 26 प्रतिशत है, जो विश्व की औसत से 11 प्रतिशत और विकासशील देशों की तुलना में 19 प्रतिशत कम है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बजट में खेती को अधिक महत्व दिया गया है और यह अच्छी बात है। बल्कि इसे और भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यह सर्वमान्य बात है कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिलने से ही मूल्य कम होंगे और इसका स्थायी उपचार कृषि उत्पादन बढ़ाना है। आज कृषि को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन कम होने का प्रश्न नहीं उठता। हमारे यहां 1390 लाख हैक्टर भूमि में खेती होती है और 1,000 लाख हैक्टर भूमि खाली पड़ी है। जब हमें प्रति वर्ष 13 करोड़ रुपये के अनाज का आयात करना पड़ता है तो यह भूमि क्यों खाली पड़ी रहने दी जाती है। हमारी प्रति एकड़ उपज केवल 1200 किलो है जबकि जापान, मिश्र आदि में यह 5000 किलो है। हम आज ग्रामी युवक शहरों की ओर भाग रहे हैं। खेती वृद्ध लोगों पर छोड़ देते हैं। 1961–1971 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर 24.66 थी परन्तु शहरों में जनसंख्या वृद्धि की दर 38 प्रतिशत थी। हमें युवकों को गांवों में वापस जाने और खेती करने के लिए प्रोत्साहन देना जाहिए।

खेती के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज पानी है। अभी तक हम 23 प्रतिशत की सीमा तक नहीं पहुंच सके हैं। हमारे पास वित्तीय साधनों की कमी है, इसलिए लघु सिंचाई योजनाओं पर, विशेष रुप से भूमिगत जल को, ध्यान देना चाहिए। मेरे राज्य में भूमिगत जल का विशाल भण्डार है। केन्द्रीय भूमिगत जल को बोर्ड सर्वेक्षण और क्रियान्विति में भी अधिक सक्रियता दिखानी चाहिए। उड़ीसा में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। जून 1974 में उड़ीसा में बैंकों के कुल 255 कार्यालय थे जबकि अन्य राज्यों 1000 से 2000 तक कार्यालय है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस असंतुलन को दूर करें।

हमारे देश में वसूली और वितरण की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है जिसका कारण केन्द्र द्वारा दोषपूर्ण मार्गदर्शन है। प्रत्येक गांव में दो एजेंन्सियां हैं, एक मिलें और दूसरे उत्पादक। सरकारी एजेन्सी 74 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से चावल की वसूली कर रही थी जबकि चावल मिलें 125 रु० की दर से वसूली कर रही थीं। जब इतना अन्तर हो तो सरकार को कोई क्यों चावल देगा ? इसलिए ग्राम पंचायत या ग्राम समिति जैसी एक ही एजेन्सी होनी चाहिए। अन्त में मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे पारादीप पत्तन के लिए, जो एक राष्ट्रीय परियोजना है, 1960 से 1963 के बीच उड़ीसा सरकार द्वारा लिया गया 15 करोड़ रुपये का ऋण उसे वापस करा दें।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : सभापति महोदय, इस बजट के बारे में एक बात निश्चित है कि इससे साधारण आदमी को कोई लाभ नहीं हुआ है। मुझे लुधियाना के होज़ियरी निर्माताओं से, उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों के शक्तिचालित करघा श्रमिकों और बुनकरों से नये करों के विरुद्ध अनेक तार मिलें हैं, जो मैंने मंत्री महोदय को दे दिये हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में खण्डसारी और तम्बाखू पर शुल्क के कारण बहुत क्षोभ है। यदि ये शुल्क प्रस्ताव वापस नहीं लिये गये तो उत्तर प्रदेश में भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये लघु उद्योग बन्द हो जाएंगे। शक्ति-चालित करघों के मामले में तो शुल्क 10 रु० से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते हैं। नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज नामक बैंक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। उसने सारे देश में एक मानचित्र परिचालित किया जिसमें काश्मिर को विवादग्रस्त क्षेत्र दिखाया गया था। यह नक्शा कर्मचारियों द्वारा अठराह दिन की हड़ताल के बाद वापस किया गया। उसने बंगला देश में मुक्ति आन्दोलन के समय तो विश्व के समक्ष गलत चित्रण किया कि हमारी सेनाए बंगला देश में थी। वे यहां से लाभ कमाकर बाहर भेज रहे हैं और हमारी अर्थ व्यवस्था को कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को श्री जगजीवन राम ने आश्वासन दिया था कि मूल्य सूचकांक 272 से अधिक हो जाने पर वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन पुनरीक्षण के लिए बातचीत होगी। सूचकांक 272 से ऊपर 1 अक्तूबर को हो गया और महंगाई भत्ते की चार किश्त देय हो चुकी हैं। हमें कोई वेतन आयोग नहीं चाहिए जिसके अध्यक्ष कोई सेवा निवृत्त या निवृत्त होने वाले न्यायाधीश हों और जो तीन चार साल के बाद रिपोर्ट दें। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वचनानुसार 15 मार्च, 1975 से इस बारे में कर्मचारियों से बातचीत आरम्भ कर दी जाएगी। अब एक राष्ट्रीय वेतनमान नियत करने का समय आ गया है।

अब मैं देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष श्री ज्योतिर्मय बसु ने 5 मार्च, 1975 को समिति की एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें प्रतिरक्षा-विभाग के लिए संस्करण तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा 15 से 20 हजार फुट की उंचाई पर तैनात जवानों के लिए कम्बलों की खरीद में धांधली का भंडा फोड़ दिया गया है। लेफ्टीनन्ट जनरल सांधू नाम के अधिकारी ने, जो आयुक्त सेवा निदेशक है, कुछ रुपयों के लालच में आकर प्रतिरक्षा के राष्ट्रीय प्रयत्नों की अवहेलना करते हुए घाटिया किस्म के कम्बल लिये। इस अधिकारी के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरा आरोप है कि उसने श्री कृष्ण वुलन मिल्स को कम्बलों का क्रयादेश देने तथा घटिया कम्बल स्वीकार करने के बदले में इस कम्पनी से पैसा लिया है। उसे तुरन्त निलम्बित कर देना चाहिए। उसे अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जाना चाहिए।

[श्री एस० एम० बनर्जी]

मैं अन्त में मंत्री महोदय से आश्वासन देने का पुन: अनुरोध करूंगा कि वे खण्डसारी, विद्युत चालित करघा, हथकरघा, बीड़ी और तम्बाखू श्रमिकों को राहत देंगे और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उन्हें देय महंगाई भत्ता मिलेगा तथा जवानों के जीवन को खतरे में डालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सांधू को सेना से निकाल बाहर किया जाएगा।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरीडीह) : मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। बजट में एक चीज स्पष्ट कर दी गई है कि हमारी अर्थ व्यवस्था अभी संकट में चल रही है और विश्व में मूल्यों में वृद्धि आदि का उस पर बार बार दबाव पड़ रहा है। इसका कारण जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि, खाद्य उत्पादन में गिरावट, ऊर्जा उत्पादन में कमी, आयातित कच्चे तेल के मूल्य में चौगुनी वृद्धि और इसका उर्वरकों पर पारिणामिक प्रभाव, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमता का अनुपयोग आदि है। विश्वव्यापी मुद्रा स्थिति और स्थिरता का हमारी अर्थ व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति की पृष्ठ भूमि में वित्त मंत्री का दृष्टिकोण बिलकुल सही और उचित है। 239 करोड़ रुपये के कर प्रस्ताव रखे गये हैं और कुछ मामूली राहत देकर पूरा न किया गया 225 करोड़ रुपयों का घाटा दिखाया गया है।

क्या बजट प्रस्तावों से उत्पादन के प्रयासों में जन सहयोग मिलेगा, खाद्य उत्पादन बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी और क्या मूल्य कम होंगे? इसमें अनेक अन्य विचारणीय बातें और बाधाएं भी हैं जैसे मानसून, बम्बई समुद्र में तेल की खोज के परिणाम, हड़तालों और बन्द से नुकसान आदि। आज जिसे ज्यादा वेतन मिलता है वह और अधिक मांग करता है तथा कुछ कर्मचारी अयथार्थवादी मांगें रखते हैं। इसके अतिरिक्त हमें भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति—पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई और डियागो गार्सिया में जमाव आदि—को भी ध्यान में रखना होगा। इन सब के बीच से होकर हमें अपनी अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करना है।

वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं का विशेष रूप से कृषि और ऊर्जा की, मैं स्वागत करता हूं। मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण कृषि में स्थिरता है। हरित क्रांति का बिहार ही नहीं अपितु सारे पूर्वी क्षेत्र को लाभ नहीं मिल सका। न तो सिंचाई परियोजनाओं और न ही अधिक उपज देने वाले किस्मों की खेती वाली भूमि के रकबे तथा ऋण और उत्पादन के बीच कोई तालमेल था। सहकारी ऋण महाराष्ट्र में 241 करोड़ रुपये, गुजरात में 180 करोड़ रुपये, आन्ध्र में 110 करोड़ रुपय, उत्तर प्रदेश में 98 करोड़ रुपये, बिहार में 30 करोड़ रुपये और पश्चिमी बंगाल में 22 करोड़ रुपये, उड़ीसा में लगभग 16 करोड़ रुपये और आसाम में 5 करोड़ रुपये है। पूर्वी क्षेत्र में खाद्य की कमी यथावत कमी हुई है। हमें कृषि में चहुंदिशी वैज्ञानिक विकास करना होगा।

कोयले से ऊर्जा के क्षेत्र के लिए नियतन में तो कमियां हैं, एक तो निम्न तापमान कार्बेनाइजेशन को इसके साथ जोड़ना चाहिए जिससे मिट्टी के तेल के आयात पर खर्च होने वाली 20–25 करोड़ रुपये की रकम बचेगी और दूसरे प्रत्येक कोयला क्षेत्र के साथ कोयला धोने का कारखाना होना चाहिए जिससे कि हम कोयला साफ करके बड़ी मात्रा में निर्यात कर सके। कोयला उत्पादन में 18 प्रतिशत अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग से भारत 50 लाख टन कोयला निर्यात कर सकता है और 500 करोड़ रुपय प्राप्त कर सकता है। यह राशि कोयला खनन उद्योग के प्रसार पर पंजी व्यय से कहीं अधिक होगी।

मुझे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को फालतू पुर्जों के लिये विदेशी मुद्रा मंजूर करने के तरीके के बारे में शिकायत है। वित्त मंत्रालय चार पांच महीने विचार करने के बाद अपेक्षित से बहुत कम विदेशी मुद्रा मंजूर करता है। इससे पूर्ण क्षमता के उपयोग में बाधा पड़ती है।

**श्री एम० सुदर्शनम** (नरसारावपेट) : मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्हों ने योजना अन्तर्गत धन विदेश में 23 प्रतिशत की वृद्धि और खाद्य तथा ऊर्जा जैसे निर्णायिक क्षेत्रों को अधिक महत्व देने के लिए विकास की प्राथमिकताओं में फेर बदल की है। विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास हो, इसके लिए उन्हों ने कृषि उर्वरक, बिजली, कोयला, पैट्रोलियम तथा सीमेन्ट, कागज, जहाज निर्माण आदि जैसे उद्योगों हेतु अतिरिक्त उपबन्ध किया है।

वित्त मंत्री ने प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को जो कर सम्बन्धी रियायतें दी हैं और लाभांश अधिनियम के निर्बन्धनों में संशोधन किया है उनसे ऐसे उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए थोड़ा अनुकुल वातावरण पैदा होगा।

यदि हम चाहते हैं कि धन-निवेश से मुद्रास्फिति न हो, तो उसके साथ-साथ बचत बढ़ाना भी आवश्यक है। परन्तु सरकार ने बचत बढ़ाने के लिए केवल मामूली सी ही रियायत का उपबन्ध किया है। गैर-बैंककारी कम्पनियों द्वारा जमाराशियों के लिए दिये जाने वाले व्याज पर निर्बन्धन आदि लगाने से धन-निवेश पर बुरा असर पड़ेगा।

इस बजट में 464 करोड़ रुपये का अन्तर है जिसे 239 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाकर पूरा किया गया है और 225 करोड़ रुपये का अन्तर अपूर्ण रह गया है। क्या घाटे का बजट मुद्रास्फीति को जन्म देगा अथवा नहीं, यह खरीफ की फसल पर निर्भर करता है। उत्पादन वृद्धि से अतिरिक्त घाटा आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि खरीफ की फसल अच्छी नहीं होगी तो बजट घाटे से मुद्रा स्फीति होगी।

अनेक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने से मूल्य भी बढ़ेंगे। चीनी, तम्बाकू, सीमेन्ट, कपड़ा, बिजली के पंखे, कागज आदि जैसी वस्तुएं, जिन पर अधिक शुल्क लगाया गया है, अधिक खपत वाली वस्तुएं हैं और इससे विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरित आयकर कानून में न्यूनतम छूट सीमा को बढ़ाकर कुछ राहत देने की आवश्यकता है।

विदेशी भुगतान-शेष में निरन्तर असन्तुलन आने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि शीघ्रातिशीघ्र निर्यात को बढ़ाया जाए और आयात में कटौती की जाए। वित्त मंत्री ने निर्यात संवर्धन या आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस बढ़ावे नहीं दिये हैं।

खण्डसारी पर अत्यधिक उत्पाद शुल्क लगाया गया है। यह निर्धन लोगों का उद्योग है जो अधिक तर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इससे ग्रामीणों को ही रोजगार मिलता है। मेरी राय में, इस पर शुल्क में वृद्धि करने से कुछ कारखाने बन्द हो जाएंगे।

आन्ध्र प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित उद्योगों को सभी भारतीय वित्त संस्थाएं वित्तीय सहायता देने से इन्कार कर रही हैं। वित्त मंत्रालय को इस मामले की तुरन्त जांच करनी चाहिए। सुपर तापीय बिजली घर आन्ध्र प्रदेश के कोयला प्रधान क्षेत्रों में लगाये जाने चाहिएं।

हम अन्तर्राष्ट्रीय अशांति के काल से होकर गुजर रहे हैं। हिन्द महासागर में भी नौसैनिक कूटनीति का विस्तार हो गया है। अमरीका द्वारा शस्त्रों की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध को हटाय जाने से ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि पाकिस्तान द्वारा की जा रही शस्त्रों की होड़ का मुकाबला करने के लिए

[श्री एम० सुदर्शनम]

हमारे पास अपनी रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं रह गया है। लेकिन रक्षा व्यवस्था के लिए बजट में केवल 117 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। भुट्टो की नीतियों, क्रियाकलापों और उनके भाषणों को दृष्टि में रखते हुए यह प्रावधान अपर्याप्त है।

**श्री सांगलियाना** (मिजोरम) : अपने अपने दृष्टिकोण से बजट की सराहना और आलोचन भी की गई परन्तु इस बात पर, जिस पर वित्त मंत्री ने जोर दिया है, हम सभी एक मत है कि उत्पादन वृद्धि ही मुद्रा स्फीति को रोकने का सर्व श्रेष्ठ तरीका है।

दुर्भाग्यवश, संघ शासित क्षेत्र मिजोरम में गत दो दशकों के दौरान इतना खाद्यान्न भी उत्पन्न नहीं हो सका है कि वहां की जनता की आवश्यकता पूरी हो सके। वहां पर आन्तरिक विद्रोह के बाद से तो उत्पादन इतना घट गया है कि सरकार मिजोरम को खाद्यान्न सप्लाई करने पर प्रति वर्ष 3 से 4 करोड़ रुपये तक खर्च करती चली आ रही है।

इस समय मिजोरम में भूमि पर समुदायों का कब्जा होता है। जब तक वहां पर दुर्भाग्यवश, मिजोरम में आज भी कानून और शान्ति की समस्या है, जिसके हल के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए।

मिजोरम को संघ राज्य क्षेत्र बनाये तीन वर्ष हो गए, परन्तु उसकी राजधानी ऐजल में आज भी पेय जल तथा बिजली का भारी अभाव है। इसी प्रकार ऐजल में केवल एक ही बैंक है। अत: जल और बिजली की सप्लाई की योजनाएं तुरन्त पूरी की जानी चाहिए और इस अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्र में कुछ चुने हुए स्थानों पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

इस क्षेत्र में बांस के भारी जंगल है जिनका पूरा-पूरा उपयोग कागज कारखाना आदि खोलकर किया जाना चाहिए। सिल्चर को वैरांगटे आदि स्थानों से रेल लाइन द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। ऐजल को रेल लाईन द्वारा अन्य स्थानों से जोड़े जाने की विशाल योजना बाद में यथासमय पूरी की जा सकती है। भूमि के सम्बन्ध में कोई स्थायी बन्दोबस्त नहीं किया जायेगा, तब तक खेती समुदाय स्तर पर तथा उठाऊ प्रणाली के आधार पर ही हो सकती है। यह तरीका बहुत ही क्षतिकारक है और आज की स्थिति में व्यवहार्य नहीं है। अत: उठाऊ प्रणाली के आधार पर खेती करने की व्यवस्था समाप्त कर उसके स्थान पर स्थायी बन्दोबस्त किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब सरकार इस समूची योजना को सहायता दे। इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम तो इस संघ शासित क्षत्र में कृषियोग्य भूमि का कोई स्थायी बन्दोबस्त लागू करना होगा। इसके बाद फिर आधुनिक उपकरणों की सहायता से ढालों को समतल टीलो में बदलना, भूमि को खेती योग्य बनाना और सिंचाई की खेती के लिए परती भूमि की सिंचाई करना तथा नकदी वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहन देना, रबड़ के पेड़ लगाना, ऊर्वरक सप्पाई करना आदि कार्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए तथा इन कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि पिछड़े क्षेत्रों तथा लोगों को दिये जाने वाली रियायतें और सहायता सम्बन्धित पक्षों तक नहीं पहुंच पाती। अत: मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच की जाये ताकि विभिन्न जनजातियों के बीच कोई भेदभाव न रखा जाएं।

**Shri S. K. Chavda** (Patan) : There is no doubt that this budget will lead to increase in price level and difficulties of the people who are living below the poverty line.

Tall claims are made by Government for the uplift of the backward classes, particularly Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but there is a great difference between precept and action of the Government. For instance the Scholarships being awarded to the Scheuled Caste and Scheduled Tribe Students and persons in Service have been withdrawn. I would suggest to increase tax on liquor and to use the additional revenue earned thereby for giving scholarship to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students and persons in Service.

The increase in excise duty on power looms should be withdrawn in respect of those individuals who are operating upto four powerlooms, as it would give them a great relief.

Inspite of drought conditions in Gujarat, we are going to export even the groundnut just for earning foreign exacbnge. But at the same time a large amount of foreign exchange is drained out of India as dividend by the foreign cigarette manufacturing Companies, Coca Cola and foreign pharmaceutical firms. As such our Government should look into the matter and allow only Indian firms to enter in these fields. (*Interruption*).

**Shri Achal Singh** (Agra) : It is a matter of regret that deficit budget has been presented for the last several years. Our expectations from the plans have been belied.

There is no doubt that nothing has been done for agriculture but much progress has been made in the field of industry. There are about 100 public undertakings with a total investment of Rs. 8000 crores. Inspite of this huge investment, these public undertakings are running in loss for which the attitude and the inefficiency of the officers, and the labour trouble and strikes in these undertakings are responsible. We should make such arrangements that strikes do not take place.

Inflation has arisen out of the evasion of income tax, excise duties etc. MISA., Preventive Detention Law and other measures have been adopted for this melady but I would like that some more stringent measures are taken. We should also effect economy in our expenditure.

There is crisis of character in our country. If we are to bring prosperity in our country, we will have to raise morality, and to effect economy by leading a simple life.

**श्री विश्वनारायण शास्त्री** (लखीमपुर) : वित्त मंत्री को योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए संसाधन जुटाने के रास्ते सुझाने पड़ते हैं, परन्तु दूसरी ओर वह सामान्य वस्तुओं पर लगातार कर नहीं लगा सकते। इस दिशा में विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। मैं तो उनके इस बजट को कृषि विकास प्रधान बजट कहूंगा। विकास से ही स्थिरता और आत्मनिर्भरता आती है। खाद्यान्न के उत्पादन पर जोर दिया गया है जो ठीक ही है। इसके लिए सिंचाई और उर्वरक ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिंचाई की दिशा में मेरे राज्य की स्थिति यह है कि वहां पर केवल 3 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई होती है। परन्तु दूसरी ओर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से बाढ़ आ जाती है। यदि इस नदी को नियंत्रित कर लिया जाये तो असम अन्य राज्यों की इतनी ही जनसंख्या के लिए खाद्य जुटा सकता है। अत: मेरा सुझाव है कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

[श्री विश्वनारायण शास्त्री]

रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यह देखकर मुझे निराशा हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। अपना सिर छिपाने के लिए जिनके पास मकान न हो वे लोग अपने प्रजातन्त्र, स्वातंत्र्य और समान अधिकारों पर कैसे गर्व अनुभव कर सकते हैं। जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है, वाणिज्य मंत्रालय ने कुछ नहीं किया है। विकास का अर्थ है कि सभी क्षेत्रों और सभी प्रदेशों में उन्नति हो।

बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् देश के विभिन्न भागों में बैंकों की शाखाएं खोली गई है परन्तु लखीमपुर जिले में अभी स्टेट बैंक की केवल एक ही शाखा है जब कि वहां की जनसंख्या तीन लाख है। जहां तक जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम आदि अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं का सम्बन्ध है उनका धन-निवेश पूर्वी प्रदेश में बहुत कम है। इस बारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ।

देश में चाय की पैदावार वाले क्षेत्रों को जो पांच भागों में बांटा गया है, युक्ति संगत नहीं है। ऐसे क्षेत्रों को पांच भागों में बांटे जाने और अलग-अलग उत्पादन शुल्क लगाये जाने की क्या आवश्यकता है। यह उत्पादन शुल्क तर्कसंगत आधार पर लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पिछले वर्ष वाणिज्य मंत्री ने इसे संशोधित करने का आश्वासन दिया था परन्तु इस वर्ष हम देख रहे है कि यह उत्पाद शुल्क उन क्षेत्रों पर अधिक लगाया गया है जो अधिक लाभ दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप चाय उद्योग द्वारा किये जाने वाले निर्यात में कमी आ रही है। यद्यपि अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क की वृद्धि पर अंकुश लगा दिया गया है परन्तु चाय पर उत्पाद-शुल्क बढ़ाकर 1 रुपया 30 से लेकर 1 रुपया 40 पैसे तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह न केवल इस उद्योग के हित को देखते हुए वरन् विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से 85 पैसे छूट देने के प्रस्ताव पर विचार करें।

**श्री डी० एन० तिवारी** (गोपालगंज) : हमने संसद के लिए मध्यावधि चुनावों के दौरान गरीबी उन्मूलन का वचन दिया था जिसके लिए भ्रष्टाचार का हटाया जाना, कीमतों में स्थिरता लाना, बेरोजगारी और विषमताएं दूर करना आवश्यक है। क्या हम अपने इस वचन को पूरा करने में सफल हुए हैं? जनता को इससे कोई सम्बन्ध है कि हमने संविधान में कितने संशोधन किये और कितनी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया। जनता तो परिणाम चाहती है कि मजदूरी में या राशन में कितनी वृद्धि हुई। आगामी चुनावों में वित्त मंत्री जनता को क्या उत्तर देंगे।

बार-बार यह कहा जाता है कि प्रादेशिक असंतुलन दूर करने है। मैं अपने बिहार प्रदेश क ही उदाहरण देता हूं। जहां पर संसाधनों की बहुतायत होते हुए भी होते हुए भी भारी अभाव की स्थिति बनी हुई है और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। देश में बिजली खपत प्रति व्यक्ति 90 यूनिट है जबकि उत्तर बिहार में केवल 10 यूनिट है। विडम्बना यह है कि वहां पर बिजली उत्पादन के लिए कोई केन्द्रीय परियोजना नहीं है।

केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबन्टन किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में बिहार के लिए धनराशि आबन्टित नहीं की गई है। जब डा० के० एल० राव मंत्री थे उस समय, दो परियोजनाएं एक मुजफ्फरपुर तथा दूसरी कटिहार में स्थापित करने की योजना थी किन्तु अब उन्हें कहीं और स्थापित कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जितना अन्य राज्यों के लिए किया जा रहा है कम से कम उससे आधा तो बिहार के लिए किया जाना चाहिए।

**Shri K. S. Chavda** : I have asked nothing for Gujrat.

**श्री डी० एन० तिवारी :** इसलिए कि आपका पेट भरा हुआ है और आपको और कुछ नहीं चाहिए ।

**श्री के० एस० चावड़ा** : 48 प्रतिशत लोग गरीबी के नीचे के स्तर का जीवन बसर कर रहें हैं ।

**श्री डी० एन० तिवारी :** मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा हूं । देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत 90 यूनिट हैं लेकिन उत्तरी बिहार में यह खपत केवल 10 यूनिट है ।

क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के बारे में बातें ही बातें की जाती हैं किन्तु ठोस कार्य क्या किया गया है स्थिति वही की वही बनी है । चार योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब हम पांचवीं योजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं । हम क्षेत्रीय असंतुलन कहां तक कम कर पाये हैं ? बिहार एक ऐसा राज्य है जहां संसाधनों की कोई कमी नहीं किन्तु विधि की विडम्बना ही समझिये कि इस राज्य को सबसे अधिक अभावों की क्रोड़ में पलना पड़ रहा है । उत्तरी बिहार की जन संख्या समूचे देश की जन-संख्या का 20 वां भाग है । यह आसाम, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात और मैसूर और केरल से भी बड़ा है । उत्तरी बिहार में न केवल प्रति व्यक्ति आय घटी है बल्कि क्षेत्रीय असमानता में भी वृद्धि हुई है । देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत 90 युनिट है, लेकिन उत्तरी बिहार में केवल 10 यूनिट ही है । यह भी विधि की विडम्बना है कि वहां बिजली पैदा करने के लिए कोई केन्द्रीय परियोजना नहीं है ।

बिहार में कृषि योग्य भूमि पर भी दबाव बढ़ गया है । 1972–73 में अखिल भारतीय औसत लगभग 68.6 थी । जहां एक और समूचे देश में कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों की प्रतिशतता 1961 में 69.5 से घट कर 1971 में 68.6 हो गई थी बिहार में यह प्रतिशतता 77 से बढ़कर 80.4 हो गई है । यह क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण ही हुआ है । रोजगार की स्थिति भी बड़ी असन्तोषजनक है । मैं वित्त मंत्री का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

**श्री वाई० एस० महाजन** (बुलढाना) : वित्त मंत्री ने अपने बजट में प्रगति और स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करने के जो दो उद्देश्य रखे हैं उस पर मैं उन्हें बधाई देता हूं । 1970–71 से अभाव ही अभाव रहे हैं तथा मुद्रा स्फीति के कारण देश को बड़े भारी संकट का सामना करना पड़ा है । आर्थिक स्थिति अच्छे कृषि उत्पादन न होने से अच्छी नहीं रही तथा इसी प्रकार औद्योगिक प्रगति भी बड़ी धीमी गति से हो रही है । दूसरे काफी धनराशि रक्षा उद्देश्यों के लिए लगानी पड़ी और तेल मूल्यों में वृद्धि से हमारे लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और इस स्थिति से हमें उभरने का प्रयास करना है । वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से प्रगति और स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प किया है । इसके लिए उन्हों ने खाद्य, कृषि और ऊर्जा को अति प्राथमिकता दी है वह सराहनीय है । उन्हों ने कृषि की प्रगति को हमारे विकासशील संसाधनों की प्रथम प्राथमिकता के रूप में उचित ही माना है । कृषि उत्पादन कुछ उद्योग जैसे उर्वरक, कीटनाशकों, कृषि की मशीनों आदि पर निर्भर करता है । आगामी वर्ष की योजना में इन उद्योगों को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है ।

जिन घटकों पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए उनका वित्त मंत्री ने उचित ही अभिज्ञान किया है और वे हैं, बीज कार्यक्रम, सिंचाई के अन्तर्गत अधिक से अधिक भूमि लाने के उद्देश्य से सतही और भूमि तल पानी की सप्लाई में वृद्धि करना तथा किसानों की सेवा समितियों का गठन । स्थिति

[श्री वाई० एस० महाजन]

के इस विश्लेषण पर किसी का झगड़ा नहीं किन्तु इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्र में ओजस्विता, उत्साह और अध्यवसाय की आवश्यकता है किन्तु गत 15 वर्षों से हम क्रियान्वय के समय असफल रहे हैं ।

सतही जल के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है किन्तु अन्तर्राज्य विवादों से हमारा यह जल व्यर्थ जा रहा है । अकेले महाराष्ट्र में ही अन्तर्राज्य विवादों के कारण 41 परियोजनाएं निलम्बित पड़ी है । केन्द्रीय सरकार ने इस समस्याओं के समाधान के लिए कोई सफल व्यवस्था नहीं की है ।

बजट में ऊर्जा समस्याओं पर भी अधिक बल दिया गया है । हमारी अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम ऊर्जा के लिए विदेशों पर निर्भर न रहें ।

यह वर्ष अभावों का वर्ष रहा है स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यह वर्ष ऐसा था जिस के दौरान मूल्यों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है । लेकिन आर्थिक नियन्त्रणों के कारण मुद्रास्फिति की स्थिति बदल गई है । किन्तु फिर भी संकट पूरी तरह टला नहीं है अतः वित्त मंत्री को चाहिए कि वह वित्त और ऋणों पर नियन्त्रण जारी रखने का जो एक गत वर्ष से लगाये गए हैं निश्चय करना चाहिए । यद्यपि मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करने के लिए इन नीतियों का जारी रखा जाना आवश्यक है किन्तु उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से इन नीतियों में ढ़ील देना भी हितकर होगा । उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र में रूई उत्पादकों को रूई के मूल्य का केवल 30 प्रतिशत ही मिल रहा है क्योंकि रिजर्व बैंक उन्हें अधिक दर नहीं दे रहा है ।

बीड़ी पर लगाये गये कर पर पुनः विचार किया जाना चाहिए ।

**श्री बी० वी० नायक (कनारा)** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अनेक सदस्य बोलना चाहते है उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए । कल मंत्री महोदय के उत्तर देने से पहले उन्हें अवसर दिया जा सकता है ।

**श्री वाई० एस० महाजन** : मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं ।

**Chairman :** In order to run this House properly, we must stick to the time allotted for the general discussion.

**निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघु रामैया)** : आप सब लोग बोलने के अवसर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं अतः इसका समय बढ़ा दिया गया है इससे विरोधी पक्ष सहमत है । कल वित्त मंत्री उत्तर देंगे ।

**Shri Nageshwar Dwivedy** (Machhlishahr) : I praise the Finance Minister as in the budget presented by him he has given overriding priorities to the agriculture, defence and to the industrial sector.

The war with Pakistan and the acute drought these twin factors have adversely affected our agricultural production and the power shortage resulted in low output in industrial sector. The economy of the country has been shattered as a result of it. In view of the economic crisis confronting the country, it was hoped that there will be a heavy dose of taxes in the budget. But the Finance Minister has not imposed many taxes as was expected.

The smuggles are playing havoc with the economy of the country. The compaign launched to check their nefarious activities should be continued with renewed vigour

The movement launched by Shri Jayaprakash Narayan is also responsible for the economic crisis at present. It is a matter of satisfaction that he has disassociated himself from Lok Sewa Sangh by resigning from it. In my opinion, it is his virtua expulsion from this organisation. I hope shri Jayaprakash Narayan will not try continue his movement in the capacity of a leader of the sangh any more.

Now-a days, there is much talk about price rise and inflation. People who talk about price rise, want that they may get foodgrain at cheap rate but they are not at all concerned about the cost at which the farmers grow their crops. While fixing the price of foodgrains, the Government should take into consideration the increased rates of power, fertilizers and irrigation. It is not fair if the farmers are not given their due as they have also to pay high prices for purchasing materials required for agricultural purpcses.

One of the factor for the poverty of the farmer is our judiciary and the advocates. Most of the farmers are involved in litigation and they waste their lot of income in these cases. This system should be changed.

**सरदार स्वर्णसिंह सोखी (जमशेदपुर)** : इस वर्ष जो बजट पेश किया गया है वह वर्तमान आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही सन्तुलित बजट है। लेकिन यदि नये कर नहीं लगाये जाते तो और भी बेहत्तर होता, क्योंकि इन करों से देश भी साधारण जनता पर परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा।

बिहार सदैव पिछड़ा राज्य रहा है और वहां सदैव आर्थिक कठिनाई रही हैं। सरकार के हित में परियोजनाएं और योजनाएं, धन के अभाव में प्रति वर्ष निलम्बित की जाती हैं और कभी कभी तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। अतः केन्द्रीय सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है और इसे बिहार के लिए धन आबन्टन करने में उदारता बरतनी चाहिए।

बिहार सरकार ने उत्तरी बिहार में चम्पारन जिले में बागा गाव के निकट परमाणु बिजली घर बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है। लेकिन केन्द्र ने वहां इस बिजली घर को स्थापित करने की सम्भाव्यता की जांच पड़ताल करने हेतु वहां एक विशेषज्ञ दल भेजने के बजाए उसने इस प्रस्ताव को ही रद्द कर दिया और उत्तर प्रदेश में नरोरा में 500 करोड़ रुपये की लागत का एक परमाणु बिजली घर बनाने की मंजूरी दे दी है। यह खेद है कि बिहार राज्य के जायज दावे भी नजरअन्दाज किये जाते हैं। केन्द्र ने अन्य बहुत से मामलों में बिहार के साथ अन्याय किया है। वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिहार में, कम से कम छठी पंच-वर्षीय योजना में ही सही, एक परमाणु बिजलीघर अवश्य स्थापित किया जाए।

हजारों करोड़ों रुपये का काला धन, जो देश में अभी तक प्रतिचालित हो रहा है, उस पर अब सरकार का अधिकार ही जाना चाहिए था। निसन्देह तस्करों और चोर-बाजारी करने वालों पर मारे गए छापे से देश में काले धन के व्यापार पर कुछ प्रतिबन्ध लगा है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। सरकार को सारे देश भर में से काला धन बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि यह ही मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति का मूल कारण है।



11—16 L S S/ND/75

[सरदार स्वर्ण सिंह सोखी]

खेद है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी और कर्मचारी वही कार्य करते हैं जो उनके हित में होता है और सामान्य जनता की जायज शिकायतों की नितान्त उपेक्षा की जाती है। बैंकों में एक रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट भी उपलब्ध नहीं है। वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

कहा जाता है कि खाद्यान्नों के मूल्यों में भारी गिरावट आयी है। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि खुदरा दुकानदार पुराने मूल्य पर सामान देता है। सामान्य व्यक्ति को कोई राहत नहीं मिली है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इस सम्बन्ध में कुछ अवश्य करना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट में काफी कर लगा दिये गए हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह करों में कुछ सीमा तक कटौती आवश्य करे ताकि आम आदमी को कुछ तो राहत मिले। साथ ही वित्त मंत्री को वर्ष 1975–76 के दौरान कोई अनुपुरक बजट पेश नहीं करना चाहिए।

**श्री बी० वी० नायक** : बजट प्रतिभाशाली व्यक्तियों के वार्तालाप का अध्यवसाय ही नहीं होना चाहिए। किसी भी देश का बजट ऐसा होना चाहिए जो सामान्य जनता की समझ में आ जाए। बजट में ऐसी भाषा-जटिलता है कि हमारी, जो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, समझ से भी बाहर है क्योंकि इसमें अत्याधिक जटिलताएं है।

हमें कर राजस्व, विकास परिव्यय, गैर-विकास परिव्यय आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें अत्याधिक विकास परिव्यय व्याप्त है, इसमें बहुतसी निधियो की व्यवस्था है जिनका उपयोग भी होता आया है और दुरुपयोग भी। हम केवल यही जानना चाहते हैं कि पूंजी और राजस्व की 10,000 करोड़ रुपये की राशि में से इस देश की गरीब जनता से कितना प्राप्त होगा और अमीरों से कितना। मेरा अनुभव है कि आय और व्यय दोनों ओर ही गरीब का शोषण हुआ है। लेकिन व्यय की स्थिति में अमीर को लाभ होगा।

सर्वप्रथम मुनाफाखोरी की दृष्टि से कम उत्पादन किया जाता है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए।

दूसरे यूनिट ट्रस्ट कानून का संशोधन करने के बजाय लाभांश के वितरण पर सीमा निर्धारण अधिनियम का संशोधन किया जाना चाहिए और अंशधारियों को देय लाभांश सीधा यूनिटों से लगाया जाना चाहिए। यदि सम्बन्धित कम्पनियां इस धन को प्राप्त नहीं करती तो इसे उत्पादन सुविधा उत्पादात्मक व्यापार उद्यम का विस्तार करने में लगाया जाना चाहिए।

इस देश की पूंजीवादी प्रणाली में भ्रष्टाचार एक अनिवार्य बुराई के रूप में सामने आया है। गरीब द्वारा किये गये भ्रष्ट कृत्यों को क्षमा किया जाना चाहिए लेकिन अमीर लोगों के मुनाफों को कम किया जाना चाहिए तथा धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए।

निहित स्वार्थ वाले लोगों ने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन तो चलाया है लेकिन वह अपनी भ्रष्ट प्रणाली को परिवर्तित नहीं कर सकते। हमें काम और सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि संसाधनों तथा बजट बनाने से ही

इस देश का कल्याण नहीं होगा। हमें देश की जनशक्ति का बजट बनाना है। हमें देश की भूमि का बजट बनाना है। जनशक्ति, भूमि तथा संसाधनों का बजट बनाना कठिन काय नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करते उस समय तक हम प्रगति नहीं कर सकते।

हमने बेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। हमने जिस प्रकार कृषि मज़दूरों के लिए न्यूनतम मज़दूरी निश्चित की है, उसी प्रकार अकुशल, अर्धकुशल तथा अन्य मजदूरों के लिए भी निश्चित करनी चाहिए थी। हमें बेरोजगार युवकों को कहना चाहिए कि, "हम आपको कोई भी नौकरी अवश्य देंगे, चाहे आपकी पसन्द की हो या नहीं। आप करे अथवा न करें।"

कहा जाता है कि 330 करोड रुपये की सामग्री का आयात करने से मुद्रास्फीति नहीं होती। वास्तव में इससे मुद्रास्फीति होती है। हमने 330 करोड़ रुपयें की विदेशी मुद्रा खर्च करके विदशों से अन्न तथा उर्वरक का क्रय किया तथा इनका वितरण किया। समझ में नहीं आता कि इससे मुद्रास्फीति क्यो नहीं होती।

बिना ब्रांड की बीड़िया को करों से मुक्त किया गया है। बिना ब्रांड वाली अन्य वस्तुओं को भी इसी प्रकार कर से मुक्त किया जाना चाहिए।

हर वस्तु का वितरण सरकारी क्षेत्र वितरण कानून अन्तर्गत होना चाहिए ताकि गलत काम करने वालों तथा चोरबाजारी करने वालों को सख्त सजा दी जा सके।

***श्री आर० एन० बर्मन (बलूरघाट)** : कहा गया है कि बजट में सर्वसाधारण के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। वर्तमान आर्थिक स्थिति में तो इससे अच्छा बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देश को पाकिस्तान के विरुद्ध दो युद्ध लड़ने पड़े, जिसके फलस्वरूप मूल्य बढ़ने लगे। मूल्य वृद्धि का कारण युद्ध ही नहीं है। अकाल, सूखा, बाढ़ तथा बंगला देश के शरणार्थी आदि आदि सभी कारणों से मूल्यों में वृद्धि हुई। यह बात सभी को माननी चाहिए कि सरकार ने उचित आर्थिक व्यवस्था करके इस अपूर्व मूल्य वृद्धि को रोक दिया है।

सरकार ने कृषि और बिजली उत्पादन को प्राथमिकता देकर उचित कार्य किया है। जिस देश में 90 प्रतिशत लोग जमीन पर निर्भर करते हैं वहां कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। गत चार वर्षों के दौरान लगभग 30 से 40 लाख हैक्टयर अतिरिक्त भूमि में खेती की गयी। धान की अच्छी किस्म की खेती में तीन गुणा वृद्धि की गई है। अतः हमें आशा रखनी चाहिए कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन क्या हुआ? पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेश को छोड़ कर कृषि उत्पादन में कमी देखी गयी है। यदि पैदावार इसी तरह कम हो तो रही तो यह एक खतरे का प्रतिक है, जिस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

हमें अच्छे किस्म के बीजों, उर्वरक तथा सिंचाई सुविधाओं की ही आवश्यकता नहीं बल्कि हमें उचित दामों पर अनिवार्य उत्पादन की भी आवश्यकता है। दाम इतने अधिक है कि साधारण किसान इन्हें नहीं खरीद सकता।

पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को देश भर में सब से कम मात्रा में ऋण मिलता है। बड़े बड़े किसानों को अपनी परिसम्पत्ति का 50 प्रतिशत भाग तक ऋण मिल जाता है जबकि छोटे किसानों को केवल 15 प्रतिशत ही मिलता है और वह भी समय पर नहीं मिलता है। जिन

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री आर० एन० बर्मन]

बैंक,ऐजेंटों का रिकार्ड अच्छा नहीं होता उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए और उन्हें ग्राम भत्ता जैसा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्र में जो अपनी शाखाएं खोली है उनका महत्व नहीं है और इस सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे तथा उपर्युक्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में सरकार ने ग्राम भत्ता देना चाहिए ।

जहां तक कृषि विकास का सम्बन्ध है, आज बड़ा किसान सरकार की सहायता से और अधिक सम्पन्न हो गया है और छोटे किसान केवल और अधिक गरीब ही नहीं हो गए हैं बल्कि वे अपनी जमीन से भी हाथ धो रहे है। पश्चिम बंगाल राज्य के वर्ष 1974–75 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1961 में 44,59,000 कृषक थे किन्तु 1971 में उनकी संख्या घटकर 39,55,000 रह गई । 1961 में 17,72,000 खेतीहर मजदूर थे जिनकी संख्या 1971 में बढ़कर 32,72,000 हो गई । इनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या अधिक हैं । अन्य राज्यों में भी यही स्थिति चल रही होगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त स्थायी समिति को इस बात की जांच करनी चाहिए कि सभी राज्यों में किसानों को अपनी जमीन क्यों और कैसी खोनी पड़ी है और उन्हें न्यूनतम मजू ी क्यों नहीं दी जा रहीं है ।

आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता है जिससे आम आदमी को उचित दरों पर वस्तुएं मिल सकें, कुछ समय पूर्व औद्योगिक मंत्री श्री पाई ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए एक योजना की बात की थी किन्तु उसके इस सम्बन्ध में फिर कुछ नहीं सुना गया, यह सही दिशा में एक कदम है जिससे मूल्यों पर काबू पाया जा सकता है ।

पहले की भांति इस बजट में नए उद्योगों के लिए कर लागत तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए रियायतें देने की व्यवस्था है, आशा है पहले की अपेक्षा इस वर्ष इसके बेहत्तर परिणाम निकलेंगे ।

शिक्षित बेरोजगारी के मामले में पश्चिम बंगाल का नाम सबसे ऊपर है, इन युवकों को कृषि में नहीं लगाया जा सकता, उन्हें उद्योग कम्पनियों तथा दफ्तरों में ही काम ेना पड़ेगा । शिक्षित बेरोजगारों में अधिक संख्या चंचल युवकों की हैं । हम उन्हें काफी लम्बे समय तक भी बेरोजगार नहीं रख सकत, हमें सभी समस्याओं का मूल्यांकन केवल निश्चित सैद्धान्तिक आधारों पर ही नहीं करना चाहिए । हमें इस समस्या की व्यावहारिक कठिनाइयों को समझना चाहिए और उसे सही तौर पर हल करना चाहिए ।

कलकत्ता नगर के विकास के लिए हमें गत वर्ष विश्व बैंक से कुछ वित्तिय सहायता मिली थी । किन्तु इस वर्ष इस सहायता के बारे में स्थिति अनिश्चित है, अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करें ताकि कलकत्ता विकास परियोजना का काम सुचारू रूप से चलता रहे ।

**श्री श्याम सुन्दर महापात्र** (बालासोर) : आज हम एक भारी संकट से गुजर रहे हैं । देश में, एक ओर फासिस्ट तत्व उभर रहे हैं और दूसरी ओर साम्यवादी हमारी स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता को नष्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं । इस सम्बन्ध में मेरी धारणा यह हैं कि चाह

हमारा रवैया कितना ही समाजवादी क्यों न हो, और चाहे हम इस दिशा में लोगों को कितना ही मार्गदर्शन क्यों न करें, जब तक परियोजनाओं की क्रियान्विति में लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं किया जायेगा तब तक योजनाएं सफल नहीं हो सकती । जब तक हम लोगों से श्रम दान करने को न कहें उस समय तक जल्दी से जल्दी कोई बांध पूरी नहीं हो सकती और हम गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ सकते, इस प्रकार जैसे सरकार चल रही है, हमारी योजनाएं पचास वर्ष में भी पूरी नहीं होंगी। इसीलिए समाजवादी देशों में लोगों से चाहे वे तकनीकी व्यक्ति हों चाहे नौकरशाही हो अथवा साधारण श्रमिक श्रम दान देने के लिए कहा जाता है ।

हाल में बाजारों में मूल्य कुछ गिरे हैं । इस बात को मैं कबूल करूंगा कि यथार्थ पर आधारित यह बजट ऐसा वातावरण तैयार करेगा जिसमें चोर बाजारी करने वाले तथा जमाखोर चीजों को ऊंचे दामों पर बेचने की हिम्मत नहीं करेंगे ।

उड़ीसा को केन्द्र से न्याय मिलना चाहिए, हमारा बजट ऐसा संतुलित होना चाहिए और हमारी ऐसी सन्तुलित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए कि देश का कोई भाग और अधिक धन की मांग न करे और कोई क्षेत्र क्षेत्रीय असन्तुलन का शिकार भी न हो । सम्पूर्ण देश की तुलना में, उड़ीसा को सबसे कम लाइसेन्स दिये गये हैं । महाराष्ट्र को सबसे अधिक लाइसेन्स दिये गए हैं, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि उड़ीसा, नागालैण्ड, असम और यहां तक कि पश्चिम बंगाल जैसे विकासशील राज्यों को उनका पूरा हक दिया जाये ।

इस बजट में, केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा की छः महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दे दी है जिसके लिए म उसको धन्यवाद अदा करता हूं । किन्तु पारादीप में एक उर्वरक कारखाना खोलने की बात केवल सैद्धान्तिक रूप में मानी गई है । प्रधानमंत्री ने वहां उर्वरक कारखाना खोलने का आश्वासन दिया है, मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस सबन्ध में कार्यवाही करेंगे और यह सु-निश्चित करेंगे कि प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा हो ।

उड़ीसा की बहुत मांगें हैं किन्तु कम से कम उन मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो कम से कम उसके विकास के लिए जरूरी है ।

**इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार 14 मार्च, 1975 / 23, फाल्गुन 1896 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।**

*The Lok Sabha then adjousned titl elenen of the clock on Friday, March 14, 1975 Phalguna 23, 1896 (Saka).*



भा०स०मु०ना०—विभाग 5—16 लोकसभा (नई दिल्ली)/75–15-9-75–200

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और
इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/
अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and
contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].